खण्ड-419, अंक-4
बुधवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1919
(23 जुलाई, 1997 ई0)

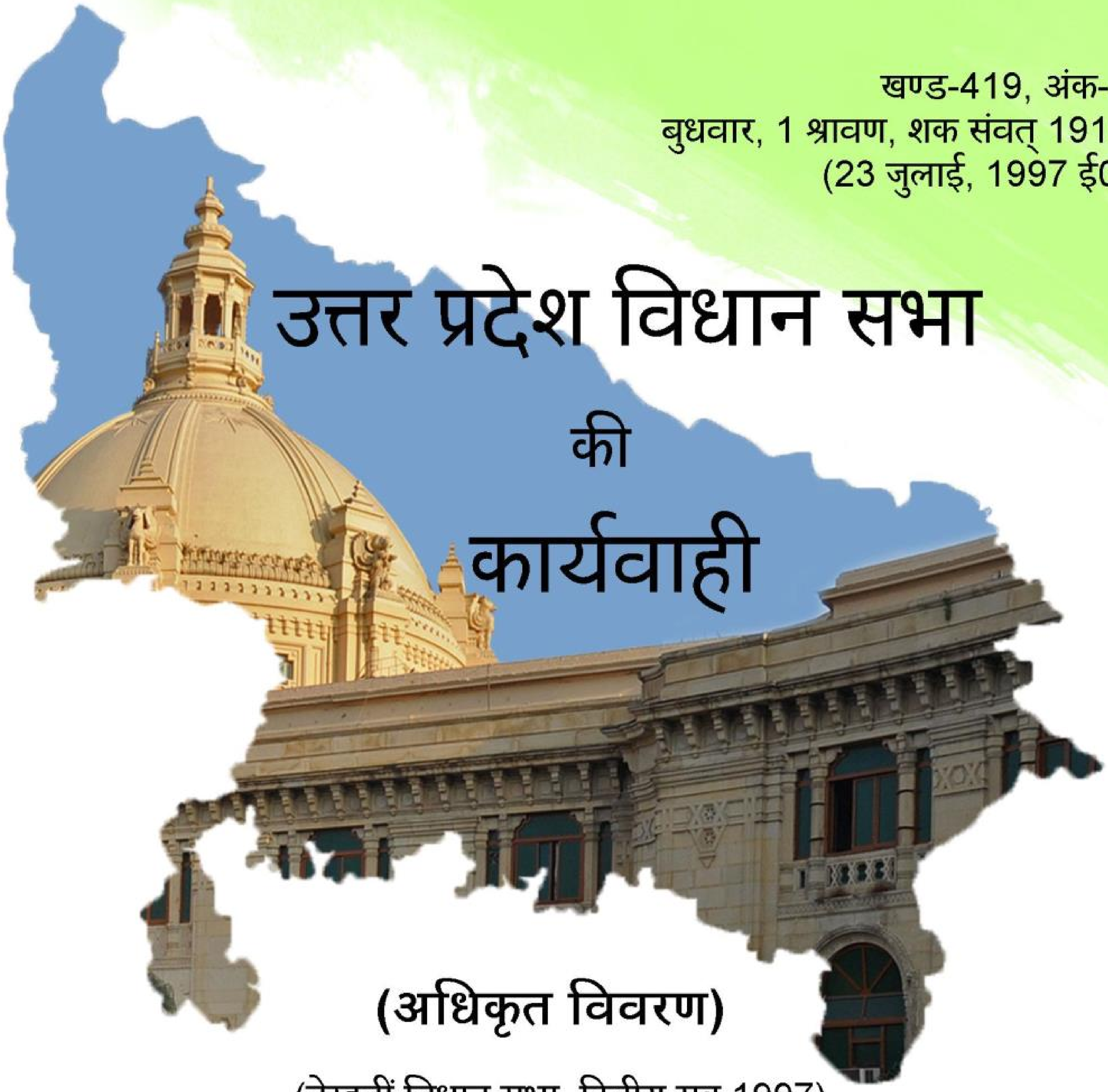

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
वर्तमान विधान सभा के दो माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण न किये जाने के संबंध में जानकारी	1–2
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना ...	2–4
वर्तमान विधान सभा के दो सदस्यों को उर्दू में शपथ दिलाये जाने का अनुरोध	4
प्रश्नोत्तर	5–82
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	83
जनपद गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधान सभा में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में निर्माणाधीन कम्पनी होण्डा सीलवी भर्ती में स्थानीय युवकों की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कन्धरापुर फीडर तथा बनकट फीडर को अलग सब स्टेशन से जोड़ने तथा सोफीपुर सब स्टेशन की मशीनों को बदलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
जनपद देवरिया के गौरयाघाट पर सेतु निर्माण प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद महामाया नगर के सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अपराधों की रोकथाम करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
वाराणसी नगर के शहर दक्षिणी में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84–85
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लगभग 50 लेखाकारों को पदोन्नति/उच्च वेतनमान न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	85
वित्तीय वर्ष 1997-98 का आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न संवैधानिक संकट के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	85–91
प्रदेश के कतिपय जनपदों में अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न	92–93
प्रदेश के जिलों में जिला नियोजन के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशियों में से 10 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय सुरक्षित किये जाने पर औचित्य का प्रश्न ...	94
वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में प्रस्तुत उत्तरांचल के लिये 677 करोड़ और पूर्वांचल विकास निधि में 92 करोड़ का प्राविधान किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	94–95
मंत्री, सरकार और विधायिका सबसे ऊपर राय सिंह के संबंध में औचित्य का प्रश्न	96–97

विषय	पृष्ठ संख्या
हरिद्वार में मद्य निषेध से संबंधित दिनांक 23-4-97 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न	97–99
दिनांक 29-3-97 को श्री उदयराज यादव, स०वि०स० के ऊपर किये गये प्राण घातक हमले के संबंध में औचित्य का प्रश्न	99
विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 (दि० 21 अप्रैल, 97 से 25 अप्रैल, 97 तक) नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण	99
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	100–102
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित)	102
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित)	102
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने का निर्णय	103
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	103–136
प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण का संकल्प (अस्वीकृत)	136–153
जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में स्थापित किये जाने का संकल्प (अस्वीकृत) ...	153–160
प्रदेश के किसानों को उनके कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये "कृषि उपजों" की लागत मूल्य के वास्तविक आंकलन के आधार पर उन्हें "लाभकारी मूल्य" दिलाये जाने के लिये यथाशीघ्र कृषि उपज लाभकारी मूल्य निर्धारण नीति बनाये जाने का संकल्प (अस्वीकृत) ...	160–168
प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से घोषित किये जाने का संकल्प (अस्वीकृत)	168–171
प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों यथा गंगा यमुना, शारदा, गोमती, सरयू, राप्ती, रोहित आदि को अन्तर्देशीय जल मार्ग घोषित करते हुए जल संचार, यातायात, परिवहन आदि के विकास हेतु "राज्य नौ परिवहन प्राधिकरण" की स्थापना का संकल्प (संकल्प वापस लेने का प्रस्ताव स्वीकृत) ...	171–174
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	174
नत्थियां	175–184

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	मायावती, सुश्री	सहारनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री	गढ़वाल
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	रघुनाथ सिंह चौहान, श्री	अल्मोड़ा
कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री	पिथौरागढ़	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर	राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर	राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
नारायण रामदास, श्री	अल्मोड़ा	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद	राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल	रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
		लालजी टंडन, श्री	लखनऊ

---

* मा० सदस्य ने शपथ नहीं लिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
विशन सिंह चुफाल, श्री	पिथौरागढ़
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरी किशन, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

* मा० सदस्य ने शपथ नहीं लिया है ।

बुधवार दिनांक 23 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

वर्तमान विधान सभा के दो माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण न किये जाने के संबंध में जानकारी

(नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–1 पुकारे जाने पर)

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । सिवाय व्यवधान के कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा सचिवालय और अध्यक्ष के व्यवहार से संबंधित है, इसकी चर्चा की अनुमति नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, वह हिन्दी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते, पढ़ भी नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कब कहा कि अंग्रेजी में शपथ लीजिए । चुनाव लड़ने के वक्त नामांकन करते समय जिस तरह उन्होंने शपथ ली थी, उसी अनुसार वह शपथ ले सकते हैं । यह विषय विधान सभा सचिवालय की कार्यवाही तथा विधान सभा अध्यक्ष के व्यवहार से संबंधित है, कृपया इस प्रश्न को समाप्त करें और कार्यवाही चलने दें । समय आने पर कार्यसूची के अनुसार जो अनुमन्य विषय हैं, सब ले लिये जायेंगे । शपथ के संबंध में जो भी बातें कही गयी हैं, वह प्रेस में भी नहीं आयेंगी ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य श्री गोपाल कृष्ण, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री शिवपाल सिंह यादव सहित सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, इसका कोई समाधान निकालें, मैं आपके कक्ष में आकर बात कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं कक्ष में बात कर लूंगा ।

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैंने 311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनको मैंने नियम 56 में बदल दिया है और नियम 56 के अनुसार उनका निस्तारण होगा ।

माननीय त्रिपाठी जी बैठें, प्रश्नकाल चलने दें ।

(कई सदस्यों द्वारा बराबर बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जा रहा है और न ही प्रेस में आयेगा । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि मैंने नियम 311 में आपको सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है उसका नियम 56 में निस्तारण होगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, नियम 311 पर व्यवस्था क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 में जितनी सूचनाएं आयी हैं उसको मैंने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है और नियम 56 की प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निस्तारण होगा ।

श्री ओम प्रकाश (एटा)–

मान्यवर, आगरा का प्रकरण सबसे गम्भीर है उस पर चर्चा करा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्यसूची में क्रम बना हुआ है उसी क्रम में निस्तारण होगा तो ज्यादा सुविधाजनक हो जायेगा। जब वह नियम के अनुसार आयेगा तो सदन उसका निस्तारण कर देगा।

श्री ओम प्रकाश (एटा)–

मान्यवर, आगरा वाले प्रकरण पर गम्भीरता से चर्चा करा लें। आपने कल कहा था कि 311 में प्रकरण पर चर्चा करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात पर विचार कर लूंगा, आप बैठें।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, शलाका में नये लोगों को मौका नहीं मिलता है, पुराने लोगों को ही मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है। यह आप विधान सभा सचिवालय की कार्य प्रणाली पर आपत्ति कर रहे हैं। कल मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि शलाका आप निकालें। आप नये सदस्य जरूर हैं लेकिन आयु से तो अनुभवी हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात कर लूंगा उस विषय में। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं किसी भी भाषा को विवाद का रूप नहीं देना चाहता हूं। कृपया बैठ जायें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(इसी मध्य श्री शिवपाल सिंह यादव, धर्मज्ञ मिश्र, श्री सुधाकर, श्री गोपाल कृष्ण, श्री अफजाल अहमद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम प्यारे आदि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और "अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है" के नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

भाषा और शपथ के बारे में कोई भी समाचार प्रेस में नहीं छपेगा। मैं सदन को 11.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इस समय 11 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है

तत्पश्चात् 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धनीराम वर्मा–

[× × ×]

वर्तमान विधान सभा के दो सदस्यों को उर्दू में शपथ दिलाये जाने का अनुरोध

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सदन के दो सदस्य श्री आलम बदी और वसीम अहमद ऐसे हैं जिन्हें शपथ दिलाने का काम नहीं किया गया है क्योंकि वे उर्दू भाषा में शपथ लेने के इच्छुक हैं। इस देश की पार्लियामेन्ट में उर्दू भाषा में शपथ दिलायी जाती है और पांच ऐसे सूबे हैं जहां पर उर्दू भाषा में शपथ दिलायी जाती है। मान्यवर, उर्दू इस प्रदेश की दूसरी भाषा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन्हें न्याय दें और उर्दू में शपथ दिलाने का कष्ट करें जिससे वह सदन में आकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी कहा है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय की कार्यवाही और अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं होती है। यह सदन की परम्परा है और नियम भी है। दूसरी चीज जो दो माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है उन्होंने चुनाव लड़ने के समय जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमें उन्होंने हिन्दी में हस्ताक्षर किये थे। तीसरी चीज यह है कि संविधान में जो प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप के अनुसार शपथ होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है उसकी भाषा हिन्दी और अंग्रेजी है। इस सदन की भाषा हिन्दी है इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने मित्र को समझाने का प्रयास करें कि वह हिन्दी में ही शपथ लें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया है वह शुद्ध हिन्दी भाषा में है जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें हिन्दी आती है। अतः इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूं। आपके सहयोग के लिये धन्यवाद।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जो प्रेस पर लिखने का प्रतिबन्ध लगा है उसके सम्बन्ध में व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

यह स्थगन के पहले की कार्यवाही हुई थी। अब यह समाप्त हो गया है। अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शासन द्वारा मिनी डिस्टीलिरियों को लगाने हेतु लाइसेन्स निर्गत करने की नीति की जानकारी

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने मिनी डिस्टीलिरियों को लगाये जाने हेतु लाइसेन्स निर्गत करने की कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिस्टीलिरी के लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में प्राविधान उपलब्ध है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नीति निर्देशक तत्व में इस बात की व्यवस्था है कि क्रमशः मद्य निषेध लागू किया जायेगा । लेकिन राज्य नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए 1995 में मिनी डिस्टीलिरियों को लाइसेन्स देने का प्राविधान किया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस नीति के तहत लाइसेन्स दिया गया और दूसरा जो मैंने मूल प्रश्न किया है कि शासन ने मिनी डिस्टीलिरियों को लगाये जाने हेतु लाइसेन्स निर्गत करने की कोई नीति बनायी है जिसका जवाब आया कि "जी नहीं" और वह नीति क्या है जिसके जवाब में यह आया कि प्रश्न नहीं उठता और तीसरा यह पूछा था कि यदि नहीं, तो क्यों ? तो इसके जवाब में यह आया कि इसकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि लाइसेंस दिये जाने के संबंध में कोई प्राविधान नहीं है फिर नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लंघन करके किन परिस्थितियों में 8 लाइसेन्स निर्गत किये गये ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत रूल्स हैं और उसमें प्राविधान है उसी के आधार पर आवेदन-पत्र आते हैं । आवेदन-पत्र कलेक्ट करने के बाद जिलाधिकारी के थ्रू कमिश्नर के माध्यम से आते हैं । उसके बाद शासन परीक्षण करके एक्ट और रूल के मुताबिक निर्णय करता है । जहां तक लाइसेन्स देने का सवाल है हमने इसी के अन्तर्गत कार्यवाही की है और यही हमारा प्राविधान है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 1986 में केन्द्र सरकार की एक समिति ने यह तय किया था कि अब इस देश में, प्रदेश की बात नहीं, जो पहले से बनी हुई डिस्टीलिरीज हैं उनमें किसी प्रकार के अधिक अल्कोहलिक उत्पादन पर रोक लगा दी जाय और नई डिस्टीलिरीज बिलकुल न खोली जायें । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में क्या किसी प्रकार का उनमें एक्सपैंशन किया गया है, जिसके कारण प्रदेश में लगभग 3 गुना शराब का उत्पादन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय डंग जी यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से निकलता नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं केवल डिस्टीलिरीज की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर दे दीजिये।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जहां तक वरिष्ठ सदस्य डा० डंग जी का प्रश्न है, वह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्थिति भिन्न-भिन्न हैं। हमारे यहां पर इस संबंध में लिबरल व्यू है। जहां तक मद्य निषेध का प्रश्न है, तो जहां पर यह घोषित किया गया है, वहां पर 2-3 संकट उत्पन्न होते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। 220(0) करोड़ रुपये इससे हमें मिलता है। यह हमारे प्रदेश के संसाधनों का एक अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि यह प्रदेश सरकार का विषय है, केन्द्र सरकार का नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, जब यह नीति बनायी गयी थी, तो क्या यही मुख्य मंत्री उस समय थीं ?

श्री अध्यक्ष–

आप मुख्य प्रश्न को देखें।

श्री ओम प्रकाश–

जो नीति बनायी गयी है, वह कब बनायी गयी है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह जन जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई नीति बनायी जायेगी और अगर बनायी जायेगी तो कब बनायी जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिन प्रदेशों में मद्य निषेध लागू किया गया है, वह दिवालिया हो गया है और उनके समक्ष आर्थिक कठिनाई उपस्थित हो गयी है। इसी आर्थिक स्थिति के कारण डिस्टीलिरियों को खोलना आवश्यक हो गया है, जिससे उनकी आय हो सके। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन डिस्टीलिरियों के माध्यम से समाज को नष्ट करने के लिये जो द्रव बना रहे हैं, उसको बनाने के बजाय क्या इससे वैकल्पिक ऊर्जा के लिये ऐसी स्प्रिट जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सके, उसको बनाने पर विचार करेंगे ? उसका मैटेरियल भी वही है और प्रोडक्ट भी वही है, क्या ऐसी नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास औद्योगिक अल्कोहल के लिये आवेदन पत्र कम आते हैं, चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि औद्योगिक अल्कोहल के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें हम उन पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने उत्तर में कहा है जो नये डिस्टीलिरी के लाइसेंस दिये जाते है उसमें जिलाधिकारी और कमिश्नर की रिपोर्ट आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 97 तक शासन को कितने डिस्टीलिरी लगाने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितनों पर डी० एम० और कमिश्नर की रिपोर्ट लगी थी और जिनको लाइसेंस दिये गये क्या उनमें डी० एम० और कमिश्नर की रिपोर्ट लगी थी, जिन पर रिपोर्ट लगी थी उनको लाइसेन्स क्यों नहीं दिये गये ? इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार मद्य निषेध पर कितना रुपया खर्च कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तीर्ण प्रश्न है और यह मूल प्रश्न से संबंधित भी नहीं है।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आबकारी विभाग के लाइसेंस इसलिये दिये गये कि प्रदेश को आर्थिक हानि हो रही थी।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री गोपाल कृष्ण–

उन्होंने कहा कि लाइसेंस देने से पैसा आ रहा है, गलत तरीके से पैसा आ रहा है। तो क्या गलत तरीके से ही आना है तो उसके दूसरे रास्ते भी हैं। [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जहां-जहां भी शराब बनती है वहां पर अव्यवस्था फैल जाती है (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्यनिषेध कानून लागू करेंगे और उत्तर प्रदेश से इसे खत्म करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 1995 में जब लाइसेंस निर्गत किये गये थे उस समय कितने लोगों ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिये थे ? जिनको यह स्वीकृत किये गये वह कौन-कौन फर्म थी ? क्या उन्होंने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर ली थी और जिनको लाइसेंस नहीं दिये गये उसका क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तीर्ण प्रश्न है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है, मेरा समाधान होना चाहिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो एक्ट और रूल में प्राविधान थे उसके आधार पर परीक्षण करके 9 लोगों को लाइसेंस निर्गत किये गये हैं । जिनको लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं उनके नाम हैं 1–मेसर्स सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड 2–मे० इम्प्रो इंडिया लिमिटेड, 3–मेसर्स के० एल० सी० इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 4–मेसर्स उत्तरांचल डिस्टीलिरीज एंड एलायड इंडस्ट्रीज 5–मेसर्स ग्रीन वैली शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 6–मेसर्स कामेट कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 7–मेसर्स जे० एच० वी० कांस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 8–मेसर्स चड्ढा डिस्टीलिरीज लिमिटेड 9–मेसर्स चड्ढा केमिकल्स डिस्टीलिरीज लिमिटेड । इनको लाइसेन्स दिये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिन कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये हैं उनके स्थानों का उल्लेख कर दें । कम्पनी अस्तित्व में हैं इसकी जानकारी सदन को कैसे होगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

यह सब इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में स्थापित होनी थी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, एक तरफ हरियाणा सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार में पूर्ण नशाबंदी लागू करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रही है दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार 8 नयी डिस्टीलिरीज को लाइसेन्स देकर प्रदेश की जनता को और अधिक जहर पिलाने का काम कर रही है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि प्रति डिस्टीलिरीज से 5-5 करोड़ रुपये अधिभार के रूप में लिये गये हैं । क्या यह पैसा राजस्व में जमा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हमारे बाजपेयी जी ने एक मनगढ़न्त आरोप लगा दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री सुखदेव राजभर–

जिन 9 लोगों को लाइसेन्स निर्गत किये गये हैं उस पर पूरा परीक्षण हुआ है और परीक्षण होने के बाद एक्ट और रूल के आधार पर लाइसेन्स दिये गये । उत्तर प्रदेश में थोड़ा लिबरल व्यू है । डिस्टीलरीज के लाइसेन्स वित्तीय संसाधनों तथा शीरे के उत्पादन को देखते हुये दिये गये हैं ।

इसके साथ ही साथ मान्यवर रोजाना माननीय विधायक लोग इस तरह की भी शिकायत करते हैं कि वहां पर शराब की भट्ठी बन गई 2(0), 3(0), 4(0) लोग मर गये । ईमानदारी से फैसला किया जाय तो मद्य निषेध के बाद ही इस तरह की घटनाएं होती है ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जिन प्रदेशों में नशाबन्दी हो गयी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है । वह प्रश्न अब समाप्त हो गया है ।

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की योजना की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने, रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने, शैक्षणिक सत्र को नियमित करने तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा छात्रों के कल्याण हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु विश्वविद्यालयों के लिये प्रोत्साहन अनुदान की योजना लागू की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों को उनकी विगत वर्ष की वित्तीय, प्रशासनिक, सत्र नियमितीकरण, आय में वृद्धि के लिये किये गये प्रयास आदि समग्र उपलब्धियों के आधार पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान देने की योजना है । वर्ष 1996-97 के लिये इस मद में रु० 3 करोड़ पी० एल० ए० में जमा है । प्रथम स्थान पाने वाले विश्वविद्यालय को रु० 1.50 करोड़, द्वितीय स्थान पाने वाले को रु० 1 करोड़ तथा तृतीय स्थान पाने वाले को रु० 50 लाख का प्राविधान है ।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में यू० जी० सी० की सहायता से रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं । सत्र नियमित किये जाने हेतु शासन से शैक्षिक पंचांग जारी किया गया है । इसका प्राविधान विश्वविद्यालय की परिनियमावली में भी विद्यमान है जिसमें यह व्यवस्था है कि 31 अगस्त के बाद प्रवेश न हों, परीक्षायें 30 अप्रैल तक पूरी हो जायं तथा 15 जून तक परीक्षाफल घोषित किया जाय ।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिये विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू की गयी है जिसकी कुल वार्षिक बीमा किश्त की देय धनराशि रु० 22 प्रति विद्यार्थी है । दुर्घटना अथवा वाह्य हिंसा की दशा में प्रत्येक विद्यार्थी को अलग-अलग दशा में रु० 5000 से लेकर रु० 1,10,000 तक धारक को देय बीमित धनराशि निर्धारित की गयी है । इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर स्थापित छात्र कल्याण निधि से मेधावी निर्धन छात्रों की प्रति वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृति की जाती है । विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये ग्रुप मेडिक्लेम योजना तथा जनता बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, शैक्षिक वातावरण में परिवर्तन लाने और शिक्षा की दशा में, गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिये उच्च शिक्षा मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों के लिये विशेष अनुदान राशि निर्धारित की गई है तो उसका चयन किस तरीके से किया जायेगा ? और यह जो विश्वविद्यालयों और

महाविद्यालयों में यू० जी० सी० की सहायता से पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं उसमें जो सफल नहीं होंगे उनके लिये दण्ड का क्या प्राविधान है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जो प्रोत्साहन अनुदान योजना विश्वविद्यालयों के लिये है उसमें विश्वविद्यालय को अपना प्रार्थना-पत्र शासन को देना होगा । शासन स्तर से निर्णय लिया जायेगा । जो अच्छे विद्यालय हैं एजुकेशनल वातावरण अच्छा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छी है उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस, एम० बी० ए०, होटल मैनेजमेन्ट आदि कोर्स चलाये जा रहे हैं । इसमें भी शासन का ध्यान है कि यह कोर्सेज ठीक से चलें । छात्रों और अध्यापकों का कोई एक्सप्लायटेशन न हो । इसी तरह से जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं शासन ने निर्णय लिया है कि उनको भरा जाय । उत्तरांचल में 135 तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति की । शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद बीस वर्षों से सृजित नहीं किये गये । इस पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है । 2000 पद इस तरह से सृजित किये जायेंगे ताकि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि खन्ना जी भी मूल प्रश्नकर्ता हैं मैंने उन्हें बुला लिया है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया । मैं आपके माध्यम से तीन बहुत छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहता हूं । पहला–सत्र अगर कायदे से चले तो उसको अनुदान देंगे । सत्र अनियमित होगा तो क्या उसे आप दण्ड देंगे ? सत्र को नियमित करने के लिये तीन चीजें जरूरी हैं वित्तीय, प्रशासनिक आय में वृद्धि और आय वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि, आय की वृद्धि में डोनेशन शामिल नहीं है । पिछले बीस सालों से विद्यालयों में पदों का सृजन नहीं हुआ है बहुत से पद खाली पड़े हैं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में माननीय सदस्य को अवगत कराया विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन अनुदान शासन स्तर से दिया जाएगा । इसके तीन मुख्य फैक्टर बताये हैं जो विश्वविद्यालय उसको पूरा करेंगे उनको प्रथम द्वितीय और तृतीय के रूप में प्रोत्साहन देंगे ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या दण्ड भी देंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विश्वविद्यालय स्वयं आटोनामी संस्था है । इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रम चालू किये गये इसमें सत्र नियमित हो इसके लिए शासन स्तर से कार्यवाही की गयी है । इसके अतिरिक्त जो छात्र से आवेदन शुल्क लिया जायेगा उसमें शासन स्तर से अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ताकि छात्र का एक्सप्लाइटेशन न हो सके । शिक्षकों, कर्मचारियों के पदों के प्रश्न के बारे में गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । राजकीय विद्यालयों में जितने शिक्षक के पद रिक्त हैं वह लोक सेवा आयोग को संदर्भित हो चुके हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा यह बताया गया है कि 15 अगस्त तक चयन प्रक्रिया हो जाएगी । 1991-92 में डी० पी० सी० होनी थी तब से डी० पी० सी० नहीं हुई थी अब इसको कराया गया है । विश्वविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्तियां हुई हैं अब कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां प्राचार्य न हों ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री समरपाल सिंह–

उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

(व्यवधान)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इण्टरमीडिएट में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है हमारे जो आर्थिक संसाधन समिति है उसमें ईवनिंग क्लासेज के बारे में, मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में विचार किया जा रहा है । इससे छात्रों के प्रवेश की समस्या दूर होगी ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है उसके लिए विश्वविद्यालय में सीट बढ़ाने की बात कही छात्रों की कल्याण की योजना के अन्तर्गत बढ़ती महंगाई को देखते हुए पैसा भी लिखना चाहिए था कि किस प्रकार का प्राविधान किया गया है । मेधावी छात्रों को पैसा देंगे, या मेधावी गरीब छात्रों को पैसा देंगे या केवल गरीब छात्रों को पैसा देंगे । छात्रों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के लिये किस प्रकार के धन की वृद्धि की गई है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह छात्रवृत्ति जो दी जायेगी उसमें आय सीमा है लेकिन उस आय सीमा में निर्धन छात्र भी हैं लेकिन मेधावी को भी स्थान मिलना चाहिए इसके लिये शासन स्तर पर विचार कर रहे हैं कि उस छात्रवृत्ति को मेरिट के आधार पर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब 12 बजकर 20 मिनट होने वाले हैं इसलिये संक्षेप में पाल साहब अपना प्रश्न पूछें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं केवल दो बातें पूछना चाहता हूं अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि छात्र कल्याण निधि की स्थापना की गयी है और छात्रवृत्ति जो दी जाती है उसकी सीमा है उसमें आय की भी सीमा है । अभी माननीय मंत्री जी ने छात्र कल्याण निधि कोष के बारे में बताया है तो इसकी स्थापना कब की गयी और कितने पैसे से इसकी शुरुआत हुई तथा क्या छात्र निधि कोष का पैसा राज्य विद्युत परिषद् को लोन के रूप में स्थानान्तरित किया गया है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

छात्र कल्याण निधि में 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष छात्रों को दिया जाता है । मैं यहां पर सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें कम प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं तो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के छात्रों के प्रार्थना-पत्रों को शासन को भिजवाएं जिससे 50 लाख रुपये का फायदा मिल सके ।

श्री रामजग–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों का कोटा पूरा है और अगर नहीं पूरा है तो कब तक पूरा करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय सदस्य अवगत होंगे कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानक निर्धारित किये जाते हैं उन्हीं मानकों के आधार पर नियुक्तियां होती हैं क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है वहां पर नियुक्ति विश्वविद्यालय चयन समिति के माध्यम से होती है । राजकीय महाविद्यालयों में चयन लोक सेवा आयोग के द्वारा और अशासकीय विद्यालयों में चयन उच्चतर/शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शर्तें क्या हैं ? क्या बेरोजगारी के इस माहौल को देखते हुए प्रत्येक जनपद के एक महाविद्यालय की कक्षाओं में इन पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं शासन उन पर विचार करता है तभी निर्णय लिया जाता है शासन अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

[बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज स्थित जरवल रोड चीनी मिल द्वारा वर्तमान सत्र में किसानों का भुगतान एवं मजदूरों के वेतन का मामला

*1–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज स्थित जरवल रोड चीनी मिल द्वारा वर्तमान सत्र में किसानों का अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है तथा कितना शेष है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल में कुछ नयी नियुक्तियां कर ली गयी हैं जबकि पुराने मजदूरों का वेतन काफी दिनों से बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध तंत्र/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सदन को सम्पूर्ण विवरण से अवगत करायेगी ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

वर्तमान पेराई सत्र 1996-97 में क्रय किये गये कुल गन्ना 26.34 लाख कुन्टल के देय गन्ना मूल्य रु० 1860.54 लाख में से रु० 1240.72 लाख का भुगतान दिनांक 9-7-97 तक कर दिया गया है तथा अवशेष गन्ना मूल्य रु० 619.82 लाख का भुगतान नहीं किया जा सका है । इसके भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

इकाई में किसी प्रकार की नियमितीकरण/नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है । शासनादेश के अनुपालन में केवल मृतक कर्मचारियों के वारिसों की नियुक्ति की गयी है । पुराने मजदूरों के वेतन के

मद में कोई भुगतान अवशेष नहीं है । अतः इस हेतु प्रबन्धतंत्र/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा,जनपद बलिया में क्लास–1, क्लास–2, क्लास–3 एवं क्लास–4 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं सभी वर्गों के प्रतिशत की जानकारी

* 2–श्री पारस नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा, जनपद बलिया में क्लास–1, क्लास–2, क्लास–3; क्लास–4 के कितने कर्मचारी रेगुलर, तदर्थ व दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? उनमें से अलग-अलग सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना-कितना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, रसड़ा, जनपद बलिया में समूह "क" में 6 नियमित कर्मचारी, समूह "ख" में 12 नियमित कर्मचारी, समूह "ग" में 348 नियमित तथा 11 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तथा समूह "घ" में 198 नियमित तथा 32 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

समूह "क", "ख", "ग" एवं "घ" में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत निम्नवत् है :–

		प्रतिशत		
समूह		सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
"क"	नियमित	66.70	33.30	शून्य
	दैनिक	—	—	—
"ख"	नियमित	58.30	शून्य	41.70
	दैनिक	—	—	—
"ग"	नियमित	48.85	36.80	14.35
	दैनिक	54.55	45.45	शून्य
"घ"	नियमित	22.20	63.10	14.70
	दैनिक	37.50	46.90	15.60

राष्ट्रपति शासन के दौरान समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक द्वारा किया गया गबन

*3–श्री राजाराम–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक निर्माण द्वारा निर्माण कार्य के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया गया है तथा निर्माण के काम से विभागीय ठेकेदारों द्वारा सरकारी पैसे से अपने निजी भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके उक्त कार्य काल के कार्य कलापों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी तथा इलाहाबाद मण्डल के जिलों के विकास का मामला

*4–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी तथा इलाहाबाद मण्डल के जिले विकास की दृष्टि से अन्य जनपदों से पीछे हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त जनपद विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा, मार्ग तथा रोजगार में प्रदेश के मानक स्तर पर लाने के लिये मौजूदा सरकार प्राथमिकता पर अतिरिक्त धन सुलभ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं ।

उक्त मण्डलों के कतिपय जनपद प्रदेश के औसत से ऊपर हैं और कतिपय जनपद प्रदेश के औसत से पीछे ।

जिला योजनाओं एवं पूर्वांचल विकास निधि के अधीन जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के मानक के आधार पर जिलों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । उपलब्ध धनराशि का प्रश्नगत मदों यथा विद्युत, चिकित्सा, शिक्षा, मार्ग एवं रोजगार में भी उपयोग करने की स्वतंत्रता है ।

जनपद वाराणसी के पाण्डेयपुर में निर्मित पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

*5–श्री [illegible] देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी के पाण्डेयपुर में निर्मित पं० दीन दयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल एक वर्ष से भी अधिक समय से उपेक्षित पड़ा है और 600 बिस्तरों के इस अस्पताल में मरीजों हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या मरीजों के चिकित्सा हेतु आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार तत्काल उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी नहीं ।

250 शैय्यायुक्त उक्त चिकित्सालय का निर्माण स्वीकृत हुआ था । प्रथम चरण में इस अस्पताल में 125 शैय्या के साथ आवश्यक एवं विशेषज्ञता सुविधायुक्त कार्यशील/संचालित कर दिया गया है ।

उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत इस अस्पताल में सामान्य विशेषज्ञता जैसे–मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, हड्डी रोग विभाग, बाल रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, एनेस्थीसिया विभाग एवं स्त्री रोग विभाग की सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[illegible] जनपद शाहजहांपुर पर पेराई सत्र 96-97 का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*6–श्री [illegible]

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 का गन्ने का भुगतान चीनी मिल पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में जनवरी, 1997 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनवरी, 1997 तक का पूरा भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितना भुगतान शेष है ? क्या सरकार शेष भुगतान शीघ्र करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

दिनांक 11-7-97 की स्थिति के अनुसार दि किसान सहकारी चीनी मिल [illegible] 97 का रु० 443.31 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है । उक्त अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

निदेशालय, समाज कल्याण विभाग में अराजपत्रित कर्मचारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत पदोन्नति का मामला

*7–श्री चेतराम–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय समाज कल्याण विभाग में अराजपत्रित कर्मचारी सेवा नियमावली में प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदों पर करने का प्राविधान होने के बावजूद भी वर्ष 1992 से पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं, अराजपत्रित कर्मचारी सेवा नियमावली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही ऊलेन्स लि० के छंटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने का मामला

*8–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही ऊलेन्स लि० माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 20-2-1996 के निर्णय के अनुसार बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यू० पी० टी० टी० एल० रायबरेली, ए० टी० एल० प्रतापगढ़, चलचित्र निगम आदि के छंटनीशुदा कर्मचारियों की भांति भदोही ऊलेन्स के छंटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भदोही ऊलेन्स मिल के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में समायोजित करने का सम्यक् विचारोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*9–श्री समर पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता के पद रिक्त होने तथा प्रवक्ता के सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप छात्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो छात्रों की उचित शिक्षा-दीक्षा एवं भविष्य को देखते हुए जब तक लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ता उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक के लिये सेवा निवृत्त हो रहे प्रवक्ताओं को

संविदा/मानदेय/सेवा विस्तार करके शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं । सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों को सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति दिये जाने की शासन की नीति नहीं है । फलस्वरूप सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे प्रवक्ताओं को संविदा/मानदेय/सेवा विस्तार करके शिक्षण कार्य चलाने का प्रस्ताव नहीं है, वरन् होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन के निमित्त लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे स्थित गांवों को कटान से बचाने हेतु सरकार की योजना

*10–श्री सुधाकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे कितने गांव स्थित हैं ? क्या घाघरा नदी के कटान से दोहरीघाट, बीबीपुर, रसूलपुर, रोशनपुर गांव ज्यादा प्रभावित हैं ? क्या उक्त गांवों को बचाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

घाघरा नदी के किनारे जनपद मऊ के लगभग 30 गांव स्थित हैं ।

घाघरा नदी के कटान से दोहरीघाट नगर एवं बीबीपुर गांव प्रभावित हैं । रसूलपुर में नदी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है । ग्राम रोशनपुर, सूरजपुर बांध के सुरक्षित क्षेत्र में है ।

विभागीय स्तर पर संबंधित क्षेत्र के लिये दो बाढ़ सुरक्षा योजनायें तैयार की गयी हैं ।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सामान्य वर्ग के चिकित्सकों की द्वितीय से प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति की मांग

*11–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सामान्य वर्ग के चिकित्सकों की द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पर पदोन्नति विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन ने अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने विगत दिनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के चिकित्सकों को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति की कार्यवाही पूरी कर दी है ? यदि हां, तो सामान्य वर्ग के चिकित्सकों को कब तक प्रोन्नति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये पुरुष एवं महिला चिकित्सा अधिकारियों (सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति–मैदानी संवर्ग एवं पर्वतीय उपसंवर्ग) को साधारण वेतनमान अर्थात् समूह "ख" से ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान अर्थात समूह "क" में प्रोन्नति किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1997 को जारी कर दिये गये हैं ?

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में तीस शैय्या वाले चिकित्सालय के निर्माण के उपरान्त हस्तगत न होने का मामला

*12–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील सिकन्दराराऊ में तीस शैय्या वाले चिकित्सालय का नव निर्माण विगत वर्षों में सम्पन्न हुआ है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय विभाग को कब तक हस्तान्तरित होकर कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, किन्तु नवनिर्मित भवन में कुछ कमियां हैं जिनके निराकरण न हो पाने के कारण भवन विभाग को अभी हस्तगत नहीं हुआ है ।

चिकित्सालय क्रियाशील होने से पूर्व भवन विभाग को प्राप्त होना आवश्यक है । कमियों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करके विभाग को हस्तगत कराने हेतु निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में जल स्तर के गिरने के कारण भारी संख्या में सूख रहे कुओं से उत्पन्न पेयजल संकट से निपटने की योजना

*13–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि लगातार जल स्तर गिरने के कारण प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पूर्व से बने कुएं भारी संख्या में सूख रहे हैं ? यदि हां, तो गम्भीर संकट से निपटने के लिये क्या वर्तमान सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

पेयजल संकट के समाधान हेतु पूर्व संचालित जिला योजना, राज्य सेक्टर तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों तथा पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार
प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित डी० एस० एम० पेपर मिल को चालू किये जाने की मांग

*14–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में स्थित डी० एस० एम० पेपर मिल को अनियमितरूप से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मजदूरों के हितों को देखते हुए मंत्री जी उक्त फैक्टरी को पुनः चालू कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*15--डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री विनोद मणि–

[दूसरे शुक्र में ता० प्र० सं०–12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[तीसरे शुक्र में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजस्थान का रेगिस्तान मथुरा–आगरा जनपदों की ओर बढ़ने की आशंका एवं रोकने की मांग

*17–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान का रेगिस्तान मथुरा–आगरा जनपदों की ओर बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजस्थान का रेगिस्तान मथुरा-आगरा जनपदों की ओर बढ़ने के विषय में किसी वैज्ञानिक तथ्य की जानकारी वन विभाग को नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दूर संवेदन तकनीकी के माध्यम से वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया जा चुका है ।

एलोपैथिक फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*18–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में इस समय लगभग 200 एलोपैथिक फार्मेसिस्ट के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों में से वर्तमान में मात्र 452 रिक्त पदों को भरने के संबंध में संबंधित निदेशालय द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष रिक्त पदों को विज्ञप्ति कराकर शीघ्र चयन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । मात्र 942 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

प्रश्नगत रिक्तियों को भरने की कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । वर्ष 1995 के विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त ही अवशेष रिक्तियों को भरने की कार्यवाही सम्भव है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा, मेरठ, झांसी मण्डलों में भूगर्भ जल स्तर गिरने की समस्या के निराकरण के संबंध में जानकारी

*19–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल और झांसी मण्डल के क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर दिन प्रतिदिन निरन्तर गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि आगरा–फिरोजाबाद, मथुरा–मेरठ–बांदा–हमीरपुर [illegible] में जल स्तर गत 5 वर्षों में गिरते-गिरते स्थान से 35 फुट नीचे जल सोत्र जा पहुंचा है ? [illegible] भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा करने के लिये शासन ने युद्ध स्तर पर कोई उपाय किये हैं ? यदि हां तो [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं, सन्दर्भित जनपदों में पिछले 5 वर्षों में जल स्तर में मात्र 1/2 फिट से $13\frac{1}{2}$ फिट की गिरावट हुई है।

भूगर्भ जलस्तर ऊंचा करने के लिये विभाग द्वारा अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। भूजल संवर्धन हेतु कृत्रिम रिचार्ज एक विशिष्ट तकनीक है। जनपद रायबरेली के एक विकास खण्ड सतांव के लिये इस हेतु एक पायलेट योजना 1996-97 में रु० 7.25 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1997-98 में होगा।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में पदोन्नत वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

1–श्री राम औतार मिश्रा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में कितने ऐसे लिपिक हैं जो कनिष्ठ लिपिक से पदोन्नति के पश्चात् वरिष्ठ लिपिक बन जाने पर भी लेखा, बजट व भण्डार में एक ही काउण्टर पर विगत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के उपरान्त कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों की संख्या 265 है। जहां तक लेखा, बजट एवं भण्डार के पटल पर वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति से पूर्व से ही कार्यरत होने का प्रश्न है, इस बारे में स्थिति यह है कि कनिष्ठ लिपिकों को लेखा, बजट तथा भण्डार का कार्य आवंटित किये जाने का प्राविधान नहीं है।

शासन को सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार समूह "ग" के कर्मचारियों के 3 वर्ष के अन्तर पर पटल परिवर्तन के आदेश हैं। इन आदेशों के अनुपालन में महानिदेशालय द्वारा प्रदेश के समस्त परिधिगत अधिकारियों को जिन कार्मिकों को एक पटल पर दिनांक 31-5-97 को तीन वर्ष पूर्ण हो गये हैं, का पटल परिवर्तन करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना में मानक के आधार पर चयनित व्यक्तियों की जानकारी

2–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 96-97 में कितने व्यक्तियों का चयन मानक के आधार पर किया गया ? क्या यह सत्य है कि ग्राम औरातोंदा में एक ही परिवार के कई सदस्यों को वर्ष 95-96 में इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर–गोण्डा द्वारा कोई गोपनीय रिपोर्ट परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोंडा को पत्र संख्या–105/इन्दिरा आवास/96-97, दिनांक अप्रैल, 19,1997 द्वारा प्रेषित की

गयी है ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के कौन-कौन बिन्दु अंकित हैं ? इस रिपोर्ट पर 8 जून, 1997 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उसके क्या परिणाम रहे ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में अम्बेडकर ग्रामों में अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 96-97 में 26 व्यक्तियों का चयन मानक के आधार पर किया गया है ।

जी हां ।

ग्राम औरातोंदा के 7 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को आवास दिये गये हैं । जिसमें 5 लाभार्थी 2 परिवारों से संबंधित हैं ।

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट में निम्न बिन्दु अंकित हैं :—

(1) प्रस्ताव पर प्रधान के हस्ताक्षर नहीं,

(2) प्रमुख की संस्तुति पर आवास दिये गये हैं,

(3) सभी लाभार्थी प्रमुख के पट्टीदार हैं ।

8 जून, 1997 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

उप जिलाधिकारी, मनकापुर से प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

श्री राम विशुन आजाद, स० वि० स० का प्रमुख सचिव, सिंचाई उ० प्र० शासन को प्रेषित शिकायती पत्र एवं कार्यवाही की मांग

3–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या अ 17292 दिनांक 28-4-97 प्रमुख सचिव, सिंचाई उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । शेष के बारे में प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्वांचल विकास निधि से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन

4–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 में जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र के क्षेत्रवार सदयों को पूर्वांचल विकास निधि में कोटेवार कितना-कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया है ? क्या यह ही है कि धन के आवंटन में विधान सभा क्षेत्र मनकापुर को समुचित अंश नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

पूर्वांचल विकास निधि से जनपद गोण्डा को वित्तीय वर्ष 1996-97 में रु० 189.861 लाख की धनराशि के सापेक्ष कुल 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं । विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न है ।

जी नहीं । मनकापुर विधान सभा क्षेत्र को रु० 13.560 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में ओवर हैड टैंक का निर्माण विषयक एक परियोजना जो पूर्व में जल निगम विभाग द्वारा वित्त पोषित थी और तृतीय चरण के लिये रु० 3.227 लाख की धनराशि मांगी गयी तब इस आधार पर योजना को दो चरणों में जल निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया है इसलिये निधि से तृतीय चरण में तो रु० 3.227 लाख दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, अपितु इसे संबंधित विभागीय बजट से पूर्ण किया जाना उपयुक्त पाया गया । मनकापुर क्षेत्र के लिये रु० 3.227 लाख की धनराशि आरक्षित रखी गयी है उसके सापेक्ष प्रस्ताव मांगा गया है ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत नलकूप खण्ड प्रथम सिंचाई विकास बदायूं के अधिष्ठान में शिशिक्षुओं का रखा जाना

5--श्री नन्दराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नलकूप खण्ड प्रथम, सिं० वि० बदायूं के अधिष्ठान में किस-किस व्यवसाय में शिशिक्षु के कुल कितने स्थान निर्धारित किये गये थे एवं इन शिशिक्षुओं की रिक्तियों के विरुद्ध कितने शिशिक्षुओं को इस कार्यालय के अधिष्ठान में रक्खा गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिष्ठान के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिशिक्षु अधिनियम 1961 की धारा–33 के अन्तर्गत के विरुद्ध शिशिक्षु अधिनियम 1961 की धारा 33 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1995-96

मिस्त्री विद्युत मोटर	2
मिस्त्री ट्यूबवेल फिटर	2
मोटर वाइन्डिंग विद्युतकार	1
ड्राफ्ट मैन (सिविल)	1
ड्राईवर (मैकेनिक)	1
वर्कशाप मैकेनिक फिटर	2

वर्ष 1996-97

मिस्त्री फिटर

शून्य

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कोई भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बदायूं द्वारा नहीं भेजा गया । अतः प्रशिक्षण न दिलाने हेतु अधिशासी अभियन्ता दोषी नहीं हैं एवं किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में जरैरा में विद्यालय की परिधि में पूज्य पन्त जी की प्रतिमा के सामने से शराब का ठेका हटाये जाने का मामला

6–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धार्मिक स्थलों, विद्यालय के परिसर की सीमाओं एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके दिये जाने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या जनपद अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में जरैरा में विद्यालय की परिधि में, नगर में बस स्टैण्ड पर तथा पूज्य पन्त जी की प्रतिमा के सामने शराब का ठेका चल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । आबकारी मैनुअल भाग–ए के प्रस्तर 328 के प्राविधानों के अनुसार स्कूल अस्पताल, धर्मिक स्थल, फैक्ट्री या बाजार या आवासीय कालोनी के प्रवेश द्वार तथा सार्वजनिक समागम के स्थलों के सन्निकट शराब की दुकानें स्थापित करने पर प्रतिबन्ध है, परन्तु कोई दूरी की सीमा निर्धारित नहीं है।

जनपद महामाया नगर (पुराना अलीगढ़) की तहसील सिकन्दाराऊ में जरैरा में स्थित देशी शराब की दुकान को वर्ष 97-98 में मैकरी नामक स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । बस स्टेशन सिकन्दराराऊ से देशी शराब की दुकान लगभग 100 मीटर की दूरी पर तथा विदेशी मदिरा की दुकान बस स्टेशन के विपरीत दिशा में नियमानुकूल स्थल पर स्थित हैं । सिकन्दरा राऊ में पूज्य पन्त जी की प्रतिमा से देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों की दूरी लगभग 200 मीटर है और यह दुकानें भी नियमानुकूल स्थल पर स्थित हैं ।

जनपद सोनभद्र में सिंचाई हेतु भरने के लिए ठेमा नदी में बियर निर्माण का प्रस्ताव

7–श्री विजय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विकास खण्ड में धनौरा ग्राम में स्थित लकड़ी बांध को सिंचाई हेतु भरने के लिये ठेमा नदी में बियर निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या उसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सोन जल बटवारे के कारण ।

प्रदेश की सरयू नहर परियोजना के अधूरे निर्माण को पूर्ण किये जाने की मांग

8–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में स्वीकृत सरयू नहर परियोजना का अधूरा निर्माण कार्य विगत वर्षों से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 में उक्त परियोजना हेतु अठारह करोड़ में से रु० 9 करोड़ की स्वीकृत प्रदान कर धन अवमुक्त कर दिया था ? क्या उक्त धन का उपभोग प्रदेश सरकार ने कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से सरयू परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कराने का प्रयास करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परियोजना निर्माणाधीन है ।

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1996-97 में,

प्रश्न नहीं उठता है,

जी हां ।

मुख्य विकास अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिकों के वेतनमान में विसंगति का मामला

9–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विकास अधिकारी वेतनमान 4500-5700 में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सचिव, वित्त वेतन आयोग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के अ०शा० पत्रांक वे० आ०–1–1311/दस-101 (एम)/89 दिनांक 16-7-93 में दिये गये निर्देशानुसार उनके आशुलिपिकों को वेतनमान 1640-2900 दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुख देव राजभर–

समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी वेतनमान रु० 4500-5700 में कार्यरत नहीं हैं। मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर आई०ए०एस०/पी०सी०एस० एवं खण्ड विकास अधिकारी सम्वर्ग के अधिकारियों की तैनाती की जाती है तथा यह अधिकारी अपने-अपने सम्वर्ग के अनुसार वेतनमान प्राप्त करते हैं ।

मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर विभिन्न सम्वर्गों के अधिकारी भिन्न-भिन्न वेतनमानों में कार्यरत हैं । अतः मुख्य विकास अधिकारियों से सम्बद्ध आशुलिपिकों को 1640-2900 का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ।

ग्राम नासिरगंज फतेहपुर आहता के आबादी क्षेत्र के बांध के कटान को रोके जाने का मामला

10–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज स्थित आदमपुर रेवली बांध का घाघरा नदी से तेजी से कटान हो रहा है, यदि हां, तो उसे बचाने का सरकार द्वारा क्या उपाय कया जा रहा है ? क्या ग्राम नासिरगंज उपधी फतेहपुर आहता के किसानों का घर नदी ने काट दिया है ? यदि हां, तो क्या उन किसानों को बसाने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं,

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नासिरगंज फतेहपुर आहता के आबादी क्षेत्र जो बांध व नदी के मध्य खादर में स्थित थे, के किसानों के घर नदी ने काट दिये हैं । ग्राम उपधी की आबादी बांध के पीछे स्थित होने के कारण सुरक्षित है ।

शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है ।

जनपद एटा के विकास खण्ड सहावर सिद्धपुरा एवं गंजडुण्डवारा में बोरिंग के सत्यापन का मामला

11–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड सहावर, सिद्धपुरा एवं गंजडुण्डवारा के ग्रामों में वर्ष 1995-96 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अधिकांश लाभार्थियों के नाम फर्जी बोरिंग दिखाकर व्यापक स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमिततायें की गई हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जनपद एटा के विकास खण्ड सहावर सिद्धपुरा एवं गंजडुण्डवारा में क्रमशः 1220, 595 एवं 875 बोरिंग सत्यापित की गई । विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान सभी बोरिंग मौके पर कार्यरत पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री राम विशुन आजाद–

[दूसरे गुरु में अता० प्र० सं० 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नलकूप खण्ड–प्रथम बदायूं में रबी फसल 1401 तथा रबी फसल 1402 में गाटों की सींच में प्राप्त राजस्व में अन्तर की जानकारी

13–श्री नन्दराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में रबी फसल 1401 एवं रबी फसल 1402 में कुल कितने गाटों की सींच की गयी थी एवं सिंचित कुल गाटों पर अलग-अलग फसलों में कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या रबी फसल 1402 में शासनादेश संख्या 4416/94-27 सिं०–4-2–रेट/94 दिनांक 18-10-94 द्वारा सिंचाई दर दुगुनी किये जाने के फलस्वरूप इस खण्ड में रबी फसल 1401 के लगभग बराबर सिंचित गाटों की सींच पर दुगने राजस्व से कम राजस्व प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कितना और क्यों ? क्या सरकार इस राजस्व की उच्च स्तरीय जांच कराकर शेष की रिकवरी संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप खण्ड–प्रथम, बदायूं में रबी फसल 1401 में 11935 तथा रबी फसल 1402 में 11662 गाटों की सींच की गयी एवं उनसे क्रमशः रु० 24,94,834/- व 40,98,763/- रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

रबी फसल 1402 फसली में रबी फसल 1401 की तुलना में दुगुने से रु० 18,90,905/- का राजस्व कम प्राप्त हुआ । नलकूपों की सिंचाई दरें चलित घण्टों पर आधारित है । रबी 1402 फसली में रबी 1401 फसली की तुलना में चलित घण्टे कम रहे ।

सिंचाई राजस्व में कमी आने के उपरोक्त कारण को दृष्टिगत रखते हुए उच्चस्तरीय जांच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई हैं ।

जनपद महराजगंज में सिंचाई खण्ड प्रथम, गोरखपुर द्वारा नहरों की सफाई का कार्य श्रमिकों द्वारा न कराकर ट्रेक्टरों से कराये जाने के कारण की जानकारी

14–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महाराजगंज में सिंचाई खण्ड प्रथम एवं द्वितीय के सहायक अभियन्ता द्वारा नहरों की सफाई आदि के कार्यों को श्रमिक से न कराकर ट्रैक्टरों से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 7-5-97 के क्रम में की गयी शिकायत पर जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, जनपद महराजगंज में सिंचाई खण्ड प्रथम, गोरखपुर द्वारा नहरों की सफाई का सभी कार्य श्रमिकों द्वारा कराया गया है, ट्रैक्टरों से नहीं ।

जनपद महराजगंज में सिंचाई खण्ड–2 महराजगंज द्वारा सफाई करायी गयी कुल 205 कि०मी० लम्बाई में से केवल 400 मीटर नहर की सफाई अत्यधिक सिल्ट के कारण ट्रैक्टर से करायी गयी है ।

जी हां, माननीय विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 7-5-97 पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद महराजगंज सदर द्वारा इन्दिरा आवासों एवं आई०आर०डी० योजना में की जा रही अनियमतता की शिकायत

15–श्री चन्द्र किशोर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे क प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या खं०–066178 दिनांक 7-5-97 द्वारा जो खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा जनपद महराजगंज सदर द्वारा इन्दिरा आवासों एवं आई० आर० डी० योजना में की जा रही अनियमितताओं की शिकायत है, पर जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त किन-किन अधिकारियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं । अतः किसी को दण्डित नहीं किया गया ।

जनपद महराजगंज में जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में आवंटित धन के खर्चों की जानकारी

16–श्री चन्द्र किशोर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण के माध्यम से कितनी स्वयं सेवी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 95-96 एवं 96-97 में कितनी-कितनी धनराशि किस किस मद में स्वीकृत की गयी है ? क्या उक्त धनराशि आवंटन के पूर्व प्रबन्ध समिति की संस्तुति प्राप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की

गयी, जिनके द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को बिना प्रबन्ध समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त किये ही धनराशि अवमुक्त की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

वित्तीय वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कुल 24 स्वयं सेवी संस्थाओं को ट्राइसेम प्रशिक्षण हेतु संस्था व्यय के मद में कुल रु० 3.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल में आदमखोर बाघ के आतंक को समाप्त करने की मांग

17–श्री भारत सिंह रावत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल मण्डल में आदमखोर बाघ का आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो आदमखोर बाघ का आतंक समाप्त करने के लिये कोई उपाय किये गये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? विगत छः माह में बाघ द्वारा मारे गये अथवा घायल किये गये व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जनपद पौड़ी/गढ़वाल के अन्तर्गत टास्क फोर्स का गठन किया गया तथा 7 क्रियाशील बाघों में से 6 बाघों को नष्ट कर आतंक पर नियंत्रण कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माह जनवरी, 1997 से 11 जुलाई, 1997 तक गुलदारों द्वारा मारे गये 15 लोगों को कुल रु० 5,34,000/- एवं घायल किये गये 5 लोगों को कुल रु० 23,000/- का मुआवजा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में फरेंदा कस्बे में नवनिर्मित अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं विद्युत आपूर्ति का मामला

18–श्री विनोद मणि–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेंदा कस्बा में नवनिर्मित तीस शैय्या अस्पताल लगभग पांच वर्ष पूर्व से बनकर तैयार है ? यदि हां, तो क्या वहां आज तक चिकित्सकों की नियुक्ति एवं विद्युत आपूर्ति नहीं हो पायी है ? क्या सरकार गरीब जनता के जीवन के रक्षार्थ इस अस्पताल पर चिकित्सकों एवं आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत केन्द्र पर चिकित्सकों के कुल 6 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 4 पर चिकित्सक तैनात हैं । विद्युत आपूर्ति अवशेष बिलों के भुगतान न होने के कारण वर्तमान में अवरुद्ध है । विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा रिक्त पदों को भरने के सामान्य निर्देश पहले ही दे रखे गए हैं ।

सरकार की नीति ही यही है । वैसे इस केन्द्र पर आवश्यक संसाधन दवाइयां तथा उपकरणों की व्यवस्था है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आगरा द्वारा वर्ष 1991-92 में धनौला कलां मन्दिर के लिए सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग को कोई धनराशि का स्वीकृत न होना

19–श्री विजय पाल सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण आगरा की वर्ष 1991-92 में धनौला कलां देवी के मन्दिर को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत धन स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आगरा द्वारा वर्ष 1991-92 में धनौला कलां मन्दिर के लिए सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग को कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार धनौली कलां देवी मन्दिर सौंदर्यीकरण योजना वर्ष 1992-93 हेतु प्रस्तावित थी । वर्ष 1992-93 में परिव्यय में कटौती के फलस्वरूप सामाजिक वानिकी कार्यों हेतु मात्रा कृत धनराशि रु० 23.65 लाख के स्थान पर कुल रु० 20.173 लाख की धनराशि ही उपलब्ध हो सकी जो कि पूर्व में स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के लिए अवमुक्त की गई । अतः अवशेष धनराशि न मिलने के फलस्वरूप इस परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी ।

20–श्री विजय पाल सिंह–

।पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जिला हरदोई मनकापुर सोहलामऊ के मध्य स्थित तालाब से मोहिदियापुर तक की ड्रेन की सफाई का [illegible]

21–श्री उमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मनिकापुर मजरे मीरनगर आजीगवां तहसील सण्डीला जिला हरदोई के ग्राम मनकापुर और सोहिलामऊ के बार्डर से खुदवाई गई ड्रेन जो वर्ष 1991–92 में डी० आर० डी० ए० के माध्यम से पूरा कराया गया था, की सफाई आज तक नहीं कराई गई ? क्या यह भी सही है कि इससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है ? क्या सरकार उक्त मनिकापुर सोहलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहिदियापुर तक के ड्रेन की सफाई तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण तत्काल सफाई कराया जाना सम्भव नहीं है ।

22–श्री चेतराम–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

किसान सहकारी चीनी मिल लि० पुवायां ([illegible]) में स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्व [illegible]

23–श्री चेतराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में स्थापित किसान सहकारी गन्ना मिल में अधिकारियो एवं कर्मचारियों के कुल कितने पद शासन से स्वीकृत हैं ?

शासनादेश के अनुसार क्या उन पदों पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसान सहकारी चीनी मिल लि० पुवायां (शाहजहांपुर) 1250 टीसीडी क्षमता की मिल है तथा इस क्षमता पर अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कुल 647 पद सृजित हैं ।

शासनादेश के अनुसार सृजित पदों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा समूह ''ग'' को छोड़कर अन्य समूह में पूर्ण है ।

समूह ''ग'' में अधिकांश तकनीकी प्रकृति के पद हैं, जिनकी पूर्ति समूह ''घ'' में अनुमन्य कोटे से अधिक अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति करके आरक्षण कोटा शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा । मिल में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति/फीटमेंट की कार्यवाही चल रही है ।

जनपद बलिया में गड़वार ब्लाक ग्राम खड़ीचा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के धन से बने निरीक्षण गृह का मामला

24–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में गड़वार ब्लाक ग्राम खडीचा में जिला विकास अभिकरण के धन से निरीक्षण गृह बनाया गया था और उस निरीक्षण गृह को सरकारी कब्जे से बेदखल कर व्यक्तिगत कब्जे में कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण गृह को व्यक्तिगत कब्जे से सरकार कब तक मुक्त करायेगी ? उक्त अवैध कब्जेदार के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

जनपद बलिया में गड़वार ब्लाक, ग्राम खड़ीचा में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के धन से कोई निरीक्षण गृह नहीं बनाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर में आने वाली बाजारों में जल भराव की समस्या

25–श्री सुधाकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ–विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर में आने वाली बाजारें रसूलपुर मर्यादपुर, दरगाह, मधुबन, दुबारी में हमेशा जलभराव के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो जल भराव की समस्या दूर करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपेरखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के समस्त सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने से उत्पन्न समस्या

26–श्री सुधाकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के समस्त सरकारी डाक्टर सरकारी आदेश के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे जनपद की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो उन डाक्टरों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लाइनपुर माइनर विकास खण्ड कोपागंज जिला मऊ में टेल तक पानी न पहुंचने तथा सिल्ट सफाई न होने की समस्या

27–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाइनपुर माइनर विकास खण्ड कोपागंज जिला मऊ में टेल तक पानी न पहुंचने तथा इस नहर की कभी सिल्ट सफाई न होने के संबंध में जांच कराये जाने विषयक पूर्व ब्लाक प्रमुख कोपागंज, जिला मऊ के पत्र पर सिंचाई अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने अपने अर्द्ध शा० पत्रांक 414/97–27 सिंचाई–4 दिनांक 6 मार्च, 1997 को मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश वाराणसी को जांच कराकर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

लाइनपुर माइनर के टेल तक पानी न पहुंचने तथा सिल्ट सफाई न होने के संबंध में श्रीकृष्ण यादव पूर्व ब्लाक प्रमुख कोपागंज का पत्र दिनांक 20–2–97 जांच के संबंध में प्राप्त हुआ था ।

इस प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड मऊ से कराई गई । शीर्ष से एक कि०मी० तक सिल्ट सफाई करा दी गई है शेष लम्बाई में सिल्ट सफाई की आवश्यकता नहीं है नहर के टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री कौशल किशोर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश वन निगम गोरखपुर प्रभाग के डिपो में लकड़ी के विक्रय के ग्रेड पर प्रतिबन्ध की जानकारी

29–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश वन निगम गोरखपुर प्रभाग के डिपो में क्रेताओं की खरीदी गई लकड़ी का अनुमोदन 120 प्रतिशत के नीचे नहीं किया जाता है ? क्या उत्तर प्रदेश वन निगम के एम० डी०, जी० एम०, आर० एम० और डी० एल० एम० को भिन्न-भिन्न प्रतिशत में अनुमोदन करने का अधिकार है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० वन निगम के पूर्वी क्षेत्र में केवल साल ग्रेड–1 के संबंध में यह आदेश है कि इन्हें 120 प्रतिशत से कम पर न बेचा जाय । अन्य किसी ग्रेड के प्रकाष्ठ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जी हां ।

आवश्यकतानुसार उक्त अधिकारियों, द्वारा प्रश्नगत अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तकरोही ग्राम मुंशी पुलिया लखनऊ स्थित सड़क पर नाजायज कब्जा हटाये जाने की मांग

30–श्री सुधाकर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि परगना व तहसील व जिला लखनऊ में स्थित तकरोही ग्राम के पास से एक नहर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी इन्दिरा नगर लखनऊ में मुंशी पुलिया

तक आती है जिसके अधिकांश भाग पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? क्या इस नहर को पाट कर सड़क बनाने के संबंध में सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी (चन्दौली) में भूपौली पक्का पम्प कैनाल को उच्चीकृत करने की मांग

31–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (चन्दौली) वाराणसी 237 धानापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूपौली पक्का पम्प कैनाल स्थापित है को उच्चीकृत करने के लिये विकास योजना में कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो कब तक काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर आगरा नहर-मथुरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर आरोप की शिकायत एवं जांच

32–चौधरी लक्ष्मी नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं मथुरा जिले के अन्य विधायकों द्वारा अपर आगरा नहर-मथुरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत माह अप्रैल, 1997 में की गई थी ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्राप्त शिकायतों की जांच कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के लोक शिकायत–3 के पत्र संख्या 556/लो० शि०–3/97 दिनांक 22 अप्रैल, 1997 द्वारा श्री अनिल कुमार दुबे का शिकायती-पत्र एवं जांच आख्या की जानकारी

33–श्री शिवाकान्त–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि शासन के लोक शिकायत–3 के पत्र संख्या 556/लो० शि०–3/97 दिनांक 22 अप्रैल, 1997 द्वारा श्री अनिल कुमार दुबे का कोई शिकायती-पत्र

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा निदेशालय को भेजा गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गंगा प्रसाद पुष्कर)–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में दिये गये बिन्दुओ पर जांच की गई शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

34–श्री ज्वला प्रसाद यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

राजकीय नलकूप खण्ड प्रथम अलीगढ़ में अंशकालीन नलकूप चालकों का विनियमितीकरण का मामला

35–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 (1-10-86) से पूर्व में राजकीय नलकूप खण्ड प्रथम अलीगढ़ में अंशकालीन नलकूप चालकों का विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 7836/96, दिनांक 17-12-96 व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 37944/30-11-96 व उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 629/11-9-95 के तीन माह की अवधि में परिपालन करने एवं रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत आरक्षण की स्पष्ट नीति के अन्तर्गत विनियमितीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

"उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नलकूप चालकों के पदों पर अंशकालिक नलकूप चालकों क विनियमितीकरण नियमावली, 1996" उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या–7836/27-सि-7-96-418 व्यवस्था-96, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 निर्गत की गयी है और उक्त नियमावली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विनियमितीकरण की प्रक्रिया में तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेशा अधिनियमितियों और सरकार के आदेशों के अनुसार आरक्षण सम्बन्धी नीति का पालन करने की व्यवस्था की गयी है । नलकूप खण्ड प्रथम अलीगढ़ में उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत अर्ह अंशकालिक नलकूप चालकों का विनियमितीकरण आरक्षण सम्बन्धित शासनादेशों के अन्तर्गत रोस्टर प्रणाली के आधार पर किया गया है ।

मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर हाथरस ब्रांच एवं समानान्तर माट ब्रांच का कार्य पुनः आरम्भ किये जाने की मांग

36–श्री दलवीर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर हाथरस ब्रांच एवं समानान्तर माट ब्रांच पर विभाग द्वारा वर्तमान में कार्य बन्द कर रखा है ? क्या इस वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य आरम्भ होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समानान्तर हाथरस ब्रांच तथा समानान्तर माट ब्रांच का कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश शासनादेश दिनांक 9-6-97 द्वारा दिये जा चुके हैं ।

जी हां ।

कार्य वर्षाकाल के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० सी० महेश्वरी मुख्य वित्त नियंत्रक के विरुद्ध आरोप एवं जांच आख्या की जानकारी

37–श्री जय प्रकाश, श्री राम नरेश रावत, श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री जय प्रकाश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के मुख्य वित्त नियंत्रक श्री पी०सी० महेश्वरी के विरुद्ध माह 3/97 तक आर्थिक अनियमितता एवं अभिलेखों की हेराफेरी जैसे गम्भीर मामले में कुल कतनी जांचें लम्बित हैं ? क्या मंत्री जी जांच अधिकारी के नाम बतायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लेखा अधिकारी श्री सुनन्दा प्रसाद एवं श्री बी० के० शर्मा को किस आधार पर बहाल किया गया ?

सुश्री मायावती–

श्री पी०सी० महेश्वरी, मुख्य वित्त नियंत्रक के विरुद्ध 27 आरोपों के लिये एक आरोप-पत्र दिनांक 26-12-1995 को जारी किया गया । माह मार्च, 1996 में यह जांच लम्बित थी ।

श्री ओ०पी० बाजपेई, पी०सी०एस० महाप्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी कताई मिल्स संघ, कानपुर उक्त जांच के जांच अधिकारी नियुक्त किये गये थे ।

श्री सुनन्दा प्रसाद एवं श्री बी० के० शर्मा नाम के कोई लेखाधिकारी तैनात नहीं है । अतः इनके बहाली का प्रश्न नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग विकास खण्ड बीकापुर के अन्तर्गत कूप योजना तथा जवाहर रोजगार योजना में की गई अनियमितता की जांच

38–सीताराम निषाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग विकास खंड बीकापुर के अन्तर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना दस लाख कूप योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के निर्माण में की गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं घोटाले की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त फैजाबाद मण्डल, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद से की गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता की शिकायतों की जांच न कराने का कारण क्या है ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी हां । आयुक्त फैजाबाद मण्डल को प्राप्त शिकायतों की जांच, कराई जा रही है ।

उक्त शिकायतों की प्रति जो जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद को भी पृष्ठांकित थी, उन पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (परियोजना) फैजाबाद से जांच कराई गई । अपर जिला मजिस्ट्रेट की जांच आख्या के अनुसार कार्य में कोई अनियमितता एवं धनराशि का दुरुपयोग होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बीकापुर में फर्टिलाइजर मंगारी से महमद मारी तक बन्धा निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग

39–श्री सीताराम निषाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बीकापुर में फर्टिलाइजर मंगारी से महमद मारी तक बंधा निर्माण योजना में वर्ष 1996-97, 1997-98 में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा फैजाबाद द्वारा लाखों

रुपये के घोटाले, मानक के अनुसार कार्य न होने, साइडप्लान गलत बनाने, सरकारी धन का दुरुपयोग आदि अनियमितताओं संबंधी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-5-97 आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी हां ।

जी हां । जांच, आयुक्त, फैजाबाद मण्डल द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक ब्लाकवार घोषित अम्बेडकर गांवों की जानकारी

40-श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में ब्लाकवार कौन-कौन ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? इनमें से किन-किन ब्लाकों में कितने-कितने अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों में कितने-कितने अम्बेडकर ग्राम अब भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं ? इनके विकसित न होने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

जनपद बाराबंकी में वर्ष 90-91 से 96-97 तक ब्लाकवार निम्न ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं :–

1–विकास खण्ड, दंकी	लखैया, मोहम्मदपुर, माती ।
2–विकास खण्ड, देवा	सिहारा, तिन्दौला, नरायनभारी,सरसौदी, पीड, टिकरिया, रसूलपुर दरगाह, पवैया वीरान, मोहनपुर, धर्मपुर, मेन्डौरा, इनायतपुर, नर्गिसमऊ, कुसुम्भा ।
3–विकास खण्ड, मसौली	रहरामऊ, बघौरा, भयारा, अम्बौर, पल्हरी, टेरादौलतपुर, लक्षबर, बजहा ।
4–विकास खण्ड, हरख	बड़ापुर, तेजवोंपुर, ताहीपुर, सिकन्दरपुर, शेखपुर, आलमपुर गयासपुर, अख्तियारपुर, गहेदवर, वादीपुर, रसूलपुर, शाहपुर, डेरी अकनपुर, इब्राहीमाबाद, गढ़ीराखमऊ, भानमऊ, गाल्हामऊ, तीरगांव ।
5–विकास खण्ड, फतेहपुर	दौलतपुर, मोहब्बतपुर, पहला सरैया, रायपुर, रमपुरवा, फिरोजपुर, नांटकुई, सफीपुर, भैसुरिया मुजाहिदपुर, करौन्दी ।
6–विकास खण्ड, निन्दूरा	अमवां, समरटा, ओझियापुर, झरसवां, पहाड़ापुर, देवरा, सेमरी, ठकुरामऊ, कतरा मऊ, मोजमपुर, बड्डूपुर, मोहलिया, चकिया, सुलेमाबाद, मोहम्मदपुर, बनौगा, मोहसण्ड, खिझनां, गुघटेर, दरावां, हसवापारा, भद्रास, संगतरा, अटहरा, सैदर, हिदायतपुर, सिपाह ।
7–विकास खण्ड, रामनगर	बहावपुर, बहामऊ, चचरी, नचना ।
8–विकास खण्ड सिरौली गौसपुर	बनौक, गिदरापुर, मरौचा, सनावां बिरौली, किठुरी ।

9–विकास खण्ड दरियाबाद	कोटवा, सराबरंजन, सुर्रा, पिपरौली, उदवतनगर, सरैंचाचमारन, जनहा, न्यौली, अवधेरगढ़, खेदीपुर, वीरापुर, दनापुरकयामपुर, बरहुवा, हडहा, सैदखानपुर, मधुरानगर, वीर किठाई, गाजीपुर ।
10–विकास खण्ड, पूरेडलई	विद्यानगर, करौनी, मुरादाबाद, डौतिंगपुर, बघौली, पूरेडलई ।
11–विकास खण्ड, मदौली	कुधरौरा, रसूलपुर खुर्द, रामऊ, याकूबपुर, सरकटिया, ऐहार, मांगी, मल्यानेदादा, पहाड़ापुर, बारी, नालगांव, मीसा ।
12–विकास खण्ड, मवई	अमीरपुर, बठौली, मैरामऊ, रंजनपुर, नेवाजपुर, सहवामेलू, रानीमऊ, भवानीपुर ।
13–विकास खण्ड, वर्नाकोडर	मेहुवा, नोरईगांव, टाण्डा, सोहासा, मनीकापुरवा, सूरजपुर, हकामी, सादुल्लापुर, महुलारा, छंदवत, चौरी, अलादानपुर, टिकरा ।
14–विकास खण्ड हैदरगढ़	बहरौली, आईमा, बीजापुर, पिपुरी, पिपुरी नियामत, मुस्तफाबाद, बलीगेरावां, कोलवा, अंदऊमऊ, बिरैया, सतरही, घरकुइंया, गौरा, बारा, गोसूपुर, बरावां, मोतियामऊ, शुकुलपुर, खानपुर, सेवानामीरापुर, कमेला, विधियावां, बहरौली, दतौली, चन्दा, इस्लामपुर, उमरवली, कटिया चौबीसी, मुरई ।
15–विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज	शिवनाम, रानीपुर, खैराकनक, गंगापुर, कबूलपुर, छन्दरौली, जहानपुर, खानपुर, शुम्भा, आल्हेपुर, गौरी, बेडोरा मन्डूपुर, मिनरी पोखारा, लोही, सरांय पाण्डे, सैनिकपुर, रामनगर अकनपुर, खैरादीरू, दुदीपुर गौरवा उस्मानपुर ।
16–विकास खण्ड, सिंदौर	रसूलाबाद, डेडिया, गजरिया, पडरावां, इनायतपुर, ख्वाजानगर, नगिहा, कमालापुर, लोधपुरवा, लाखूरुर, सरांयमोढ़, रेसण्डा, भुनई, रायपुर, देवपुरा, अंबका, हिम्मतपुर, लेहारपुर, देवकली, मुन्नजीपुर, बहादुरपुर ।

सम्पर्क मार्ग को छोड़कर शेष अन्य कार्यक्रमों में ब्लाक का निम्न ग्रामों का पूर्ण विकास किया जा चुका है ।

1–विकास खण्ड, बंकी	लखैया, मानी, मोहम्मदपुर ।
2–विकास खण्ड, देवां	रसूलपुर, दरगाह, पवैया, वीरान, मोहनपुर, धर्मपुर, मन्डौरा, इनायतपुर, नर्गिसमऊ, कुसम्भा, नरायनभारी ।
3–विकास खण्ड, मसौली	रहरामऊ, बधौरा ।
4–विकास खण्ड, हरख	बडापुरा, तेजवापुर, ताहीपुर, सिकन्दरपुर, आलमपुर, गयातपुर, अखियारपुर, मेहदवर, शेखपुर, वादीपुर, रसूलपुरशाहपुर, टेरी, इब्राहीमाबाद, गुलरिया, अकनपुर, गाल्हामऊ, नीरगांव ।
5–विकास खण्ड, फतेहपुर	दौलतपुर, मोहब्बतपुर, पहला गरैया, रायपुर, रमपुरवा, फिरोजपुर, नोदकुई, सफीपुर ।
6–विकास खण्ड, सिन्दूरा	अमवा, समरदा, ओझियापुर, झरसवां, पहाडापुर, देवरा सेमरी, ठकुरामऊ, कतरामऊ, मौजमपुर, बहड़पुर, महोलिया, चकिया, सुहेमाबाद, मोहम्मदपुर बनौगा, खिझना, हसवापारा, दरावा, हिदायतपुर, सिधार, घुघटेर ।

7–विकास खण्ड, रामनगर	बहावपुर, बहामऊ, चचरी, नचना ।
8–विकास खण्ड, सिरौली गौसपुर	बनौक, सनावां, गिरापुर, मरौफा ।
9–विकास खण्ड, दरियाबाद	कोटवा, सरायरंजन, मुर्रा, पिरौली, उदवत नगर, सरैयाव, मारन, जनहा, न्यौली, अवशेरगढ़, खेदीपुर, वीरापुर, दनापुर, कयामपुर ।
10–विकास खण्ड, पूरेडलई	विद्यानगर, करौनी, मुरादाबाद, हौतिंगपुर, बघौली ।
11–विकास खण्ड, रुदौली	उधरौरा, रसूलपुर, खुर्द, रामऊ, सरकटिया, चायकूबपुर, मांगी, मल्धानेवादा ।
12–विकास खण्ड, मवई	अमीरपुर, बठौली, मैरामऊ, रंजनपुर, नेवालपुर, सडवाभेलू ।
13–विकास खण्ड, बनीकोडर	मुडवा, तोरईगांव, टाण्डा, सोहाता, मनीकापुरवा, छन्दत, सादुल्लापुर, सूरजपुर ।
14–विकास खण्ड, हैदरगढ़	बम्हरौली आईमा, बाजापुर, पिपरी, निकामत, मुस्तफाबादबलीगेरावां, कोलवा, अंदऊमऊ, विरैया, सतरही, घरकुईया, गौरा, गोतूपुर, बरावां, गोतियामऊ, सुकुलपुर, मरुई, वारा ।
15–विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज	शिवनाम, रानीपुर, खैराकनकू, गंगापुर, कुवूलपुर छन्दरौली, जहानपुर, खानपुर, सुम्भा, आल्हेपुर, गौरी, बेडोरा, मन्झूपुर, विभतरी, खैराबीरु, लाहा, पोखरा, गौरवाउस्मानपुर ।
16–विकास खण्ड, सिद्धौर	रसूलाबाद, ढेडिया, गंजरिया, मंडरावां, इनायतपुर, ख्वाजानगर, तुनिहा, कमालापुर, लोधपुरवा, लाखूपुर, सरायमान्दू, रैसण्डा, भुनई, रायपुर, देवपुरा, अंदका, हिम्मतपुर, लोहारपुर, देवकली, मुन्नजीपुर, बहादुरपुर, मीरापुर, मुरलीगंज, सेमरावां, टेण्डवा, पश्चिम बेलाव ।

अब भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये ब्लाकवार अम्बेडकर ग्राम निम्न हैं :–

1–विकासखण्ड, देवां	सिहारा, तिन्दौला, सरसौन्दी, पीड, टिकरिया ।
2–विकास खण्ड, मसौली	भयारा, अम्बौर, पल्हरी, टेरादौलतपुर, लक्षबर वजहा ।
3–विकास खण्ड, हरख	भानमऊ, गद्दीराखमऊ ।
4–विकास खण्ड, फतेहपुर	भैसुरिया, मुजाहिदपुर, करौदी ।
5–विकास खण्ड, सिन्दूरा	मोसण्डा, भदुरास, संगतारा, अटहरा, सैंदर ।
6–विकास खण्ड, सिरौलीगौसपुर	विरौली, किठूरी ।
7–विकास खण्ड, दरियाबाद	बरहुआ, हड़हा, शैदखानपुर, मधुरानगर, वीरकिठाई, गाजीपुर ।
8–विकास खण्ड, पूरेडलई	पूरेडलई ।
9–विकास खण्ड, रुदौली	ऐहार, पहाड़पुर, वारी, तालगांव, मीसा ।
10–विकास खण्ड, मवई	रानीमऊ, भवानीपुर ।
11–विकास खण्ड, बनीकोडर	हकामी, टिकरा, चौरी, अलादातपुर, महुखारा ।
12–विकास खण्ड, हैदरगढ़	खानपुर, सेवानामीरापुर, कमेला, सिधियायां, बहरौली, दतौली, चन्दा, इस्लामपुर, उमरवल, कितियां ।
13–विकास खण्ड, त्रिवेदीगंज	सरायपाण्डे, सोनिकपुर, अकनपुर, रामनगर, दंदीपुर ।
14–विकास खण्ड, सिद्धौर	मंसारा, भठिया, जरमवां, सादुल्लापुर, नतीरपुर, उसमानपुर, सरायमीर ।

जो अम्बेडकर ग्राम अभी विकसित नहीं हो पाये हैं वह वर्ष 96–97 के चयनित ग्राम हैं । जिनके संतृप्तीकरण हेतु शासन द्वारा 9 अगस्त, 1997 तक की समय सीमा निर्धारित है ।

अकबरपुर तहसील जिला अम्बेडकर नगर के ग्राम भगवान पट्टी चक्कोड़ा, रावनडीह में ग्राम समाज की भूमि पर चीनी मिल निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

41-श्री राकेशधर त्रिपाठी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर नगर जिले में प्राइवेट सेक्टर में चीनी मिल लगाने का कोई लाइसेंस स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो लाइसेंस की अवधि क्या है और लाइसेंस किसे दिया गया है ? क्या चीनी मिल लगाने के लिये अकबरपुर तहसील के ग्राम भगवान पट्टी, चक्कोड़ा, रावनडीह में ग्राम समाज की जमीन मिल चुकी है ? यदि हां, तो चीनी मिल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

लाइसेंस की वैधता अवधि दिनांक 7-3-94 से दिनांक 6-3-97 तक रही । लाइसेंस मे० सरयू शुगर मिल्स लि०, नई दिल्ली के पक्ष में जारी हुआ था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42-श्री अम्बिका चौधरी-

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

43-श्री अम्बिका चौधरी-

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

44-श्री अम्बिका चौधरी-

। विस्तीर्ण एवं कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त ।

जनपद महराजगंज की वन सम्पदा को सेंचुरी घोषित करके पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के बाद कटान जारी रहने के कारणों की जानकारी

45-श्री चन्द्र किशोर-

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि महराजगंज जनपद की वन संपदा को सेंचुरी घोषित करके पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने एवं वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बावजूद पेड़ों की कटान जारी है ? क्या सरकार ने वन संरक्षण हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो रहा है अथवा नहीं ?

सुश्री मायावती-

सेंचुरी घोषित होने के फलस्वरूप प्रश्नगत क्षेत्र में वृक्षों के विदोहन पर रोक लगी है । चोरी से अवैध पातन की जो भी घटनायें प्रकाश में आती हैं, उनमें तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

वन संरक्षण हेतु फील्ड स्टाफ द्वारा लगातार गश्त कर चौकसी की जा रही है ताकि अवैध कटान पर अंकुश लगाया जा सके । इस संबंध में कटान की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

1-अवैध कटान की तुरन्त सूचना हेतु वायरलेस नेटवर्क की व्यवस्था की गई है ।

2-फील्ड स्टाफ को आयुजों से लैस किया गया है ।

3-सचल सुरक्षा दल का गठन किया गया है ।

उपरोक्त उपायों के द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी कार्य तथा कार्य में शिथिलता की जानकारी

46-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 से वर्ष 1997 जून तक कितने सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी

कार्य करना स्वीकृत किया गया था ? कितने-कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या यह सही है कि आर० ई० एस० गोण्डा द्वारा सम्पर्क मार्गों पर क्षेत्रीय लोगों को सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत कार्य न करवाकर संबंधित अभियन्ताओं द्वारा फर्जी मस्टररोल बनाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सम्पर्क मार्गों की टी० ए० सी० से जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 से जून 1997 तक 15 सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी का कार्य स्वीकृत किया गया था ।

15 सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कुल रु० 57.14 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी ।

जी नहीं । उक्त ग्रामों का निर्माण सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार मस्टररोल द्वारा क्षेत्रीय श्रमिकों से ही कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में फुलवापुर सिसई रानीपुर मार्ग एवं फुलवापुर-परसा उदयकर मार्ग और खजुरी गोनहा मार्ग खड़न्जा मार्ग निर्धारित मानक के अनुसार बनाये जाने एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच की मांग

47–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में फुलवापुर, सिसई रानीपुर मार्ग एवं फुलवापुर-परसा उदयकर मार्ग और खजुरी-गोनहा मार्ग पर कितने कि०मी० खड़न्जा शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था और कितने-कितने धन का आवंटन हुआ था? क्या यह सही है कि आर० ई० एस० गोण्डा द्वारा खड़न्जा कार्य निर्धारित मानक के आधार पर करवाकर संबंधित अभियन्ता द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की टी०ए०सी० से जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग फुलवापुर, सिसई, रानीपुर मार्ग पर 2 कि०मी० खड़न्जा, फुलवापुर से परसा उदयकर मार्ग पर 3 कि०मी० खड़न्जा तथा खजुरी से, गोनहा मार्ग पर 1.400 कि०मी० खड़न्जा, जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया था । फुलवापुर से सिसई रानीपुर मार्ग पर 6.52 लाख रु० फुलवापुर से परसा उदयकर मार्ग पर 11.26 लाख रुपये तथा खजुरी से गोनहा मार्ग पर 4.80 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं । उक्त सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा कार्य लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुरूप कराया गया है तथा शासकीय धन का दुरुपयोग नहीं किया गया

प्रश्न नहीं उठता ।

48-श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1995 से मई, 1997 तक कितने स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर मरम्मत कार्य आर० ई० एस० गोण्डा द्वारा कराया गया और किन-किन सम्पर्क मार्गों पर कितना-कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सम्पर्क मार्गों पर हुये मिट्टी का कार्य संबंधित ग्राम सभा के मजदूरों से कार्य करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवाकर संबंधित अभियन्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी नहीं । जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से मई, 1997 तक किसी भी सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं कराया गया तथा इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि विभाग को आवंटित नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के नलकूप निर्माण निगम आनन्द नगर के अधीन बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराने एवं नालियों की मरम्मत की योजना की जानकारी

49–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के नलकूप निर्माण निगम आनन्द नगर के अधीन ट्यूबवेलों में से कितने बन्द पड़े हैं ? क्या नालियां व पुल जो वर्षों से टूटे हैं, उनके मरम्मत की कोई योजना है ? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों व नालियों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश–

नलकूप खण्ड, महराजगंज मुख्यालय फरेन्दा (आनन्द नगर) के अधीन सप्ताहान्त 10-7-97 को चलित नलकूपों में से 87 अस्थाई रूप से बन्द हैं ।

गूलों/पाइप लाइन के जीर्णोद्धार का कार्य जनपद योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जाता है ।

अस्थाई रूप से यांत्रिक व विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक करने की कार्यवाही सिंचाई विभाग व राज्य विद्युत परिषद द्वारा की जाती है । नालियों व पाइप लाइन के जीर्णोद्धार का कार्य जनपद योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर कराया जाता है ।

स्योहारा व नूरपुर के प्रा० स्वा० केन्द्रों पर उपचार के साधन उपलब्ध न होने के कारणों की जानकारी

50–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्योहारा व नूरपुर के प्रा० स्वा० केन्द्रों पर उपचार के साधन उपलब्ध नहीं हैं ? क्या एक एक्सरे मशीन पिछले 6 वर्ष पूर्व खरीदी गयी थी ? क्या टैक्नीशियन न होने के कारण एक भी एक्सरे नहीं हुआ है ? क्या सरकार इस अभाव की स्थिति के कारण अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के बारे में सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिये सरकार अन्य क्या उपाय कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के साधन उपलब्ध हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार एक्सरे मशीन की सुविधा अनुमन्य नहीं है ।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं को अपेक्षाकृत और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिये सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है ।

मथुरा जिले के नालों की मरम्मत का मामला

51–चौधरी लक्ष्मी नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1996 में आयी भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मथुरा जिले के नालों की मरम्मत हेतु चालू वर्ष में धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो कितना धन किस-किस नाले पर खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जून, 1996 में आयी भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मथुरा जिले के नालों पर मरम्मत हेतु रू० 105.14 लाख की धनराशि विभिन्न मदों में उपलब्ध करायी गयी है ।

यह धनराशि मुख्य रूप से गोवर्धन ड्रेन की मरम्मत तथा राल नाले, पैठा नाले, हुलवाना नाले, बठैन नाला, पकरपुर नाला, पूर्वी सरोली नाला, धनसिंगा नाले, कमई नाला व बदनगढ़ नाला, राधा कुण्ड नाला, नवीपुर नाला, गिडोह सीपेज कट, कोसी आर्टिरियल नाला एवं छटीकरा नाला एवं सरसा बाढ़ टैंक ड्रेन के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत/क्षमता वृद्धि के कार्यों पर व्यय की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद की नियुक्ति का मामला

52–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में विगत 8 वर्षों से संयुक्त निदेशक का पद रिक्त है जिससे जनता को उसका उचित लाभ भी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी संयुक्त निदेशक की शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश प्रदान करेंगे ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

उ० प्र० कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर श्री मधुकर तिवारी की तैनाती की जा चुकी है ।

तहसील छाता–मथुरा के बरसाना, कामर, कोसी एवं छाता के अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता की मांग

53–चौधरी लक्ष्मी नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील छाता–मथुरा के बरसाना, कामर, कोसी एवं छाता के अस्पतालों में आवश्यकतानुसार चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण क्या हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के आनन्द एग्रो इण्डस्ट्री प्रा० लि० लधऊआ में चीनी मिल लगाने की मांग

54–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आनन्द एग्रो इण्डस्ट्री प्रा० लि० लधऊआ, अलीगढ़ को चीनी मिल लगाने हेतु शासन द्वारा कितनी जमीन आवंटित की गयी है ? क्या चीनी मिल स्थापित हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या भूमि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चीनी मिल की स्थापना हेतु शासन द्वारा ग्राम सभा की 79.025 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित की गयी है ।

चीनी मिल स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ में शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति की जानकारी

55–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ में कितने स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या जो दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं, उनको सरकार बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद महामायानगर (पुराना अलीगढ़) की तहसील सिकन्दराराऊ में देशी शराब की 15 तथा विदेशी मदिरा की 4 दुकानें खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

कोई भी शराब की दुकान अवैध रूप से नहीं चल रही है । अतः किसी भी शराब की दुकान को बन्द कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर जिलों के किसानों की गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

56–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० साथा, अलीगढ़ की क्षमता 1250 टन प्रतिदिन है ? क्या यह सही है कि इस पर अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर जिले के किसानों का गन्ना पिराई होता है, जो कि सम्पूर्ण गन्ने की पिराई नहीं कर पाती है ? क्या इसकी क्षमता दुगनी किये जाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

साथा चीनी मिल में सम्पूर्ण अलीगढ़ तथा महामायानगर जनपदों के किसानों का गन्ना तथा बुलन्दशहर के पहासू एवं अरनियां दो ब्लाकों के गन्ना की पेराई की जाती है । इस चीनी मिल में एटा के किसानों का गन्ना नहीं पेरा जाता है ।

साथा चीनी मिल अलीगढ़, महामाया नगर एवं बुलन्दशहर के दो ब्लाकों के समस्त गन्ना किसानों का सम्पूर्ण उपलब्ध गन्ना की पेराई नहीं कर पाती है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी ।

सीतापुर जनपद के विकास खण्ड सिधौली के चयनित अम्बेडकर ग्राम गाजीपुर को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

57–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड सिधौली में वर्ष 1995-96 में चयनित अम्बेडकर ग्राम गाजीपुर को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो संदर्भित ग्राम को पक्की सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

संदर्भित सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाने की कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा में गांधी ग्राम मेहदौली को सड़क से जोड़ने एवं निर्माण की मांग

58–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सीतापुर जनपद के विकास खण्ड कसमण्डा में गांधी ग्राम मेहदौली को सड़क से जोड़ने के लिये धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री श्याम लाल रावत–

[तीसरे मंगल में अता० प्र० सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास के वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक के वेतनमानों में विसंगति का मामला

60–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम्यविकास वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक संघ ने वेतन विसंगतियों के संबंध में कोई ज्ञापन दिनांक 27-3-96 सचिव, ग्राम्य विकास को दिया था जिसके आधार पर संघ के प्रतिनिधियों एवं विशेष सचिव, ग्राम्य विकास के साथ दिनांक 18-4-96 को वार्ता हुई । यदि हां, तो वार्ता के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ? और वार्ता के आधार पर उक्त के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

संघ के पदाधिकारियों से वार्ता हेतु 18-4-1996 की तिथि निर्धारित की गयी थी ।

संघ का मांग-पत्र संलग्न है ।

संघ की मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175–177 पर)

सामाजिक वानिकी एटा के अन्तर्गत तहसील पटियाली में वृक्षारोपण के उपरान्त जीवित वृक्षों की जानकारी

61–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामाजिक वानिकी एटा के अन्तर्गत जनपद एटा के तहसील पटियाली में किन-किन स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है तथा इन रोपित में कितने प्रतिशत वृक्ष अभी जीवित है ?

सुश्री मायावती–

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, एटा के अन्तर्गत तहसील पटियाली की पटियाली रेंज में केवल एक स्थान फतेहपुर इण्टर कालेज में वर्ष 1996-97 में मात्र 500 पौधे रोपित किये गये थे । इन रोपित वृक्षों में 75 प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं ।

जनपद आगरा में उटंगन नदी से रामपुर तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग के निर्माण को पूर्ण किये जाने का मामला

62–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में उटंगन नदी से रामपुर तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग पर आवंटित धन से निर्माण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें देरी के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को किसी अन्य मद में खर्च किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग वर्ष 1992-93 में स्वीकृत न होकर वर्ष 1991-92 में स्वीकृत हुआ था ।

जी हां । इस मार्ग पर कुल स्वीकृत लम्बाई 5.10 कि० मी० में से 4.35 कि० मी० मिट्टी स्तर तक का कार्य पूर्ण हो गया था । शेष कार्य आबादी क्षेत्र एवं मार्ग पर विवाद के कारण नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63–श्री विजय पाल सिंह–

। पांचवें मंगल में अता० प्र० सं० 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

64–श्री राम औतार मिश्रा–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जनपद महराजगंज में घुघली चीनी मिल के नवीनीकरण का प्रस्ताव

65–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महराजगंज के अन्तर्गत घुघली चीनी मिल जो बहुत ही पुरानी व जर्जर स्थिति में है, उक्त चीनी मिल का नवीनीकरण प्रस्तावित है ? यदि

हां, तो क्या चीनी मिल का नवीनीकरण पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में घुघली चीनी मिल के नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी ।

शासनादेश संख्या–2544/38-6-96 दिनांक 30-5-96 में अनुसूचित जाति के समूहों को भूमि क्रय करके उपलब्ध कराने का मामला

66–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–2544/38-6-96 दिनांक 30-5-96 में अनुसूचित जाति के समूहों को भूमि क्रय करके उपलब्ध कराने के लिये कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो जनपद गोण्डा में इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कितने लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

वर्ष 1996-97 में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश सं० 2544/38-6-96आई०आर०डी० 65/96, दिनांक 30-5-96 के प्रत्येक बिन्दु पर कड़ाई से अनुपालन के लिए संदर्भित शासनादेश की प्रतियां एवं तत्क्रम में आवश्यक निर्देश समस्त विकास खंडों एवं संबंधित विभागों को पात्र लाभार्थियों को व्यापक रूप से जानकारी कराने के लिए प्रचारित एवं प्रसारित किया जा चुका है परन्तु समूह के रूप में जमीन क्रय करने हेत संबंधित लाभार्थियों को ही अभिरुचि न होने के कारण अपेक्षित प्रयास के बावजूद भी वर्ष 1996-97 में इस संबंध में लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं कराया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब में स्थित अम्बेडकर ग्राम भौली के इन्दिरा आवासों के वितरण की जांच एवं सत्यापन

67–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण उ० प्र० के शासनादेश संख्या–1735/38-5-96–658/96 का पालन लखनऊ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब में स्थित अम्बेडकर ग्राम भौली में इन्दिरा आवास का वितरण वर्ष 1996-97 में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण स्थलों का निरीक्षण व पात्रता आदि की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बख्शी का तालाब में स्थित अम्बेडकर ग्राम भौली में शासानादेश संख्या–1735/38-5-96–658/96 के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 55 इन्दिरा आवासों का

वितरण कराया गया है । पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम भौली के इन्दिरा आवासों का सत्यापन माह जुलाई,1997 से कराया जा रहा है एवं पात्रता की जांच की जा रही है ।

शासनादेश संख्या 6833/38-6-93 दिनांक 28 अक्टूबर, 1993 के संलग्नक बिन्दु से 14 में दी गयी व्यवस्था का जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा पालन करने की मांग

68–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिव ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्र सं०–6033/38-6-93 दिनांक 20-10-93 के संलग्नक के बिन्दु सं० 14 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन जिला ग्राम्य अभिकरण (डी०आर०डी०ए०) गोण्डा में हो रहा है ? क्या इसके अनुपालन हेतु किये गये अनुरोध को खारिज करने हेतु योग्य लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह स्थिति शासनादेश की अवहेलना, उल्लघंन है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ? क्या इस शासनादेश के संदर्भित बिन्दु में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश शासन निर्गत करते हुये लाभ एवं लागत का विश्लेषण करने वाले अधिकारियों के जाब चार्ज में उल्लेख कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

वास्तव में शासनादेश संख्या 6833/38-6-93 दिनाकं 28 अक्टूबर, 1993 है जिसे संलग्न में इंगित बिन्दु संख्या–14 का अनुपालन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा द्वारा फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति एवं चयनित सूची की मांग

69–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि निदेशालय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा द्वारा फार्मेसिस्ट के 452 रिक्त पदों हेतु 1995 में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया ? जिसकी अन्तिम तिथि 26-12-95 थी ? यदि हां, तो क्या सरकार चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः चयनित सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

अर्द्धकुम्भ मेला–95 इलाहाबाद में किये गये अनियमित व्यय की जांच की मांग

70–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्द्ध कुंभ मेला–95 इलाहाबाद में किये गये अनियमित तीन करोड़ रुपये के व्यय पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के अर्द्धशासकीय पत्रांक 533/5-10-95-17 मेला/94 दिनांक 10-5-95 पर क्या कार्यवाही हुयी है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डा० फतेह बहादुर सिंह, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी टी० बी० सप्रू चिकित्सालय इलाहाबाद को कुम्भ मेला के उत्तरदायित्वों से मुक्त न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार डा० फतेह बहादुर को इलाहाबाद से अन्यत्र हटाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

अर्द्धकुंभ मेला–95 इलाहाबाद में किये गये अनियमित व्यय की जांच के लिये एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन दिनांक 4-3-1995 को किया गया था ।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के अर्द्धशासकीय पत्रांक 1533/पांच–10-95–17मेला/94, दिनांक 10-5-95 के संदर्भ में तत्कालीन महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अपेक्षित आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

क्योंकि जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है, अतः जांच रिपोर्ट पटल पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त करायी गयी जांचोपरान्त डा० फतेह बहादुर सिंह, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, टी० बी० सप्रू चिकित्सालय,इलाहाबाद को दोषी पाये जाने पर उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

डा० फतेह बहादुर का स्थानान्तरण विचाराधीन है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता में जल स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न पेयजल संकट को दूर करने की मांग

71–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1997 में प्रतापगढ़ के सदर एवं मान्धाता ब्लाक में जल स्तर नीचे जाने के कारण कुएं सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सूखे के कारण गन्दे नाले का पानी पी करके लोग बीमार भी हो रहे हैं तथा जानवर भी मर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक में ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं । जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुएं सूख जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

गन्दे नाले का पानी पीकर लोगों के बीमार होने तथा जानवर के मरने का मामला भी संज्ञान में नहीं आया है ।

विकास खण्ड सदर एवं मान्धाता में क्रमशः 881 एवं 665 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली में दुर्लभ जाति के भेड़ियों के शिकार को रोके जाने की मांग

72–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ एवं रायबरेली जनपद में दुर्लभ जाति के वन जन्तु भेड़िया का शिकार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके चमड़ों की व्यापारी तस्करी कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के नये भवन को सरकार द्वारा निर्माण कराने की योजना की जानकारी

73–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के जिला अस्पताल का नया भवन बनवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण करा दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जनपद प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल का नया भवन बनवाने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है । प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए नया भवन बनवाने का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद हरदोई के नगर शाहाबाद में 15 बेड के चिकित्सालय को खोले जाने की मांग

74–श्री बाबू खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के नगर शाहाबाद में 15 बेड का चिकित्सालय वर्ष 1991-92 से स्वीकृत है । यदि हां, तो क्या चिकित्सालय का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद हरदोई के शाहाबाद नगर में 1991-92 से अब तक 15 बेड का कोई चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के बरवन रजबहा सवागजपुर रजबहा और ऐगवां रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

75–श्री बाबू खां–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि 89 शाहाबाद वि० स० क्षेत्र के बरवन रजबहा सवागजपुर रजबहा और ऐगवां रजबहा में पानी लगभग गत 10 वर्षों से टेल तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पानी टेल तक पहुंचाया जायेगा ?

श्री ओम् प्रकाश सिंह–

बरवन रजबहा व ऐगवां रजबहा के टेल में पानी नहीं पहुंचा है । सवायमपुर राजबहा के टेल पर पानी पहुंचाया गया है । नहर की क्षमता कम हो जाने के कारण क्षमता पुर्नथापना की आवश्यकता है । यह कार्य राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया जा चुका है ।

शाहाबाद जिला हरदोई विधान सभा क्षेत्र में किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर के किसानों के गन्ने का भुगतान कराये जाने की मांग

76–श्री बाबू खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 89 शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र में किट प्लाई शुगर फैक्ट्री रूपापुर के किसानों के गन्ना का भुगतान अभी तक बकाया ? यदि हां, तो कब तक सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि 10 प्रतिशत अल्प बचत योजना में किसानों का पैसा कटौती किया गया ? यदि हां,तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमंडा में ग्राम पंचायत कल्यानपुर वर्ष 1990-91 से चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास का मामला

77–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर जनपद के विकास खंड कसमंडा में ग्राम पंचायत कल्यानपुर वर्ष 1990-91 से लगातार अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित होने के उपरान्त भी उसका विकास नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत ग्राम में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रमुख 11 कार्यक्रमों में सम्पर्क मार्ग कार्यक्रम को छोड़कर शेष 10 कार्यक्रमों यथा आई०आर०डी०पी०, निःशुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय, किसान पेंशन, विधवा पेंशन,पेयजल, प्राथमिक विद्यालय, नाली/खड़ंजा एवं विद्युतीकरण कार्येक्रमों से संतृप्त कर दिया गया है । सम्पर्क मार्ग हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजना से धनराशि प्राप्त हुई है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड अम्बेडकर नगर ग्राम विकास योजना के चयनित ग्राम पंचायत देव कलियां को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

78–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड प्रहला में वर्ष 1996-97 के लिए अम्बेडकर ग्राम्यविकास योजना के चयनित ग्राम पंचायत देवकलियां को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत अम्बेडकर ग्राम के लिये सम्पर्क मार्ग नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है । 3 लाख रुपये का अनुदान जिले में प्राप्त हो गया है सम्पर्क मार्ग निर्माण शीघ्र प्रस्तावित है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा में चयनित अम्बेडकर ग्राम दाउदपुर, सरौराकला भिटौली और कल्यानपुर गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का मामला

79–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड कसमण्डा में वर्ष 1996-97 के लिए चयनित अम्बेडकर ग्राम दाउदपुर, सरौराकला भिटौली और कल्यानपुर गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना का कार्य स्वरूप क्या है और उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत चयनित ग्रामों मेंअम्बेडकर ग्राम दाउदपुर को लेपन स्तर तक जोड़ने की कोई कार्य योजना अभी स्वीकृत नहीं है। शेष तीन ग्राम सरौराकला, भिटौली एवं कल्यानपुर एक ही सम्पर्क मार्ग पर स्थित है जिसकी लम्बाई 10.62 कि० मी० है। 10 कि०मी तक ईट खड़ंजा का कार्य हुआ है तथा यह मार्ग नाबार्ड वित्त पोषित योजना में स्वीकृत है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड रामपुर-मथुरा में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित धन के दुरुपयोग का मामला

80–श्री श्याम लाल रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड रामपुर मथुरा में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में इन्दिरा आवास मद में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या आवंटित धन का उपयोग किये जाने संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत ग्राम में इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु रु० 1,40,000/- की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

ग्राम रामपुर मथुरा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दो आवास पूर्ण है, छः आवास निर्माणाधीन है (इन छः में दो छत स्तर तक तथा चार नींव स्तर तक है) तथा दो में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जनपद सिद्धार्थ नगर के तट बन्धों हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

81–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 174, बांसी जनपद सिद्धार्थ नगर में कितने तट बन्धों हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है ? क्या मंत्री जी सभी तट बन्धों हेतु अधिग्रहीत भूमि का बकाया मुआवजा इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र 174, बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के पांच तटबन्धों पर अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का आंशिक भुगतान अवशेष है।

प्रदेश के सीमित संसाधनों से मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

82-83–श्री राम नक्षत्र–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

अमेठी, जिला-सुल्तानपुर में खराब इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप को ठीक कराने की मांग

84–श्री राम हर्ष सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेठी (सुल्तानपुर) के अन्तर्गत इस समय कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप खराब हैं ? उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

अमेठी (सुल्तानपुर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1-7-79 को निम्नानुसार इण्डिया मार्का–11 हैण्ड पम्प खराब रहें :–

(अ) स्थायी रूप से खराब	62
(ब) अस्थायी रूप से खराब	69
(स) हैंडपम्प जिनके जी० आई० पाइप गल गये हैं	35

उक्त हैण्डपम्पों को तीन माह में ठीक करा देने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद सुल्तानपुर अमेठी में चीनी मिल लगाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

85–श्री राम हर्ष सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेठी जनपद सुल्तानपुर में कोई चीनी मिल लगाने का सरकार का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक चीनी मिल लगना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों के आशय-पत्र जारी करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ड्रेन खानपुर व ड्रेन लवायन के ठेकेदारी के कार्य के फलस्वरूप भुगतान का मामला

86-श्री उमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर अन्तर्गत ड्रेन खानपुर, व ड्रेन लवायन पर वर्ष 94-95 में कितना धन स्वीकृत हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त ड्रेनों पर ठेकेदारों द्वारा कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ठेकेदारों का पैसा पेमेन्ट करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 94-95 में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है।

जी हां।

ठेकेदार को भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के तहत किया जाता है।

जनपद जौनपुर में ट्राईसेम योजना के अन्तर्गत चल रही संस्थाओं में हो रही धांधली की जानकारी एवं जांच की मांग

87-श्री उमाकान्त यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में ट्राईसेम योजना अन्तर्गत कितनी संसस्थायें चल रही है ? क्या यह सही है कि वर्ष 94-95, 95-96, 96-97, में इस योजना में काफी धांधली की गयी हैं ? क्या सरकार इस योजना के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों व संस्थाओं को दी जा रही सहायता राशि व खर्च संबंधी पूरे प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद जौनपुर में ट्राइसेम योजनान्तर्गत 16 संस्थाएं चल रही है ।

जी नहीं ।

इस योजना के अन्तर्गत जब भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत करने के उपरान्त चलवाया जाता है तो संस्था को मानदेय की धनराशि तथा कच्चा माल का भुगतान करने से पूर्व इसकी जांच संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी जाती है ।

यह भी उल्लेख करना है कि माह जनवरी, 97 से इस योजना में जनपद में भुगतान की नई प्रक्रिया अपनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे चेक द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मौके पर सत्यापन करने के पश्चात किया जा रहा है ? लाभार्थियों से प्रशिक्षण का सत्यापन होने के पश्चात ही संस्था को भुगतान किया जाता है । इस योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों की सूचना गवर्निंग बाडी की बैठक में जन प्रतिनिधियों को भी दी जाती है ।

जनपद आजमगढ़ के ड्रेन महुआरा के निर्माण कराये जाने के फलस्वरूप ठेकेदारों की भुगतान का मामला

88-श्री उमाकान्त यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ड्रेन महुआरा का निर्माण कराने हेतु वर्ष 94-95 में धन स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त ड्रेन का निर्माण भी हो चुका है ? यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा खर्च किये गये धन को कब तक अवमुक्त कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आजमगढ़ में महुआरा नामक कोई ड्रेन नहीं है, बल्कि महुआरा खुर्द नामक ड्रेन है । वर्ष 94-95 में इस ड्रेन पर कोई धनावंटन नहीं हुआ है ।

ड्रेन के कि०मी० (X) से 10.88 तक निर्माण कार्य कराया गया है ।

ठेकेदार को भुगतान अनुबंध की शर्तों के तहत किया जाता है ।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित शासनादेश के विलम्ब के कारणों की जानकारी

89–श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–5947/76–27–सि–2 दिनांक 14-11-96 जो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित है, निर्गत हुआ है ? उक्त शसानादेश को विलम्ब से निर्गत करने के लिए कौन दोषी है ? क्या विलम्ब के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शासनादेश निर्गतोपरान्त कई माह व्यतीत हो जाने के बाद भी भुगतान न करने का क्या कारण है ? उक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? भुगतान के विलम्ब के लिए भी क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां, किन्तु प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश संख्या–5947/76–27–सि०–2 न होकर वास्तविक शासनादेश संख्या–5942/96–27–सि–2 दिनांक 14-11-96 है ।

निर्धारित शासकीय प्रक्रियाओं के पूर्ण किये जाने में लगे स्वाभाविक समय के लिए कोई दोषी नहीं है । अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत शासनादेश की मूल प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है । तत्काल भुगतान करने के आदेश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना अन्तर्गत आवंटित धनराशि के समायोजना में हुई अव्यवस्था की जानकारी

90–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 में निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ को कार्यदात्री संस्था बनाया गया है ? यदि हां, तो अभिकरण द्वारा कितनी बोरिंग के लिये निगम को कितनी श्रमांश धनराशि व सामग्री आवंटित की गयी ? दिनांक 31 मार्च, 1997 तक निगम ने कितनी बोरिंग पूर्ण कर अभिकरण को कितनी धनराशि की सामग्री एवं श्रमांश धनराशि का समायोजन प्रस्तुत कर दिया है ? क्या की गयी बोरिंग की विकास खण्ड वार कृषकों की सूची प्रस्तुत करते हुए यह अवगत करायेंगे की पूर्ण बोरिंग में कितनी केबिटी बोरिंग है तथा कितनी स्टेनर बोरिंग ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बाराबंकी द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 में 350 निःशुल्क बोरिंग कराने के लिए श्रमांश व सामग्री हेतु रुपये 17,50,000 की धनराशि उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ को आवंटित की गयी ।

दिनांक 31 मार्च, 1997 तक उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० ने 350 बोरिंग पूर्ण कराकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को रु० 9,34,000 की धनराशि का समायोजन प्रस्तुत कर दिया है ।

विकास खण्डवार कृषकों की सूची संलग्न है । † पूर्ण बोरिंग में 265 कैबिटी बोरिंग है तथा 85 स्टेनर बोरिंग है ।

निःशुल्क बोरिंग योजना निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा से कराने एवं फैली अव्यवस्था की जांच कराने की मांग

91–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निःशुल्क बोरिंग योजना निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा से नहीं करायी जानी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना निगम द्वारा मस्टर रोल पर न करवाकर ठेकेदारों के माध्यम से पूर्ण कराने हेतु लाभार्थी कृषकों को मात्र पाइप वितरित करते हुए शेष सामग्री व मजदूरी का भुगतान न करके बोरिंग पूर्ण मानकर निगम ने समायोजन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो इस घोटाले के लिये निगम का कौन अधिकारी दोषी है तथा सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार समस्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक निर्माण के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण निर्माण निगम के महाप्रबन्धक निर्माण क विरुद्ध विगत 1989-90 में कोई सतर्कता जांच करायी गयी थी ? क्या उक्त जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

सतर्कता जांच रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसका सदन के पटल पर रखा जाना जनहित में नहीं है ।

जनपद वाराणसी के काश्मीरीगंज, खोजवां में खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों के लिए डिपो खोलने की मांग

93–श्री श्याम देव राय चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 के पहले बुधवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के काश्मीरीगंज,खोजवां, में खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों की सुविधा हेतु डिपो न खुलवाने का क्या कारण है ? क्या उक्त स्थान पर डिपो खोले जाने हेतु सरकार उत्तर प्रदेश वन निगम को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वाराणसी शहर के अन्दर ही सलारपुर में वन निगम का एक डिपो उपलब्ध है । अतः वहां दूसरा डिपो खोले जाने का कोई व्यापारिक औचित्य नहीं बनता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त के अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 202/95 टी० एन० गोडा वर्मन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-96 के अनुसार लकड़ी का कटान बन्द है, जिसमें कौरैयूया लकड़ी भी शामिल है जिसके फलस्वरूप खोजवां में वन निगम का कोई डिपो खोला जाना सम्भव नहीं है ।

मध्य गंगा नहर को आगरा नगर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में पूर्व सदस्य के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर को आगरा नगर से जोड़े जाने के संदर्भ में पूर्व विधायक श्री विजय सिंह राणा ने जो प्रस्ताव वर्ष 1991 में प्रस्तुत किया था उस संबंध में अभी

तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या गंगा कैनाल को आगरा कैनाल से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पूर्व विधायक श्री विजय सिंह राणा एवं विधायक श्री विजयपाल सिंह द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत वर्ष 1991 में यह प्रकरण उठाया गया था ।

मध्य गंगा नहर केवल खरीफ की सिंचाई हेतु निर्मित की गई है । इस परियोजना में मध्य गंगा नहर को आगरा नहर में जोड़े जाने का प्राविधान नहीं है । जी नहीं ।

गंगा नहर में अतिरिक्त पानी उपलब्ध न होने के कारण ।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में लगे उद्योगों के गन्दे पानी की निकासी की समस्या

95–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में छोटे और बड़े सैकड़ों की संख्या में उद्योग लगे हैं ? क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र के गन्दे पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है और फैक्टिरियों के गन्दे पानी से हजारों एकड़ जमीन की फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है ? यदि हां, क्या सरकार गन्दे पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में छोटे-बड़े कई उद्योग स्थापित हैं । औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषित पानी की निकासी हेतु निजामपुर नाला बना हुआ है । यह नाला कच्चा है, जिसके फलस्वरूप प्रदूषित पानी की निकासी के सुधार की आवश्यकता है । नाले के कुछ भाग की सफाई विगत वर्षों में करवायी गयी थी । पानी की समुचित निकासी हेतु सिंचाई विभाग से आगंणन प्राप्त किया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड दत्तगंज, गैडास बुजुर्ग, उतरौला में नवीन नलकूपों के निर्माण व मरम्मत का मामला

96–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड दत्तगंज, गैडास बुजुर्ग, उतरौला में वर्ष 1994-95 व 1995-96 तथा 1996-97 में कितने राजकीय नवीन नलकूपों का निर्माण व कितने नलकूपों की मरम्मत करायी गयी है ? क्या सरकार मरम्मत किये गये नलकूपों का स्थल निरीक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोण्डा के अन्तर्गत प्रश्न में उल्लिखित विकास खण्डों में वर्ष 1994-95 से 1996-97 के मध्य नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण नहीं हुआ है । इन विकास खण्डों में पूर्व में निर्मित राजकीय नलकूपों का अनुरक्षण कार्य कराया गया ।

सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नलकूपों का निरीक्षण किया गया है ।

97–श्री तेज भान सिंह–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन न होने के कारण निरस्त ।

98-श्री तेज भान सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच स्थित ग्राम राजा बौण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

99-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० संख्या-78 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 2 मार्च, 94 को प्रश्न में उल्लिखित विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 78 का उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है।" दिया गया था। यही प्रश्न उसी सत्र में चौथे बुधवार के लिए अता० प्रश्नसंख्या 163 के रूप में पुनर्निर्धारित कर दिया गया जिसका उत्तर मा० सदन में दिया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा गौरी किशुन अम्बेडकर गांव विकास खण्ड सिसवा बाजार को कोठी भार सड़क से जोड़ने की मांग

100-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1995-96 में ग्राम सभा गौरी किशुन अम्बेडकर गांव विकास खण्ड सिसवा बाजार जनपद महराजगंज को मुख्य पी० डब्लू० डी० सड़क कोठी भार से जोड़ने के लिये धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अवमुक्त धनराशि के कार्यदायी विभाग गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार महराजगंज को अवमुक्त किया गया था ? क्या अवमुक्त धनराशि से अवर अभियन्ता द्वारा एक वर्ष बीत जाने पर भी मात्र गिट्टी की आपूर्ति ली गई है ? क्या अभी तक उक्त लेपन कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ ? यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि अवर अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य के नाम पर परियोजना निदेशक महराजगंज के कार्यालय में फर्जी कार्य पूर्ति दिखाकर सम्पूर्ण धन का आहरण कर लिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में कुईयां रजबहा की सिंचाई क्षमता हेतु प्राप्त धनराशि में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

101-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं श्री विनोद मणि-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज को वर्ष 95-96 सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुईयां रजवाहा की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये 5.00 लाख रुपये जिला योजना द्वारा अवमुक्त किया गया था ? क्या अवमुक्त धनराशि से सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड द्वितीय सिसवा बाजार जनपद महराजगंज द्वारा कुईयां रजबहा की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये नहर की नीचे से ऊपर तक खुदाई नहीं की गई और न तो नहर की चौड़ाई बढ़ाई गयी ? क्या यह सही

है कि मात्र नहरं के 2 फीट ऊपर के हिस्से को चौड़ा करके 3.00 लाख रुपये का प्रथम भुगतान निकाल लिया गया ? क्या भुगतान उन पंजीकृत श्रमिकों को जिनके पंजी कार्ड पर मानव दिवस दर्ज हो, के अनुसार ही भुगतान देने का प्राविधान था, किन्तु ऐसा न करके फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज को वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुईयां रजवहा की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये प्रथम किस्त के रूप में केवल रु० 2.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

प्रश्नगत शिकायत पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जी हां ।

जी नही, सभी भुगतान पंजीकृत कार्ड पर अंकित मानव दिवस के अनुसार किये गये हैं ।

जिला योजना महराजगंज द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत अमला मुंशी की छावनी के पूरब गेरमा, डढ़ौली क्षेत्र पंचायत सिसवा बाजार की चकरोड को बनाये जाने की मांग

102–श्री विनोद मणि, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला योजना महराजगंज द्वारा वर्ष 95-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अमला मुंशी की छावनी के पूरब गेरमा, डढ़ौली क्षेत्र पंचायत सिसवा बाजार की चकरोड पर 2 कि० मी० मिट्टी पाट कर सड़क बनाने के लिये अंकन 1,28000/-रुपये गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार, महराजगंज को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अवमुक्त धनराशि के प्रथम किस्त से शासन की नीतियों के विरुद्ध अपात्र मजदूरों से 6 इंच मिट्टी पूरी सड़क पर पाटकर फर्जी मस्टर रोल द्वारा 1,800-00 रुपये आहरण कर लिया गया था ? क्या इसकी शिकायत 9-11-96 को पूर्व विधायक शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा शासन एवं जिला प्रशासन में की गई थी, जिस पर ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज ने पत्रांक 2223ए/5–ल/क.ले.-ए(मार्ग) दिनांक 1-2-97 को जिला गन्ना अधिकारी महराजगंज को जांच हेतु भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती--पत्र की प्रति एवं जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र की प्रति एवं जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांचोपरान्त कोई अनियमितता नहीं पायी गई है ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम को वर्ष 1994-95 में कूप योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में हो रही अनियमितता की जांच की मांग

103–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम को वर्ष 94-95 में 5.50 लाख (10.00 लाख कूप योजना) के अन्तर्गत प्यांस, झरही नदी, ठूठीवारी पर तटबन्ध निर्माण के लिये दिया गया था ? उक्त धनराशि से सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय द्वारा मात्र 4.10 लाख का कार्य प्रथम किस्त से कराया गया ? अवशेष 40,000 रुपये का बिना कार्य कराये ही भुगतान कर दिया गया है ? दूसरी किस्त का आहरण फर्जी कार्यपूर्ति के आधार पर निकाल दिया गया और अवशेष कार्य को उक्त तटबन्ध पर बरसात बाद ड्रेनेज बाढ़ खण्ड गोरखपुर द्वारा कराना प्रारम्भ किया गया था ? क्या सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग ने उक्त कार्य पर 1.10 लाख दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है ? क्या इसकी शिकायत पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा दिनांक 12-7-96 को शासन से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार की गई शिकायती-पत्र एवं जांच विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, शासन द्वारा जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

जिला अधिकारी महाराजगंज में गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार के जे० आर० आई० योजना से वर्ष 93-94 में कोठीभार भुजौली सड़क के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

104–श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अधिकारी महराजगंज ने वर्ष 93-94 जिला योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद् सिसवा बाजार, महराजगंज को जे० आर० आई०योजना से कोठीभार भुजौली सड़क पर प्रथम श्रेणी ईट से 1 कि०मी० खडंजा के लिये 2,70,000 रुपये पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के प्रस्ताव पर उक्त विभाग को अवमुक्त किया था ? क्या यह सही है कि सड़क निर्माण आगणन में दर्शाये गये प्रथम श्रेणी ईट से न करके कम दर की ईट का उपयोग करके निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से ही बरगदही सड़क पर ह्यूम पाइप पुल का निर्माण कराने के लिये धन अवमुक्त किया गया था ? क्या पुल का निर्माण कराये बिना ही अवर अभियन्ता द्वारा कार्यपूर्ति देकर भुगतान करा लिया गया ? क्या इस संबंध में शारदा प्रसाद जायसवाल, पूर्व विधायक ने दिनांक 29-11-91 तथा 23-8-91 को शासन एवं जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार की गई शिकायती-पत्र एवं जांच विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत सड़क की लम्बाई 1.14 कि०मी० है । इस कार्य हेतु तीन किस्तों में मु० 2,62,500 रुपया अवमुक्त किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, मा० पूर्व विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 23-6-96 प्राप्त हुआ जिसकी जांच करायी गयी । जांचोपरान्त कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । शिकायती-पत्र एवं उस पर हुई जांच परिणाम को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति सिसवा बाजार, महराजगंज को जिला योजना [illegible] वर्ष 1995-96 में प्राप्त धन तथा उसके दुरुपयोग की शिकायत

105-श्री चन्द्र किशोर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी गन्ना विकास समिति, सिसवा बाजार, महराजगंज को जिला योजना महराजगंज के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में ग्राम पंचायत देउरवां से भड़ियां 500 मीटर सड़क पर मिट्टी पटाई के लिये 24,800 रुपया तथा कंकड़ रोड जगरनाथपुर से हड़तोइयां 1 कि०मी० के लिये 50,000 रुपये अवमुक्त किया गया था ? क्या उक्त अवमुक्त धनराशि में से प्रथम किश्त से अवर अभियन्ता द्वारा थोड़ा कार्य कराया गया था ? क्या यह सही है कि बिना कार्य कराये ही ग्राम्य विकास अभिकरण महराजगंज को आपूर्ति रिपोर्ट भेजकर दूसरी किश्त अप्रैल, 1996 में अवर अभियन्ता द्वारा आहरित करके फर्जी मस्टररोल द्वारा भुगतान कर लिया गया है ? क्या दिनांक 23-6-96/5-12-96 को पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा इस संबंध में लिखित शिकायत जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायत-पत्र एवं जांच विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र एवं जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाँचोपरान्त कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

106-श्री चन्द्र किशोर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के उपखण्ड–4 के समस्त राजवाहों एवं माइनरों की सफाई हेतु धन की उपलब्धता तथा कार्य कराये जाने की मांग

107-श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के उपखंड–4 के समस्त राजवाहों एवं माइनरों में झुंड-झाड़ियां व सिल्ट जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष धन देकर उक्त राजवाहों की विशेष सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहरों की राजवाहों व माइनरों में झुंड-झाड़ियों व सिल्ट सफाई का कार्य धन उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रबी फसल से पहले कराया जाता है ।

जनपद मथुरा में यमुना नदी पर गोकुल बैराज योजना के निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारणों की जानकारी

108-श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई [illegible] जानकारी है कि जनपद मथुरा में यमुना नदी पर गोकुल बैराज योजना के निर्माण में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है और कार्य धीमी गति से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उक्त योजना को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नगत [illegible] से सिंचाई हेतु कोई लिफ्ट केनाल निकालने की भी सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का पूर्ण प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण होना प्रस्तावित है,

प्रश्न नहीं उठता,

जी नहीं ।

बैराज आगरा व मथुरा की पेयजल आपूर्ति के लिये ही है ।

109-श्री शेर बहादुर–

[तीसरे सोम में अता० प्र० सं० 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नवसृजित जनपद महोबा के संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करने की योजना की जानकारी

110-श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महोबा के संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत करे की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

महोबा में वर्ष 1990 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है तथा इसके परिसर में ही 6 शैय्यायुक्त महिला चिकित्सालय एवं 6 शैय्यायुक्त प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत है । इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महोबा अब जनपद का मुख्यालय हो गया है तथा यहां पर जिला अस्पताल की यथासमय स्थापना किया जाना है अतएव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने का औचित्य नहीं है ।

नवसृजित जनपद महोबा को बुन्देलखण्ड निधि से विकास हेतु धन आवंटित करने के कारणों की जानकारी

111-श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र महोबा को बुन्देलखण्ड विकास निधि से विकास हेतु धन का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक धन आवंटित किया जायेगा ।

सुश्री मायावती–

जी हां ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि से जिला महोबा को वर्ष 1996-97 में रु० 139.20 लाख स्वीकृत किया गया है जिससे महोबा जिले के अन्तर जनपदीय विधान सभा क्षेत्र आच्छादित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा स्थापित देशी मदिरालयों में अपराधियों के जमावड़ा की शिकायत

112–श्री शिव सिंह चक–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग द्वारा देशी शराब के ठेके स्थापित कर दिये गये हैं ? जिसके कारण अपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता है एवं गांवों में अपराधों में वृद्धि हुई है ? क्या सरकार गांवों में स्थापित ठेकों को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्रामीण क्षेत्रों में नियमानुकूल स्थलों पर आबकारी विभाग द्वारा देशी शराब के ठेके स्थापित करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये देशी शराब के ठेकों पर अपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहने और गांवों में अपराधों में वृद्धि होने की कोई सामान्य समस्या नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मद्य निष्कर्षण व मदिरा की तस्करी की प्रभावी रोकथाम तथा निम्न स्तर के मादक पेयों से जनस्वास्थ्य को होने वाली हानि तथा प्रदेश के राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए, गांवों में स्थापित आबकारी ठेकों को समाप्त करना उचित नहीं है ।

पसगवां ब्लाक, जिला खीरी लखीमपुर में इन्द्रा आवासों में की जा रही अनियमितता की शिकायत

113–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पसगवां ब्लाक, जिला खीरी लखीमपुर में इन्द्रा आवासों में लाभार्थी को सीधे धन दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या पात्र व्यक्तियों के अतिरिक्त भी इसका लाभ दिया जा रहा है ? क्या एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को इन्द्रा आवास का लाभार्थी बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पसगवां ब्लाक के लाभार्थियों की जांच करायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी, तो जांच सुनिश्चित की जायेगी ।

114–श्रीमती कृष्णा राज–

[तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिजनौर जनपद में ग्राम कौड़िया चतरूवाला एवं पौड़ी जनपद में ग्राम कुनाऊ की वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा

115--श्री भारत सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जनपद में ग्राम कौड़िया चतरूवाला एवं पौड़ी जनपद में ग्राम कुनाव की वन भूमि में जो लोग बसे हुए हैं वे कितनी भूमि में काबिज हैं ? क्या सरकार काबिज भूमि किसानों के नाम विनियमित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बिजनौर जनपद के कौड़िया चतरूवाला में 23.82 हे० वन भूमि पर तथा पौड़ी जनपद में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुनाऊ में 7.383 हे० वनभूमि पर कई वर्षों से लोग अवैध रूप से काबिज हैं ।

अतिक्रमणकारियों के नाम वनभूमि का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने के प्रत्येक मामले में भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनभूमि को कृषि करने के लिये दिया जाना नीति विरुद्ध है ।

सिंचाई विभाग में वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

116-श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कितने वर्षों से विनियमित नहीं किये गये हैं ? क्या ऐसे कर्मचारियों को विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में कार्यप्रभारित अधिष्ठान के अन्तर्गत लम्बे समय से कार्यप्रभारित कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें नियमित किये जाने हेतु वर्ष 1993 में निर्णय लिया गया था तथा इस आशय के आदेश भी निर्गत किये गये थे, जिसके आधार पर सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखने वाले अब तक कुल 3442 कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों को नियमित किया गया है । इसी बीच माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्यप्रभारित/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा दायर कतिपय रिट याचिकाओं में हुए निर्णय के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को, जिनका दिनांक 1-1-93 तक एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्यदिवस पूर्ण हो चुके हैं, को कार्यप्रभारित अधिष्ठान में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है जिसके फलस्वरूप 899 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्कचार्ज के पद पर समायोजित कर दिया गया है ।

117-श्री भारत सिंह रावत–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा में वर्ष 1995-96 में बेलहरी बुजुर्ग एवं दरियापुर तथा विकास खण्ड वजीरगंज में अम्बेडकर गांव चिन्हित करने की मांग

118--श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया एवं वजीरगंज में किन-किन ग्रामों को अम्बेडकर ग्रामों के रूप में चिन्हित किया गया है ? क्या 1995-96 में इन अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रामों में भी इन्दिरा आवासों के निर्माण के लिये धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ग्रामवार विवरण क्या है ? क्या शासन ऐसे अपात्र व्यक्तियों को दिये गये धन की वापसी कराकर इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

विकास खंड छपिया में वर्ष 1995-96 में बेलहरी बुजुर्ग एवं दारियापुर तथा विकास खण्ड वजीरगंज में कोई अम्बेडकर गांव चिन्हित नहीं किया गया है ।

जी हां ।

वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त विकास खण्ड छपिया में 72 एवं विकास खण्ड वजीरगंज में 170 इन्दिरा आवासों के निर्माण के लिये धन अवमुक्त किया गया है ।

इन्दिरा आवासों के द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण संलग्न है ।

इन्दिरा आवासों का आवंटन नियमानुसार मानकों के अनुरूप किया गया है । अतः धन वसूली एवं किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र० इलाहाबाद में मुद्रण ओवरसियर के पद पर प्रोन्नति में हुई अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही की मांग

119–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जगदम्बिका पाल सदस्य,विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 119 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में "मुद्रण ओवरसियर" के पद पर ऐसे अभ्यर्थी की प्रोन्नति की गयी है जिनकी वार्षिक प्रविष्टियां प्रतिकूल थीं तथा उसे आरोपित भी किया जा चुका था ? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12 जून, 1978 तथा नवम्बर, 1983 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के आधार पर उल्लिखित प्रोन्नति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस अनियमितता के लिये चयन समिति के अध्यक्ष तथा नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र० में वित्तीय अधिकारों के हनन की शिकायत एवं विरुद्ध कार्यवाही की मांग

120–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के द्वितीय मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–121 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र० के वित्तीय अधिकारों की सीमा हेतु जिन शासनादेशों का उल्लेख किया गया है उसके आधार पर निदेशक को सामान्य स्थिति में मात्र एक लाख रुपये की ही क्रय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो मेसर्स मोनो टाइप इंडिया लि० इलाहाबाद को क्रयादेश संख्या लेसाक्रय 1264 दिनांक 24-2-94 द्वारा दो लाख रुपये का क्रयादेश दिया गया था, जो सामान्य परिस्थितियों के विपरीत पारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन से इसके लिये

---

† छापा नहीं गया ।

पूर्वानुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वित्तीय अनियमितता के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस संबंध में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र० के राजपत्रित अधिकारियों को मानदेय दिये जाने की स्वीकृति पर हुई कार्यवाही की जानकारी

121–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के द्वितीय मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जगदम्बिका पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 120 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र० के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों को शासन द्वारा मानदेय दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा मानदेय स्वीकृत न होने की दशा में भी कुछ राजपत्रित अधिकारियों को मानदेय दिया गया है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1994-95 में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के राजपत्रित अधिकारियों में दो कार्मिक अधिकारियों तथा 11 सहायक निदेशकों/समकक्ष पदाधिकारियों को कार्यालय ज्ञाप सं० 841पीएस/18-8-95 21(43)पीएस/93 दिनांक 31-3-95 द्वारा विशेष मानदेय दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी । उक्त कार्यालय ज्ञाप के अतिरिक्त अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी को किसी प्रकार का मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया है ।

शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालय के राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण का मामला

122–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय मुद्रणालय में किस-किस संवर्ग के कौन-कौन राजपत्रित अधिकारी स्थानान्तरण की पात्रता में आते हैं ? क्या स्थानान्तरण की नीति के अन्तर्गत आने वाले राजकीय मुद्रणालयों के राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय मुद्रणालयों में संलग्न सूची के राजपत्रित अधिकारी स्थानान्तरण की पात्रता में आते हैं । स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत यथा आवश्यक जनहित में राजकीय मुद्रणालयों के राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर)

राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को निःशुल्क दवा कराने की शर्तों की जानकारी

123–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों में किन-किन लोगों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है ? क्या गरीबों के लिये इन चिकित्सालयों में निशुल्क चिकित्सा

सुविधा अनुमन्य है ? यदि हां, तो गरीबों की परिभाषा क्या है और इसके लिये क्या कोई अन्य शर्तें भी हैं ? यदि हां, तो वह शर्तें क्या हैं ? एक मरीज को कितने रुपये की सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्रत्येक रोगी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, परन्तु नगरीय क्षेत्रों के 30 शैय्याओं से अधिक शैय्या वाले चिकित्सालयों में वाह्य रोगी विभाग में वर्तमान में दो रुपये पंजीकरण शुल्क एवं आंतरिक रोगी विभाग में पांच रुपये भर्ती शुल्क लिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं नगरीय क्षेत्रों के 30 शैय्याओं तक के चिकित्सालयों में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण के आपरेशन हेतु भर्ती रोगियों तथा इमरजेन्सी के रोगियों से भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है । अतिनिर्धन एवं निराश्रित रोगियों को वाह्य विभाग के पंजीकरण शुल्क दो रुपये को छोड़कर अन्य समस्त सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं । निःशुल्क चिकित्सा योग्य गरीब रोगी का निर्धारण चिकित्सालयों के प्रमुख अपने विवेक से करते हैं । किसी मरीज को निःशुल्क चिकित्सा की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन इकाई बैतालपुर देवरिया पैन प्रशिक्षु में कार्यरत श्री रामप्रकाश भारती के पारिश्रमिक का मामला

124–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन इकाई बैतालपुर देवरिया में पैन मैन अभी हाल में पेराई सत्र समाप्त हुई अवधि में कौन-कौन अनुसूचित जाति के प्रशिक्षण प्राप्त (एस० बी० सी० सी०) व्यक्तियों ने अप्रेन्टिसशिप में काम किया है ? क्या इसमें श्री राम प्रकाश भारती पुत्र श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक व सांसद का भी नाम है ? यदि हां, तो क्या अप्रेन्टिस काल में लगभग रु० 28.48 ही प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक दिया गया है जो अति अल्प है जबकि सम्पूर्ण प्राप्तियों का 70 प्रतिशत देय होता है ? यदि हां, तो इस दिशा में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ग्राम–पो० विशुनपुरा गोरखपुर के माह नवम्बर, 1996 से माह मई, 1997 तक शुगर कारपोरेशन लखनऊ के एम० डी० व अन्य अधिकारियों (जी० एम० बैतालपुर) को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बैतालपुर इकाई में एक ही व्यक्ति श्री राम प्रकाश भारती जो अनुसूचित जाति के थे, पैन प्रशिक्षु हेतु सत्र 1996-97 में कार्यरत थे ।

जी नहीं । उक्त प्रशिक्षु को रु० 880/- प्रति माह पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया ।

मा० श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सांसद का पत्र दिनांक 19-3-97 राज्य चीनी निगम के मुख्यालय पर प्राप्त हुआ था जिस पर नियमानुसार भुगतान करने हेतु इकाई को निर्देश भेजे गये थे । बैतालपुर इकाई द्वारा श्री राम प्रकाश भारती को रु० 28.48 प्रतिदिन न देकर रु० 880 प्रतिमाह दिया जा रहा है । उक्त प्रशिक्षु स्वतः कार्य से दिनांक 9-4-97 से अनुपस्थित हैं ।

तहसील सदर, प्रतापगढ़ में भयंकर रूप से जलस्तर गिरने की समस्या के समाधान का मामला

125–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सदर तहसील प्रतापगढ़ में भयंकर रूप से जलस्तर नीचे गिर जाने के कारण वर्ष 1997 में गम्भीर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

सदर तहसील,प्रतापगढ़ में जल स्तर नीचे गिरने से पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है । तहसील सदर, प्रतापगढ़ में क्रमशः सदर, मान्धाता एवं खंडवाचन्दिका विकास खण्ड हैं । विकास खण्ड सदर के 137 ग्रामों के सापेक्ष 881 नग, विकास खण्ड मान्धाता के 173 गांव के सापेक्ष 665 नग तथा विकास खण्ड खंडवाचन्दिका के 136 ग्रामों के सापेक्ष 791 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

126–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत गौरीपुर माइनर में प्रयुक्त भूखण्ड के मुआवजे का मामला

127–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत गौरीपुर माइनर में प्रयुक्त भूखण्ड का मुआवजा उक्त माइनर में प्रयुक्त भूमि मालिकों को दिया जा चुका है ?यदि हां, तो कब और कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है तथा कितने व्यक्तियों को मुआवजा देना शेष है ? क्या श्री गुरुबख्श सिंह पुत्र महादेव सिंह ग्राम गौरीपुर, जिला सुल्तानपुर को भी मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त माइनर से संबंधित समस्त भूमि मालिकों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में गौरीपुर माईनर नहीं है बल्कि गौरीपुर ड्रेन है ।

जी नहीं ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भूमि प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है ।

128–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज के मौजा तिसौली में नगला तिलियानी एवं नगला शिम्भू के मध्य पूर्व में स्वीकृत बेवर ब्रांच नहर के छोटे पुल के निर्माण के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

129–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड सुल्तानगंज के मौजा तिसौली में नगला तिलियानी एवं नगला शिम्भू के मध्य पूर्व में स्वीकृत बेवर ब्रांच नहर के छोटे पुल के शीघ्र नर्माण के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ के पत्रांक एम–3/24-34/मैनपुरी/97, दिनांक 30-1-97 के अनुसार प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि विभाग को बहुत पहले ब्रांच के पुल का संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में विलम्ब का दोषी कौन है और उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधायक प्रकोष्ठ का संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
जी हां ।
विलम्ब के लिये दोषी कोई नहीं है ।
उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत निर्माण कार्य की कार्यवाही की जाती है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज के सहायक अभियन्ता द्वितीय सिसवा बाजार के गौनरिया माइनर पर आर० बी० कम फाल बनाने के अनुबन्ध का मामला

130–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम महराजगंज के सहायक अभियन्ता द्वितीय, सिसवा बाजार के गौनरिया माइनर पर भी, आर० बी० कम फाल बनाने का अनुबन्ध वर्ष 1991-92 में 40,000/- (चालीस हजार) रुपये का किया था जिसका माप पुस्तिका में भुगतान के समय 65,000/- का मेजरमेंट करके तीन बार में सुभाषचन्द्र सेठ के नाम अधिक भुगतान का चेक जारी किया गया था ? सुभाष सेठ के नाम का चेक इन्द्रजीत द्वारा प्राप्त करने तथा फर्जी खाता खोलकर बैंक से भुगतान करने की शिकायत पूर्व विधायक शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा शासन में दिनांक 1-1-97 तथा 31-3-97 को लिखित रूप में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायती-पत्र एवं जांच विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, मा० पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल की शिकायत दिनांक 31-3-97 शासन को प्राप्त हुई थी ।

शिकायती-पत्र पर जांच के आदेश दिनांक 24-4-97 को दिये जा चुके हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रतापगढ़ जनपद की नहरों तथा माइनरों एवं गूलों की सफाई हेतु दोनों खंडों में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में आवंटित धन के दुरुपयोग का मामला

131–श्री चन्द्रनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद को नहरों तथा माइनर एवं गूलों की सफाई हेतु दोनों खण्डों को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में कितना धन आवंटित किया गया था ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा धन को बिना कार्य कराये उपयोग में दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के हरिगटनगंज में निःशुल्क बोरिंग तथा आई०आर० डी० योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में लाभार्थियों के चयन में गम्भीर अनियमितता की शिकायत

132–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड हरिगटनगंज फैजाबाद में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में फ्री बोरिंग, आई० आर० डी० के लाभार्थियों के चयन तथा इन्द्रा आवास के पात्र

व्यक्तियों के आवंटन में गम्भीर अनियमितता की गई है जिसकी शिकायती जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण के तथ्य क्या हैं ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

विकास खण्ड हरिगटनगंज में मात्र निःशुल्क बोरिंग तथा आई० आर० डी० योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में लाभार्थियों के चयन में गम्भीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी।

श्रीमती इन्दुसेन, प्रमुख क्षेत्र पंचायत हरिगटनगंज ने दिनांक 5-2-97 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को यह लिखित शिकायत की थी कि वित्तीय वर्ष 1994-95 व 1995-96 में निःशुल्क बोरिंग तथा आई० आर० डी० योजनान्तर्गत गलत तरीके से 68 अपात्र व्यक्तियों के चयन किये जाने की जांच करायी जाय।

शिकायत की जांच की गयी। जांच में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड खण्डासा अमानीगंज के चयनित अम्बेडकर ग्राम राम पट्टी के विकास में हरिजनों की उपेक्षा

133–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड खण्डासा अमानीगंज के चयनित अम्बेडकर ग्राम राम पट्टी में खड़ंजा विद्युतीकरण, हैण्ड पम्प, सुलभ शौचालय अनुसूचित जाति की बस्ती एवं आबादी में न कर कुछ प्रभावशाली सवर्ण बस्तियों में कर दिया गया है ? क्या इस संबंध में जिला विकास मुख्यालय से जांच कार्यवाही की आख्या भी प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सुश्री मायावती–

अम्बेडकर योजना में चयनित ग्राम के पूरे भाग में समस्त निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत 467 मीटर खड़न्जा एवं 4 इण्डिया मार्क–2 अनुसूचित जाति की बस्ती में लगे हैं। विद्युतीकरण 1963 में मानक के अनुसार किया गया है तथा उक्त गांव में कोई सुलभ शौचालय नहीं बनवाया गया है।

जी हां।

जिलाधिकारी को प्राप्त हो गयी है। जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

134–श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में वैयक्तिक सहायक के पदधारक के पदोन्नति में विसंगति का मामला

135–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभग में "वैयक्तिक सहायक (कार्यालय)" के पदधारक को पदोन्नति के उपरान्त "वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" के पद पर पदस्थापित किया जाता है ? क्या ऐसी स्थिति में लोकसेवक को राजपत्रित प्रतिष्ठा के पद से अवनत होकर अराजपत्रित पदधारक की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ? यदि हां, तो क्या इस विसंगति को समाप्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस पर विचार किया जा रहा है, शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री अजय भट्ट–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

137–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

[तीसरे बुधवार के लिये स्थगित]

जिलाधिकारी सुल्तानपुर का निदेशक समाज कल्याण एवं सचिव, समाज कल्याण को विधवा पेंशन की बगैर स्वीकृति के भुगतान के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

138–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर का निदेशक समाज कल्याण एवं सचिव, समाज कल्याण को क्रमशः प्रेषित अर्ध० शा० पत्रांक 186 दिनांक 29 अप्रैल, 1993 पत्रांक 4106/1916 नवम्बर, 1993 तथा पत्रांक 361. दिनांक 26 मई. 1994 जिसमें कुछ विधवाओं को बगैर स्वीकृति के 66 हजार रुपये व अन्य भुगतान कर देने के संबंध में है, जांच रिपोर्ट सूची सहित प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शारदा सहायक खंड–52 द्वारा संचालित नहर में पानी न आने की शिकायत

139–श्री राम प्यारे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी 209 के अन्तर्गत शारदा सहायक खंड 52 द्वारा संचालित नहर में विगत माह दिसम्बर, 1996 से 1997 तक पानी नहीं आया ? यदि हां, तो क्यों ? कृषकों की हुई फसल की क्षति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या उनसे सिंचाई कर की वसूली की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

माह दिसम्बर से 24 जनवरी, 1997 तक पानी दिया गया । दिनांक 24-1-97 के पश्चात् घाघरा नदी में जल की उपलब्धता में कमी के कारण पानी नहीं दिया जा सका ।

फसल क्षति का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया ।

सींच के आधार पर नियमानुसार वसूली की जाती है ।

जनपद गोण्डा की विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में लगे राजकीय नलकूपों की मरम्मत पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला

140–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने राजकीय नलकूप हैं और वर्ष 1995 से 1997 जून तक किन-किन नलकूपों पर कितना-कितना शासकीय धन, मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि नलकूपों पर धनराशि व्यय न करके

सरकारी धन का दुरुपयोग अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया है ? क्या सरकार जांच करवाकर संबंधित अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 61 राजकीय नलकूप हैं, जिन पर दिनांक 1-1-95 से 30-6-1997 तक उनके सम्मुख अंकित निम्नलिखित धनराशि मरम्मत कार्य पर व्यय हुई है :––

नलकूप संख्या व समूह	व्यय हुई धनराशि
150 यू० जी०	15,811.00
85 यू० जी०	15,008.00
151 यू० जी०	11,619.00
152 यू० जी०	16,975.00
20 यू० जी०	17,035.00
21 यू० जी०	12,541.00
18 यू० जी०	17,951.00
25 यू० जी०	21,562.00
36 यू० जी०	11,985.00
39 यू० जी०	18,560.00
45 यू० जी०	12,600.00
19 यू० जी०	14,680.00
24 यू० जी०	19,827.00
100 यू० जी०	19,475.00
145 यू० जी०	17,088.00
22 यू० जी०	12,810.00
40 यू० जी०	11,289.00
37 यू० जी०	18,461.00
154 यू० जी०	19,614.00
169 यू० जी०	20,051.00
158 यू० जी०	19,261.00
23 यू० जी०	12,055.00
164 यू० जी०	15,011.00
168 यू० जी०	12,270.00
153 यू० जी०	12,806.00
160 यू० जी०	16,797.00
163 यू० जी०	9,893.00
161 यू० जी०	11,611.00
170 यू० जी०	12,807.00
166 यू० जी०	9,528.00
167 यू० जी०	15,628.00
126 यू० जी०	17,113.00
156 यू० जी०	15,401.00
165 यू० जी०	12,162.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

41 यू० जी०	19,042.00
42 यू० जी०	14,409.00
44 यू० जी०	15,813.00
140 यू० जी०	11,289.00
155 यू० जी०	13,915.00
157 यू० जी०	9,728.00
43 यू० जी०	13,850.00
60 यू० जी०	9,142.00
61 यू० जी०	17,000.00
66 यू० जी०	14,436.00
70 यू० जी०	15,183.00
107 यू० जी०	12,831.00
108 यू० जी०	10,919.00
109 यू० जी०	19,626.00
112 यू० जी०	8,484.00
118 यू० जी०	16,804.00
136 यू० जी०	14,552.00
138 यू० जी०	14,535.00
140 यू० जी०	18,940.00
148 यू० जी०	16,426.00
149 यू० जी०	11,470.00
101 यू० जी०	12,566.00
172 यू० जी०	10,973.00
174 यू० जी०	11,403.00
144 यू० जी०	10,539.00
159 यू० जी०	17,023.00
162 यू० जी०	11,139.00

कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

एटा जिले में बुड़ गंगा ड्रेन की सफाई के लिये वर्ष 1994-95 1995-96 में आवंटित धन तथा उसके दुरुपयोग की शिकायत

141--श्री नेतराम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में बुड़ गंगा ड्रेन की सफाई के लिये वर्ष 1994-95, 95-96 में कितना-कितना धन किस खण्ड को दिया गया ? क्या यह सत्य है कि बुड़ गंगा ड्रेन एटा की कोई सफाई नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ को शिकायतों की जांच कर आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ के प्रमुख अधीक्षिका के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

142–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय,गोलागंज, लखनऊ के प्रमुख अधीक्षिका का पद दो वर्षों से खाली है ? यदि हां, तो उक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रमुख अधीक्षिका का पद अपर निदेशक वेतनमान स्तर का है । वर्तमान में अपर निदेशक (महिला) के 5 पद रिक्त चल रहे हैं । प्रोन्नति की कार्यवाही की जा रही है । अपर निदेशक (महिला) के पद पर अधिकारियों की प्रोन्नति हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत पद पर तैनाती कर दी जायेगी ।

श्री प्रभु दयाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) के अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान न मिलने के कारण मा० सदस्य, विधान सभा का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री प्रभुदयाल सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) का विनियमितीकरण न होने के कारण उन्हें सेवा काल में अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिला है ? क्या इस संबंध में श्री मस्तराम विधायक का पत्र माह मई, 1997 में संलग्नकों सहित सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

परीक्षणाधीन है ।

144–श्री राम विशुन आजाद–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर पर महिला अस्पताल खोलने की योजना की जानकारी

145–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर मुख्यालय पर महिला अस्पताल खोलने की योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में अस्पताल खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं, क्योंकि मनकापुर गोण्डा में स्थापित/क्रियाशील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सा की व्यवस्था है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई रख रखाव पर 1995 से वर्ष 1997 तक आवंटित धन की जानकारी

146–श्री राम विशुन आजाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा, सफाई एवं रख रखाव पर वर्ष 1995 से मई, 1997 तक शासन द्वारा कितना-

कितना धन आवंटित किया गया है ? आवंटित धनराशि के सापेक्ष में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज सदर में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अम्बेडकर ग्रामों का चयन

147–श्री चन्द्र किशोर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज सदर में वास्तविक प्राथमिक समस्याओं के अनुरूप अम्बेदकर ग्रामों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो इन अम्बेडकर ग्रामों के चयन में जनप्रतिनिधियों के सुझाव आदि भी लिये जाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया है ? यदि हां, तो क्या जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर गौर भी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अम्बेडकर ग्रामों के अनियमित चयन के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चयन हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार चयन किया गया है एवं इस हेतु जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि चयन में अनियमितता नहीं हैं ।

जनपद बाराबंकी की तहसील देवां के ग्राम सालेहनगर के कृषकों की पट्टीवाली भूमि को अधिग्रहीत करने का मामला

148–श्री संग्राम सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी की तहसील व परगना देवां के ग्राम सालेहनगर के कृषकों की पट्टेवाली भूमि जिस पर उनका 1952 से कब्जा है पर, वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर प्लानटेशन करने हेतु उसे अधिग्रहीत करने की कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 6-2-97 को प्रमुख सचिव वन एवं मुख्य सचिव को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । जनपद बाराबंकी की तहसील देवां के ग्राम सालेहनगर में जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप 248 बीघा 18 बिस्वा 7 विस्वांसी (55 एकड़) भूमि विज्ञप्ति सं०617/14 दिनांक 11-10-52 द्वारा वन विभाग में निहित हुई थी, जिसे भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने की कार्यवाही प्रगति में है ।

जी हां, मामला उप संचालक चकबन्दी बाराबंकी के न्यायालय में लम्बित होने के कारण प्रकरण पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद आगरा के जिला प्लान द्वारा वर्ष 1997-98 में विकास खण्ड समशाबाद के ग्राम मझरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

149–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 की जिला प्लान की बैठक में विकास खण्ड समशाबाद के ग्राम मझरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद आगरा की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक 30-3-97 में सहता तथा चौसंगी स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमोदित किये गये थे ।

दिनांक 17-4-97 की बैठक में पुनर्विचारोपरान्त पुरा बाघराज तथा प्रश्न में उल्लिखित मझारा (शमशाबाद) स्थलों का अनुमोदन किया गया ।

सहता स्थल का नाम हटाये जाने के विरोध में जिलाधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत की गयी है ।

उपलब्ध सूचनानुसार सहता मझारा तथा पुरा बाघराज तीनों ही स्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त हैं ।

वर्ष 1997-98 में जनपद आगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति का निर्णय इस पर निर्भर करता है कि जिला आगरा में इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत किन स्थलों की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को भेजे जाते हैं ।

जनपद आगरा में फतेहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मामला

150–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु 25-4-97 को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्थलों पर कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कार्य जिला योजना का विषय है तथा जिला योजना में परिव्यय की उपलब्धता एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर करता है । स्थापना कब तक कर दी जायेगी, इस संबंध में कोई विशिष्ट तिथि इंगित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

151–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

[तीसरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा (पडरौना) के परिसर में डिस्टीलरी प्लांट लगाये जाने की मांग

152–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा (पडरौना) के परिसर में डिस्टीलरी प्लांट (आसवानी मिल) का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला चिकित्सालय छितौनी (पडरौना) में अराजक तत्वों द्वारा सरकारी भवन पर अवैध कब्जा

153–श्री दीप लाल भारती–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय महिला चिकित्सालय छितौनी (पडरौना) में अराजक तत्वों द्वारा सरकारी भवन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटाकर अस्पताल के कर्मचारी/अधिकारी को आवास सुविधा प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश की सरकारी चीनी मिलों में दैनिक मजदूरों को पारिश्रमिक देने तथा मजदूरों की संख्या की जानकारी

154–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय चीनी मिलों में दैनिक मजदूरों को सरकारी दर पर पारिश्रमिक दिया जा रहा है ? यदि हां, तो चीनी मिल छितौनी (पडरौना) में कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं और उन्हें कितना-कितना पारिश्रमिक (मानदेय) दिया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों में निर्माण प्रक्रिया से सीधे जुड़े दैनिक वेतन कर्मचारियों को वेजबोर्ड के न्यूनतम वेजेज के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है तथा निर्माण प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु लगे दैनिक वेतन कर्मचारियों को क्षेत्रीय कृषि मजदूरों को देय न्यूनतम वेतन के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है ।

निगम की छितौनी चीनी मिल में वर्तमान में जून, 1997 से कोई दैनिक वेतन कर्मचारी नहीं लगाया गया है । पेराई सत्र व आफ सीजन मरम्मत कार्यों हेतु आवश्यकता अनुसार दैनिक वेतन मजदूर रखे जाते हैं । जिन्हें वेजबोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाता है ।

विधान सभा

अम्बेडकर ग्राम चयनित किये जाने के मानक की जानकारी

155–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अम्बेडकर ग्राम चयनित किये जाने का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि पंचायत राज ऐक्ट लागू किये जाने पर 1000 वोटर अथवा 1500 की जन संख्या पर नये ऐक्ट के मुताबिक छोटी-छोटी ग्राम सभाओं को जोड़कर जो ग्राम पंचायत बनायी गई थी को अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन ग्राम पंचायतों को भी वही सुविधा मिलेगी जो दो को जोड़कर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान वर्ष 1997-98 में प्रत्येक विधान सभाओं में 10 अम्बेडकर ग्रामों का चयन वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत तथा उससे अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के आधार पर अवरोही क्रम में चयन किये जाने का मानक है । यदि 30 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गांव पर्याप्त संख्या में नहीं उपलब्ध हैं तो उससे कम आबादी के गांव अवरोही क्रम में रखकर चयनित किये जाने का मानक है ।

जी नहीं । राजस्व ग्रामों को ही अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक खण्ड–45 रायबरेली में अवर अभियन्ताओं का एक वर्ष के अन्दर ही स्थानान्तरण का मामला

156–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड–45 रायबरेली में कितने अवर अभियन्ता ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण एक वर्ष पूर्व अथवा उससे पहले हुआ था, परन्तु उन्हें अभी तक रिलीज नहीं किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवर अभियन्ताओं को किसके आदेश से अभी तक रोका गया है ? क्या मंत्री जी उक्त अवर अभियन्ताओं को तत्काल उक्त खण्ड से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । शारदा सहायक खण्ड–45 रायबरेली में दो अवर अभियन्ता ऐसे हैं, जिनका स्थानान्तरण एक वर्ष पूर्व अथवा इससे पहले हुआ था ।

स्थानान्तरित दोनों अवर अभियन्ता कार्यमुक्त किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों की जानकारी

157–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के कितने चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तथा एलोपैथिक अस्पतालों में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं ? क्या इन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को

एलोपैथिक दवाइयां देने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्तियां एलोपैथिक अस्पतालों में करने का औचित्य क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

उत्तरांचल के 369 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 372 आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात हैं। वर्तमान में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में 576 आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पडरौना की छोटी गण्डक नदी पर बेलवाघाट व कप्तानगंज घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा पक्के पुल के बनाये जाने की मांग

158–श्री दीप लाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि पडरौना जनपद के छोटी गण्डक नदी पर बेलवा घाट व कप्तानगंज घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा पक्के पुल के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पुलों को कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा (पडरौना) चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

159–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि खड्डा चीनी मिल लाभ की फैक्ट्री होते हुए भी उसकी पेराई क्षमता कम होने से निरन्तर घाटे की तरफ बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या इसे 3500 टी० सी० डी० का बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय वर्ष 1995-96 तक खड्डा इकाई को रु० 574.30 लाख की अनुमानित संचित हानि हुई है।

वर्तमान में खड्डा इकाई की पेराई क्षमता 1250 से 1600 टी० सी० डी० तक बढ़ाने हेतु परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से 1996 तक चयनित अम्बेडकर गांवों की सड़कों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

160–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1993 से 96 तक कितने अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सभी अम्बेडकर ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का सतह लेपन स्तर तक कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो वे अम्बेडकर ग्राम कौन हैं ? अवशेष बचे अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का सतह लेपन कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993 से 1996 तक 33 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है।

33 में से 15 गांवों को लेपन स्तर तक जोड़ा जा सका है ।

नगरापल्टी, लाल, भरहूं, पूरे हृदय, जीराभारी, फूलपुर, बेलहरी बुजुर्ग, सराय हर्रा, पचुपाती जगतापुर, कलेनिया, बरईपुर, रामनाथ, खपरी पारा, सिरसा, माधेपुर, खिरिया ।

शीघ्र पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[दूसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में धनगड़ चौपड़ा नहर का विस्तार खण्ड सैण तक करने हेतु स्वीकृति एवं स्वीकृत धनराशि के उपयोग की जानकारी

162–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में धनगड़ चौपड़ा नहर का विस्तार खण्ड सैण तक करने की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा अब तक इस नहर के विस्तार और मरम्मत पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है? डा० अम्बेडकर ग्राम खण्डावासियों को सिंचाई सुविधा कब से उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इतनी धनराशि व्यय किये जाने के बावजूद सिंचाई सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या हैं ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1982-83।

रु० 2.163 लाख ।

नहर के विस्तार पर व्यय रु० 5.32 लाख तथा नहर के मरम्मत पर व्यय रुपये 1.30 लाख ।

माह दिसम्बर, 1990 से ।

सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की ग्राम सभा किनसुर के अन्तर्गत बने सामुदायिक मिलन केन्द्र के भवन के धराशायी होने की जानकारी

163–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ग्राम विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल की ग्राम सभा किनसुर के अन्तर्गत सामुदायिक मिलन केन्द्र के भवन का निर्माण किया गया है और यह भवन उपयोग में लाने से पूर्व ही धराशायी हो गया है ? यदि हां, तो इस मिलन केन्द्र के भवन का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किसके माध्यम से करवाया गया है और इस भवन पर कितनी धनराशि

व्यय की गयी तथा इस भवन के धराशायी होने के क्या कारण हैं ? इसके प्रति कौन उत्तरदायी है तथा इस भवन की मरम्मत पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव के सिंचाई विभाग के शारदा खण्ड के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता के संबंध में मा० सदस्य का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

164–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के सिंचाई विभाग के शारदा खण्ड के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग पूर्व विधायक सुन्दर लाल लोधी द्वारा दिनांक 28-2-97 को सचिव, सिंचाई, उ० प्र० से की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस पर प्रारम्भिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव में प्रभारी निदेशक, सामान्य वानिकी को वन विकास व वृक्षारोपण हेतु वर्ष 1996-97 में प्राप्त धनराशि का मामला

165–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में प्रभारी निदेशक, सामान्य वानिकी को वन विकास व वृक्षारोपण हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 96-97 में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि कहां-कहां खर्च की गयी ? क्या सरकार इन कार्यों की जांच करायेगी ?

सुश्री मायावती–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव वन विभाग को वर्ष 96-97 में मु० रु० 85.758 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

प्राप्त धनराशि वृक्षारोपण रखरखाव, पौध उगाने, वन चेतना केन्द्र के निर्माण पर निम्नलिखित विकास खण्डों में खर्च की गयी :–

	(लाख रु० में)
1–बिछिया	17.903
2–हिलौली	10.765
3–सफीपुर	9.867
4–नवाबगंज	3.040
5–औरास	17.986
6–सिकन्दरपुर करन	1.972
7–मियागंज	4.935

8–पुरवा	1.46
9–बीघापुर	2.60
10–सुमेरपुर	1.04
11–गजमुरादाबाद	3.52
12–बांगरमऊ	2.16
13–असोहा	4.01
14–हसनगंज	8.50
योग–	85.758

जिला स्तर पर जिला विकास अभिकरण द्वारा इन कार्यों की स्थलीय जांच कराई जा चुकी है। अतः वन विभाग द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनपद उन्नाव में कार्यरत विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक द्वारा की गयी अनियमितता, अवैध नियुक्तियों की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

166–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव में कार्यरत मुख्य विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं अवैध रूप से की गयी विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की जांच के संबंध में सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास को दिनांक 17-8-96 को पूर्व विधायक सुन्दर लाल लोधी ने तीन पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई एवं उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

पूर्व विधायक श्री सुन्दर लाल लोधी का एक पत्र दिनांकित 17-8-96 शासन में प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायती पत्र में मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव तथा जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध अवैध नियुक्ति करने का उल्लेख किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव से जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

वर्ष 1996-97 में बस्ती जनपद के सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का विकास खण्डवार/योजनावार अवमुक्त धनराशि का विवरण

167–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1996-97 में बस्ती जनपद को कुल कितना-कितना धन सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत उ० प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ और किन-किन विकास खण्डों में कितना-कितना धन उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त किया गया है ? क्या सरकार विकास खण्ड रुधौली में इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची सम्पूर्ण विवरण के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1996-97 में बस्ती जनपद को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मु० 949.771 लाख, जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत मु० 686.828 लाख एवं दस लाख कूप योजना अन्तर्गत मु० 218.90 लाख

धनराशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुई । विकास खण्डवार/योजनावार अवमुक्त धनराशि की सूचना का विवरणसंलग्नक–1 के रूप में संलग्न है ।

योजनाओं अन्तर्गत विकास खण्ड रूधौली में स्वीकृत कार्यों की सूचना संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 179–181 पर)

विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की संख्या तथा उनके विकास कार्यों को पूर्ण किये जाने की मांग

168–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड रुधौली (जनपद बस्ती) के अम्बेडकर गांव पेलान खुर्द, बसहिया, भेला खर्गकला, बालेपार, लेदवा तथा बढ़या किन-किन वर्षों में अम्बेडकर गांव घोषित किये गये और शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अब तक इन गांवों में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायी जा चुकी हैं, और अभी इन गांवों में कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी शेष हैं ? क्या मंत्री जी ग्रामवार पूर्ण कराये गये कार्यों की सम्पूर्ण सूची तथा अवशेष कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अम्बेडकर ग्राम का नाम	चयनित वर्ष
बसहिया	1995-96
भेला खर्ग कला	1995-96
भेलानखुर्द बुजुर्ग	1996-97
बालेपार	1996-97
लेदवा	1997-98
बढ़या	1997-98

अम्बेडकर ग्राम बसहिया एवं भेल खर्ग कला वर्ष 1995-96 में चयनित किये गये । ग्रामों को निम्न कार्यों से आच्छादित कराये जाने का लक्ष्य है :—

सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, खडन्जा, नाली, हैण्ड पम्प, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क बोरिंग, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, प्राइमरी पाठशाला ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों का ग्रामवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 182–184 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड सांथा में घोषित अम्बेडकर गांव के विकास को पूर्ण किये जाने की मांग

169–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड सांथा (जनपद सिद्धार्थनगर) में अब तक कौन-कौन से गांव-किन-किन वर्षों में अम्बेडकर गांव घोषित किये गये हैं और किन-किन गांवों में कौन-कौन सुविधायें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं तथा कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराया जाना अभी शेष हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड सांथा, जनपद सिद्धार्थनगर में अठलोहिया वर्ष 91-92, डबरा वर्ष 94-95, देवकली 95-96, पटनी-नानकार 95-96, परसाशुक्ल 96-97 एवं भटौरा 96-97 में अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं।

अब तक अठलोहिया में आई० आर० डी० में 23 निःशुल्क बोरिंग में 32, इंदिरा आवास में 37, स्वच्छ शौचालय में 35, किसान पेंशन में 8, विधवा पेंशन में 3, पेयजल में 8, प्राइमरी पाठशाला, खडन्जा 500 मीटर, विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्ग।

डबरा में आई० आर० डी० 1, निःशुल्क बोरिंग 9, इन्दिरा आवास 12, स्वच्छ शौचालय 11, किसान पेंशन 5, विधवा पेंशन 1, पेयजल हैण्ड पम्प, प्राइमरी पाठशाला, खडन्जा 600 मी० एवं विद्युतीकरण।

देवकली में आई० आर० डी० 1, निःशुल्क बोरिंग 5, इन्दिरा आवास 35, स्वच्छ शौचालय 16, किसान पेंशन, 4, विधवा पेंशन 4 पेयजल 5, हैण्डपम्प प्राइमरी पाठशाला, खडन्जा 500 मीटर तथा सम्पर्क मार्ग।

पटनीनानकार में आई० आर० डी० 3, निःशुल्क बोरिंग 4, इन्दिरा आवास 7, स्वच्छ शौचालय 1, किसान पेंशन 1, विधवा पेंशन 4, पेयजल 3, हैण्डपम्प प्राइमरी पाठशाला, खडन्जा 500 म०, विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्ग।

परसाशुक्ल में आई० आर० डी० 4, निःशुल्क बोरिंग 8, इन्दिरा आवास 18, स्वच्छ शौचालय 14, किसान पेंशन 13, विधवा पेंशन 6, पेयजल 3, हैण्डपम्प प्राइमरी पाठशाला, खडन्जा 200 मी०।

भटौरा में आई० आर० डी० 7, निःशुल्क बोरिंग 8, इन्दिरा आवास 20, स्वच्छ शौचालय 10, किसान पेंशन 14, विधवा पेंशन 1, पेयजल 5 हैण्डपम्प, प्राइमरी पाठशाला, 500 मी० खडन्जा, विद्युतीकरण एवं सम्पर्क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

परसाशुक्ल में खडन्जा, 15 स्वच्छ शौचालय, भटौरा में 15 स्वच्छ शौचालय, डबरा को सम्पर्क मार्ग से जोड़ना, परसाशुक्ल एवं देवकली में विद्युतीकरण कराया जाना शेष है।

अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रपति शासन के दौरान दिल्ली के विस्थापित उद्योगों को खेकड़ा मेरठ में स्थापित करने की मांग

170–श्री रूप चौधरी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान दिल्ली के विस्थापित उद्योगों को दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र खेकड़ा (मेरठ) में स्थापित करने के लिये खेकड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा कर सर्वे कराने के आदेश तत्कालीन सरकार द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो कब तक दिल्ली के विस्थापित उद्यमियों को यह सुविधा मिलने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

दिल्ली से विस्थापित उद्योगों के पुनर्वास हेतु आयोजित बैठकों में किसी भी उद्यमी ने खेकड़ा क्षेत्र में इकाई पुनर्वासित किये जाने हेतु रुचि नहीं दर्शायी और न ही कोई आवेदन लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोयडा में गामा आवासीय योजना के प्लाट के आवंटन में अनियमितता की जानकारी

171--श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोयडा में गामा प्लाट का आवंटन सितम्बर, 1996 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या गामा कालोनी में दो महत्वपूर्ण प्लाट आवंटन से बच गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उन प्लाटों को किन-किन अधिकारियों के नाम आवंटित किया गया और क्यों ?

सुश्री मायावती–

गामा आवासीय योजना का भूखण्ड आवंटन 1993 में व लोकेशन आवंटन अगस्त, 1996 में किया गया था । इस आवासीय योजना में कुछ आकारों के भूखण्डों हेतु कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण काफी भूखण्ड रिक्त रह गये थे, न कि मात्र दो भूखण्ड ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा में अल्फा, बीटा, गामा डेल्टा आर–1 व आर-2 में आवासीय योजनाओं के आवंटन में की गई अनियमितता की जानकारी

172–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत ग्रेटर नोयडा में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर 1, व आर 2 आवासीय योजना में प्लाटों का आवंटन कराया गया ? यदि हां, तो उक्त प्लाटों का आवंटन कितने अधिकारियों के नाम कराया गया ? क्या यह भी सही है कि कोने के कुछ महत्वपूर्ण प्लाटों का अनियमितत रूप से आवंटन अधिकारियों को किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । किन्तु आर०–2 कोई योजना ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नहीं है ।

सामान्य योजनाओं में 15,000 से अधिक भूखण्ड आवंटित किये गये हैं । अल्फा व बीटा योजना में आवंटन प्रपत्र आवंटी के अधिकारी होने अथवा न होने की सूचना प्रदर्शित नहीं करते हैं । गामा योजना में प्रत्रों में उपलब्ध सूचना केवल व्यवसाय प्रदर्शित करता है । लेकिन उक्त सूचना के आधार पर उनमें कितने सरकारी अधिकारी हैं यह सूचना प्रदर्शित नहीं है ।

आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनसार किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तहसील दादरी के कतिपय गांवों की जमीन के गलत बैनामों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

173–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण दादरी जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम असमरपुर, रायपुर व नंगला नगली में किसानों की जमीन के फर्जी बैनामे महेन्द्रा एंड महेन्द्रा फर्जी कम्पनी के मालिक धर्मपाल यादव नि 355 सेक्टर 28 व भू-माफिया बंशीराम पुत्र राम दयाल नि 659 सेक्टर 37 व सुरेन्द्र सिंह पुत्र जुल्फीराम व मानसिंह पुत्र कांशीराम नि० 1997 सेक्टर 37 ने फर्जी मुख्त्यार आम बनकर अन्य लोगों को बेच दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ अपराधिक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम असमरपुर जागीर, रायपुर एवं नगला नगली प्राधिकरण के अधिसूचित गांव हैं। ग्राम नगला नगली में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फार्म्स रीबर ब्रीज एवं फार्म्स एण्ड फार्म्स द्वारा अवैध रूप से फार्म्स हाउस बनाये जाने के संबंध में औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा 10 के अधीन एक नोटिस भी उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जारी किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सेक्टर–20 में दर्ज करायी गयी है तथा जनता को इस प्रकार की धोखा धड़ी से बचने हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया है।

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा में कस्बा आनन्दनगर स्थित गणेश शुगर मिल्स की भूमि के वितरण/आवंटन में हुई अनियमितता की जानकारी

174–श्री विनोद मणि–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तहसील फरेन्दा में कस्बा आनन्दनगर में स्थित गणेश शुगर मिल्स की भूमि का वितरण/आवंटन कस्बे के बड़े उद्योगपतियों के बीच किया गया है ? क्या वर्तमान उपजिलाधिकारी द्वारा इस भूमि पर कस्बे के बड़े व्यापारियों को कब्जा दिलाने का प्रयास किया है ? क्या इस नाजायज कब्जे के प्रयास में नगर की शान्ति भंग हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? क्या इस आवंटन में पात्रता की नीति बनायी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और अवैध आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं ।

गौतमबुद्ध नगर दादरी विधान सभा में ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में निर्माणाधीन कम्पनी होंडा सील की भर्ती में स्थानीय युवकों की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नवाब सिंह नागर–

[महोदय जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा में ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में निर्माणरत कम्पनी होण्डा सील कम्पनी की भर्ती में स्थानीय युवकों की भारी उपेक्षा हो रही है, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें भर्ती से बाहर किया जा रहा है जिससे स्थानीय जनता में कम्पनी व शासन के प्रति भारी असंतोष व रोष व्याप्त हो रहा है यदि शासन ने हस्तक्षेप नहीं किया जो स्थिति विस्फोटक होने से बचाना संभव नहीं है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित मत के विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कंधरापुर फीडर तथा बनकट फीडर को अलग सब स्टेशन से जोड़ने तथा सोफीपुर सब स्टेशन की मशीनों को बदलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद–

[महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह सूचित कराना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद के सदर विधान सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत हाफिजपुर सब स्टेशन, ज्यादा लोड होने के कारण प्रायः खराब हो जाता है जिससे इस मौसम में किसानों का कार्य प्रभावित हो जाता है। यह सब स्टेशन इस उद्देश्य से बनाया गया था कि केवल शहर के पास-पास के गांव जोड़े जायेंगे लेकिन वैसा न करके इस सब स्टेशन से फीडर बनकट तथा फीडर कंधरापुर जोड़ दिया गया जिससे लोड बढ़ गया है । इस समय धान की रोपाई चल रही है । कई-कई दिन विद्युत बाधित रहती है जिससे कृषि कार्य में व्यवधान बना रहता है । अतः इन देनों फीडरों को अलग-अलग जोड़ा जाये तथा सब स्टेशन से केवल आस-पास के गांव ही जोड़े जाय । इसी प्रकार सदर आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोफीपुर विद्युत सब स्टेशन बहुत पुराना हो गया है तथा ट्रांसफार्मर जीर्ण अवस्था में हो गये हैं जिससे प्रायः लोड के कारण फाल्ट हो जाता है तथा कृषि कार्य प्रभवित हो जाता है । यह पूरी एरिया पूर्ण रूप से पिछड़ा है अधिकतर लोग केवल खेती पर ही निर्भर हैं । खेती ही सबकी जीविका का साधन है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के लिये कन्धरापुर फीडर तथा बनकट फीडर को अलग सब स्टेशन से जोड़ा जाय तथा सोफीपुर सब स्टेशन की मशीनें अविलम्ब बदली जाय जिससे किसान अपनी खेती सुचारु रूप से कर सकें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद देवरिया के गोरया घाट पर सेतु निर्माण प्रारम्भ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[महोदय आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । दिनांक 27–3–91 को देवरिया जनपद के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित गोरया घाट पर सेतु निर्माण हेतु 103.00 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति शा० सं० 862 ई०/23 लो०नि०अनु०–11–102ई/90 टी०सी० दिनांक 29–3–91 द्वारा की गई थी । यही नहीं इसी शासनादेश के तहत कुल 1138 लाख रुपये की अन्य विकास के कार्यों के लिये भी धन की स्वीकृति हुई थी जिसमें मात्र उक्त हेतु निर्माण कार्य को ही रोक दिया गया है जिससे इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष व असंतोष व्याप्त है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त स्वीकृत धनराशि से गोरया घाट पर सेतु निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ कराने के आदेश देने की कृपा करें ।]

(मा० सदस्य श्री चेतराम का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

जनपद महामाया नगर के सिकन्दराराऊ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अपराधों की रोकथाम करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल सिंह चौहान–

[महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ जिला महामाया नगर जनपद एटा की सीमा से लगा होने के कारण आपराधिक गतिविधियों का केन्द्र बनता जा रहा है । पिछले दिनों सिकन्दराराऊ में डा० झा के यहां डकैती पड़ी, बन्दूक गयी, वीरेन्द्र सिंह ग्राम बभनहार कोतवाली सिकन्दराराऊ में डकैती पड़ी बन्दूक गयी दिनांक 14 जुलाई, 97 को महावीर सिंह ग्राम पोरा में डकैती पड़ी बन्दूक गई, हुसैनपुर के लड़कों का पकड़ आदि ऐसी दर्जनों गम्भीर आपराधिक घटनायें हो रही हैं, जिसे पुलिस रोकने में पूर्णतः विफल है । जनता में भय व आतंक व्याप्त है । दिनांक 3–7–1997 को मा० मुख्य मंत्री के आदेश से कोतवाली प्रभारी एच० एन० आर्या महानिदेशक पुलिस द्वारा अपराध रोकने की विफलता से स्थानान्तरण किया गया, किन्तु आज तक कार्यमुक्त न करने के कारण कोतवाल प्रभारी का कोई अधीनस्थ कर्मचारी आदेश नहीं मानता तथा अपराधियों से मिलकर धन कमाने की नियत से अपराध करा रहे हैं ।

अतः लोक महत्व को ध्यान में रखते हुये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शीघ्र सिकन्दराराऊ क्षेत्र में अपराध रोकने के लिये उक्त कोतवाली प्रभारी को कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें जिससे भय व आतंक समाप्त हो सके ।]

वाराणसी नगर के शहर दक्षिणी में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र वाराणसी नगर के हृदय स्थली है जहां नियमित वासिन्दों के अतिरिक्त लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक भी आते हैं, लेकिन खेद का विषय है कि शहर दक्षिणी में शुकुलधारा उपकेन्द्र से सम्बद्ध क्षेत्रों में आये दिन बिजली आपूर्ति ठप्प हो जाया करती है जो घण्टों चलती रहती है । पूछताछ पर अधिकारी का रटा रटाया जवाब होता है कि उपकेन्द्र में लगे हुये उपकरण अत्यन्त पुराने हैं जिससे आये दिन खराबियां आती रहती हैं । उनका कहना है कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों के बार-बार शिकायत किये जाने के बावजूद वे समस्या के निदान हेतु कोई ध्यान नहीं देता जिससे समस्या दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । यदि लागबुक देखा जाये तो स्पष्ट होगा कि

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शुकुलधारा उपकेन्द्र में स्थित फीडर ही अक्सर खराब होते रहते हैं और उक्त क्षेत्र में ही तार आदि के टूटने की घटनायें भी सबसे अधिक रहती हैं जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में लोगों को इस भीषण गर्मी में घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है, इसके साथ ही कारोबार भी प्रभावित है ।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुये वाराणसी नगर की बिगड़ती जा रही विद्युत व्यवस्था को सुचारु करने हेतु आवश्यक सख्त निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं ।]

(मा० सदस्य श्री अखिलेश कुमार सिंह का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रतीक्षा सूची की दोनों सूचनाओं को लेता हूं ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लगभग 50 लेखाकारों को पदोन्नति/उच्च वेतनमान न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे पासवान–

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लगभग पचास सहायक लेखाकारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिन्हें उनकी करीब 20 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बावजूद अब तक एक भी पदोन्नति या उच्च वेतनमान तक प्राप्त नहीं हुआ जब कि केन्द्रीय कर्मचारियों से संबंधित पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया जाने वाला है । ऐसे में उत्तर प्रदेश द्वितीय वेतन आयोग की मई, 1982 में प्रकाशित अंग्रेजी रिपोर्ट भाग दो के प्रस्तर–33. 12 के निर्देशों को मनमाने तरीके से बदलकर लागू करने तथा वर्ष 1989 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश समता समिति के प्रतिवेदन खण्ड–3 के प्रस्तर 3. 17 में निर्देशित सिद्धान्त को अब तक न लागू करने के कारण समस्त संवर्गीय कर्मी अत्यन्त कष्ट में हैं ।

अतः इस संबंध में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूं ।]

(मा० सदस्य श्री कौकब हमीद का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में मौजूद नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष–

शेष सारी सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 3(X) की सूचनायें अब मैं ले रहा हूं । इसमें सबसे पहली सूचना डा० अम्मार रिजवी की है ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 का आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न संवैधानिक संकट के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, 22 जुलाई, 1997 को 12.20 बजे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में वित्तीय वर्ष 1997–98 का आय-व्ययक, बजट प्रस्तुत किया गया । मान्यवर, बजट प्रस्तुत करने से पूरे प्रदेश में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । आय-व्ययक प्रस्तुतीकरण से संविधान के अनुच्छेद 202, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में आय-व्ययक संबंधी अनेक वित्तीय नियमों की संरचना हुई है, जिनकी अवहेलना हुई है । इसके साथ ही आय-व्ययक संबंधी संसदीय परम्पराओं का भी हनन हुआ है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आप सभी लोग इस बात से जानकारी रखते हैं कि भारत के संविधान में पूरे प्रजातांत्रिक ढाचे का एक स्वरूप और प्रारूप है ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जब कल बजट प्रस्तुत हो रहा था उस समय नेता विरोधी दल ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसे आज माननीय सदस्य उठा रहे हैं । मान्यवर, जब कल इस संबंध में आपकी व्यवस्था आ गई थी तो क्या उसके बाद भी इसको उठाना उचित होगा ?

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आज संदर्भ बदला हुआ है क्योंकि कल जो नेता विरोधी दल ने कदम उठाया था वह अलग बात थी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ऊपर और नीचे का तजुर्बा है । तो कुछ मैं उन्हीं के मतलब की बात कह रहा हूं टाइम बढ़ाने की । लेकिन उनका मतलब है यह कान्टीन्यूटी ब्रेक हो जाय, 6 महीने ब्रेक हो जाय जिससे उनको ज्यादा फायदा हो । इसीलिये सारी दुनिया में हमारा कान्स्टीट्यूशन अच्छा है, रिटेन और अनरिटेन, फिलेक्सेबुल और रिजिड भी है । मान्यवर, आप जानते हैं अनुच्छेद 202 जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं ।

राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवावेगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है ।

यह विवरण उन सभी खर्चों का जो सारे वर्ष में होने हैं उनका विवरण होता है । यह सरकार की जो नीतियां होती उनका विवरण होता है जिनका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में होता है । मान्यवर, 202 के आगे भी देखें तो कहा गया है कि राज्यपाल की उपलब्धियां सरकार की उपलब्धियां क्या होंगी, इसका जिक्र है । इस प्रकार उसके अंदर सरकार की नीतियां आती हैं ।

मान्यवर, अनु० 172 में देखें तो प्रत्येक विधान सभा और लोकसभा का समय पांच साल निर्धारित किया गया है । इस प्रकार आप एक निश्चित समय के लिये बजट बना सकते हैं और बजट का पारण कर सकते हैं । यहां भी यह बात है कि राज्यपाल उस साल की सिफारिशें और उस सरकार की नीतियों का विवरण बजट में देंगे । इस प्रकार सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं और बजट में दिये गये विवरण के अनुसार खर्च होने जा रहा है जिस पर आज चर्चा हो रही है जो बजट में रिफलेक्ट होता है । मान्यवर, संवैधानिक संकट यह आ गया है कि सरकार को जाने में अब केवल एक महीना 29 दिन बचे हैं । इसके बाद सरकार जा रही है और मान्यवर, आप भी जा रहे हैं ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये ।)

जब नई सरकार आयेगी, मान्यवर, जो कल होना है वह आज हो गया और इधर कुर्सी का परिवर्तन भी हो गया है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दिनांक 25 अप्रैल, 1997 की ओर जब माननीय मुख्य मंत्री जी का अल्प संशोधित बयान यहां पर हुआ । उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी या दलित समाज के हितों की बराबर रक्षा होती रहेगी तो हम अगले 6 माह के लिये जो हमारा कमेटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनाने का मौका देंगे । यह कमेटमेंट माननीय मुख्य मंत्री का फ्लोर आफ दि हाउस पर भी है । मान्यवर, यह जो सरकार बनी है, वह कमेटमेंट के तहत बनी है कि 6 महीने तक यह सरकार चलेगी । जहां तक वित्तीय संकट की बात है, वह यह है कि जो नीतियां इस सरकार की हैं क्या वह आने वाली सरकार चलायेगी या एक महीने 29 दिन के बाद जब सत्ता परिवर्तन होगी, तब नई सरकार बनेगी, पुरानी सरकार नहीं रहेगी, नया निमंत्रण पत्र आयेगा, नये मंत्रिमंडल का गठन होगा, चाहे पुरानी शराब हो लेकिन नई बोतलें जरूर होंगी । कुल मिलाकर सारी चीजें नई होंगी । मान्यवर, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, ऐसी परिस्थितियां पहले भी आई हैं । वर्ष 1958 में जब विधान सभा का समय समाप्त हो

रहा था, उस समय हफीज मोहम्मद इब्राहीम साहब यहां के वित्त मंत्री थे, जो कुछ उन्होंने कहा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, मैं उसे आपके सामने सदन के सामने रखना चाहूंगा। उस समय इसी तरह की स्थित थी, जिस तरह की आज है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अभी आम चुनाव समाप्त हुये हैं और कुछ दिनों के बाद नये लेजिस्लेचर की मीटिंग होगी, इस दरम्यान में नई गवर्नमेण्ट बन जायेगी, इसलिये इस सरकार के लिये नई नीति बनाकर नये खर्चों की मन्जूरी करना उचित नहीं होगा, यह बात 57–58 का बजट पेश करते वक्त उन्होंने कही, दिनांक 25 मार्च को आगे चलकर उन्होंने एक बात और कही कि इस बजट में नये खर्चे नहीं रखे गये हैं, नई सरकार उचित समझे तो आगे कर सकती है, इसेमें कोई खास बात नहीं है जो बयान करने के काबिल हो। इसके तफसील में जाने की जरूरत भी नहीं है, इसलिये इस समय ब्योरेवार तखमीना तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ वार्षिक वित्तीय ब्योरे बना दिये गये हैं, जिसमें खास सूचनायें दी गई हैं जिनकी इस मौके पर जरूरत है। मान्यवर, उस समय कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री ने यह बातें कहीं कि नई सरकार आने वाली है, यह उसका उत्तरदायित्व होगा कि कैसा बजट बने। मान्यवर, यहां पर बी० जे० पी० का नेतृत्व भी मौजूद है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें, चर्चा न करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह एकेडमिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राह्यता पर विचार रख रहे हैं, इससे सबका ज्ञानार्जन हो रहा है। इन्हें बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता–

केवल ग्राह्यता के संदर्भ में ही बोलें।

श्री प्रमोद कुमार–

इस पर निर्णय तो आप बाद में लेंगे, लेकिन इस वक्त इसके एकेडमिक महत्व को कम न करें।

डा० अम्मार रिजवी–

तो मान्यवर, 140 मिलियन लोगों के सामने यहां के नेतृत्व का यह कमेटमेंट दें .....

मान्यवर, पहला कमेटमेंट यह है कि 31 मार्च तक बी०जे०पी० कमेटमेंट दे कि सत्ता बी०एस०पी० के पास रहेगी, अभी मैंने सुना था कि 3 महीने के लिये कुछ बढ़ा रहे हैं तो मैंने सोचा कि 6+3=9 महीने में कुछ रिजल्ट आयेगा लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 6 महीने ही है तो यह जो सीजेरियन आपरेशन होने जा रहा है यह नहीं होना चाहिये। यह जनता के साथ धोखेबाजी की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियम 300 के अन्तर्गत केवल ग्राह्यता पर ही बोलें।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, बी०जे०पी० यह कमेटमेंट दे कि 31 मार्च, 1998 तक बी० जे० पी०–बी०एस०पी० का साथ देगी तभी यह बजट पारित किया जा सकता है पहली बात तो यह है और दूसरी बात यह है कि या तो बी०जे०पी० का नेतृत्व यह कमेटमेंट दे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं 5 बार संसदीय कार्यमंत्री रहा हूं, मैं सबको बड़े धैर्य से सुनता था । मुझे माननीय अध्यक्ष ने समय दिया है आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो अनुभवी और बहुत पुराने सदस्य हैं और कई बार संसदीय कार्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं । मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि केवल ग्राह्यता पर बोलें ।

डा० अम्मार रिजवी–

यह सदन में मैं जो कुछ सुन रहा हूं वह पूरा सदन ही नहीं सुन रहा है बल्कि पूरी जनता में भी वह बात जा रही है । मान्यवर, वह यह कमेटमेण्ट दें कि जो बी० एस० पी० की नीतियां हैं, चाहे अम्बेदकर पार्क से संबंधित हो या किसी से संबंधित हों जो कुछ भी बी० एस० पी० की नीतियां हैं, वह सरकार मानेगी, तभी यह बजट पास किया जा सकता है नहीं तो नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, आज वित्तीय संकट इस प्रदेश के सामने है । यह बजट वह सरकार पास कराने जा रही है जो मात्र एक माह 29 दिन की मेहमान है । मान्यवर, क्या कमेटमेण्ट है कि जो सरकार आयेगी वह यही नीतियां चलायेगी । मैं चाहूंगा कि यह कमेटमेण्ट जो बी० जे० पी० का नेतृत्व बैठा है वह दे ।

मान्यवर, तीसरा कमेटमेण्ट माननीय संसदीय कार्यमंत्री दें कि अगर यह बजट पारित हो जाता है जो खर्च के लिए मंजूर किया गया है 31 मार्च, 1998 तक के लिए उसे 1 माह 29 दिन के अन्दर खर्च नहीं किया जा सकेगा । यह तीन कमेटमेण्ट हैं इसमें कोई न कोई कमेटमेण्ट इस सदन में आना चाहिए तभी इसका औचित्य है वर्ना कांस्टीट्यूशन अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत, संवैधानिक परम्पराओं के अन्तर्गत यह बजट पारित नहीं हो सकता ।

मान्यवर, दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज 5 बजे का समय घटा दिया गया और यह समय जो चर्चा का रखा गया है, आप पूरा पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी 5 दिन से कम चर्चा नहीं हुई है तो यह क्यों कम समय दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप फिर औचित्य के प्रश्न से हट रहे हैं, आपने पर्याप्त समय ले लिया है ।

(व्यवधान)

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उक्त आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के आय-व्ययक संबंधी अनेक वित्तीय नियमों की संरचना हुई है, के प्राविधानों एवं मंतव्य की अवहेलना तो हुई ही है, साथ ही आय-व्ययक संबंधी सुस्थापित संसदीय परम्पराओं का भी हनन हुआ है । मान्यवर, आप सूचना को पढ़ लीजिये यह कौन सी ऐसी परम्परायें हैं जो हाऊस में अभी तक मानी गई हैं । सारी डेमोक्रेसी ट्रेडीशन पर चली है, परम्पराओं पर चलती है मदर आफ पार्लियामेंट कहा जाता है हाऊस आफ कामन्स को । मान्यवर, यहां सारी परम्परायें एक तरफ कर दी गयी हैं, टाईम बदल दिया गया, समय कम कर दिया गया है । सदन के लोग देखते रहे । यह प्रजातंत्र के ऊपर वार है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं आप जानते हैं कि इस कुर्सी की अहमियत क्या है यह कुर्सी कहां से आई है, इस कुर्सी पर बैठने वाले कौन लोग थे ये वे लोग थे टामसन और सर थामस जिनका सर काट दिया गया साफ बात करने पर ।

मान्यवर, आप साफ बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं अपनी आत्मा की आवाज सुनकर इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में मंजूर करायें । सरकार या तो बजट को वापस ले या बी० जे० पी० का नेतृत्व यह कमेटमेंट दे कि इनकी पालिसी को मानेंगे या 31 मार्च तक इस सरकार को चलने देंगे ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह जोड़ना चाहता हूं कि परम्परा रही है कि जब नई सरकार गठित होती है तो महामहिम का अभिभाषण दोबारा होता है । अगर किसी परम्परा का पालन हुआ तो इस सरकार के बदलने के बाद महामहिम को विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को सम्बोधित करना होगा । जो महामहिम का अभिभाषण होता है वह उस सरकार का दिशा निर्देश होता है और जो दिशा निर्देश होता है उसके कार्यान्वियन के लिये बजट लाया जाता है । जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वह यह है कि मा० मुख्य मंत्री जी ने या तो अपनी पार्टी की बैठक में या किसी पत्रकार सम्मेलन में सरकार बदलने की बात की होती तो हम उसका संज्ञान न लेते । लेकिन जो बात आयी है वह तो सदन की कार्यवाही में है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने बाद अर्थात् अब 1 महीने 29 दिन के बाद सरकार का परिवर्तन होना है तो मान्यवर, इस सरकार को ऐसी स्थिति में यह अधिकार नहीं हो सकता है कि वह पूरा बजट प्रस्तुत करे । अगर कोई बजट वह प्रस्तुत करती है तो उसे एक महीने 29 दिन का ही बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है इससे ज्यादा का नहीं । जो अभी अम्मार साहब ने कहा उसमें दो रास्ते बचते हैं या तो इस बजट को एक महीने 29 दिन के लिये सीमित कर लिया जाय या फिर मायावती सरकार को 31 मार्च तक चलने दिया जाय । यह भी स्पष्ट हो जाय कि नई सरकार गठित होने पर क्या महामहिम का अभिभाषण दुबारा होगा ? अगर होगा तो वह उस सरकार की नीतियों का दिशा निर्देश होगा जो सरकार शपथ ग्रहण करेगी तो उसमें पुरानी सरकार का बजट कैसे लागू करेंगे ?

अब बजट प्रस्तुत हो गया है चलिये उसको रहने दीजिये लेकिन जो चर्चा कराइये वह एक महीने 29 दिन के बजट की कराइये । या फिर कमेटमेंट आ जाये कि यह सरकार 31 मार्च तक रहेगी तो हमें इस बजट पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी । वरना इस सरकार को पूरे वर्ष का बजट पास करने का अधिकार नहीं है । मान्यवर, इस बजट का डेफिसिट है उसको पूरा करने का इस सरकार ने संकल्प नहीं लिया है ये सरकार जानती है कि डेढ़ महीने बाद उसका काम पूरा हो जायेगा और घाटे का बोझा दूसरे के सिर पर होगा ।

मान्यवर, इसमें आप नियमों और परम्पराओं का ध्यान तो रखें ही व्यवहारिकता को भी देखें । बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसमें पांच साल के लिये चुनाव का प्राविधान रखा वे चाहते तो 6 साल 4 साल के लिये भी रख सकते थे । इसी तरह से जब बजट ईयर बनाया गया तो उसमें भी एक वर्ष के लिये बनाया एक अप्रैल से 31 मार्च, उसमें 6 महीने 9 महीने का बनाया जा सकता था । इस तरह से इन दोनों प्राविधानों की इस समय हत्या हो रही है । एक तरफ तो बाबा साहब की बातों को कह रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं । मान्यवर, जैसे गठबन्धन है, महाराष्ट्र में इनके गठबंधन ने दलितों के ऊपर गोलियां चलवा दी जो बाबा साहब की बात कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता–

आप पर्याप्त कह चुके हैं, अब कृपया बैठें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, डा० अम्मार रिजवी तथा दूसरे माननीय सदस्य जब यह शंका जाहिर करते हैं कि 6 महीने का समय बढ़ाकर 9 महीने हो रहा है तो पेट में जो समय से पहले इनके दर्द हो रहा है, वह अच्छी बात नहीं है । दर्द तो समय पर ही होना चाहिये । ग्राह्यता के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब लोकसभा ने 30 सितम्बर तक का अनुपूरक बजट पास किया है तो उससे पहले ही यह बजट प्रस्तुत करने का औचित्य क्या है ?

(भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री भरत सिंह–

[x x x]

व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय अधिष्ठाता जी ने बोलने के अनुमति दी थी परन्तु बीच में श्री शिव प्रताप शुक्ला जी खड़े हो गये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें । मैं चाहता हूं कि सारे सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले । माननीय डा० अम्मार रिजवी ने एक सूचना दी थी । जो सूचना मेरे पास है उसमें डा० रिजवी के हस्ताक्षर हैं । सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि यह सूचना किसी एक विशेष नियम में है । यदि एक माननीय सदस्य को सुन लिया गया तो जरूरी नहीं सभी माननीय सदस्यों को उसमें सुना जाये । कहीं न कहीं तो कार्यवाही का विनियमन होना है । यदि कोई बात छूट जाती है तो अध्यक्ष पीठ पर या मैं रहता हूं या हमारे अधिष्ठाता रहते हैं यह प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य बिन्दु पर सुन लें । लेकिन मुझे यहां पर दृश्य कुछ दूसरा ही दिखाई पड़ रहा है । कुछ माननीय सदस्य हर प्रश्न पर बोलने की इच्छा करते हैं । मैं यह चाहूंगा कि वे अपने हर प्रश्न पर बोलने की उत्कंठा को दबायें । वे हमारा सहयोग करें दूसरी बात यह है कि और भी माननीय सदस्यों की सूचनायें होती हैं इससे उनके बोलने का अधिकार प्रभावित होता है और उन्हें समय भी कम मिल पाता है । अगर आपको इस अध्यक्ष पीठ पर विश्वास है तो कृपया शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही संचालित होने दें । यही मेरा आपसे निवेदन है ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, अभी हमारे डा० अम्मार रिजवी साहब ने एक प्रश्न उठाया औचित्य का । वे हमारे पुराने मित्र हैं । उन्होंने कहा कि इस सरकार का कार्यकाल बड़ा सीमित है और उन्होंने माननीय नेता सदन के वक्तव्य का उल्लेख भी यहां पर किया । मैं माननीय रिजवी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने उस वक्तव्य को पूरा पढ़ तो लिया होता । उसमें उन्होंने यह कहा है कि यह सरकार ब०स०पा० और भा०ज०पा के गठबन्धन की सरकार है । यह कमेटमेंट उन्होंने किया है । यह बजट पूरी सरकार का बजट है किसी एक व्यक्ति का

[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट नहीं है । मैं उन्हें यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह ब०स०पा० और भा०ज०पा० के गठबन्धन की सरकार चलेगी और यह सरकार चल रही है और मजबूती से चलेगी । मान्यवर, माननीय डा० रिजवी ने संवैधानिक वित्तीय संकट के बारे में कहा । मान्यवर, दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि बजट तो पास हो गया और सरकार चली गई । तो क्या वह बजट अवैध हो गया ? आप भी सरकार में रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं । आपको मालूम ही होगा । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बजट पेश किया था और सरकार चली गई थी, बहुगुणा जी ने जब बजट पेश किया था तो उसके बाद सरकार चली गई थी । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बजट आया है यह ब०स०पा० और भा०ज०पा० गठबन्धन सरकार का है । यह सरकार चलेगी और आगे भी चलेगी इसलिये औचित्य का कोई सवाल इसमें नहीं होता है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं । यह बात अलग है कि वह वहां पर बैठे हैं लेकिन दिल से हमारे साथ हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह बात कर रहे हैं कि यह सरकार रहेगी, सौभाग्य से माननीय कल्याण सिंह जी भी इस समय सदन में उपस्थित हैं वह यह कह दें कि यह सरकार रहेगी जो नीतियां हैं वह यही रहेंगी तो हम मान जायेंगे । दूसरी बात यह है कि जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो भारत के संविधान के अनुरूप बगैर किसी राज्यपाल के इन्विटेशन के बगैर किसी समारोह के होगा ।[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । मैंने डा० रिजवी जी के तर्क को नियम 300 की सूचना के बारे में सुना । डा० रिजवी ने संविधान के कुछ अनुच्छेदों का विवरण भी दिया और भविष्य में कौन सरकार आयेगी और कौन नहीं आयेगी, किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी इसका भी उल्लेख किया । मैं नियम 300 के अन्तर्गत दी गई सूचना से संबंधित हूं । कब किस दल की सरकार होगी, तब बैठक होगी, तीन महीने बाद क्या होगा, और दो महीने बाद क्या होगा आदि बातें अभी असंगत हैं जब अगर दूसरी सरकार होगी तो उसके क्रिया कलापों पर विचार होगा । जो सूचना दी गई है, नियम 300 के अन्तर्गत, उसमें काल्पनिक बातें कहीं गई हैं, इसलिये भी मैं इसको निरस्त करता हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् मैं माननीय सदस्यों के अधिकारों की बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

सदस्यों का अधिकार है कि प्रमोद कुमार जी को आप बोलने दें, उनका अधिकार है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं अपने बोलने का अधिकार इनको ट्रांसफर करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप किस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ? माननीय तिवारी जी और पाल जी की सूचना पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मेरे भी इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं ।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप इसी सूचना पर बोल रहे हैं ? आप स्पष्ट कर दें जो नियम 300 की सूचना के स्वीकार होने के लिये अनिवार्य शर्तें हैं, वह उनको पूरी करती है ?

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आप ग्राह्यता पर सुन तो लें ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किये जाने के बारे में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सभी सदस्यों के अधिकारों की बात है । इस विधान सभा का गठन हुआ है और प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि जब वह जीत कर आयेगा, तो अपने क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करेगा और अपने क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचायेगा । विधान सभा में जो बजट पास होता है, वह क्षेत्रों में जब लगाया जाता है तो उस कार्य का उद्घाटन, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, सी०डी०ओ० और यहां तक बी०डी०ओ० करता है । यह अधिकार वह अपने आप में समझ बैठे हैं । यहां कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसके क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा हो । इसको रोकने के लिए प्रोटोकाल विभाग से समय-समय पर तमाम जी० ओ० भेजे गये और लेटेस्ट जी० ओ० दो साल पहले भेजा गया । प्रदेश के किसी भी विधान सभा क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनके उद्घाटन की जानकारी तक सदस्य को नहीं होती । आज अधिकारी उस जी०ओ० को क्यों नहीं मान रहे हैं उसका कारण है वह इसलिये कि जब माननीय मुख्य मंत्री उद्घाटन के लिये कहीं जाती हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री का नाम यदि उसमें है तो जब तक उसमें वह मिटवा नहीं दिया जाता है तब तक वह उद्घाटन नहीं करती है तो इसी मारे अधिकारी निरंकुश हो गये हैं । यहां तक कि जहां अधिकारी नहीं होंगे तो वहां उनकी पत्नी का नाम आना शुरू कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह किन नियम में आता है, सुसंगत बात कहें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जो विधान सभा सदस्यों का मूल अधिकार है उसका हनन नौकरशाही कर रही है और हम यहां पर बैठ कर देख रहे हैं । इस पीठ से हमें संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा ? मुझे विश्वास है कि आप आवश्यक निर्देश देंगे और माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेंगे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की है मैं आपके आदेश तक ही सीमित रहूंगा मैं आपका ध्यान उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 58 में औचित्य के प्रश्न से संबंधित नियम 300 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और संविधान के अनुच्छेद 164 (2) में भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो भी मंत्रि-परिषद् होगी वह सामूहिक रूप से सदन के प्रति जिम्मेदार होगी । प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष रूप से सदन के गठन में जनप्रतिनिधि आते हैं । उन्हीं के द्वारा इस सदन का गठन होता है और सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है वह भी इसी सदन द्वारा प्रदत्त है और अगर उनमें कोई अतिक्रमण होता है तो वह औचित्य के प्रश्न में आता है ।

आज जो प्रश्न यहां पर उपस्थित है वह विधान सभा के क्षेत्र में आता है । जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं उसके क्षेत्र में जो विकास कार्य होते हैं चाहे वह सड़कों के निर्माण का कार्य हो, या प्राइमरी स्कूलों के निर्माण का कार्य हो या विधवा पेंशन वितरण का कार्य हो या और कोई प्रगति के काम हों उनके प्रति वह जवाबदेह होता है । आज उन अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये समय-समय पर आदेश भी दिये गये हैं ताकि शासनादेश का उल्लंघन न हो। आज इस प्रकार के समारोहों का उद्घाटन जिलाधिकारी, परगनाधिकारी या अन्य अधिकारी कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को उसकी सूचना तक नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में शासनादेश का उल्लेख नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

बार-बार यह बात सदन में आती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पर्याप्त बात आ गई है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जब से यह सदन चल रहा है उधर सरकारी बैठकें हो रही हैं। यह औचित्य का प्रश्न बनता है इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर) आपने अपना अधिकार इनको दे दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पीठ से लगातार बात हो रही है अगर हस्ताक्षर हैं तो फिर अधिकार देने और लेने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नोटिस है, इतना स्मरण रखियेगा कि भविष्य में किसी सूचना पर यदि आपके हस्ताक्षर नहीं है तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों की सूचना पर आपको कभी-कभी अवसर दे देता हूं पर यह अधिकार नहीं है मैं इसलिये कहता हूं ताकि सदन को जानकारी हो जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमने अपना अधिकार ट्रांसफर किया था आपका नहीं। मैं आपके अधिकार की बात कर रहा हूं। मान्यवर, जो बात उभर कर आयी, आप कार्यवाही निकाल कर देख लें, जो आपने निर्देशित किया है, आपकी पीठ ने निर्देशित किया है कि जो शिलान्यास होगें, उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे उनको जन-प्रतिनिधि करेंगे अधिकारी नहीं कर सकते हैं। आपने इस बात को कहा और आपके निर्देशों को शासन ने मान लिया और शासनादेश जारी हो गया लेकिन शासनादेश जारी होने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिये यह प्रश्न उठाया है। हम आपके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं लेकिन आप अपने अधिकारों की रक्षा न करना चाहें तो और बात है।

श्री अध्यक्ष–

यद्यपि माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय तिवारी जी और माननीय जगदम्बिका पाल की यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है और इसको अस्वीकार किया जाता है फिर भी चूंकि शासन ने इस बात के समय-समय पर आदेश दिये हैं जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी व्यक्त किया है, उस संबंध में मैं अपेक्षा करता हूं कि शासन उन शासनादेशों के अन्दर जो भावना निहित है उसका पालन करने की दृष्टि से आवश्यक निर्देश देगा।

प्रदेश के जिलों में नियोजन के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि में से 10 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय सुरक्षित किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

* श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदन के सभी सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि जिला प्लान का जो पैसा प्रदेश सरकार जिलों के लिये देती है श्रीमन् उसका 10 प्रतिशत अंश टेलीफोन, वाहन खरीदने के लिये, डीजल आदि और तनख्वाह आदि के लिये इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर काट दिया जाता है। तो श्रीमन्, यह जो प्रतिबद्ध व्यय है यह प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है। जैसे-जैसे मंहगाई बढ़ती है टेलीफोन, तनख्वाहें और डीजल आदि के दाम बढ़ते चले जाते हैं और यह सारा पैसा जिला प्लान से काटा जाता है जिसका असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। यह सारे माननीय सदस्यों के हृदय की पीड़ा है। यह जो प्रतिबद्ध व्यय काटने की नीति है यह खत्म होनी चाहिये। श्रीमन् यह नीतिगत प्रश्न है, जिला प्लान निरंतर घटता चला जा रहा है और प्रतिबद्ध व्यय अनुमान से अधिक होते चले जा रहे हैं जसके कारण ढाई प्रतिशत रूपया पहुंच पाता है और रूपयों का एक बड़ा भाग प्रतिबद्ध व्यय में कट जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रतिबद्ध व्यय को जिला प्लान से काटने की नीति को बन्द किया जाय। इस संबंध में सरकार को आप निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिसमें सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होता है। यह जो प्रश्न उठाया गया है उससे सदन का कोई ऐसा कार्य न विनियमित हो रहा है और यह संविधान या नियमावली के अनुच्छेद से संबंधित है। फिर भी यह जो डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत जो खर्च.....

श्री अध्यक्ष–

मतलब यह कि प्रक्रिया नियमावली के नियम–3(4) के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उसमें जो कर्मचारी हैं उनका वेतन उनके ऊपर टेलीफोन का खर्च आदि सब है। तो यह जो 10 प्रतिशत की व्यवस्था है यह पहले से होती चली आ रही है सरकार उसी का अनुपालन कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना 3(4) के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन् आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान का मूल मतलब जिले का विकास है। श्रीमन् उसका जितना बजट का पैसा है वह नहीं मिलता है। प्रदेश सरकार का जो अपना पैसा है वह भी नहीं मिल पाता है। मेरी यह प्रार्थना है कि आपकी जो नई सरकार है गठबंधन की वह इस डिस्ट्रिक्ट प्लान की राशि के बारे में विचार करे जिससे जिले का अच्छी तरह से विकास हो सके। मैं सदन की तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी की यह सूचना नियम–3(4) के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये अस्वीकार की जाती है।

वर्ष 1997–1998 के आय-व्ययक में प्रस्तुत उत्तरांचल के लिए 677 करोड़ और पूर्वांचल विकास निधि में 93 करोड़ का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

उसमें बजट कैसे पास किया जाता है। अपनी बात कहें

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, उस व्यवस्था के मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल आय-व्ययक सदन के अन्दर प्रस्तुत किया। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण के पृष्ठ सं०–10 पर इस बात का उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखण्ड तथा उत्तरांचल के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करके संतुलित विकास के लिये पूरे प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 97–98 में पूर्वांचल विकास निधि में 92 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में उत्तरांचल के विकास के लिये 677 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद–14 में जहां सबको समानता का अधिकार दिया गया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट इस सदन के समक्ष रखा है। उस बजट को सदन में प्रस्तुत हो जाने के बाद वह सदन की सम्पत्ति हो गया है। यदि यह सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि भारत के संविधान में प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन होगा। जो वित्तीय विवरण किया गया है वह गैर बराबरी, असमानता और क्षेत्रीय विषमता को बढ़ाने वाला है। भारत के संविधान में इक्वैलिटी बिफोर ला का अधिकार सबको प्राप्त है। मेरा यह निवेदन है अभी इस बात की गुंजाइश है, इस पर गम्भीरता से विचार करें। पूर्वांचल जहां 25 जनपद हैं। जहां की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है, वहां के लिए मात्र 92 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है, यह पूर्वांचल की घोर उपेक्षा है।

श्री अध्यक्ष–

जब बजट पर चर्चा होगी तब कह लीजियेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

उत्तरांचल के विकास के लिये जहां 8 जनपद हैं 59 लाख आबादी है 677 करोड़ रुपये का इन्तजाम किया गया है। पूर्वांचल के मात्र 92 करोड़ रुपये का जो प्राविधान किया गया है यह क्षेत्रीय विषमता को और बढ़ायेगा। यह आय व्ययक विवरण पूर्वांचल का अपमान है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आप सरकार को निर्देशित करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रदेश की आबादी में 38 प्रतिशत भागीदारी है इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा परिव्यय का 38 प्रतिशत पूर्वांचल के विकास के लिए व्यय किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य द्वारा जो सूचना में विषय उठाया गया है

(व्यवधान)

सामान्य बजट की चर्चा के दौरान यह प्रकरण उठाया जा सकता है। यह नियम 340 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

समरपाल सिंह जी, आपने तो समाचार पत्र के आधार पर सूचना दी है।

"मंत्री सरकार और विधायिका सबसे ऊपर राय सिंह" के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री समरपाल सिंह–

यह मेरी निजी जानकारी के आधार पर सूचना है । मान्यवर, जो हमारा संविधान है उसकी जो मूलभावना है लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें है सभी अंगों में समानता रहे और एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न हो लेकिन मान्यवर, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है । संवैधानिक संकट देश के सामने उत्पन्न हो गया है । मान्यवर, भारत के संविधान 164(2) को देखने का कष्ट करें इसमें लिखा है :–

164(2) दि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स शैल वी कलेक्टिव रिस्पांसिबिल फार दि लेजस्लेटिव एसेम्बली आफ दि स्टेट ।

श्री अध्यक्ष–

हिन्दी में बोलें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जो मंत्रिमण्डल है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है हम प्रश्न पूछते हैं हम विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, ज्वलन्त समस्याओं पर चर्चा करते हैं । मंत्री जी जबाव देते हैं यह उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकन यदि इन अधिकारियों का उपयोग दूसरा करेगा तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा । संविधान के अनुच्छेद 166(3) में यह साफ-साफ लिखा है कि कोई भी विभागीय मंत्री होगा वह अपने विभाग के लिए मूल रूप से जिम्मेदार होगा । सचिव के बारे में नहीं है, सचिव के बारे में लिखा है–

166 कन्डक्ट आफ बिजनेस आफ दि गवर्नमेण्ट आफ स्टेट (3)

अन्डर दि कान्स्टीट्यूशन एण्ड दि रूल्स फार्म्ड देअर अण्डर ए मिनिस्टर इन चार्ज आफ ए डिपार्टमेन्ट इज प्राइमरिली रिस्पांसिबिल फार दि डिस्पोजल आफ दि बिजनेस परटेनिंग टू दैट डिपार्टमेन्ट बट दि अल्टीमेट रिस्पांसबिलिटी फार दि एडवाइस इज आन दि इन्टायर मिनिस्ट्री । बट दि पोजीसन आफ दि सेक्रेटरी इज डिफरेन्ट अण्डर दि सेंड रूल्स दि सेक्रेट्री आफ ए डिपार्टमेन्ट इज इट्स हेड दैट इज ही इज ए पार्ट आफ दि डिपार्टमेन्ट देअर इज एन इसेन्सियल डिफरेन्स बिट वीन दि फंक्सन्स आफ ए सेक्रेट्री एण्ड ए मिनिस्टर दि फारमर इज ए पार्ट आफ दि डपार्टमेन्ट एण्ड दि लेटर इज ओनली प्राइमरिली रिस्पांसिबिल फार दि डिस्पोजल आफ दि बिजिनेस परटेनिंग टू दि डिपार्टमेन्ट ।

इसको हिन्दी में बता दूं जो सेक्रेट्री है वह उस विभाग का हेड है, प्रमुख जो मंत्री है । वह उस विभाग के लिए जिम्मेदार है पूरे बिजनेस के लिए, सचिव विभग का हिस्सा है । मंत्री मूल रूप से उसके कार्य के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है । प्रदेश का बजट आउट होने वाला था । पांच दिन पहले हमारे खाद्य रसद विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा कर दी, यह मान्यवर, संवैधानिक संकट नहीं तो और क्या हैं ? अगर मुख्य मंत्री जी सदन आहूत होने के बाद महत्वपूर्ण घोषणा बाहर करती हैं, मंत्री बाहर घोषणा करते हैं तो यह सदन की अवमानना होगी और कोई नौकरशाह अवमानना करे संविधान में दिया गया है कि यह अधिकारों का अतिक्रमण है । यह बहुत ही चिन्तनीय है । ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा जो नीतिगत निर्णय था कि गेहूं ढाई रुपये प्रति किलो हो या 3 रुपए किलो ऐसे निर्णय लेने का अधिकार किसी अधिकारी को नहीं हो सकता है । मंत्री जी असहाय हैं तो मंत्री रहने का औचित्य क्या है, हमारा यहां पर बैठने का औचित्य क्या है तथा हमारा प्रश्न पूछने का औचित्य क्या है ? ऐसे प्रश्न जिस पर मंत्री तक को अधिकार नहीं है उनको सदन को विश्वास में लेकर ऐसा निर्णय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहिए ऐसे निर्णय को एक अधिकारी कर रहा है । मान्यवर, यह एक संवैधानिक संकट है । पूरे प्रदेश की जनता के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । नौकरशाही हावी हो गयी है । राजनीतिज्ञों की इज्जत समाप्त हो गयी है यह मान्यवर, औचित्य का प्रश्न बनता है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आपकी पीठ से अनेकों बार यह निर्णय दिये जा चुके हैं कि अखबारों में सूचना के आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । अखबार की सूचना के आधार पर मैंने प्रश्न नहीं उठाया लेकिन अगर कोई बात मैं कहता हूं उसको अखबार छाप दें तो इसमें क्या दोष है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सरकार अपनी पूरी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है तथा मंत्रीगण अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तथा अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर रहे हैं । जो अधिकारी हैं वह भी अपने अधिकार और कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं । इस तरह का कोई भी तथ्य जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, प्रकाश में नहीं आया । न ही इस तरह की कोई घोषणा किसी भी अधिकारी ने की है । जो भी घोषणा की जायेगी वह सदन की परम्परा और नियमावली के तहत सदन में ही की जायेगी । पहले से स्थापित परम्परा का पालन किया जायेगा स्थापित परम्परा से हटकर अपने अधिकार से परे हटकर कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है । श्री राम औतार शाक्य की सूचना पर कल व्यवस्था आ चुकी है यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अस्वीकृत कर रहे हैं ।

अब अगली सूचना ले रहे हैं ।

हरिद्वार में मद्य निषेध से संबंधित दिनांक 23–4–97 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं अपने औचित्य के प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं । मान्यवर, हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिससे करोड़ों लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं । महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह सम्भव हुआ कि हरिद्वार मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया । मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह बात देखने में आ रही है कि जो यह 13 कि०मी० क्षेत्र मद्य निषिद्ध क्षेत्र था उसकी सीमायें लगातार घटती जा रही हैं । अब यह सीमा केवल 3 कि०मी० रह गई है । अब यह प्रयास हो रहा है कि हरिद्वार जहां पर पवित्र गंगा बह रही है उसके स्थान पर शराब की नदियां बहा दी जायें । वहां पर 12 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने कुम्भ मेले के प्रबन्ध हेतु बैठक की थी वहां लोगों की जनभावनाओं को देखते हुये यह निर्णय लिया था कि हरिद्वार में मद्य निषेध क्षेत्र बढ़ाया जायेगा सूचना जिलाधिकारी हरिद्वार ने शासन को दी थी कि राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आपकी पीठ से दिया गया इस पर निर्णय है कि प्रश्नों के संबंध में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा माननीय सदस्य जिसका जिक्र कर रहे हैं तथा जो आपने नोटिस में लिया है ।

(समय 1 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, 12-2-97 को कुम्भ मेला हरिद्वार के बैठक के बारे में और जिसका उद्धरण है । दिनांक 23-4-97 में इस विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में सुश्री मायावती, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि "प्रश्न नहीं उठता" । चूंकि यह औचित्य का मामला प्रश्न से संबंधित है और आपकी पीठ से यह निर्णय दिया गया है कि प्रश्न के ऊपर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा अपने स्थान से खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इनको सुन लें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, सरकार की तरफ से जो नीति निर्धारित हुई है उसमें यह बताया गया कि ऐसा कोई निश्चय सरकार का नहीं है और सरकार मद्य निषेध क्षेत्रफल को बढ़ाने नहीं जा रही है । संविधान के अनुच्छेद 163 (2) के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो विनिश्चय किया है उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती । राज्यपाल महोदय ने निर्णय हरिद्वार में लिया जिसकी सूचना जिलाधिकारी हरिद्वार ने दी । उस समय राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय बतौर सरकार का निर्णय लिया था, उसके बदलने का क्या औचित्य है, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं ?

(श्री मुन्ना सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने व उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चौहान जी, इसमें अब क्या बचा है मेरे विचार से पूरी बात आ गई है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, चूंकि विषय महत्वपूर्ण है इसलिये थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का विषय है । हरिद्वार जो पौराणिक स्थल है और इस देश की करोड़ों जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है । हरिद्वार के चारों तरफ के क्षेत्र को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित करने को पूर्ववर्ती सरकारों ने जब-जब समय मिला सभी ने मद्य निषेध क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया । जैसा कि आपको भी जानकारी है कि हरिद्वार में कुछ माह बाद ही कुम्भ मेले का आयोजन होना है जिसमें करोड़ों-करोड़ श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था सरकार को करनी है । ऐसी स्थित में जब इस प्रदेश के संवैधानिक मुखिया महामहिम राज्यपाल द्वारा कुम्भ मेले के सिलसिले में बैठक की गई थी उसमें स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लया जा चुका है कि कुम्भ मेला क्षेत्र के चारों तरफ जो मद्य निषेध क्षेत्र है उसका दायरा बढ़ाकर 13 कलोमीटर कर दिया जाये जिससे कुम्भ मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिये अच्छा वातावरण बनाया जा सके । मान्यवर, संविधान के 163(2) में यह उल्लेख है कि यदि महामहिम राज्यपाल महोदय स्वविवेक से निर्णय कर लेते हैं तो उसको बदलने, चुनौती देने का अधिकार नहीं है इस सरकार ने इस निर्णय को बदलने का काम किया तो यह निश्चित तौर पर एक औचित्य का सवाल खड़ा हुआ है, एक संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । ।× ×

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

यह प्रश्नोत्तर से संबंधित है और नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये इसको निरस्त किया जाता है ।

अगली औचित्य का प्रश्न श्री मित्रसेन यादव जी का भी प्रश्नोत्तर से संबंधित है और इसके लिये पीठ से निर्देश दिये गये हैं और तमाम प्राविधान हैं, आप उनके अनुसार कार्यवाही करें तो ज्यादा अच्छा

नोट ।× × × । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रहेगा । आप अपनी सूचना को देखें प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 132 तथा 133 की सुसंगत तथ्यात्मक उत्तर न देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, यह प्रश्न किस विधान सभा में पूछे गये, ग्यारहवीं या बारहवीं और किस दिनांक को पूछे गये इसका उल्लेख नहीं है । मित्रसेन जी मुझे क्षमा करें । यह बहुत ही अपर्याप्त सूचना है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी रह गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न किस सत्र में, किस तिथि को आया था, यह बात सूचना में नहीं दी है । आपसे आग्रह है कि आप दूसरी सूचना नियमानुसार दे दें तो मैं उसे सुन लूंगा । लेकिन यह अपर्याप्त है ।

दि० 29-3-97 को श्री उदय राज यादव स०वि०स० के ऊपर किये गये प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, दिनांक 28/29 मार्च, 1997 को प्रातः ढाई बजे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुलरिहा से वहां के निवासियों द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम से वापस आ रहा था कि रात्रि में गांव से कुछ दूर स्थित उदय राज नगर कालोनी के पास उदयबीर सिंह व आठ-दस उनके साथियों द्वारा मेरे तथा मेरे साथियों पर प्राणघातक हमला कर दिया जिसमें मैं और मेरे 6 साथी घायल हुए । इस संबंध में तीन 3.45 बजे प्रातः रपोर्ट दर्ज की जाती है और मुकदमा पंजीकृत हो जाता है । मान्यवर, उसके ठीक 6 घंटे बाद जो मेरी एफ०आई०आर० में अभियुक्त था उसके भाई द्वारा मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है जो सत्यता से परे है । मान्यवर, मैंने जो एफ०आई०आर० दर्ज कराया था उसकी जांच क्षेत्राधिकारी और परगनाधिकारी ने किया था जो सत्य पायी गई और पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही भी की थी । लेकिन मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट विरोधियों ने लिखाई थी पुलिस ने उसकी जांच किया तो झूठी निकली । इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने शासन को रिपोर्ट भेजा कि यह राजनीतिक मामला है इसलिए दोनों पक्षों का दबाव पड़ सकता है अतः इस संबंध में अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करायी जाय । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जबकि जांच में अधिकारियों ने पाया कि फर्जी रपोर्ट है उसे समाप्त हो जाना चाहिए था । लेकिन सरकार के दबाव में आकर जिले के अधिकारी मेरे खिलाफ और मेरे एक गवाह को मुकदमें में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है । उन्नाव के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की रपोर्ट आई थी कि इस केस की सी०आई०डी० से जांच कराई जाय । तो मेरी मांग है कि इस मामले की सी०आई०डी० से जांच कराई जाये जिससे सही बात सामने आ सके ।

श्री अध्यक्ष–

यद्यपि यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है लेकिन माननीय सदस्य संसदीय कार्यमंत्री से मिल लें तो वह परामर्श कर लेंगे और आपकी शिकायत को दूर कर देंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर नियम 300 में मेरी एक सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नहीं थी लेकन कल आप अपनी सूचना को देंगे ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1997 (दि० 21 अप्रैल, 1997 से 25 अप्रैल, 1997 तक) नियम 301 के अंन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी०आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी कये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (दशम संस्करण) के निदेश 14(3) के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र, 1997 दिनांक

21 अप्रैल, 1997 से दिनांक 25 अप्रैल, 1997 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 22 जुलाई, 1997 में सदन के दिनांक 23 जुलाई, 1997 से दिनांक 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप से लिये जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 1997	
23 बुधवार	असरकारी दिवस (आधा दिन दिनांक 8-8-97 के स्थान पर)
24 गुरूवार	(1) निम्नलिखत विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण– (क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घन्टा)। (ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घन्टा)।
25 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी।
28 सोमवार 29 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा
30 बुधवार 31 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उसका पारण।
अगस्त, 1997	
1 शुक्रवार	1) वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2) 5.00 बजे अपराह्न
2 शनिवार	विधायी कार्य। 1) वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2) नियम–103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घंटे की चर्चा :– " इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाये और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा की नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

(4) 5.00 बजे अपराह्न

	विधायी कार्य ।
3 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
4 सोमवार 5 मंगलवार 6 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
7 गुरुवार 8 शुक्रवार 9 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
10 रविवार 11 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
12 मंगलवार	(1) वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी०आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इसको पुरःस्थापित करवाने से पहले मेरी बात सुन लें । यह जो विधेयक है, इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का कभी भी सामान फेंका जा सकता है । वर्तमान में तो हम कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते है, लेकिन इसके अन्तर्गत इस तरह की कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी ।

श्री अध्यक्ष–

जब विचार और पारण होगा, तब कहियेगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जब इनके ऊपर बीतेगी, तब समझ में आयेगा । कि अपने ही ऊपर कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं । यह मामला आपके कृपापूर्वक संज्ञान में है । आज कुछ लोग मंत्री हैं, कल कुछ और होंगे, यह अधिकार के हनन का मामला है । पहले भी इसके संबंध में व्यवस्था हुई है और एक्ट भी बना हुआ है । और वह पर्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो कैवल सदन की अनुज्ञा मांगी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक1997 †

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997†

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (बी०आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

† दिनांक 27 अगस्त, 1997 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किए जाने का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैं अवगत कराना चाहूंगा कि नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित करके, नियम 56 की प्रक्रिया के अनुसार इन सूचनाओं के संबंध में निर्णय किया गया है जैसा आप सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि शलाका निकलती है । शलाका में जो भी सूचना आती है उसमें से प्रथम 5 पर ग्राह्यता पर सुनते हैं और शेष 5 पर ध्यानाकर्षण कर देते हैं । यह नियमानुसार निकलता है । अगर कोई माननीय सदस्य उपस्थित होते है तो वह स्वयं शलाका निकाल देते हैं । शलाका में जो सूचनाएं आई हैं इसमें से एक पहली को छोड़कर शेष जो नियम 311 की नियम 56 में चूंकि परिवर्तित है कुंवर रेवती रमण सिंह जी और गौरी जी की थी वह और इसके अतिरिक्त जो शेष सूचनाएं आई हैं, वह शलाका के आधार पर ही चयनित हुई हैं । हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों की सूचना शलाका में न आ पाई हो लेकिन हम सब तो नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो सदन की कार्यवाही है उसको चलाने में सहायता दे । बहुत सी सूचनाएं नहीं आती है तो उन्हें अगले दिन दे दें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी और श्री गौरी शंकर जी की सम्पूर्ण प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति के संबंध में । इस सूचना के साथ साथ इसी विषय पर एक सूचना है श्री राम आसरे पासवान की श्री अम्मार रिजवी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री सतीश शर्मा की, दूसरी सूचना माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश में भूगर्भ जलस्तर के निरन्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना माननीय श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री ओम प्रकाश, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और श्री राम वीर सिंह की प्रदेश के वेतन न मिलने से आन्दोलनरत् स्थानीय निकाय सफाई कर्मियों के ऊपर विधान भवन सामने हुए लाठी चार्ज संबंध में और इसी विषय पर श्री स्वामी ओइमवेश जी की भी सूचना है, चौथी सूचना श्री राजधरी जी की जनपद बलिया में ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में फर्जी कार्यों पर भुगतान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवी सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की प्रदेश में संवैधानिक प्रक्रिया के विपरीत बिना विधायी स्वीकृतियों के राज्य आकस्मिकता निधि से पैसा निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठीं सूचना माननीय श्री वीरेन्द्र सिंह और श्री विवेक कुमार सिंह की वाराणसी जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा थाना सारनाथ की पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सातवीं सूचना माननीय श्री धनी राम वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, श्री शिव पाल सिंह यादव और डा० बकार अहमद शाह की प्रदेश में कथित रूप से राजनैतिक विद्वैषवश तथा बदले की भावना से पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रही समाजवादी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के संबंध में तथा आठवीं श्री जोखू लाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ना नदी के जलप्लावन से फसलों को हो रही क्षति से बचाने के संबंध में ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के द्वारा इस सरकार पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है हर तरह की विफलता की कहानी का नाम यह सरकार

है । मान्यवर, आज आम आदमी के जनजीवन से इस प्रदेश के जनजीवन से बिजली सीधे सीधे जुड़ी हुई है और आज मान्यवर, बिजली की स्थिति ऐसी हो गयी है अघोषित कटौती । मान्यवर, पूरे प्रदेश में कई कई घंटे की अघोषित कटौती हो रही है । चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे कृषि या जनजीवन का क्षेत्र हो कब बिजली जायेगी इसकी कोई गारंटी नहीं हैं । बिजली विभाग का मान्यवर, कोई यहां नहीं है स्वयं मुख्य मंत्री इस विभाग को संभाल रही है । महीने में एक घंटा कभी विभाग को रिव्यू कर लिया तो उससे हालत् सुधरने वाली नहीं है । प्रदेश में कई सौ मिलियन यूनिट बिजली की कमी है । आठवीं योजना में थर्मल पावर स्टेशन कोई नहीं लगा नवीं योजना में भी कोई प्रस्तावित नहीं है इस तरह से आने वाले दिनों में इस प्रदेश में घोर संकट बिजली का आने वाला है । लखनऊ में वी०आई०पी० क्षेत्र को छोड़कर पुराने लखनऊ में दस-दस घंटे बिजली गुल होती है । इलाहाबाद बनारस, कानपुर, आगरा जितने बड़े-बड़े शहर हैं उनमें पांच-पांच घण्टे बिजली गुल रहती है । अगर बिजली की कमी है तो एक समय निश्चत कर दें दस से एक या कुछ और कि इसमें कटौती होगी, लेकिन न तो कोई नियम है और न कोई पाबंदी है । मेरा इस सरकार पर आरोप है कि 70 फीसदी बिजली की चोरी हो रही है । जो औद्योगिक इकाइयां आई थी वह वापस जा रही हैं कोई नये कारखाने हमारे प्रदेश में लगाने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है । खरीफ में कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है आज बिजली की उसमें बहुत आवश्यकता है । मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा जिसमें मुझे निराशा हुई । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि दस घण्टे हम ग्रामीण अंचलों को बिजली देंगे । लेकिन वह भी अविरल गति से बिजली नहीं मिलेगी ।

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जो बिजली का बजट आयेगा उसमें जो समय है उसमें कितनी चर्चा हो पायेगी, उसमें तो माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात भी नहीं रख पायेंगे । माननीय संसदीय कार्यमंत्री से मैं कहूंगा, कि आप इस कृत्रिम बिजली के संकट का निवारण करायें और खुद ही बिजली मंत्री आप बन जायें । मान्यवर, आज बिजली घरों में कोयला नहीं है जिसके अभाव में दो-तीन दिन के अन्दर मशीनें बन्द होने वाली हैं मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि किसानों के साथ औद्योगिक मजदूरों के साथ ये सरकार बेईसाफी का काम कर रही है । कोई स्पष्ट नीति नहीं है सरकार की । कोई नया थर्मल पावर स्टेशन हाइडिल स्टेशन नहीं आयेगा, जब बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बिजली की सप्लाई से दे पायेंगे और फिर नवीं योजना में विद्युत संकट से कैसे उबरेंगे । आनपारा सी बनने वाली थी लेकिन पिछले साल से उसमें नीति तय नहीं हो पा रही हैं । जापान उसे बनाने के लिए तैयार है । जापान ने आनपारा ए और बी बनाया । अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि आनपारा सी जापान से बनवायेंगे कि नहीं । ये कोरिया से बनवाना चाह रही हैं । मान्यवर, बिजली संकट के संबंध मेरा अनुरोध है कि दो तीन घंटे की चर्चा अलग से करा दें हम उसमें सरकार को सुझाव दे सकेंगे कि कैसे इस संकट से उबरा जा सकता है ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे भी हस्ताक्षर हैं, इसलिये आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री गौरी शंकर जी, आपके हस्ताक्षर हैं परन्तु श्री जगदम्बिका पाल जी ने मुझसे निजी अनुरोध किया है कि उन्हें किसी कार्यवश कहीं जाना है, इसलिये मैंने पहले उनको बुलवा लिया है । इनके बाद मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जाना तो सबको एक दिन है। वह मेरे छोटे भाई हैं, इसलिये प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे बाद जायें।

(हंसी)

* श्री जगदम्बिका पाल

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया अन्यथा मैं श्री गौरी शंकर जी के बहुमूल्य सुझावों को सुनता। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का उल्लेख करते हुये उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिये कोई नई योजनायें न बन पाने के कारण उत्पन्न परिणामों को उन्होंने परिलक्षित किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर उल्लेख करते हुये उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिये कोई नई योजनायें न बन पाने के कारण उत्पन्न परिणामों को उन्होंने परिलक्षित किया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति तो इससे भी बदतर हो रही है। इन सब बिन्दुओं पर कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने ध्यान आकर्षित कराया है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में विद्युत की क्या स्थिति है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में 108 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हो रही है, जिसमें से 43 मिलियन यूनिट उत्तर प्रदेश के विद्युत गृहों से हो रही है, एम० टी० पी० सी० से 43.8 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है और 20 मिलियन यूनिट हाइड्रो पावर्स जनरेट कर रहे हैं। इस प्रकार 700 मेगावाट विद्युत की कमी के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ तथा शहरी मुख्यालयों सहित विद्युत की कटौती हो रही है। आज विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये सरकार की वचनबद्धता घटते-घटते 10 घण्टे तक पहुंच गई है। आज यह सरकार कहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घण्टे तक बिजली देंगे जबकि पिछली सरकारों में 16 घण्टे बिजली दी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के समय तो बीस घण्टे बिजली दी थी। परन्तु इस सरकार की जो 10 घण्टे की बिजली देने की वचनबद्धता है। आज हैदरगढ़ में 8 दिन से बिजली नहीं है, बस्ती जनपद में तीन दिन से बिजली नहीं आ पा रही है। यदि मान्यवर, आज इस संबंध में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया और आपकी पीठ से कोई निर्देश सरकार को नहीं दिये गये तो पूरे प्रदेश में विद्युत का एक घोर संकट खड़ा होने वाला है। आज आनपारा में केवल 11,272 मीट्रिक टन कोयला है जो मात्र चार दिन के लिए है पनकी पावर हाउस में 9659 मीट्रिक टन कोयला है जो केवल तीन दिन के लिये है, पारीछा पावर में केवल 13 दिनों के लिये कोयला है। आज तेल व कोयले की कमी के कारण कई इकाइयां ठप्प पड़ी हैं। 1,018 मेगावाट क्षमता की इकाइयां ठप्प पड़ी हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली की कमी आ गई है। ओबरा पावर हाउस में चार इकाइयां तेल की कमी के कारण पहले से ही बन्द पड़ी हैं। जिनकी क्षमता 268 मेगावाट की है। आनपारा की 210 मेगावाट की एक इकाई कोयले की कमी के कारण बन्द पड़ी है। हरदुआगंज की 60 मेगावाट क्षमता की इकाई बन्द पड़ी है। पनकी पावर हाउस की 105 मेगावाट की तीसरी इकाई 20 जुलाई से सुपर हीटर ट्यूब में रिसाव आ जाने के कारण बन्द पड़ी हैं पारीक्षा की 110 मेगावाट की इकाइयां बन्द पड़ी हैं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूरे प्रदेश के विकास के लिये सिंचाई के लिए विद्युत महत्वपूर्ण है । आज देश और दुनिया के मुल्कों ने विद्युत की महत्ता को पहचाना है । आनपारा, शक्तिनगर और ओबरा एशिया का ऐसा पावर स्टेशन है जो सबसे शक्तिशाली है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । यह कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । आज पूरे प्रदेश में जो स्थिति विद्युत की हो गयी है उसको आप देखें । सारे इण्डस्ट्रियल एरिया बन्द हैं, मजदूरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है । पूर्वांचल की स्थिति बदतर है । मैं चाहूंगा कि आप इसे चर्चा के रूप में स्वीकार कर लें क्योंकि इससे ज्यादा अविलम्ब लोक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया । इस संबंध में हमारे सम्मानित नेता कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने भी ध्यान आकृष्ट कराया है और मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं । यद्यपि मैंने यह सूचना नियम–311 के अन्तर्गत दी थी लेकिन आपने इसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस समय विद्युत की स्थिति क्या है ? मान्यवर, हमारे यू० पी० एस० ई० बी० का पी० एल० एफ० मात्र 52 प्रतिशत है, एन० टी० पी० सी० के थर्मल पावर स्टेशन का 70 से 80 प्रतिशत है और रेनूकूट में थर्मल पावर स्टेशन का 120 प्रतिशत है । मान्यवर, आज हमारा उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है उसके कारण क्या हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । वह इसलिये कि मशीनों की मरम्मत नहीं हो रही है । जो बजट जाना चाहिए था नई मशीनों के खरीदने के लिये, मशीनों की मरम्मत के लिये वह नहीं जा रहा है । ट्रान्समीशन लास जो हमारे प्रदेश का है वह नेशनल लास से कहीं ज्यादा हो रहा है इसका सीधा मतलब यह है कि विद्युत की चोरी हो रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है और जन-जीवन त्रस्त है और उनको बिजली मिल नहीं पा रही है । मान्यवर, जब देश आजाद हुआ था तब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था मैं उसे पढ़े दे रहा हूं बाद में उसका हिन्दी रूपान्तर भी कर दूंगा "लाइफ टुडे इज गवर्नड् एण्ड कंडीशन्ड बाई द ऑफशूट्स आफ साइंस एण्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टु इमेजिन एक्सीसटेंश विदआउट देम" । उन्होंने कहा था कि हम विज्ञान के आश्रित हो गये हैं और उसके बगैर हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, चाहे ट्यूबवेल चलाना हो, चाहे टंकी भरनी हो, कारखाना या पंखा चलाना हो या चाहे ए० सी० चलाना हो हर चीज के लिये विद्युत की आवश्यकता महसूस होती है"। मैं ज्यादा न कहकर संक्षेप में कहना चाहूंगा कि आज हर चीज के लिये विद्युत की आवश्यकता होती है । 90 प्रतिशत चीजें आज विद्युत से चल रही हैं । इसलिये मैंने इस बात पर विशेष बल दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा यू० पी० एस० ई० बी० है वह सफेद हाथी हो गया है और इसको जितना पैसा दिया जाता है वह सब गड्ढे में चला जाता है। मान्यवर, इतने बड़े राजनीतिक जीवन में, मैंने सभी से सीखने का प्रयास किया है और मैं सरकार में रहकर, चेयरमैन पी० ए० सी० के रूप में रहकर और अलग-अलग स्थानों पर रहकर सीखने की कोशिश की है। मैं जो कुछ समझ पाया हूं, वह यह समझ पाया हूं कि विद्युत की स्थिति ठीक नहीं है। अगर विद्युत व्यवस्था को ठीक न किया गया तो उत्तर प्रदेश बैठ जायेगा। आप सोचिये जब विद्युत आप उद्योगों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो उद्योग आपके यहां किस प्रकार से लगेंगे ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुम्बई में अगर एक मिनट के लिये भी बिजली चली जाती है तो हाहाकार मच जाता है और लोग कोर्ट जाने के लिये तैयार हो जाते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार विद्युत व्यवस्था को ठीक करने में अपने को असमर्थ पाती है, तो प्राइवेट बाडीज को दे दें। हमारी सरकार प्राइवेट बाडीज को नहीं देना चाहती है, लेकिन इससे विद्युत व्यवस्था अच्छी हो सकती है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर बजट की अधिक से अधिक उपलब्धता करायी जाये। इसका जो बजट है बहुत कम है और इसका कोई पूर्णकालिक मंत्री नहीं है, जिसकी बहुत आवश्यकता है, जिससे वह इस पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके और प्रदेश को गम्भीर विद्युत संकट से बचा सके। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे कुछ कहने का समय प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपको इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और माननीय गौरी शंकर को इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने धारा प्रवाह भाषण को विराम दे दिया।

श्री रंगनाथ मिश्र–

प्रमोद कुमार जी की और गौरी शंकर जी की जोड़ी बहुत अच्छी है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम 56 के लिये दो चीजों की आवश्यकता होती है–एक तात्कालिकता और दूसरी लोक महत्व। मान्यवर, बिजली से तात्कालिक और कोई चीज नहीं हो सकती है, तो इसकी तात्कालिकता है। जहां तक लोक महत्व का प्रश्न है, चाहे कोई गरीब हो और चाहे कोई अमीर हो, सभी को बिजली की आवश्यकता है, सभी लोग बिजली से जुड़े हुए हैं, तो लोक महत्व की बात हो गयी। मान्यवर, कोई देश या प्रदेश उन्नति और विकास कर ही नहीं सकता है, अगर विद्युत का वहां पर अभाव है। आप देखें, जहां पर सरप्लस बिजली होती है, वहीं पर सारे उद्योग चले जाते हैं और जहां पर विद्युत की कमी है, वहां पर उद्योग नहीं लगते हैं, इसका उदाहरण बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। यहां पर कच्चा माल है, लेकिन कोई फैक्टरी नहीं लगती है, क्योंकि बिजली का अभाव है। इस कारण सारे उद्योग सरप्लस बिजली वाले प्रदेशों में चले जाते हैं। मान्यवर, बिजली न होने के करण यहां का कच्चा माल दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। मेरा अनुरोध सभी दलों से है। मैं सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता हूं, सरकार को लांछित करने की मंशा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बात विपक्ष की ओर से की जाती है, तो उसको मना कर दें। कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जाकर जन सभा कर ले और कह दे कि विद्युत आपूर्ति बहुत अच्छी है, तो मैं उसको इस सदन में सम्मानित करूंगा। विद्युत आपूर्ति की स्थिति खराब होती जा रही है। अगर स्थिरता की स्थिति आ जाती तो भी मैं इस

प्रश्न को यहां पर न उठाता और यहीं नहीं अगर सुधार की स्थिति होती तो भी मैं इसको यहां पर न उठाता । मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । आज इस प्रदेश में जितने घाटे का बजट प्रस्तुत हुआ है उससे कहीं ज्यादा उ० प्र० विद्युत परिषद् एन० टी० पी० सी० को बिजली खरीदने के लिये अदा करता है । अगर हम बिजली पैदा कर लें और उसे अपने उपयोग में लायें तो घाटे का बजट मुनाफे में परिवर्तित हो सकता है । आज कई हजार करोड़ रुपया हम एन० टी० पी० सी० को देते हैं बिजली खरीदने के लिये और उसके लिये संसाधन हम उपलब्ध कराते हैं

श्री अधिष्ठाता–

हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा इस बात को ध्यान में रख कर ग्राह्यता तक सीमित रहें।

श्री प्रमोद कुमार–

इतनी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं अगर आप इसको ग्राह्यता पर नहीं समझ रहे हैं तो आप फैजाबाद से आते होंगे क्योंकि वहीं ज्यादा बिजली है । विद्युत में कहीं सुधार नहीं हो रहा है लाइन लौसेज जो पहले 20 प्रतिशत थे वह बढ़ गये हैं.....

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिले का नाम बदल गया है अब अम्बेडकर नगर हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपका आभारी हूं । मैं समझता हूं कि अम्बेडकर नगर में काफी बिजली है । तो मैं सुधार की बात कर रहा हूं । अम्बेडकरनगर में मैं जानता हूं, मैं भी विद्युत मंत्री रहा और रेवती रमण सिंह जी भी विद्युत मंत्री रहे हैं वह जानते हैं टांडा विद्युत हाउस की क्या स्थिति है । मान्यवर, आप संतुष्ट हैं तो रूलिंग दे दें कि वहां विद्युत उत्पादन की स्थिति ठीक ठाक है । आज पूरे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में लाइन लौस भारत वर्ष में सबसे ज्यादा है जितनी बिजली पैदा होती है उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते 35 से 40 प्रतिशत तक कम हो जाती है तो यह लाइन लौसेज बढ़ते चले जा रहे हैं । विद्युत उत्पादन के बाद ट्रांसमिशन से उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच में चोरी चली जाती है और उसका जब एकाउंट नहीं मिलता है तो वह लाइन लौस में चला जाता है । यह लाइन लौस दूसरे प्रदेशों में 10 से 12 प्रतिशत तक है और हमारे यहां 35 से 40 प्रतिशत है । तो यह विद्युत प्रबंधन के लिये सवालिया निशान है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपका आभारी हूंगा आप अपनी बात ग्राह्यता तक सीमित रखें और भी सूचनायें हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या बिजली से भी और कोई महत्वपूर्ण बात है जिसे देखें वह इससे प्रभावित है । किसान सीधे प्रभावित है उसके पास पानी नहीं है तो धान कैसे बोयेगा इस समय रोपाई का समय है, बच्चे बिजली न होने से पढ़ नहीं पा रहे हैं । मेरे साथ आप अम्बेडकर नगर तक चले यहां से उसके बीच में जितने गांव पड़ते हैं वहां देख ले 6 बजे से 10 बजे तक वहां बिजली आ रही है या नहीं अगर आ रही है तो आप इसे न लीजिये । यह जरूरी नहीं है कि सारी सूचनायें नियम 56 में निरस्त ही हो जायं आप सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर इस पर 2 घंटे की चर्चा ही करा दें ।

मैं ग्राह्यता के रूप में कह रहा था । कोई विद्युत परिषद् में आपने चेयरमैन बैठाये हैं यहां जितने सदस्य थे उनकी योग्यता को नहीं आंका । चीफ इंजीनियर जो विद्युत परिषद् में थे उनसे भी कनिष्ठ आदमी को जो विद्युत परिषद् के बारे में ए, बी, सी नहीं जानते उन्हें अध्यक्ष बना दिया जिन्हें मालूम नहीं कि गोरखपुर कहां है, गाजीपुर कहां है । इतना बड़ा विद्युत संगठन है हमारा सर शर्म से तब झुक जाता है जब हम देखते हैं कि आनपारा बी योजना बन जाती है लेकिन उसकी इवैक्युवेशन लाइन और

ट्रांसमिशन लाइन नहीं बन पाती है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को चुनौती देता हूं जनहित में आप सोचें और जनहित में नहीं सोचेंगे तो आपको जनता के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा मैं कहता हूंकि आप कटघरे में खड़े न हो बल्कि विद्युत परिषद् को कटघरे में खड़ा करें । अगर विद्युत की स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपको सदन में जवाबदेह होना पड़ेगा ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, बड़े ही गम्भीर विषय की तरफ माननीय सदस्यों ने नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर अपनी बात कही है । यह सही है कि प्रदेश के लिये बहुत बड़ी चुनौती विद्युत की है और जितनी प्रदेश को विद्युत की जरूरत है उस जरूरत के अनुरूप प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है । इस बात को स्वीकार करने में सरकार लेशमात्र भी हीला हवाली नहीं करती है । जो सच्चाई और जिस पीड़ा से माननीय सदस्य चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उस पीड़ा से सभी माननीय सदस्यों को दुख है। परन्तु यह समस्या कोई आज की नहीं है यह समस्या कोई आज की नहीं है यह समस्या 4 महीनों या 5 महीनों की नहीं है । इस समस्या पर जिस समय माननीय प्रमोद कुमार जी, जिस समय उनको ऊर्जा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था और दूसरी सरकारों को भी मौका मिला था उस समय यदि प्रदेश की विद्युत आवश्यकता को देखकर, उसके अनुरूप विद्युत जनरेट करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती और बिजली के प्लांट लगाये जाते तो आज यह समस्या इतनी गम्भीर न होती ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम लिया गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी के कार्यकाल में आनपरा एक और मेरे कार्यकाल में आनपरा-बी थर्मल पावर हाउस को लगवाया गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऊंचाहार थर्मल पावर को एन० टी० पी० सी० को बेच दिया गया । मेरी बात अगर गलत हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं । (शोर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

आप इस पर चर्चा करवा दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह आरोप है इसको कार्यवाही से निकलवा दें । एन० टी० पी० सी० को नहीं बेचा गया है । (शोर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आरोप लगा रहा हूं कि अगर ऊंचाहार थर्मल पावर हाउस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में न बेचा हो तो मैं अपना त्याग पत्र इसी सदन में देता हूं और अगर गलत बेच गया हो तो माननीय रंगनाथ मिश्र त्याग-पत्र दे दें, यह मेरी चुनौती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरी बात सुन लें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बेचा गया है ।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, इन्होंने विद्युत परिषद् को बरबाद कर दिया है । (शोर)

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाये जा रहे हैं । मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अमर मणि–

एक चुनौती आयी है । अगर इनमें साहस हो तो त्याग-पत्र दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह चनौती का सदन नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह मेरा अधिकार है । आप रोक नहीं सकते । मैं चुनौती देता हूं कि अगर एन० टी० पी० सी० को ऊंचाहार बी० जे० पी० सरकार ने न बेचा हो तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा अन्यथा ये त्याग पत्र दें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी आप का नाम पुकारा नहीं गया है । आप बैठियें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है । चर्चा होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब बैठिये । आप सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं । यह जो भी बोल रहे हैं कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी । जो आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । मंत्री जी को सुन लीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस गम्भीर विषय पर सदन में ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहीं थी । मैं अपेक्षा करता था कि उसकी गम्भीरता को देखते हुए जो चुनौती प्रदेश के सामने है उसे गम्भीरता से लेंगे और उस पर सरकार का भी पक्ष सुनेंगे । मैंने न तो किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है और न आज भी किसी के ऊपर आरोप लगाने की मंशा है । आज जो प्रदेश में स्थिति है वह तत्काल की नहीं है । यह चार महीने की गठबंधन की सरकार के समय की नहीं है बल्कि उसके पहले से चली आ रही है । आज जो स्थिति पैदा हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का जवाब तो आने दें । सरकार का पक्ष तो आने दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सरकार के द्वारा तो आने दें ।

(व्यवधान)

मैंने इस विषय पर माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना ।

एक माननीय सदस्य–

इनको सुधारिये ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो सुधारने की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं । हमारी जब गठबंधन की सरकार बनी उस समय प्लान्ट लोड फैक्टर 42 परसेन्ट था अब ये 42 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

[× × ×] बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो झूठ शब्द का प्रयोग किया गया है यह संसदीय नहीं है इस पीठ से बार-बार निर्देश दिये गये हैं । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

इस पीठ से दिये गये निर्णयों को आप पढ़ लें उसकी मर्यादा का ध्यान रखें । प्रदेश में जो बिजली का उत्पादन कम हो रहा है लाइन लासेस को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं इसीलिये इस विभाग को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रखा है ताकि कोई दिक्कत न रहे ।

(व्यवधान)

शीर्ष प्राथमिकता पर विद्युत व्यवस्था को सुधारा जा सके और विद्युत का उत्पादन हो ।

(व्यवधान)

कई कम्पनियों से संस्थाओं से विद्युत की नई लाइनें लगे नई इकाइयां लगे इस पर विचार कर रहे हैं । उत्पादन तो दो तीन साल ही होगा । इकाई लगते ही तो तुरन्त उत्पादन नहीं होने लगेगा । इसके लिये व्यवस्था करनी होगी यह गम्भीर (व्यवधान) समस्या है । इसके लिये कतई इन्कार नहीं है । सरकार हर सम्भव प्रयास अपने विद्युत संसाधनों को देखते हुए कर रही है । जिससे विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सके । यह मामला नियम 56 में ग्राह्य करने योग्य नहीं है । इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

एक व्यवस्था का प्रश्न है महोदय, अभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को सुना । यह सारे लोगों की चिन्ता है संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे माननीय सदस्य अपना सुझाव दे रहे थे प्रमोद कुमार जी और कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर एक बात कही, यह एक

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दल का सवाल नहीं है यह पूरे प्रदेश की जनता का सवाल है यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आज प्रमोद कुमार जी ने चुनौती भी दे दी। सदन के सामने सब आ गया है उस पीठ की गरिमा है इसको किसी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

[2 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, आप सरकार को इस संबंध में निर्देश दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूं। जब ऊर्जा विभाग के बजट पर चर्चा हो उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

इसके बाद श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।

श्री कौकब हमीद–

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(अन्त में भारतीय किसान कामगार पार्टी के सदस्य यह सरकार निकम्मी है यह सरकार बदलनी है के नारे लगातें हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

जनता दल तथा समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी सदन का त्याग किया।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपने इस गम्भीर प्रश्न पर सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और अब यह घटते-घटते 43 फीट तक पहुंच गया है। इस जल स्तर के घटते रहने के कारण हमारे प्रदेश में रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्भ शास्त्रियों ने 960 ब्लाकों का सर्वे करवाया था इस सर्वे में 90 ब्लाक डार्क एरिया घोषित किये गये हैं 214 ब्लाक ऐसे हैं जहां पर थोड़ा पानी है। यह स्थिति 314 ब्लाकों की पहुंच गयी है। जल मानव की मौलिक आवश्यकता है यह प्राकृतिक सम्पदा तेजी से कम हो रही है। पांच सितारा कल्चर के कारण नगरों में अन्धाधुन्ध जल का दोहन हो रहा है। वर्षा का पानी जो अमृत है उसका भी सही तरीके से उपयोग न होने के कारण वह बेकार नदियों द्वारा बहकर चला जा रहा है। ऐसी स्थिति के लिये अब तक सरकारें दोषी हैं जिन सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अनेक नदियां ऐसी हैं जो भूगर्भ का पानी समुद्र में पहुंचाने का कार्य कर रही हैं इस तरह से एक भयानक खतरा पैदा हो गया है। अभी एक रिपोर्ट भूगर्भ जल सर्वेक्षक की आयी है। यदि जल संचय की प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीने दो महीने में मेरठ जनपद में 20 गांव जमीन में धसने वाले हैं और एक बहुत बड़ा खतरा है। 1987 से लेकर 1992 तक भारत सरकार ने सर्वे कराया और इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। पानी के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा भयानक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ के मामले में पानी जमीन सोखती जा रही है जिससे स्थिति भयावह हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे चलकर पानी की राशनिंग की स्थिति पैदा हो जायेगी, पानी का अकाल पड़ जायेगा....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बजट के सामान्य चर्चा में आपको समय मिलेगा उस समय आप विस्तार से अपनी बात कहियेगा। इस समय आप ग्राह्यता पर संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मैं इसमें कुछ बातें और कहना चाहता हूं। आज मैंने एक प्रश्न किया था कि प्रदेश के आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल और झांसी मण्डल के क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर दिन प्रतिदिन निरन्तर गिरता जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया है कि साढ़े 13 फुट से नीचे पानी गिर गया है। भूगर्भ जल के लिये किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। 1997-98 के लिये रायबरेली में एक योजना 7.25 लाख रुपये का जिक्र है लेकिन वह अभी शुरू नहीं हुई। कल बजट पेश हुआ। इस बजट में भी इस गम्भीर संकट की तरफ कोई चर्चा नहीं है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं जो सोशियो–इकानामिक प्राब्लम है वह हमारे प्रदेश की सारी की सारी भूगर्भ जलस्तर पर निर्भर करती है। मान्यवर, जैसे फर्रुखाबाद में जमीन फटी है वैसी स्थिति मेरठ में भी है। यह स्थिति हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही खतरनाक है। इस समय प्रदेश के 960 ब्लाक्स में से 314 में संकट है जो कि मामूली बात नहीं हैं। इस प्रकार से यह विषय अविलम्बनीय और लोक महत्व का है। दिनांक 29-8-95 को उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी और विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की इस गम्भीर समस्या की ओर 29-8-95 को अवगत कराया लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था और यहां महामहिम राज्यपाल महोदय की सरकार थी वह पत्र आज सरकार के सम्मुख मुख्य सचिव को रखना चाहिए और उस पर कार्यवाही होती। 10 अरब से अधिक की स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू होना है और उसे विदेशी धन मिल रहा है। समस्या की गहराई को देखते हुए उस योजना को तत्काल लागू किया जाये और उस रुपये को लेकर कम से कम इस प्रदेश की भावी संकट जो भूगर्भ जल की है उससे बचने का काम किया जाये। उत्तर प्रदेश में रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। 1987 से लेकर 1995 तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार कम से कम इस संकट की ओर ध्यान देगी। अन्त में मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न को सुनने हेतु इस पर चर्चा करने की अनुज्ञा प्रदान करें।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मेरी भी इस विषय पर सूचना है, मुझको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर केवल रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना है। आपकी कोई सूचना नहीं है, आप बैठ जायें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जिस प्रश्न को नियम 56 में उठाया है वह प्रश्न लोक महत्व से जुड़ा है परन्तु उसकी अविलम्बनीयता के बारे में जो वर्मा जी ने कहा है तो उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह आज ही नहीं शुरू हुआ है बल्कि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इसके परिणामस्वरूप यह आज इस रूप में पहुंचा है। मान्यवर, जिस गम्भीरता से इन्होंने कहा है उसमें यह किसी प्रदेश की समस्या नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश की समस्या है। पूरे देश में जिस समस्या की ओर श्री वर्मा जी ने इंगित किया है आज ग्लेशियर खिसक रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है और बरसात का 95 प्रतिशत पानी नदियों के द्वारा समुद्र में बह जाता है। तो इसे रोकने के लिये एक जल नीति बनायी जानी चाहिए थी आज यदि हम बरसात के पानी को छोटे-छोटे रिजरवायर में संचित करके सिंचाई के काम में लाते तो कितना अच्छा होता। मान्यवर, विद्युत की समस्या पर विचार कर रहे थे तो पानी से हाइड्रोलिक विद्युत पैदा कर सकते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बिजली की कमी न रहती। आज जो जल स्तर भूगर्भ स्तर पानी का कम हो रहा है वह नहीं होता। इन

रिजरवायर के माध्यम से पानी नीचे जाता और जमीन का भूगर्भ स्तर ऊपर आता । इस संबंध में श्री वर्मा जी ने कहा है कि ध्यान नहीं दिया गया या जितना दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया है । यदि इस पर ध्यान दिया गया होता तो बरसात का 95 प्रतिशत पानी समुद्र में नहीं जाता । इसलिये यह गम्भीर समस्या है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए आवश्यक है कि पूरे देश के स्तर पर एक जल निधि बनायी जानी चाहिए और विचार होना चाहिए कि जो नदियों को बरसात का पानी 95 प्रतिशत समुद्र में चला जाता है उसको कैसे रोकें ? इसके अलावा इस पानी को दूसरे साधनों में कैसे उपयोग करें ? इसलिए यह गम्भीर विषय है लेकिन अविलम्बनीय नहीं है । अतः नियम 56 में आप इसको अग्राह्य कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री ओम प्रकाश, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री रामवीर सिंह जी की प्रदेश के वेतन न मिलने से आन्दोलनरत स्थानीय निकाय सफाई कर्मियों के ऊपर विधान भवन के सामने हुए लाठी चार्ज के संबंध में है । यही सूचना श्री स्वामी ओइमवेश जी की है । श्री रामेश्वर दयाल जी आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना पर आप चर्चा करा दें । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था हो चुकी है । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है इसलिये आप बैठ जायें ।

* श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कल जिस समय माननीय मुख्य मंत्री यहां बजट भाषण पढ़ रही थीं, उस समय ठीक विधान सभा के सामने उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों सफाई कर्मचारी, जो अपने वेतन के सवाल को लेकर धरने पर बैठे थे, पर लाठीचार्ज किया गया । हमने कल भी नियम 56 के तहत इस मामले को उठाया था । यह सफाई कर्मचारी, जिनका दो माह से लेकर 20–40 माह तक का वेतन बकाया है जो लगभग 21 करोड़ रुपये होता है, इसमें उनके जी० पी० एफ० का पैसा भी है, नकदीकरण का पैसा भी है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है । मैंने जब इस मामले को यहां रखा, विधान सभा के बाहर उन कमजोर, दलित और दलितों के महादलित उन कर्मचारियों पर सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज करवाया गया, इस घटना में 70 कर्मचारी घायल हुए हैं ।

यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, वह कृपया जानकारी करा लें कि कल 70 कर्मचारियों को बलरामपुर अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती कराया गया । मान्यवर, इस तरह की घृणित कार्रवाई की गयी है । यह तबका प्रदेश में सबसे निचले स्तर का कमजोर तबका है । उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई इसलिये की गयी है कि वह तीन-तीन चार-चार सालों से रुके अपने वेतन को पाने के लिये धरने पर बैठे थे । मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों के सामने ऐसी जो परिस्थिति है,उसकी वजह से उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, स्कूल में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दाखिले नहीं हो पा रहे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, शादी व्याह नहीं हो पा रहे हैं, बारात दरवाजे से आकर लौट जाती है ।

केवल उनको चेक काट दिये जाते हैं, बारात दरवाजे आने तक पैसा नहीं मिलता है, जिससे उनको अपमानित होना पड़ता है । कल कुछ भी हो रहा हो लेकिन आज अगर इस समस्या पर ध्यान न दिया गया तो प्रदेश में महामारी फैल सकती है । मान्यवर, यह दलितों की सरकार है और दलित मुख्य मंत्री हैं, उनके रहते दलितों पर लाठी चार्ज किया गया । मेरा आपने नम्र निवेदन है कि उनके रुके हुए वेतन को दिलाने की व्यवस्था की जाय । उनके ऊपर जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया है, उसके संबंध में एक घण्टे की चर्चा इस सदन में कराई जाय और इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको दण्डित किया जाय और उनको जेल भेजा जाय । मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इसे गम्भीरता से गहराई से न लिया गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, सारे प्रदेश में महामारी फैल जायेगी, जिसका खामियाजा इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा । धन्यवाद ।

*श्री ओम प्रकाश–

श्रीमन्, कल इस सदन में बजट पेश किया जा रहा था और उसके बाद जो अमानवीय कार्य हुआ और वह भी उस व्यक्ति के साथ जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है जिससे हम सबकी सहानुभूति है वह ईमानदारी से अपना गुजरबसर करता है और यह सत्य है कि आप पता कर लें कि जितनी नगर महापालिकाएं या नगरपालिकाएं हैं उसमें क्या स्थिति है ? मान्यवर, सफाई कर्मचारियों के प्रति यह सरकार संवेदनशील नहीं है । ये बार-बार दुहाई दे रहे हैं कि यह सरकार दलित दिलवालों की है यह दलितों के लिये हर कुर्बानी देने को तैयार है । लेकिन मान्यवर, यह जो कल विधान सभा के सामने हुआ या यह जो हो रहा है, मैं यह कहूंगा कि यह सरकार हर तरह से संवेदनहीन हो गयी है । इसको अपने कर्तव्यों का पता ही नहीं है । मान्यवर, जब से यह हुकूमत आई है आप स्वयं देख लें उनके आने से जिलों में ज्यादती और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर हो गया है । [× × ×]

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आक्षेप है इसलिये कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री ओम प्रकाश–

संसदीय कार्य मंत्री जी, हमें भी आता है आप हमें पढ़ाये नहीं । इसकी दवा मेरे पास नहीं है इसकी दवा जनता कर देगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह मालूम होगा, आपको संसदीय जानकारी भी होगी, आप तीसरी बार विधायक हैं, यह नियमावली में भी है कि पीठ पर किसी तरह का आक्षेप नहीं किया जा सकता । इसलिये यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप सरकार को जो कुछ कहना चाहते हैं सरकार उसका जवाब देगी । आप सरकार को कटघरे में खड़ा करें यह आपकी जिम्मेदारी है परन्तु अध्यक्ष पीठ को इस विवाद से परे रखें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, मैंने अध्यक्ष पीठ को इंगित नहीं किया है आप अध्यक्ष पीठ के लिये चिन्तित हैं तो हम भी सम्मान रखते हैं। मान्यवर, यह एक अहम सवाल है सफाई कर्मचारियों के बारे में।

(व्यवधान)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

हमें भी चिन्ता है कि आपको कुर्सी आगे मिल गयी है।

(हंसी)

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, यह गम्भीर सवाल है और यह समाज के अन्तिम व्यक्ति का सवाल है, उनको पूरा हक हासिल हो। मान्यवर, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वह अपना हक मांग रहे हैं उसके बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करा लें और सरकार को इंगित करें कि वह समाज के अन्तिम व्यक्ति के सुख दुख का ख्याल करे।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसा कि कल विधान सभा के सामने सफाई कर्मियों के ऊपर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मान्यवर, स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने के लिये जा रहे हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विधान सभा के अन्दर या बाहर अपनी बात रखने का अधिकार है। हम अपनी समस्याओं को लेकर अगर आन्दोलन करेंगे तो यह सरकार लाठी चलाने का काम करती है। पिछले दिनों आपकी पीठ से यह निर्देश भी हुआ था कि जो आन्दोलन किये जा रहे हैं या आन्दोलनकारी हैं उन पर सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। सरकार ने क्या पूरे प्रदेश में ये निर्देश दिये हैं कि जो आन्दोलनकारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते हैं उन पर लाठी चलाई जाये, गोली चलाई जाये ? ये जो लाठी चार्ज हुआ है इसमें लोग घायल हुए हैं ये लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा कराई जाये।

स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, हजारों हजार सफाई कर्मचारियों के सिर के ऊपर लाठियां चलाई गईं। जो सबसे दलित वर्ग है वह अपनी वेतन की मांगों को लेकर शान्ति पूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन उनको वेतन तो नहीं मिला उनके सिरों पर लाठी जरूर मिली है। सफाई कर्मचारियों को 10 महीने से लेकर 40–50 महीने तक का वेतन नहीं मिला है उनकी क्या हालत होगी इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। 10-10 हजार रुपये वेतन पाने वाले अधिकारी को अगर एक महीने का वेतन नहीं मिलता है तो हाहाकार मच जाता है जिनको इतनी अवधि तक वेतन नहीं मिला है वह अपना परिवार कैसे चला रहे हैं इसका आप अन्दाजा लगायें। उनके वेतन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्डित करना चाहिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कल की जिस घटना को माननीय सदस्यों ने उठाया है, मैं कहना चाहता हूं कि कल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे और उसकी पीड़ा सरकार को है। उनकी जो मांगें हैं। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि एक साल डेढ़ साल से उनका वेतन नहीं मिला है, जो समस्या की मूल जड़ है वह आज की पैदा हुई नहीं है वह काफी पुरानी है। अब तक सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रदेश के सबसे दबे-कुचले लोगों के प्रदेश के आखिरी व्यक्ति के मुख पर मुस्कान आ सके, सदियों से जिनके घरों में दीपक नहीं जाले थे, उनके घर में दीपक जल सके, उसके लिये यह सरकार कृत संकल्पित है।

श्री अम्बिका चौधरी–

उनके घरों में तो यह सरकार दीपक जलाना चाहती है परन्तु उनके लहू से जलाना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने आपकी बात को सुना अब आप उन्हें तो सुनिये ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, उनकी समस्या को सरकार ने प्राथमिकता से लिया है । ऐसे लोगों के उत्थान के लिये, उनकी तरक्की के लिये तथा जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें बढ़ाने के लिये यह सरकार कृत संकल्पित है । यह सरकार कहती ही नहीं अपितु करके दिखाती है । मान्यवर, जहां तक कल की घटना का सवाल है,कानून-व्यवस्था को बनाये रखना सरकार का काम है । हर आदमी को स्वतंत्रता है परन्तु जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है तब सरकार को उस पर नियंत्रण करना पड़ता है उसके लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं । पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गये । जहां तक उनके वेतन आदि का मामला है, उसे सरकार ने गम्भीरता से लिया है । इसलिए मान्यवर, यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसे अग्राह्य किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय सदस्यों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना, यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री राजधारी जी की है ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं । मान्यवर, सरकारी कोष का जो धन होता है वह आम जनता की सम्पदा है और सरकार का यह दायित्व है कि उसका सदुपयोग हो । जनता के विकास कार्यक्रमों के लिये उसका उपयोग हो । परन्तु माननीय अधिष्ठाता जी जो विकास के काम होते थे, उनमें जो कमीशन लिया जाता था, उससे आज स्थिति भिन्न हो गयी है । आज स्थिति यह है कि जो कार्यदायी संस्थायें हैं और शासन के उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, वहीं पर उन्हें कमीशन देकर कार्यों को अवमुक्त करा रहे हैं और उसी क्रम में बलिया जनपद के अन्दर करोड़ों रुपये का भुगतान हुआ है । हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जब माननीय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ में गयीं और जब हम लोगों ने बलिया में हुई अनियमितताओं के बारे में उनका ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने भौतिक सत्यापन करने का जिला विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को आदेश दिया । भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् यह पाया गया कि एक ही कार्य कई कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया है और बिना कार्य कराये ही करोड़ों रुपया निकाल लिया गया है । मान्यवर, इस संबंध में करीब 18 एफ० आई० आर० दर्ज हुई हैं और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि 4-7-97 को वहां के अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं, खण्ड विकास अधिकारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पायी है । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाय और सरकार प्रभावी रूप से, जो लोग सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय जिससे गलत परम्परा और व्यवस्था न पड़ सके । करोड़ों रुपया गरीबों का विकास के नाम पर खाया जा रहा है । उसका सही सदुपयोग हो इसलिये इस बिन्दु पर मैं चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह मेरे जिले से संबंधित मामला है। आप यदि अनुमति दें तो मैं भी इसमें दो एक बात जोड़ देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन इसमें आपके हस्ताक्षर तो हैं नहीं। यह नियमों के विपरीत होगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुमति ही नियम है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलूंगा। मान्यवर, जिस गम्भीर प्रकरण पर माननीय सदस्य ने अभी सदन का ध्यान आकृष्ट किया और इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का आग्रह किया उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर सिर्फ चर्चा की ही आवश्यकता नहीं है। जो आरोप लगाये गये हैं वह गम्भीर हैं। इसमें जो अधिकारी जांच करने का काम कर रहे हैं, रिपोर्ट लिखाने का कार्य कर रहे हैं वह जानबूझकर कोताही बरत रहे हैं जिससे जो असली दोषी व्यक्ति है वह बच जाय। मान्यवर, इसमें जानबूझकर वास्तविक अपराधियों के साथ ही समाजवादी पार्टी से संबंधित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को भी राजनीतिक विद्वेष वश फंसाकर यह अधिकारी बेइमान व लुटेरों के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपयों के हेरा फेरी हुई है। इसमें जो जांच हुई है उस घोटाले की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है और वहां 10 गुना ज्यादा हेरा फेरी हुई है। इसमें जो दोषी लोग हैं उनको मैं मांग करता हूं कि बख्शा न जाय और तत्काल इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और उन्हें गिरफ्तार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

राजनीतिक विद्वेष वश लोगों को न फंसाया जाय। अन्त में मैं माननीय श्री राजधारी जी ने जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए उस पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह जो घोटाला हुआ है, जो तमाम पैसे का फर्जी भुगतान हुआ है यह सरकार के संज्ञान में बात आयी है और सरकार ने इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी दल, जाति, बिरादरी या मजहब के आधार पर नहीं, चाहे जो भी अधिकारी होगा और चाहे जो भी बड़ा से बड़ा प्रतिनिधि होगा, जो भी इसमें लिप्त होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 लोगों के विरुद्ध एफ० आई० आर० लिखायी गयी है, घपलेबाजी के खिलाफ मुकदमा कायम कराने का काम किया गया है। इसीलिये पूरे प्रकरण को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा से जांच कराने की कार्यवाही सरकार कर रही है। किस प्रकार से फर्जी भुगतान हुआ है, जांच से सारी बात आ जायेगी। जो लोग लिप्त हैं, उनको सजा मिल सके। यह कार्यवाही सरकार कर रही है।

श्री अम्बिका चौधरी–

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि जिनको वह मुल्जिम मानते हैं, उनको 48 या 72 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया जायेगा, क्या इस बात का आश्वासन देंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा किसी को बचाने की नहीं है । जांच इसीलिये करायी जा रही है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाये और जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियमों में नहीं आती है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं । पांचवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ की है ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, आज सारे भारत में और राजनैतिक क्षेत्रों में एक ही घोटाले की चर्चा है और वह है चारा घोटाला । उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बैठकर हम गैर विधायी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कितने बड़े धन का नाश हो रहा है । अगर कोई सदस्य गौर से देखेगा तो पूरा दाल में काला नजर आयेगा । मान्यवर, सरकारी कोष से धन आहरित करने का एक तरीका है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कोष से धन आहरित किया गया है, वह चारा घोटाले के रूप में सामने आया है । जो स्थिति चारा घोटाले की बिहार में है वही स्थिति सरकारी कोष से रुपया आहरित करने की उत्तर प्रदेश में है । सरकारी धन की बहुत बड़ी चोरी हो रही है । मान्यवर, देश का एक संविधान है और राज कोष से रुपया निकालने और उसके इस्तेमाल करने का एक नियम है और कानून है । भारत के संविधान निर्माता डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राज कोष का धन अकारण अपव्यय नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, आज इस सदन में यह सब कहने में मुझे क्लेश नहीं हो रहा है कि जन-धन का इस्तेमाल करने के लिये इस विधायिका का निर्माण किया गया है, जन-धन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जायेगा, इसका दायित्व इस विधायिका का है ।

श्रीमन्, इसके साथ ही साथ इसकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को भी तय करने का काम इस विधायिका को है । जो जनहित के अनुरूप थे या सार्वजनिक हित के काम थे उनको पूरा करने के लिये भारत के संविधान की जो मंशा थी इसको प्राविधान किया गया है । लेकिन हम देख रहे हैं कि यह सदन मात्र दलगत राजनीति में फंस कर गया है । अगर हम इस सदन में बैठकर मात्र दलगत भावना से राज्य के हित को न देख कर व्यक्तिगत हितों में पैसा खर्च करेंगे तो यह कदापि उचित नहीं होगा । राज्य के हित में बहुत सारा धन खर्च होता है लेकिन बिना बजट के, बिना यहां पर बहस के, बिना अनुमति के धन खर्च करेंगे तो यह देखना होगा कि इसके पीछे क्या मंशा है ? अभी समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे थे और यहां पर एक मुद्दा उठाया गया कि दैनिक वेतन पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है । यहां पर चर्चा हो रही थी आनपरा में विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है । इसी तरह आप देखेंगे अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, जो हमारे नवजात स्कूलों में पढ़ने वाले भारत के भविष्य हैं उनके पढ़ने के लिये स्कूलों में छत नहीं है । (व्यवधान) मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं नसीम साहब आप मंत्री हैं ।

आप जानते हैं कि किस तरह से खर्च हो रहा है । विधायिका में विहित शक्तियों की अनदेखी की जा रही है । संवैधानिक तरीकों की अनदेखी व्यक्तिगत हितों को लेकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से धन खर्च करेंगे, बिना आगणन के राज्य निधि से धन खर्च करेंगे तो इससे क्या विधायिका की अवमानना नहीं होगी । आकस्मिकता निधि से तात्कालिक और अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन खर्च करने के लिये व्यवस्था की गयी है । संविधान में उसके लिये स्पष्ट व्यवस्था की गयी है । लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह सरकार मनमाने ढंग से आकस्मिकता के नाम पर धन खर्च कर रही है । संविधान निर्माता को पूजने वाले मूर्तिपूजा के घोर विरोधी होने का दम भरने वाले लोग जिनकी यह सरकार है और उसको बचाने वाले राम को सारथी बनाकर चलने वाले राजकोष से एक व्यक्ति की जिद पर राज्य चला रहे हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिये इस तरह से खर्च किया जा रहा है। महामना भीमराव के प्रति सब आदर करते हैं लेकिन जिस तरह से उनकी प्रतिमा के नाम पर या किसी संकुल के नाम पर चाहे वह कोई प्रेक्षागृह हो या अन्य काम हो उस महामना की भावना का उल्लंघन करके धन खर्च करना कतई उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

आज अगर देखा जाय जो यह अपरिहार्यता की बात करते हैं उसके लिये संविधान की धारा 202, 203, 204, 205 और 206 को देखने का कष्ट करें जिसें आकस्मिकता की परिभाषा दी गयी है और धन कैसे खर्च होगा वह दिया हुआ है उसके आगे भी धारा 267 और 283(2) में दिया है कि राज्य सरकार आकस्मिकता निधि से किस प्रकार खर्च किया जाता है, उसमें इसका प्राविधान है । श्रीमन्, यह जो अम्बेदकर पार्क या अम्बेदकर संकुल के नाम पर आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च किया जा रहा है इसका कोई औचित्य नहीं है यह खर्च जो है यह राज्य आकस्मिकता निधि की परिधि में नहीं आता है और न ही यह संविधान सम्मत है । मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि । महीना 29 दिन चलने वाली यह सरकार जो खर्च कर रही है अगर आगे आने वाली सरकार इसको खारिज कर दे तो यह धन किससे वसूल किया जायगा ? इस संबंध में अगर विधायिका शंका करती है तो उचित है । आज जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो खर्च किया जा रहा है वह बिल्कुल उचित नहीं है । यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत आदि अनेक ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकतायें हैं जिनके लिये राज्य आकस्मिकता निधि से यदि पैसा आहरित किया जाय तो अनुचित नहीं कहा जायगा लेकिन अम्बेडकर पार्क और अम्बेदकर शंकुल राज्य आकस्मिकता निधि की परिधि में नहीं आते हैं । मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं डा० अम्बेडकर संकुल योजना की वित्तीय सहायता जब मंजूर की गयी है तो किस निधि से की गयी है यह बताया जाय ? अम्बेडकर संकुल जैसी योजनाओं के लिये आकस्मिकता निधि में कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में विद्युत की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, मैं अन्तिम बात और कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 202, 203, 204, 205 और 206 तथा 263 व 282(2) के अन्तर्गत यह नहीं आता है । इस संकुल को बनाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम टेंडर और डिजाइन अप्रूव करता है । 17 तारीख को 18 करोड़ रुपये का टेंडर होता है उस पर वहां के इंजीनियर संकुल पर 20 प्रतिशत धनराशि और बढ़ा देते हैं और वह पास हो जाता है । श्रीमन्, आप इसका नतीजा देख लीजिये कि श्रीवास्तव नाम के एक सहायक अभियन्ता की हत्या लखनऊ में होती है । आज लखनऊ आग के मुहाने पर बैठा है । जो आहरण आकस्मिकता निधि से हो रहा उससे नतीजा यह है कि सम्पूर्ण लखनऊ को गुण्डों की नजरों में झोंक दे रहे हैं । यह चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन का समस्त कार्य रोक कर इस पर चर्चा करवायें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं संविधान में जो आकस्मिकता निधि का प्राविधान किया गया है कि जब कोई आकस्मिकता आ जाय जैसे दैवी आपदा या ऐसी कोई समस्या जिससे जनता के सामने संकट हो उस समय विधान सभा की बिना इजाजत लिये धन को खर्च करने का प्राविधान किया गया

है । आप मान्यवर, संविधान की धारा 203(2) को आप देखें । उसमें कहा गया है "राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों को निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेख में उनके संदाय और ऐसे लेखे से धनराशियों को निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित उनके आनुषांगिक अन्य सभी विषयों का विनियन राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा किया जायेगा । बड़ा स्पष्ट लिखा है और जैसा कि अभी हमारे साथी सुरेन्द्र अवस्थी जी ने कहा है कि हम किसी की मूर्ति या किसी के नाम के पार्क का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या आकस्मिकता निधि से जिस रूप में खर्च किया जा रहा है क्या वह और वह क्या उचित है । क्या वह संवैधानिक है ? इस सदन के लोगों की राय उसमें है कि नहीं है । क्या वह घोटाले का रूप तो नहीं ले रहा है ? उत्तर प्रदेश सरकार में प्रति वर्ष 4 हजार करोड़ रुपये पी० एल० ए० में डाल दिया जाता हैं । 31 मार्च को घाटे के रूप में निकाल लिया जाता है । विधान सभा के समक्ष नहीं रखा जाता है कि वह धन किस मद पर व्यय किया जा रहा है ? 10 करोड़ रुपये की लागत का कार्य बिना स्वीकृति के शुरू हो गया और आज उसका लागत 100 करोड़ पहुंच जाती है । ऐसी कौन सी आकस्मिकता आ गई थी ? इस तरह से धन खर्च करके राजनीति की जा रही है ।

मै बी० जे० पी० के लोगों को कहना चाहूंगा कि पता नहीं वह क्यों इसे स्वीकार कर रहे हैं ? मा० हुकुम सिंह जी बैठे हैं शायद कुछ कहेंगे । मान्यवर, यह किस तरह से कर रहे हैं ? किस तरह से नेता सदन को यह अधिकार मिल गया कि राज्य का पैसा निकाल कर आकस्मिकता निधि के नाम पर चाहे जिस को दे दें और चाहे जिस जगह खर्च कर दें । यह एक बड़ा घोटाला है । इस घोटाले को सदन के समक्ष रखने का यही कारण है कि यह अविलम्बनीय है और तात्कालिक है । सरकार जवाब दे कि कितना रुपया खर्च किया गया और किस-किस मद में ? वह आकस्मिकता निधि में आता है कि नहीं, आकस्मिकता क्यों हैं, और यह पैसा क्यों निकाला गया ?

श्री वी० आर० वर्मा–

मान्यवर, संविधान के जिन अनुच्छेदों का उद्धरण माननीय सदस्यों ने दिया है उसकी तरफ जाने में काफी समय लगेगा । संविधान के अनुच्छेद–267(2) में जो व्यवस्था है "राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो "राज्य की आकस्मिकता निधि" के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जायेंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्यपाल के व्ययाधीन रखी जायेगी । यह आकस्मिकता निधि के बारे में कहा गया है । मेरे पास 1980 से आज तक प्रति वर्ष कितना पैसा आकस्मिकता निधि से खर्च किया गया है उसके पूरे टोटल आंकड़े हैं । परन्तु उस सन्दर्भ में मैं बहुत पीछे न जाकर 1993 से लेकर 97 जिसके बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की जा रही है बताना चाहता हूं । 1993 में मार्च में आकस्मिकता निधि से 320.6 करोड़ रुपया खर्च किया गया । 1994 मार्च, में 284.29 करोड़ रुपये खर्च किया गया 95 में 687.16 करोड़ रुपये खर्च किया गया ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, किस मद में कितना खर्च किया गया ?

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी आपकी बात को धैर्य से सुन रहे थे, आप उनकी बात को सुन लीजिए ?

श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय अवस्थी जी माननीय मंत्री जी के जवाब पर प्रश्नचिह्न नहीं उठा रहा हूं। मैं जानकारी चाहता हूं कि आकस्मिकता निधि से निकाले गये जिस धन का वह विवरण दे रहे हैं वह किस प्रयोजन में खर्च किया गया वह इसका भी उत्तर दे दें ?

श्री बी० आर० वर्मा–

95 में 678.16 करोड़ रुपये खर्च किया गया। 96 में 339 करोड़.....

श्री जगदम्बिका पाल–

आप वर्षवार ब्यौरा दे रहे हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मार्च के महीने का यह ब्यौरा है।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

1996 में 339.25 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 1997 में 82.39 करोड़ खर्चा हुआ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ज्यादा दिन का ब्यौरा दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग जवाब सुनें।

(व्यवधान)

आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, जवाब देने के लिये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मार्च में 11.12 दिन का बता रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

1993 मार्च से जून तक पैसा खर्चा किया गया है वह है 335.87 करोड़, 1994 में मार्च से जून तक है 335.31 करोड़।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अवस्थी जी, धैर्य से सुनें। जवाब तो आने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

1995 मार्च से जून तक 714.75 करोड़ रुपया खर्चा हुआ 1996 मार्च से जून तक 370.67 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। 1997 में जिसके लिये बहुत हो-हल्ला हो रहा है मार्च से जून तक 149.21 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जवाब तो आने दें। यह चर्चा नहीं हो रही है ग्राह्यता पर बोला जा रहा है। पूरा जवाब आने दें। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलने की इजाज़त दी है और किसी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी है। इसलिये जो दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री समरपाल सिंह–

आपका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी ने खर्चा नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जवाब तो आने दें, आप सब बैठ जाएं ।

श्री सुधाकर सिंह–

मद नहीं बता रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है ।

श्री सुधाकर सिंह–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सुधाकर जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुधाकर जी ने जो आरोप लगाये हैं यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, इस पर चर्चा करवा ली जाए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आरोप लगाने वाले माननीय सदस्य कृपया अपने गिरेबान में झांक कर देखें

श्री अम्बिका चौधरी–

समाजवादियों के हाथ आगरा के मुसलमानों के खून से रंगे नहीं हैं ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गए)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

छठी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री विवेक कुमार सिंह की वाराणसी जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा थाना सारनाथ की पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

सातवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० वकार अहमद शाह की प्रदेश में कथित रूप से राजनैतिक विद्वेष तथा बदले की भावना से पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रही समाजवादी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

आठवीं सूचना श्री जोखूलाल यादव की जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ना नदी के जल प्लावन से फसलों को हो रही क्षति से बचाने के सम्बन्ध में है । इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

(सदन के वेल में समाजवादी पार्टी के सदस्य घोटाला करने वालों की सरकार, "अम्बेडकर के नाम पर घोटाला करने वालों की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" के नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्थान ग्रहण करें ।

(माननीय सदस्यों ने स्थान ग्रहण कर लिया)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जहां तक आकस्मिकता का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठ जायें मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है ।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह पीठ की अवहेलना कर रहे हैं और यह सरकार पीठ पर दबाव डालने का काम कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी आप बैठ जाएं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी बैठ जाएं, मैंने अवस्थी जी की सूचना को अग्राह्य कर दिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

(कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद जी मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है और मद संख्या 13 ले लिया है ।

(कांग्रेस के कई सदस्य अपनी बात सुने जाने की मांग करते हुये सदन की फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर चलें और सदन को व्यवस्थित बनायें ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया)

जो नियमावली है उसके अनुसार 56 के अन्तर्गत 5 सूचनाओं की ग्राह्यता पर सुना गया उसके बाद जो सूचनायें होती हैं उस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपनी सीट से खड़े होकर अपनी सूचना को सुने जाने के संबंध में बोलने लगे)

(व्यवधान)

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है । एक लाख से अधिक लोगों पर झूठे मुकदमें कायम हुये हैं, इससे ज्यादा अविलम्बनीय कौन सी सूचना होगी ? यह सदन प्रदेश की जनभावनाओं का प्रतीक है और राजनैतिक विद्वेषवश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हुई हैं । इससे लोक महत्व का कौन सा विषय हो सकता है । आपकी कौन सी क्राइटेरिया है, कौन सा आधार है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी, इस सदन के आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप नियमावली भी जानते हैं । 56 की सूचनाओं के संबंध में श्लाका की व्यवस्था है और जो पहले 5 सूचनायें आती हैं उनकी ग्राह्यता पर सुना जाता है और बाकी पर ध्यानाकर्षित किया जाता है । मैंने पहले ही श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री विवेक कुमार सिंह की सूचना तथा श्री धनीराम वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० बकार अहमद शाह एवं श्री जोखूलाल यादव की सूचना पर शासन का ध्यानाकर्षित कर दिया है । बाजपेयी जी, चूंकि आपकी सूचना सातवें नम्बर पर आयी है इसलिये इसे नियमावली के अनुसार शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजा जाता है ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, इस सूचना को कल ले लें जिससे हम अपनी बात को उठा सकें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो विषय एक दिन आ जाता है और यह विषय आज सातवें नम्बर पर आ गया है और उसके उपरान्त ध्यानाकर्षित के लिए भेजा जा रहा है तो फिर आप लोगों को क्या कहना है ?

डा० अशोक बाजपेयी–

(व्यवधान) मान्यवर, समाजवादी पार्टी के 200 लोगों की हत्या की गई है । यह प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा मामला है । इसे सुनने का आपको पूरा अधिकार है । यदि आप महत्वपूर्ण समझते हैं तो अपने विवेक से आप सुन सकते हैं । (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

वाजपेयी जी पीठ नियमों से संचालित होती है और नियमों के अन्तर्गत आपकी सूचना श्लाका में स्वीकृत नहीं हुई है । इस पर मैंने व्यवस्था दे दिया है तो पीठ की व्यवस्था हो जाने के उपरान्त,मद संख्या 13 पुकार लेने के बाद, तथा श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े हो जाने पर अब इस पर चर्चा कैसे हो सकती है । इसलिए आप लोग बैठ जायें ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के नेताओं का जीवन असुरक्षित है । (व्यवधान) हम लोग अपनी बात को सदन में नहीं उठा सकते हैं तो कहां उठायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अभी बजट पर सामान्य चर्चा होनी है तो आपको, नेता विरोधी दल को बोलने का समय मिलेगा तो उस समय आप लोग अपनी बात कह लीजियेगा । इसके अलावा गृह विभाग की अनुदान के समय भी बोलने का मौका मिलेगा । आज जब व्यवस्था हो गयी और श्री सूर्यप्रताप शाही को बुला लिया है तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग बैठ जायें और सदन को संचालित करने में सहयोग दें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, 20 वर्षों से मैं यहां आ रहा हूं लेकिन यह सदन कभी भी इतने गम्भीर मामले में ऐसा रूख नहीं अख्त्यार किया है कि 200 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के प्रश्न को यहां जब हम उठाना चाहते हैं तो आप निर्देश दे रहे हैं कि सारे विषयों का बजट में प्राविधान है । शून्य प्रहर में दूसरे कोई विषय आने की आवश्यकता ही नहीं है । आप यही मान्यवर, कहना चाहते हैं तो शून्य प्रहर, प्रश्न प्रहर या अन्य सारी व्यवस्थायें नियमावली में क्यों की गई है ? मान्यवर, हमने इतना गंभीर विषय उपस्थित करने की अनुज्ञा चाही है । 200 लोगों की हत्यायें हो गई, एक लाख से ज्यादा लोगों को झूठे मुकदमों में बन्द किया गया है । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है और कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है ...

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा था कि किस नियम के तहत बाजपेयी जी को आपने अनुमति दी है । यह लिखा जायेगा अथवा नहीं । यह प्रकाशित होगा कि नहीं । यह देखा जा रहा है कि बहुत से माननीय सदस्य अखबारों में प्रकाशित करने के लिये ज्यादा उत्सुक रहते हैं । जब इस तरह के आरोप लगाये जायेंगे तो आपको सरकार का पक्ष भी सुनना होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कोई अनुमति नहीं दी है । मैंने मद संख्या–13 पर श्री सूर्य प्रताप शाही को बुला लिया है । माननीय बाजपेयी जी आप पुराने सदस्य हैं, आपको बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा में पूरा अवसर मिलेगा । आपकी सूचना सातवें नं० पर आई थी, इस पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

(पुनः श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर)

(समाजवादी पार्टी के श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री शिव पाल सिंह यादव सहित अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यह सदन नियमों से संचालित होता है, कृपया इसके चलने में सहयोग दें और अपने स्थानों पर जायें ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा फ्लोर से ही अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने तथा रिपोर्टर्स की मेज पर चढ़कर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

मैं सदन को 4.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक स्थगित कर दी ।

4 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन पुनः 4 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई ।

श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप चर्चा अवश्य करवायें क्योंकि वह एक गंभीर मामला है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज बनारस में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई है । पुलिस की उपस्थिति में सारनाथ में 10 लाख रु० की डकैती हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित तो कर दिया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले तीन महीने से बी० जे० पी० और बी० एस० पी० के इस नापाक गठबन्धन सरकार ने योजना बद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी के जुझारू नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्याएं करवा रही है वह बहुत ही अफसोस व शर्म की बात है । आज तक 200 से अधिक समाजवादी पार्टी के जुझारू नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई । हजारों निरपराध कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दिया गया है और सैकड़ों कार्यकताओं को एन० एस० ए०, गैंगस्टर एक्ट और हरिजन एक्ट में झूठे तरीके से राजनीतिक विद्वेष की भावनाओं से उत्पीड़न का कार्य किया जा रहा है । मान्यवर, बनारस में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतता है । दूसरे दिन जब वह अस्पताल में पड़े विधायक जी से मिलने जाता है बधाई के लिए तो दिन दहाड़े चार साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है परन्तु अभियुक्तों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कल ही श्री पारस नाथ यादव जी ने अपने ऊपर घटित घटना का वर्णन किया, उनके ऊपर एस० एल० आर० और ए० के० 47 जैसे हथियारों से हमला किया गया और हत्यारे फरार हो गये

परन्तु आज तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । 9 तारीख को अजीतमल में तीन समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या कर दी जाती है ? और चार लोगों को घायल कर दिया जाता है, हत्यारे फरार हो गये उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । 10 तारीख को इटावा के अजीतमल चौराहे पर चार लोगों की हत्या कर दी गई । इस प्रकार मान्यवर, 200 समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्याकर दी गई और अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । सदन में यह मामला उठा और सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया परन्तु मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत में खोट है और जानबूझकर सोची समझी चाल के अन्तर्गत सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के जुझारू नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्यायें की जा रही हैं और हत्यारों को सरकार संरक्षण दे रही है और वे स्वच्छन्द रूप से घूम रहे हैं ।

आज समाजवादी पार्टी के लोगों का जीवन दूभर हो गया है उनमें आज असुरक्षा की भावना है । उत्तर प्रदेश में एक लाख से अधिक समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंसा गया है । हमारे पास जिलेवार सूची है यदि पीठ से इस सूची को माना जाता है तो मैं इसे दे रहा हूं और अनुरोध भी कर रहा हूं कि इस सूची को आप कार्यवाही का हिस्सा बना लें । इस सूची में किस जिले में किस-किस तिथि को कितने समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्याएं हुई कितने लोगों के विरुद्ध एन० एस० ए० लगाया गया कितने लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाये गये और कितने निरपराध लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट लगाए गए इसका पूरा ब्योरा है । मान्यवर, राजनीतिक जीवन में काम करने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी राजनैतिक पार्टी से जुड़ा होता है । परन्तु जब से यह नापाक गठबन्धन की सरकार बनी है जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का काम कर रही है यह इसलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों के विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग अपनी आवाज उठाते हैं और उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं मान्यवर, झांसी में समाजवादी युवजन सभा व झांसी कोआपरेटिव बैंक के सदस्य श्री दीप नारायण यादव जी की हत्या कर दी गई और अभियुक्तों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । यदि सरकार सही ढंग से विवेचना नहीं करेगी और अभियुक्तों को नहीं पकड़ेगी तो सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति कैसे रह पायेंगे ?...

मान्यवर, आपके सामने धर्मज्ञ मिश्र की घटना को मैं दोहराना चाहता हूं । आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन प्रत्येक जिले में चल रहा था, प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में तो उस समय हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में बन्द किया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था । लेकिन श्री धर्मज्ञ मिश्र को 40 दिनों तक जेल में बन्द रखा गया झूठे मुकदमें बनाकर और उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी । मान्यवर, ऐसा व्यवहार किसी भी सरकार ने नहीं किया है जो यह सरकार कर रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इनके हाथ खून से सने हुए हैं इन हत्याओं में । मान्यवर, यह केवल नियम–56 का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह प्रश्न है बदले हुए परिवेश का । अगर इनके मन की बात नहीं होती है तो यह बर्दास्त नहीं कर पाते हैं । ये लोग राजनीतिक विरोध बिल्कुल बर्दास्त नहीं कर पाते हैं अगर कहीं इनकी आलोचना की जाय तो यह बर्दास्त नहीं कर पाते हैं और अगर विरोध होता है तो वे उनकी हत्याएं करवाते हैं । यही इनका बदला होता है । मान्यवर, अगर इसी तरह से सार्वजनिक जीवन में उत्पीड़न होता रहेगा तो कहां जायेगा, हमारा प्रजातंत्र और कहां जायेगा, हमारा लोकतंत्र ? मान्यवर, राजनीति करने वालों के राजनीतिक विरोध हो जाया करते हैं लेकिन यह विरोध व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं बदलते हैं । लेकिन यह बरसा

और भाजपा की सरकार इस बिन्दु पर एक मत है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो, उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाया जाय । इस मामले में यह सरकार मजबूत है । मान्यवर, यह लोग नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बढ़े उसकी जड़े मजबून हो इसलिए एक-एक करके समाजवादी पार्टी के लोगों को सार्वजनिक जीवन से उठाने का काम यह सरकार कर रही है । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस सूची को ले लें और इसमें देख लें कि कितने लोगों को इसमें झूठे मुकदमें में फंसाया गया है ? आज यह सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अन्याय का पर्याय बन गये हैं । इनमें कई लोगों को एन० एस० ए० और गुण्डा एक्ट में बन्द किया गया है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 45 दिनों तक अपराध विरोधी अभियान चलाया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और बसपा और भाजपा का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है । जबकि इसमें कितने ही ऐसे व्यक्ति है जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । .....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, प्रदेश की निरीह जनता को अपराध विरोधी अभियान के तहत झूठे मुकदमें में फंसाया जा रहा है और ये लोग सिर्फ अपनी संख्या पूरी करने में लगे हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, इससे बड़ा अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । अगर इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलायी जायेगी और उनका उत्पीड़न किया जायेगा और यह सदन कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो यह प्रक्रिया नियमावली में नियम--56 किसलिए है । मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आप इस पर सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें । मान्यवर, आप तो कुछ परम्परा बनायें और अध्यक्ष पीठ से अपना निर्णय दें । आज प्रदेश का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भयभीत है, आतंकित है और परेशान है इसलिए आप इस पर चर्चा करायें । आप इस विषय पर सरकार को निर्देश दें कि झूठे मुकदमें बनाकर उनको न फंसाया जाये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये । इसी के साथ मैं एक बार फिर इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जब से यह हुकूमत इनके साथ में आयी है और जैसा कि अभी बताया गया कि छात्र नेताओं पर गोली चलायी गयी उनकी हत्या करवा दी गयी, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत लोग हैं उनकी मजबूती देखकर इन्होंने जो आक्रामक वातावरण बनाया है उससे नहीं लगता है कि यह हुकूमत जनता के द्वारा चुनी गयी है ।

इस हकूमत के क्रिया कलाप गोल बाजी के रहे हैं । इस सरकार की मंशा सदैव राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को दबाने की रही है । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले के रेवतीपुर गांव सभा में एक ही जाति के 12 लेगों को रासुका में बन्द कर दिया गया, वह सभी यादव

जाति के थे, उनका कोई कसूर नहीं था और न उनके विरुद्ध कोई केस था। तो मान्यवर, सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और सरकार यह देख रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग देश और प्रदेश में छाये जा रहे हैं, इसलिये उसके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। हिंसा के बल पर उनको दबाया जा रहा है। मान्यवर, झांसी में दीप नारायण सिंह नाम का एक लड़का है। वह समाजवादी युवजन सभा का पदाधिकारी है। डी० आई० जी० ने उसको तंग करना शुरू कर दिया है और यही नहीं उस पर दो बार अटैक हुआ है, उसकी जान का खतरा है, उसने अपने संरक्षण के लिये लिखकर भी दिया है, लेकिन यह सरकार गूंगे और बहरों की तरह कार्य कर रही है। अगर हकूमत में बैठने वाले लोगों का मन छोटा हो जायेगा, तो देश और प्रदेश का कार्य कैसे चलेगा ? आप इस पर चर्चा करा दें और सदन के अन्य कार्यों को स्थगित कर दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश में जब से यह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी है, लगभग 200 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी है, और आज भी यह सिलसिला जारी है। सबसे पहले जसवन्त नगर के चौदिया थाने में महेन्द्र उर्फ भूरे की हत्या कर दी गयी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी, लेकिन हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी तरह से तारा सिंह जो भूमि विकास बैंक, विधूना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गयी और हत्यारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रो० वारीश राठौर जो अजीतमल महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, उनकी हत्या कर दी गयी एवं उनके ४ वर्ष के लड़के की भी हत्या कर दी गयी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयी, जो अस्पताल में मरणासन्न पड़ी है। श्रीमती इन्द्रावती, चितभवन थाना इकदिलकी हत्या की गयी और तीन घरों को लूट लिया गया, लेकिन आज तक रिपोर्ट डकैती में नहीं लिखी गयी है और न हत्यारों को गिरफ्तार ही किया गया है। इस प्रकार से लगभग दो सौ हत्यायें की गयी हैं। इटावा का जो एडीशनल एस० पी० है, सिया राम शरण आदित्य, वह हत्यारों को संरक्षण दे रहा है। जसवन्त नगर के संजीत यादव की हत्या कर दी गयी है, जो अपराधी थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। घर वालों को सूचना करने के बाद भी उसकी लाश को लावारिस के रूप में फेंक दिया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं में सरकार की साजिश है और हत्यारों को भी सरकार का खुला संरक्षण है। इटावा के एडीशनल एस० पी० हत्यारों को अपने घर पर बुलाता है और उनको संरक्षण दिये हुये हैं। इसलिये आप इस गंभीर बिन्दु पर चर्चा करा दें और इस उक्त अपराधों से जुड़े मुख्य अपराधी सियाराम शरण आदित्य के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री चन्द्रपाल सिंह के खड़े होने पर) माननीय चन्द पाल जी सारी बातें आ गयी हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री चन्द्र पाल सिंह यादव के खड़े होने पर)माननीय चन्द्र पाल जी सारी बातें आ गयी हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सन लें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें (व्यवधान)

श्री मुराद लारी–

| x x x | को भी समय दें ।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, आक्षेपात्मक शब्द कार्यवाही में नहीं आयेंगे ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रकार से भाजपा बसपा की सरकार बनने के पश्चात् समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्यायें हुई, उन पर फर्जी मुकदमें दर्ज किये गये, और जेल भेजा गया उसकी मिशाल नहीं मिलेगी । सत्ता में बैठे लोग राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जिस प्रकार की कार्यवाही करने में लगे,उसे लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण से निवेदन है शांति बनाये रखे । लारी साहब शान्त रहे ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

सही बात सुनने में तकलीफ हो रही है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हत्यायें हो रही है चाहे वह इटावा में हुई हो या बनारस में छात्रनेता की हत्या हुई हो, चाहे रामपुर में अल्पसंख्यकों को खड़ा करके गोली मारी गयी हो या गाजियाबाद में अल्पसंख्यकों को मारा गया हो वह शर्म की बात है। पूरे प्रदेश में एक लाख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसा कर जेल भेज दिया गया है ।

मैं बुंदेलखंड की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं झांसी जिला सहकारी बैंक के चैयरमैन की हत्या का प्रयास किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

झांसी के समाजवादी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री दीप नारायण सिंह को जिस प्रकार वहां के डी० आई० जी० द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं और जेल भेजने की साजिश की जा रही है । वहां के ब्लाक प्रमुख लेखराज सिंह को गैंगस्टर एक्ट में बंद किया गया यह निश्चित रूप से निंदाजनक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आरोप लगा रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि झांसी में दो घटनायें हुई एक 15 जुलाई को हुई, कानून सबके साथ एक सा होना

नोटः–| x x x | यहअंश श्रीअधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चाहिये चाहे वह किसी दल के हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । तो मैं कह रहा था 15 जुलाई को झांसी में उ० प्र० और मध्य प्रदेश की सीमा पर वहां के व्यापारियों को जिस प्रकार लूटा गया उसकी कोई मिशाल नहीं हैं । लूटेरे जब भागते हैं उनका पीछा मध्य प्रदेश की पुलिस करती है और सीमा पर बैरियर में वायरलेस आता है कि लाल मारूति में लूटेरे भाग रहे हैं, एक बहादुर सिपाही बैरियर लगाकर सामने खड़ा हो जाता है तो लुटेरे उसे गाड़ी से रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं (व्यवधान) क्योंकि उस गाड़ी में भागने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोग थे । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जाकर तहसीलदार,मैजिस्ट्रेट के घर के दरवाजे तोड़कर,घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है । दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग अगर राजनीतिक कार्य करते हैं सार्वजनिक कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध गुण्डा एक्ट और रा०सु०का० का प्रयोग किया जाता है । कानून सबके लिये एक सा होना चाहिये । मैं चुनौती देना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जांच करा लें अगर एक भी मुकदमा कहीं निकल आये तो जो सजा देंगे मैं वह भुगतने के लिये तैयार हूं । आज अपराधी पूरी तरह से सत्तापक्ष के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं । हमारे बुंदेलखण्ड में महोबा जिले में एक 6 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया गया लेकिन पुलिस ने छिपाने के लिये एक पागल बैसेरामजीद को को फर्जी रूप से फंसाकर इस काण्ड को छिपाने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिये और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मैं एक बात झांसी के संबंध में कहना चाहता हूं, मैं झांसी से संबधित हूं वहां का, झांसी का डी०आई०जी० जो है पूरे मण्डल में जो अपराध हो रहे हैं वह उनके संरक्षण में हो रहे हैं और वह अपराधियों को संरक्षण दिये हुये हैं । किसी भी दिन वहां कोई घटना हो सकती है और किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या हो सकती है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दें नहीं तो आज हमारे साथ हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है वह कल आपके साथ भी घटेगा । यह मामला अत्यंत लोक महत्व का है मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट अपनी बात कहने के लिये समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब एक मिनट की अनुमति नहीं दी जायगी सारी बातें आ गयीं हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

एक मिनट का समय दे दें आप हमारे मंडल के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें, अब समय नहीं दिया जा सकता है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

| x x x |

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

| x x x |

श्री राम प्यारे–

एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समय नहीं दिया जायगा ।

श्री राम प्यारे–

| x x x |

श्री अधिष्ठाता–

यह आक्षेप है, यह आक्षेप के शब्द नहीं लिखे जायेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो नियमावली का नियम–56 है उसके तहत 5 सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुना जाता है और उसमें शासन का पक्ष भी आता है और 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

परन्तु आपने ...

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह तो पीठ का निर्णय है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

परन्तु मान्यवर, आपने अनुकम्पा करके इस पर जो सातवीं नोटिस थी, सुनने की कृपा की है । मान्यवर, जो नोटिस दी गई है उसमें 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है और उन घटनाओं के बारे में मेरे पास पूरी सूचना है । इसके अतिरिक्त जो भी आरोप लगाये गये हैं या जो बातें कही गई हैं वह निराधार हैं और उसका मैं घोर प्रतिवाद करता हूं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, जो झांसी की घटना बताई है उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग पाये गये कि नहीं, यह बता दें ?

विधान सभा

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसका शीर्ष कार्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाये रखना है और इसके लिये हमने 45 दिन का एक अभियान चलाया। इस 45 दिन के अभियान में जो भी गुण्डा, माफिया था उसको जेलों में भेजने का कार्य किया है। जो माननीय सदस्य सूची देना चाहते हैं दे दें। हम एक-एक घटना के बारे में बता देंगे, सन्तुष्ट कर देंगे। भारत सरकार कें इनके एक नेता के द्वारा सूची मिली थी। उसमें जिन घटनाओं का जिक्र था उनमें से एक-एक घटना के बारे में पूरे तथ्य दे दिये गये हैं। हम किसी भी चीज को किसी भी तथ्य को छिपाना नहीं चाहते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री को हमने उससे अवगत करा दिया है। आज माननीय सदस्य जिस घटना के बारे में सूचना या तथ्य चाहते हैं हम उनको एक-एक घटना के बारे में तथ्य बता देंगे, उनको अवगत करा देंगे। मान्यवर, आपको यदि कोई सूची दी गई होगी तो हम उस सूची को भी शिरोधार्य करके एक-एक चीज बतायेंगे। हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि...

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं एक सूची माननीय अधिष्ठाता महोदय को प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

आप हमको सूची दे दीजिये। हम आपको एक-एक घटना के तथ्य से अवगत करा देंगे। मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहती। चाहे आप उधर बैठे हों या हम उधर बैठे हों। किसी तथ्य को किसी चीज को छिपाने की मंशा नहीं है हमारी। जो भी अपराधी पाया गया हमने उसको सजा दी है किसी को बचाने या छिपाने का प्रयास नहीं किया, न ही नजर अंदाज किया कि यह इस पार्टी से संबंधित है या उस पार्टी से। हमने अपराधियों को जेल में भेजने का कार्य किया है। इसके बाद भी कहना कि हमारे कार्यकर्ता थे। मान्यवर, हमने अपराधियों को जेल भेजा है। हमने यह नहीं देखा कि वह किस पार्टी का है। मायावती बहिन ऐसी मुख्य मंत्री हैं जिनके कार्य काल में हमने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने किसीअधिकारी को कुछ कहने का कार्य किया तो हमने उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजने का कार्य किया है। कोई भी पार्टी नहीं देखी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को 45 दिन का अभियान चलाकर ठीक किया है।

गुण्डों माफियाओं को जेल के अन्दर भेजने का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ढिंढोरा पीट रहे हैं तो जितने अपराध हमारे समय में दर्ज हुए हैं उससे कही ज्यादा अपराध आपके समय में दर्ज हुए हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

इसलिये कि यह सरकार दूरदर्शी है। आपके गृह मंत्री को भी एक-एक तथ्य से अवगत कराया है।

(व्यवधान)

आपने जो बनारस की घटना का जिक्र किया है उसमें प्रभावशाली कार्यवाही की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी तरह से चाहे जो हो हमने दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति, धर्म मजहब को नहीं देखा है– (व्यवधान)

यह सरकार अपराधी को अपराधी मानती है खून चाहे किसी का हो वह उत्तर प्रदेश के नागरिक का खून होना है । अपराधी की सही जगह जेल है वह या तो जेल में रहेगा अन्यथा उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

इसके लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है । सरकार कार्यवाही कर रही है । उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है । (व्यवधान)

नियम–56 में आपने अनुकम्पा करके इस मामले में सुना यह किसी तरह से नियम–56 में नहीं आता है ।

(व्यवधान)

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति बनाए रखें । कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

एक मिनट सुन लें । संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितने हत्याओं के आरोप इधर से लगाए गये हैं जितने अपराधों के आरोप लगाए गये हैं एक से भी इनकार नहीं किया है इससे यह स्पष्ट होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वह सही हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो बसन्त पटेल पुत्र मेघू है––

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 की सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

जो मैंने कहा लुटेरों में लाल मारुती में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे उसमें जांच कराएं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था आ गई है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यादव जी ने जो कहा वह निराधार है इसका मैं घोर विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री जोखूलाल यादव की सूचना शासन को कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है ।

(माननीय अधिष्ठाता द्वारा दिए गए निर्णय से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गए ।)

प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों का समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण का संकल्प

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए, राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाय । प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों की समस्या से संबंधित यह संकल्प है । इस संकल्प में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास, कृषि विकास और संसाधनों को बढ़ाए जाने की संभावनाएं निहित हैं । जैसी कि आपकी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कुल गन्ने का उत्पादन लगभग 1400 लाख टन प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की पेराई क्षमता इससे बहुत ही कम है । आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की जितनी पैदावार की जाती है उसका करीब 30 या 33 प्रतिशत गन्ने की पेराई चीनी मिलों द्वारा की जा रही है । जैसी कि हमें जानकारी है उत्तर प्रदेश में 117 चीनी मिलें हैं इन चीनी मिलों में 135 चीनी मिलें चीनी निगम की हैं 31 चीनी मिलें, सहकारी क्षेत्र की हैं और निजी क्षेत्र की 47 चीनी मिलें हैं । भारत सरकार की 4 चीनी मिलें हैं । जो चीनी निगम की चीनी मिलें हैं उसमें से अधिकांश चीनी मिलें 1930 से लेकर 1933 के बीच स्थापित हैं । उनमें से ज्यादातर चीनी मिलें मृतप्राय हो गयी हैं और अलाभप्रद हैं । उनकी तकनीकी व्यवस्था पुरानी होने के नाते वह पूर्णतया जर्जर, रूग्ण और अनार्थिक हो गयी है जिसकी वजह से कारपोरेशन प्रति वर्ष लगातार निरन्तर घाटे में जा रहा है और जितना उन्हें गन्ना आवंटित किया जाता है उस गन्ने का वह समय से पेराई नहीं कर पाती हैं । अधिकांश चीनी मिलें जून तक चलानी पड़ती हैं जिसकी वजह से रिकवरी का प्रतिशत काफी कम हो जाता है और हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपये का घाटा होता है । इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 1992-93 में राजकीय चीनी निगम को 88 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 1993-94 में 75 करोड़ रुपये का घाटा तथा 1994-95 में 43 से 45 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो बढ़कर 1996-97 में 146 करोड़ रुपये हो गया और 1996-97 में 153 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । इस घाटे की प्रतिपूर्ति सरकारी खजाने से हर साल निगम को की जाती है तथा समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने में यह मिलें अक्षम हो गयी हैं । अत्यन्त पुरानी और अलाभप्रद होने के नाते हमेशा इसकी रिकवरी का प्रतिशत गिरता जा रहा है । इस सिलसिले में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की रिकवरी 1992-93 में 898 फीसदी थी वह घटकर 94-95 में 8.12 हो गयी । 1994-95 में वह रह गयी तथा आगे 1995-96

के पेराई सत्र में वह घटकर 8.09 फीसदी रह गयी । एक फीसदी यदि रिकवरी घटती है तो एक लाख कुंटल गन्ना अगर पेरा जाता है तो उससे 11 लाख रुपये की हानि होती है । इन मिलों के जर्जर होने के नाते सम्पूर्ण पेराई व्यवस्था चरमरा गई है और उत्तर प्रदेश का आर्थिक ढांचा भी ध्वस्त हो रहा है इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि निगम की जो चीनी मिलें अधिगृहीत की गई थी । 1971 में राष्ट्रीयकरण के बोलबाले के कारण की गयी, जिस समय अधिग्रहण हुआ था उस समय ही चीनी मिलें मृतप्राय हो गयी थी लेकिन घाटे का सौदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अधिग्रहीत करके किया और आगे चलकर अन्य चीनी मिलों का अधिग्रहण करती रही । अब उनकी संख्या 35 पर पहुंच गयी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जब तक समयबद्ध रूपरेखा बनाकर इन चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई होने की संभावना नहीं है और दूसरी ओर हर साल यह घाटा बढ़कर 50 से 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के ऊपर बढ़ती चली जा रही है । राजकीय चीनी निगम की 19 बीमार चीनी मिलें हैं जिसमें देवरिया, बैतालपुर, भटनी, रामकोला, लक्ष्मीगंज, छितौली, गुगली, नवाबगंज और बुढ़वाल आदि हैं । ये चीनी मिलें 850 से 1150 मीट्रिक टन प्रतिदिन पेराई का काम करती हैं । जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में अध्ययन कराया उसमें यह निष्कर्ष निकला कि 2500 मीट्रिक टन से नीचे वायवेल्टी नहीं है वह घाटे के भीतर होंगी । जब सरकार के समक्ष यह तथ्य प्रकाशित हो गया कि 850 से लेकर 1150 मीट्रिक टन क्षमता वाली मिलें घाटा देंगी और प्रतिवर्ष 200 से 350 करोड़ तक का घाटा होगा तो ऐसी स्थिति में मान्यवर, यह व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए कि समयबद्ध रूपरेखा तैयार करके हर साल या पंचवर्षीय योजना बना दें कि हर साल 5 चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता पर जो 150 करोड़ रुपये के राजस्व का बोझ बनता जा रहा है, घाटों की आपूर्ति करने में उससे उबारा जा सकता है । किसानों की हालत को सुधारा जा सकता था, उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सकता था जो कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी है । मैं जनपद देवरिया की बात कहना चाहता हूं, जहां चीनी मिलें पी० सी० एस० अधिकारियों का चारागाह बन गयी है । फेडरेशन में जो चीनी मिलें हैं, उनकी संख्या 31 है, 31 में से भी अधिकांश चीनी मिलें बीमार हैं, उनकी भी क्षमता 1250 मीट्रिक टन के करीब है । जबकि वह 7-8 साल पहले की बनी हैं । उनको जब स्थापित किया गया तो उनकी क्षमता का आकलन किये हुये बिना किया गया । उनकी पेराई क्षमता कम होने के नाते वह भी घाटा दे रही है । सहकारी संघ की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र में सहकारी संघ ने एक औद्योगिक क्रान्ति ला दिया है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है । यहां सहकारी चीनी मिलें भी घाटा दे रही हैं । सहकारी संघ और कारपोरेशन दोनों ही चीनी मिलों को मिला करके सरकार द्वारा एक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए । शुगर फेडरेशन की घाटमपुर में नई चीनी मिल लगी । 1984-85 में, 1991-92 में पेराई सत्र चालू किया जाना चाहिए उसमें 3 साल का विलम्ब हुआ जिसके कारण 15 करोड़ रुपये का इन्टरेस्ट बढ़ा । मशीनों की सप्लाई में धांधली की गयी, वायलर की क्षमता 20 टन होनी चाहिए थी, सप्लाई कर दी गई 15 टन की । नतीजा यह हुआ कि मिल चलने के पहले ही बीमार हो गयी । जितने भी प्लान्ट लगाये गये घटिया किस्म के लगाये गये ।

मान्यवर, मैंने जो रिकार्ड देखा तो उसके अनुसार उस समय के जनरल मैनेजर जो पी० सी० एस० थे, वह जाति के ठाकुर थे, मिल उनकी चारागाह बनी । पी० सी० एस० अधिकारियों की चीनी मिलें आज चारागाह बनी हैं । देवरिया की जो चीनी फैक्ट्री है उसमें 1991-92 में रु० 342 लाख का घाटा उस साल था लेकिन 1992-93 में इस फैक्ट्री में जब एक टेक्नीशियन मैनेजर आये तो यह घाटा कम

होकर 206 लाख रु० पर आ गया । वर्ष 1993-94 में कम होकर 185 लाख रु० और 1994-95 में फिर घाटा 134 लाख रु० पर आ गया । किन्तु वर्ष 1995-96 में जब एक पी० सी० एस० अधिकारी श्री राकेश कुमार तथा उसके बाद एम० एम० लाल को वहां भेजा गया तो जो घाटा 134 लाख रु० था वह बढ़कर पांच करोड़ रुपये हो गया वे बंगले में सोते थे सीरा नाली में बहता था। कुप्रबन्ध से घण्टों मिल बन्द पड़ी रहती थी । मशीनरी और मरम्मत में कमीशन खाने और घटिया मशीन लगाने से मिल बन्द रहती और मार्च तक 50% क्षमता का उपयोग हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें चूंकि अभी 5 संकल्प और हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण संकल्प है, इसलिए इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह शुगर कार्पोरेशन की मिलों में घाटा क्यों बढ़ रहा है ? मैंने जानकारी किया कि शुगर मिल 25 एम० टी० की कितने में लगेगी, मालूम हुआ कि 40-45 करोड़ रु० में लग सकती है जबकि कार्पोरेशन के पास अपनी यूनिट है, भूमि मशीनरी और अन्य सुविधाएं हैं जब कि वह चीनी मिलें 25 करोड़ रु० में लगाई जा सकती हैं । इसलिए सरकार संकल्प लें कि हर साल जो कार्पोरेशन में बीमार मिलें हैं उनका यदि समयबद्ध तरीके से विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण करेंगे तो एक वर्ष में जो घाटा उठाया जा रहा है 150 करोड़ रु० का उसमें 5 चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है । इस प्रकार 150 करोड़ रुपये का घाटा भरा जाता है तो 150 करोड़ रु० और निकाल कर 300 करोड़ रु० से 5 चीनी मिलों का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है ? मान्यवर, सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 3 प्रकार की समस्याएं हैं जैसे एक तो समस्या है कि उत्पादित गन्ना का 30 प्रतिशत पेराई करते हैं और 66 प्रतिशत गन्ना क्रेशर और कोल्हू के पास चला जाता है । इसलिए उसकी पूरी तरह से यूटिलिटी नहीं हो पाती है । क्योंकि कोल्हू और क्रेशर के अन्दर रिकवरी 5 से 6 प्रतिशत तक होती है । अच्छी चीनी मिलें कार्पोरेशन द्वारा बाद में लगायी गयी हैं और उनका परशेन्टेज 10 प्रतिशत से ऊपर है, इस प्रकार 4 प्रतिशत शुगर का लास होता है । यह राष्ट्रीय क्षति है । मान्यवर, इस प्रकार एक लाख क्विंटल पर 44 लाख रु० घाटा जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का घाटा हो रहा है क्योंकि बिक्रीकर उत्पादन कर इक्साइज और अन्य दूसरे करों के रूप में जो रुपया मिलता है वह नहीं मिल रहा है । इस प्रकार एक बहुत बड़ी पूंजी घाटे में कुप्रबन्ध के कारण जा रही है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसको एक समयबद्ध रूप रेखा तैयार करके इस कुव्यवस्था को ठीक किया जाय । मान्यवर, पुवांया मिल में मंत्री जी गये थे तो वहां पाया कि 388 बोरे चीनी की शार्टेज है । मैं जानना चाहता हूं वह चीनी कहां चली गई ? इसलिए उस जी० एम० के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी ।

मान्यवर, जी० एम० के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम कर उसे जेल भेजा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसको दूसरी जगह भेज दिया गया, इससे भ्रष्टाचार करने वाले जो अधिकारी है, उनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है । मान्यवर, वहीं पर यह भी जानकारी मिली है कि 60 टैंकर शीरा गेट के बाहर था, गन्ना राज्य मंत्री ने खुद पकड़ा, इसकी निकासी की इन्ट्री ही नहीं थी, यह सब भ्रष्टाचार, गबन करने का काम वहां का जनरल मैनेजर कर रहा था, एफ० आई० आर० हुई है लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है । जहां-जहां पी० सी० एस० जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने वहां

पूरा धांधली मचा दिया मैंने देवरिया का उदाहरण दिया, इन पी० सी० एस० अधिकारियों को न तो तकनीकी ज्ञान है, न वह समय पर सफाई का काम, मरम्मत का काम कराते हैं। हमेशा अपने बंगलों के भीतर पड़े रहते हैं। मिल के भीतर चीनी की क्वालिटी कैसी हो रही है, इसकी चेकिंग करने का काम भी वह नहीं करते। मान्यवर, बोरों में भी धांधली कराई जा रही है, घटिया किस्म के बोरों में अच्छी किस्म की चीनी भर दी जाती है। इसी तरह सी ग्रेड की चीनी में बी ग्रेड की चीनी मिला दी जाती है इससे कारपोरेशन को भारी घाटा पहुंचता है, इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुये इसकी एक कार्य योजना तैयार करें और कुप्रबन्ध को दूर कर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय।

मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि घाटमपुर चीनी मिल में 171 कि०मी० दूर से गन्ना ढोया जाता है और इस तरह केवल ढोने में ही 10 रुपये क्विंटल का घाटा लगता है। यही स्थिति घोसी चीनी मिल की है, यही नन्दगंज की दशा है। जहां आवश्यकता नहीं है, वहां चीनी मिलें लगाई गई हैं। मढ़नी, देवरिया, बैतालपुर, बस्ती, मुंडेरवा बाजार की चीनी मिलें जर्जर अवस्था में हैं, वहां आवश्यकता इस बात की है कि उनकी क्षमता बढ़ाई जाय, वह होता नहीं है। क्षमता उनकी बढ़ाई जाती है, जिनकी आवश्यकता नहीं है जैसे घोसी चीनी मिल वर्ष में मुश्किल से केवल 3 महीने चलती है उसको 1250 से 2500 किया जा रहा है उसके पास वर्तमान पेराई क्षमता के लिए भी गन्ना नहीं मिलता। जनपद देवरिया, बैतालपुर चीनी मिल जिसकी 2 से 3 परसेन्ट रिकवरी पहुंच जाती है, उसके लिये कोई कार्य योजना नहीं है, इसलिये इस संकल्प के माध्यम से, मैं इस विषय पर एक नई कार्य योजना बनाये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, यही स्थिति भटनी चीनी मिल की है, वहां 800 एम० टी० की पेराई क्षमता है, कह दिया जाता है कि हमने आशय पत्र दे दिया है, फैक्ट्री अवश्य लगेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आशय पत्र बहुत समय से मिलते रहे हैं। जब सरकार 150 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये निगम और संघ के घाटा कर 250 करोड़ रुपये खर्च कर रही है तो क्यों नहीं 250 करोड़ रुपये की जगह 500 करोड़ रुपये खर्च कर समयबद्ध रूपरेखा बनाकर इस गरीब, जर्जर, रुग्ण और कमजोर मिलों की व्यवस्था को ठीक करके क्षमता बढ़ाने का कार्य कर रही है ? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी इसी विषय पर माननीय शाही जी बोल रहे थे। उन्होंने काफी विस्तार से अपनी बात रखी। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण न होने से प्रदेश सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। आज केवल 35 प्रतिशत गन्ना चीनी मिलों में जा रहा है, 66 प्रतिशत खांडसारी में दिया जा रहा है। यहां पर बैठकर सरकार द्वारा गन्ने का रेट तय किया जाता है। जबकि 66 प्रतिशत गन्ना 15, 20 अथवा 25 रुपये प्रति क्विंटल पर जा रहा है, हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, गन्ना किसानों की दशा अत्यन्त खराब है, 20 रु० प्रति क्विंटल पर गन्ना डालने के लिये किसान बाध्य है, क्योंकि उसे अपना खेत खाली करना होता है...

[समय 5 बजकर 25 मिनट पर]

उसे जल्दी रहती है खेत खाली करने की। तो मान्यवर, किसानों का हाल ऐसा है कि वह इस सरकार की उदासीनता की वजह से एक भिखारी की तरह हो गये हैं। जहां तक किसानों के पेमेन्ट की बात है उनको गन्ने का पुराना पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है और अगला पेराई सत्र शुरू होने वाला है।

आपने अभी तक वह कानून भी नहीं बनाया है, अध्यादेश और बिल भी नहीं लाये हैं जिससे इस सरकार को यह अधिकार मिल सके कि वह गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर सके । मान्यवर, जब राष्ट्रपति शासन था तब अध्यादेश लाने की बात थी उसके बाद पापुलर गवर्नमेन्ट आ गयी, लोकप्रिय सरकार आ गयी लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । इससे ऐसा लगता है कि या तो गन्ना मंत्री किसानों से नाराज हैं या हो सकता है कि उनको इसका एहसास न हो क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां गन्ना कम पैदा होता है । मान्यवर, कोआपरेटिव क्षेत्र की जो चीनी मिलें हैं वह लगातार घाटे में जा रही हैं वहीं महाराष्ट्र में यह मिले फायदा कमा रही हैं, रिकवरी भी अच्छी रहती है । मान्यवर, यहां पर मिलों पर सरकार का अंकुश नहीं है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार ज्यादा है चीनी की रिकवरी कम हो रही है और चीनी मिलें घाटे में जा रही है । जो जनरल मैनेजर लगे हुए हैं, वह लगातार फायदे में जा रहे हैं उनके घर में पैसा आ रहा है । यह पैसा कहां से आ रहा है यह पैसा किसानों की गाढ़ी कमाई का है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । मान्यवर, जो दोषी अधिकारी हैं जिनके निकम्मेपन की वजह से किसानों का शोषण हो रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी सत्र के अन्दर वह बिल यहां पर आना चाहिए जिससे आपको अधिकार मिलेगा गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने का । मान्यवर, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि आज भी किसानों का 500 करोड़ रुपया बकाया है उसका पेमेन्ट होना चाहिए । अगर पूंजीपतियों पर बकाया होता है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती । लेकिन अगर किसान पर कोई बकाया है तो उस किसान की कुर्की की जा रही है, आर० सी० काटी जा रही है और उन्हें जेलों में भेजा जा रहा है तो कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं हो जाता है जब तक उनसे कोई रिकवरी न की जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा जो संकल्प रखा गया है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ है । मान्यवर, यह सही है कि इस क्षेत्र में जो निगम की चीनी मिले हैं, सहकारिता की चीनी मिले हैं दोनों ही तरह की चीनी मिलें कुव्यवस्था और कुप्रबन्ध का शिकार हुई हैं । आज हम किसी को कहें इस सरकार को दोष दें या किसी को दोष दें ? यह दोष एक दो सरकारों का नहीं है, यह दोष तो शुरू से ही चला आ रहा है और इसके निराकरण का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । मान्यवर, सारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है । और ऐसे-ऐसे देश भी हैं जहां गन्ना नहीं पैदा होता था लेकिन आज वह हमसे आगे बढ़े हैं । रिकवरी के मामले में हम कहां स्टैण्ड करते हैं ? मान्यवर, यह जो सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण की बात है । सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण यह दोनों बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण हैं । जब तक दोनों पक्षों पर विचार करके अमल नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पायेंगे । हमारे जनपद में निगम की एक फैक्ट्री है रोहाना । रोहाना चीनी फैक्ट्री का हाल यह है कि उसके 1987 में विस्तारीकरण की योजना हमने बनाई थी और पैसा दिया था । उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी और 1989 में जब मशीन आई तो विवाद हो गया उसका विवाद आज तक निस्तारित नहीं हो सका तब से कितनी सरकारें आईं और गयीं और उन सरकारों ने क्या प्रयास किया ? रोज जांच और इन्क्वायरी की बात करते हैं । मान्यवर, वह अधिकारी जो पत्रावली दबाये बैठे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उत्तरदायित्व निर्धारित होना चाहिए । आज तक करोड़ों रुपया प्रदेश का मिट्टी में बह गया

है लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल पाया है । मान्यवर, सप्लायर में और फैक्ट्री में विवाद हो गया और जब मामला आर्बीट्रेशन में जायेगा तो उसमें समय तो लगेगा ही । सरकार ने पैसा भी दे दिया, बैंक का ऋण है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ।

किसी के पास पैसा तो है नहीं, सब बैंक से उधार लेकर काम चलाते हैं, जो फायदा होता है, वह इन्ट्रेस्ट में चला जाता है । पूंजी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो निगम की मिलों को कहां चला पायेंगे ? इनको तो प्राइवेट आदमी भी नहीं चला पायेगा । केवल सार्वजनिक हित में इन फैक्ट्रियों को लिया गया था और चलाने का प्रयास किया गया था । इस बात पर चर्चा कर लें और कभी भी बैठकर एक-एक फैक्ट्री को ले लें और उसकी मानीटरिंग कर लेंगे, तो स्थिति साफ हो सकती है । जनरल डिबेट से कुछ होने वाला नहीं है । ब्राजील में जायें वहां 2 लाख मीट्रिक टन तक चीनी मिलों की पेराई क्षमता है और 80 आदमी उसको चला रहे हैं । यहां 1200-1250 मीट्रिक टन की क्षमता है, और देवरिया की कुछ मिलों का तो और भी बुरा हाल है । इसलिये आज समय के अनुकूल इन मिलों का विस्तारीकरण करना चाहिए, अन्यथा वाइन्ड अप कराकर नई योजना बननी चाहिए । यह जंग खड़े हुये हैं । जहां तक प्रबन्ध की बात है, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है, जो जिलाधिकारी के सुख का साधन बनकर न खड़ी हो । यह भी देखने की बात है कि फेडरेशन या निगम की मिलों की कितनी-कितनी गाड़ियां कहां पर हैं और इनका बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है ? किसानों के ऊपर ही पड़ रहा है । आज कोई भी डी० एम० 4-4 गाड़ी से कम नहीं रखता है । जहां तक सहकारिता की चीनी मिलों की बात है, आपको महाराष्ट्र के पैटर्न पर जाकर किसानों को, मिलों को सौंपने का काम करना चाहिए था, इन्हें ब्यूरोक्रेसी खाये जा रही है । भाव की बात मा० समर पाल जी ने कही, वह इस चर्चा की परिधि में नहीं है, लेकिन चिन्ता का विषय तो है ही । अभी तक यह तय नहीं है कि पिछले वर्ष का मूल्य क्या था, कितना दिला पाये, केवल 85-86 प्रतिशत कहकर काम नहीं चलता, काम इससे चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या भाव तय किया था और उस भाव के अनुरूप किसानों को पेमेन्ट कराया गया या नहीं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय शाही जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय गन्ना मंत्री जी, माननीय शाही जी की भावना को ग्राह्य करने का प्रयास करेंगे । यह पूरे प्रदेश के किसानों के गन्ने की पेराइ को सुनिश्चित करने के लिये जो प्रदेश के समक्ष कठिनाइयां हैं, उसका उल्लेख उन्होंने संकल्प के माध्यम से किया है । मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, जो बातें माननीय समरपाल जी ने और हुकुम सिंह जी ने भी की हैं । मान्यवर, पूरे गन्ने की पेराई अभी तक सुनिश्चित नहीं है । 66 प्रतिशत गन्ना, मिलों के गेट तक नहीं पहुंच पाता है, यह एक वास्तविकता है । अगर हमें गन्ने के पेराई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है तो जो निगम की चीनी मिलें हैं, जो फेडरेशन की मिलें हैं, उनके विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था करनी होगी इसके लिए सरकार की नीति व नीयत साफ होनी चाहिये । जब तक सरकार की इच्छाशक्ति नहीं होगी तब तक इन राज्य चीनी निगम व संघ की चीनी मिलों का विस्तारीकरण नहीं हो सकता है । श्री हुकुम सिंह जी मुजफ्फरनगर की रोहना कलां चीनी मिल के बारे में बता रहे थे । 1970 में इसके विस्तारीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए दिया गया था कोई अवधेश वर्मा थे । सिविल वर्क हो गया और कुछ पार्ट्स भी आ गये परन्तु आज तक उसके विस्तारीकरण का कार्य पूरा वह नहीं कर पाये । सरकार आज तक इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई । खलीलाबाद की चीनी मिल भी इन्हीं सज्जन के पास है । 2 साल से किसानों का भुगतान नहीं किया गया है । बार-बार न्यायालय में जाकर वह स्टे ले आते हैं और चीनी

को मार्केट में फ्री-सेल करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं परन्तु सरकार आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पायी । मान्यवर, ये राज्य चीनी निगम व संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे मंशा क्या थी, पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है ? पहले जब राज्य चीनी निगम व संघ की मिलें नहीं थीं तो उस समय निजी चीनी मिल मालिक किसानों का शोषण करते थे और किसानों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो पाता था और किसानों का गन्ना लेकर चीनी को मार्केट में बेच देते थे और अपनी तिजोरियां भर लेते थे, जिसके कारण प्रदेश में एक प्रकार से अव्यवस्था फैल गई थी । इसी कारण 26 मार्च, 1971 को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई जिसमें 12 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया ताकि किसानों को शोषण से बचाया जा सके परन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि पिछली सरकारों ने इन चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिए कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखायी और कोई पैसा नहीं दिया और फिर उन्हें निजी चीनी मिल मालिकों को बेचने के प्रयास शुरू हो गये ।

मान्यवर, मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार माननीय मंत्री जी ने केवल 2 चीनी मिलों को 10 परसेन्ट का मार्जिन मनी दिया है विस्तारीकरण के लिए । जबकि तथ्य यह है कि किसी भी चीनी मिल को तब तक वाऐबिल नहीं माना जाता है जब तक कि वह 25 टी० डी० सी० की न हो । माननीय मंत्री जी ने जो 10 परसेन्ट दो चीनी मिलों को दिया भी है तो वह केवल 2-2 सौ टी० डी० सी० के लिए दिया है । आज पूरे प्रदेश की जनता 35 चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिए इस सरकार से अपनी अपेक्षायें लगाये बैठी है । आज बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिल है । उस पर 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं । सिविल वर्क का कार्य हो चुका है और भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है परन्तु आज तक विस्तारीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है । क्योंकि पैसा ही नहीं दिया गया है ? यदि इस सरकार में इच्छा शक्ति होती तो आज तक इस मिल का विस्तारीकरण हो गया होता । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्री डी० के० मित्तल जो शुगर इण्डस्ट्रीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं वह इस चीनी निगम में एक साथ रहे वह प्रमुख सचिव गन्ना भी रहे, भारत सरकार में भी वह रहे, उन्होंने बुलन्दशहर की जो चीनी मिल आधी-अधूरी पड़ी हुई थी, बिना शासन से पैसा लिये, दूसरे कुछ निगमों से पैसा लेकर मिल के कार्य को कम्पलीट कराया । आज वह वहां की जनता के लिए उपलब्ध है । परन्तु उन्हें एक साल के बाद वहां से हटा दिया गया और दूसरे अधिकारी को तैनात कर दिया गया । मैं कोई उनके स्थानान्तरण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना तो यह है कि जो निगम व संघ की चीनी मिलें हैं, वे एक प्रकार से कामर्शियल आर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करें । ये कोई गवर्नमेण्ट के विभाग तो हैं नहीं । कम्पनी ऐक्ट के तहत इन मिलों का गठन हुआ है । सरकारी अधिकारियों की सुख-सुविधा के लिए तो ये बने नहीं हैं । इन्हें व्यवसायिक बनना चाहिये और इनके लाभ-हानि की बैलेन्सशीट बननी चाहिये । मेरा यह कहना है कि जो निगम की 35 व संघ की 31 चीनी मिलें हैं, उनमें जो जनरल मैनेजर तैनात किये जाते हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये । चाहे वे पी०सी०एस० आफिसर हों या तकनीकी जनरल मैनेजर हों, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी अभी पांच संकल्प हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । यह जो 650 करोड़ रुपये का घाटा है अगर आप इस घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो उस लोन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिये । जब यह एक्साइज टैक्स और परचेज टैक्स देते हैं तो जो लोन दिया गया है उस लोन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दें । जिससे 570 करोड़ रुपये का घाटा पूरा हो सकता है । मान्यवर, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण संकल्प है और न तो मुझे प्रमुख सचिव महोदय दिखायी दे रहे हैं और न ही अन्य कोई अधिकारी दिखायी दे रहे हैं सिर्फ माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने आपकी बात सुन ली है अब आप कृपया बैठ जायें

*श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । यह जो गन्ने की समस्या है प्रदेश के किसानों के सामने यह बड़ी ही जटिल समस्या है । मान्यवर, पूरब के चीनी मिलों की स्थिति तो और भी जर्जर अवस्था में है । भटनी चीनी मिल की पेराई क्षमता मात्र 800 कुन्तल गन्ना प्रतिदिन है । जबकि पश्चिम में 1200 से लेकर 1500 कुन्तल गन्ना प्रतिदिन है आज वहां पर जो पी० सी० एस० अधिकारी जाते हैं उन्हें चीनी मिलों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और यही वजह है कि वहां पर घाटा हो रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करायी जाये । मान्यवर, सितारगंज चीनी मिल के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर 5 करोड़ रुपये का घाटा है । अभी गन्ना मंत्री जी भी गये थे और बोरा गायब पाया गया । जो बगास किसी काम में नहीं आती है आज वह 200 रुपये कुन्तल सप्लाई की जा रही है और सारे अधिकार चीनी मिल और संघ ने अपने में केन्द्रित कर लिये हैं । गोरखपुर में धुरियापार चीनी मिल तीन वर्ष से ट्रायल पर चलाने के लिए ली जाती है लेकिन उसका ट्रायल नहीं हो पाया है । एक बिन्दु मैं और प्रकाश में लाना चाहता हूं कि जितनी को-आपरेटिव और शुगर चीनी मिल हैं उसमें बोर्ड का चयन हुआ है । सितारगंज चीनी मिल का मैं डायरेक्टर हूं तो आश्वासन हुआ था कि हर चीनी मिल के अध्यक्ष का चुनाव होगा लेकिन अध्यक्ष का चुनाव न होकर, केवल उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ । मान्यवर, जो पी० सी० एस० अधिकारी जाते हैं, उनकी और जिलाधिकारी की साठ-गांठ हो जाती है, जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होता है । जैसा कि माननीय शाही जी ने बताया है कि व्वायलर की ट्यूब खराब हो जाती है, उसे 5-10 साल चलना चाहिये, लेकिन वह एक ही साल में खराब हो जाती है, उनको बदलने के लिये चीनी मिलों के पास पैसा नहीं है । मान्यवर, अगर व्वायलर ठीक नहीं है तो मशीन ठीक से चल नहीं सकती है । यही नहीं, मान्यवर, किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दिया जाता है । जब तक उनको गन्ने की कीमत नहीं दी जाती है, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है । वहां की मिल की पेराई क्षमता 8–10 हजार है, लेकिन गन्ने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पेराई न हो पाने के कारण भटनी की चीनी मिल में गन्ने की सप्लाई की गयी । मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल की चीनी मिलों पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके अतिरिक्त अभी 5 और संकल्प हैं और काफी मा० सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री अमर मणि–

जितना इस विषय पर आना चाहिये, उससे जयादा आ गया है । आप टाइम लिमिट कर दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । ठीक है, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

*श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, आज जो भी चीनी मिले हैं, जिनके कारण किसान परेशान हो रहा है, उसका मूल भूत कारण है कि अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । चीनी मिलों को चलाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, जब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, चीनी मिलों की हालत में सुधार नहीं हो सकता है और ऐसे ही किसान पिसते रहेंगे और उनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा । पिछले दिनों जो भी सरकारें आयीं, गन्ना किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1991 में आयी तो एक योजना बनायी गयी कि गन्ना किसानों के पैसे का भुगतान, बैंक के माध्यम से किया जायेगा, तो इस व्यवस्था में सुधार दिखाई दिया और किसानों को आशा बंधी कि उनको गन्ने के पैसे का भुगतान हो सकेगा, लेकिन बाद में जो सरकार आयी उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

गन्ना किसानों की फसल जब तैयार होती है तो सोसाइटी से पर्ची नहीं मिलती है, तो दूसरे के नाम से पर्ची लेनी पड़ती है । मान्यवर, किसानों को 2-2 दिन तक गन्ना देने के लिये लाइन लगानी पड़ती है और जब एक मामूली फाल्ट हो जाता है, तो मिल बन्द कर दी जाती है । एक तो किसान समय से गन्ना नहीं दे पाता है और दूसरे उसको ट्रान्सपोर्ट का दुगुना भाड़ा देना पड़ता है । औराई मिल में यही हाल है, इसलिये किसानों ने गन्ना देना बन्द कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

एक ज्वलन्त समस्या किसानों के सामने आई है। आपने देखा होगा औराई शाहगंज चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टन है। मैंने राष्ट्रपति शासन में किसानों की लड़ाई लड़ी और औराई मिल से 10 करोड़ रुपया किसानों को दिलवाया। औराई चीनी मिल 26 नवम्बर को चली और दूसरे दिन बन्द हो गयी एक मामुली सा फाल्ट था। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी आप समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय त्रिपाठी जी आपका विषय बाद में आयेगा, अभी कहां आ रहा है। आप बैठें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

तो उसका अल्टरनेटर खराब हो गया जिसकी वजह से मिल बीच में ही बन्द हो गयी उसकी मेन्टेनेन्स में 5 लाख रु० खर्च कराये गये। जल्दी से फर्जी पेमेन्ट दिखा दिया गया ढाई लाख का तो चेक से पेमेन्ट हुआ और ढाई लाख का कैश पेमेन्ट दिखा दिया गया और पुराने अल्टरनेटर को बगैर मेन्टेनेन्स के लगा दिया गया जो दूसरे दिन जल गया जिसके कारण एक महीने तक मिल बन्द रही जिससे किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई अगर उनके खिलाफ कार्यवाही होती तो आगे ऐसा करने की किसी को हिम्मत नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी पुरानी मिले हैं जिनके पार्ट्स अब नहीं मिलते हैं उनमें नयी मशीन लगाई जाय और उन मिलों का विस्तारीकरण किया जाय ताकि जो 1250 टन क्षमता वाली मिले हैं उनकी जगह 25 सौ टन वाली मशीने लगाई जायं। इससे निश्चित रूप से किसानों को सुविधा होगी और जल्दी काम भी होगा और जो दुर्दशा किसानों की होती है वह भी नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है जो नया पेमेन्ट सिस्टम लागू किया गया वह मार्च में शुरू हुआ। नवम्बर से मार्च तक जो किसानों का गन्ना लिया उसमें अधिकारियों ने मनमाने तरीके से फर्जी पेमेन्ट दिखा दिया (व्यवधान) मैंने राष्ट्रपति शासन में किसानों की लड़ाई लड़ी। दूसरे के नाम से पेमेन्ट दिखा दिया जितना पेमेन्ट होना चाहिए था किसानों का वह नहीं हुआ।

इस पेमेन्ट सिस्टम को ठीक कर दें तो किसानों को काफी सुविधा होगी और माफियों का आतंक समाप्त हो जायेगा। अन्त में मैं शाही जी के संकल्प पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री गजेन्द्र सिंह के खड़े होने पर) माननीय गजेन्द्र सिंह जी काफी माननीय सदस्यों की भावनायें आ गयी हैं, आपकी पार्टी के लोग भी बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया । हमारे यहां जो चीनी मिले हैं उनकी पेराई क्षमता 25 सौ टन के करीब है । इसके विपरीत जो प्राइवेट चीनी मिले हैं उनकी क्षमता 50 हजार से लेकर 1 लाख क्विंटल तक है जिसकी वजह से हमारी जो सहकारी और निगम की चीनी मिले हैं उनको भारी नुकसान होता है क्योंकि वह पूरा गन्ना पेर नहीं पाती हैं । इससे किसानों का भी नुकसान होता है क्योंकि उनका गन्ना, मिल लेती नहीं है जिससे उनको क्रेशर पर गन्ना डालना पड़ता है और गन्ने का आधा दाम किसान को मिलता है । रमाला, बागपात, मोहीउद्दीनपुर, मलियाना आदि चीनी मिलों के विस्तारीकरण करने की जरूरत है । रमाला का विस्तारीकरण प्रस्तावित है, इसका विस्तारीकरण किया जाय और इसकी पेराई क्षमता 50 हजार क्विंटल होनी चाहिए जिससे कि वहां के किसानों को भरपूर लाभ मिल सके ।

* सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और शासन को कल्याणकारी निर्णय के लिये अमूल्य सुझाव दिये हैं । मैं सभी सदस्यों की भावनाओं से कुछ बिन्दुओं को छोड़कर पूरी तरह से सहमत हूं । यह विषय किसी शासन या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है यह पूरे प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का विषय है । उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक उद्योग है जिसके नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, जो बचा है, वह चीनी उद्योग है । इस उद्योग से किसानों का हित जुड़ा है और उसके हितों का संरक्षण करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बन गया है और यह शासन का विशेष दायित्व बन गया है । इस प्रमुख उद्योग को बढ़ाना और बचाना किसान के हित और जनहित में है और प्रदेश के हित में है । इसलिये जिन भावनाओं को माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया है उसको मैं निश्चित रूप से किसी एक शासन की कमजोरी की आलोचना नहीं मानता हूं वह निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति है उसके प्रति सही अभिव्यक्ति का परिचालक है और उसका प्रकटीकरण है इसलिये मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है । मान्यवर, समय-समय पर चीनी मिलों के विस्तारीकरण का कार्य किया गया है । यह सही है कि बिना चीनी मिलों के विस्तारीकरण और नयी चीनी मिलें लगाये इस प्रदेश के चीनी उद्योग और किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है ।

इन्हें सुरक्षित रखने के लिये पुरानी चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाना आवश्यक है और नई चीनी मिलों को लगाने के लिये प्रदेश में एक आकर्षक एवं प्रोत्साहक वातावरण भी बनाना है । यह दुर्भाग्य की बात है । दुर्भाग्य की बात कहना ठीक नहीं है । यह चिन्ता की स्थिति है कि 51 प्रतिशत सब्सीडी होने के बाद भी निजी क्षेत्र के लोग चीनी मिल लगाने के लिये बहुत प्रोत्साहित नहीं हैं । यह सबके लिये चिन्ता का विषय है । इसलिये एक ऐसा वातावरण बनाया जाना है कि चीनी मिल लगाने के लिये निजी क्षेत्र के लोग प्रोत्साहित हों । सहकारी क्षेत्र में भी समय-समय पर विस्तारीकरण किया गया है, निगम के क्षेत्र में भी विस्तारीकरण किया गया है । तीन सहकारी चीनी मिलों के विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया है । इसके लिये व्यवस्था कर ली गई है । अक्टूबर, नवम्बर से विस्तारीकरण का कार्य आरम्भ होगा । यह सम्पूर्णानगर खीरी, बिलराया, ननौरा सहारनपुर चीनी मिले

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । निगम के क्षेत्र में जो विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया है उसमें रायबरेली, चांदपुर, सखौती, टांडा और खड्डा के संबंध में विस्तारीकरण आवश्यक है । इन सबके मामले में सबसे बड़ी बाधा है कि जैसा माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है धन का अभाव । दूसरी बाधा यह है कि निगम के क्षेत्र में जो चीनी मिले हैं वह पुरानी, जर्जर और अलाभकारी हैं । कोई वित्तीय संस्था उन पर ऋण देने के लिये तैयार नहीं है । यह शासन के सामने सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा संकट है । मैं इन परिस्थितियों से निराश नहीं हूं । इन परिस्थितियों पर विजय पाने के लिये संकल्पित होकर कदम उठाये जायेंगे । एक बात आई कि अधिकारियों को दण्डित नहीं किया गया । मान्यवर, यह पहली सरकार है, पहला शासन है जिससे सहकारी और निगम की चीनी मिलों का इतिहास जुड़ा है । तीन जी० एम० को, अभी जब समीक्षा बैठक हुई तो उस बैठक के बाद उनकी कार्यवाही सन्तुष्ट न पाई गई तो उनको सस्पेन्ड कर दिया गया । 6 पी० सी० एस० अधिकारियों को उनके कार्य की समीक्षा मिलने के बाद असमर्थ और असन्तुष्ट पाये जाने पर तत्काल लौटाया गया कि हम इनको अपने विभाग में नहीं रखेंगे । यह एक मैसेज देने का काम किया गया है । वही जी० एम० चल पायेंगे जो शासन की नीति और सदस्यों के अनुसार कार्य करेंगे । हमने जिम्मेदारी निर्धारित की है । मैकेनिकल डिफेक्ट होगा तो मुख्य अभियन्ता जिम्मेदार होगा । जी० एम० तो हर एक बात के लिये जिम्मेदार होगा । अगर सब स्टैण्डर्ड चीनी बनती है तो चीफ कैमिस्ट उसके लिये जिम्मेदार होगा । केन की अनुपलब्धता के कारण यदि मिल बन्द हो जाती है तो गन्ने के प्रबन्धन में किसी भी प्रकार का दोषी पाया गया तो उसके लिये गन्ना प्रबन्धक जिम्मेदार ठहराया जायेगा । यह सुनिश्चित जिम्मेदार पहली बार ठहरायी गई है । प्रतिमास समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है । इन चीनी मिलों का घाटा कम हो उसके लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । खर्च में 20 प्रतिशत कटौती और 20 प्रतिशत की आमदनी होना अनिवार्य है । इसके लिये सात तारीख निर्धारित की गई है । तब पहली समीक्षा होगी । अगर इसका सही अनुपालन नहीं होगा तो जी० एम० को वापस कर दिया जायेगा, निलम्बित किया जायेगा और हम उन्हें दण्डित भी करेंगे । यह हमारा संकल्प है । यह वह शासन है जिसमें चीनी मिलों को अधिकारियों की ऐशगाह नहीं बनने दिया जायेगा । यह इस बात का परिचायक है कि किसानों का उज्जवल भविष्य इन मिलों के साथ जुड़ा हुआ है । मैं भुगतान की बात नहीं कर रहा हूं इसके लिये 2 अगस्त की तिथि तय की गयी है ।

उस दिन गन्ना मूल्य पर बात करेंगे । आज थोड़ा सा कह रहे हैं । जहां तक डी० एम० की बात है जिलाधिकारियों ने इसको अपने ऐशो-आराम की जगह बना लिया है । हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने पिछले महीने समीक्षा की, तो पाया कि जिलाधिकारी के पेट्रोल और टेलीफोन पर एक करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है यह भी सकुचाते दिया होगा । हमने जिलाधिकारियों से कहलाया है कि जो हम समीक्षा करेंगे उसमें एक विवरण होगा । जिलाधिकारी जो आयेंगे वह पूरा विवरण देंगे । जिलाधिकारियों की मौज मस्ती पर अंकुश लगाया जाएगा । हम उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे ।

(सत्तापक्ष सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

हमने पूछा है कि कितनी गाड़ी किसके पास है । हमने कहा है कि डी० एम० के पास एक गाड़ी रहेगी । कई नये जिलों में गाड़ी नहीं है कोई वी० आई० पी० आया है वह अध्यक्ष हैं उनको ज्यादा काम होगा यदि वह अतिरिक्त गाड़ी लगाते हैं तो वह उसका विवरण देंगे, क्यों गाड़ी ली, किसके लिए ली ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाने दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

किसी चीज का मिसयूज नहीं होने दिया जायेगा । अगली समीक्षा बैठक करेंगे तो उसमें देखेंगे । 7 अगस्त को हम समीक्षा कर रहे हैं । सारे निर्देश देने के बाद पहली बैठक 8 तारीख को कर रहे हैं । निगम के अलावा सहकारी चीनी मिल के जी० एम० के कार्यों को भी देखेंगे । दुरुपयोग को रोकने का हमारा संकल्प है । जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने से जो पूंजी बचेगी, इससे जो विलम्ब से किसानों को भुगतान होता है उसको सही किया जाएगा । इसी में से पैसा निकालकर समय-समय पर विस्तारीकरण किया जायेगा । पूर्व की जो जर्जर मिलें हैं और जिनकी क्षमता 1200 टन है उनके लिए कोई संस्था ऋण देने के लिए तैयार होती है तो हम उसका विस्तारीकरण कर दें । कोई संस्था इस समय उन्हें ऋण देने को तैयार नहीं है । इसका निजीकरण करने के लिए सरकार विचार कर रही है । अगर इसको निजी क्षेत्र लेने को तैयार है तो इसमें हर्ज क्या है ? इससे किसानों का विकास होगा । लेकिन यह अलग प्रश्न है खर्चों को तय करने के लिए भी हमने मिल का एरिया तय किया है । आठ मिलें डेट एरिए में हैं । जो मिलें हैं इसमें प्रत्येक मिल में किसान का 85 प्रतिशत गन्ना लिया जाना अनिवार्य है इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन कम होगा । एक बात सदस्यों ने कही मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं मिलों को लगाने में कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर खेल किया है । ऐसी जगह मिल लगी जो गन्ने का क्षेत्र ही नहीं था ।

श्री रंगनाथ मिश्रा जी शायद इससे नाराज होंगे लेकिन जिस समय औराई चीनी मिल लगी थी वह शुद्ध राजनीतिक आधार पर लगी थी । घोसी चीनी मिल भी राजनीतिक आधार पर लगी थी । इसी तरह से धूरियापार का भी हाल है । पूरब का यह दुर्भाग्य है कि पूरब का किसान गरीब है, छोटा है वहां पर निगम की सबसे जर्जर मिलें हैं । निजी क्षेत्र की मिलें भी बहुत पुरानी हैं तथा जो नई मिलें लगीं वह ऐसी जगह पर लगीं जहां पर गन्ना नहीं है और इतने सालों के बाद भी वहां पर गन्ना पैदा करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया । अगर वहां पर गन्ना नहीं होगा तो इसका यही परिणाम होगा । इन मिलों के लगने के बाद गन्ना उत्पादन के विकास का कार्य होना चाहिए था लेकिन भ्रष्टाचार पनपा, ट्रांसपोर्टेशन करने वाले पनपे । क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना नहीं लिया गया जिसके कारण वह हतोत्साहित हुए । अगर गन्ना उत्पादन करने के शीघ्रातिशीघ्र प्रयास हुए होते तो आज यह नौबत न आती तथा मिलें घाटे में न होतीं । इसलिए हमारी सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन खर्चे में कमी करने के लिए कदम उठाए हैं । अभी एक दूसरा विषय आया कि शासन अध्यादेश जारी नहीं कर रहा है, इसलिए गन्ना मूल्य का अधिकार उसके पास नहीं है । गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार न्यायालय ने समाप्त कर दिया है इसे उच्च न्यायालय ने समाप्त किया है । जो अध्यादेश की बात हो रही है वह अध्यादेश केन्द्र सरकार के पास भेजा जा चुका है उसे राष्ट्रपति शासन के दौरान ही भेजा गया था वह अभी तक लम्बित है हम अकेले इस पर कानून नहीं बना सकते इसमें केन्द्र सरकार का सहयोग जरूरी है । हम विधान सभा में भी इस पर कानून नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमें उस पर पहले परमीशन लेनी

पड़ेगी इस पर केन्द्र सरकार हमें समर्थन नहीं दे रही है। मेरा उन लोगों से अनुरोध है जिनकी पाटा केन्द्र सरकार से जुड़ी हुई है कि वह सारे जन प्रतिनिधि केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह अध्यादेश पर सहमति दे। उसके बाद इस विधान सभा में गन्ने के समर्थन मूल्य पर इस सदन में हम प्रस्ताव ला सकें। जब तक वहां से परमीशन नहीं मिलेगा तब तक हम जनता से छलने के लिए बार-बार अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। हम दिखावे के लिए विधेयक नहीं पेश करना चाहते हैं क्योंकि वह निरर्थक होगा। जब तक केन्द्र सरकार की सहमति नहीं मिलेगी तब तक हम कानून नहीं बना सकते तथा अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दे सकते। इसलिए जो केन्द्र सरकार के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं अगर वह हमें समर्थन दिला दें तो हम इसी सत्र में इस पर कानून बनाकर दिखला देंगे। गन्ना मूल्य के भुगतान की बात है इस समय लगभग 400 करोड़ रुपया बाकी है किसानों के गन्ने के कुल मूल्य का 13.22 प्रतिशत। इस साल यह पहला साल है जब किसानों का 3032 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं हुआ। कभी भी इसके पहले इतना गन्ना नहीं पेरा गया इस समय जो 407 करोड़ रुपए का भुगतान करना है वह इसलिए इतना है क्योंकि वर्ष 1995-96 में 300 करोड़ रुपया मिलों को किसानों को भुगतान करना था।

उसका भुगतान 1995-96 का बकाया 300 करोड़ का 1996-97 की चीनी बेचकर फरवरी माह तक मिलों ने किया है। अगर यह भार न होता तो इस समय केवल 100 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के किसानों का बकाया होता। मान्यवर, मैं पिछली सरकारों के पाप को ढो रहा हूं और तारने के लिये भगीरथ प्रयास कर रहा हूं। सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने का 15 दिन का नियम है उसके अन्तर्गत करा दें, आज भी हमारी मिल के लोगों से बात हुई है। जिससे सारे झमेले और शोषण है उसको समाप्त करें। मान्यवर, किसान और चीनी उद्योग दोनों के हित का संवर्द्धन करने वाली यह सबसे अच्छी सरकार शायद हो, यह प्रमाणित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने एक काम और किया है वह काम है पार्टियों के बाहर मंचों से जो किसानों की बात करते थे जैसे लगता था कि किसान से बड़ा उनका कोई नहीं है, कमरे के अन्दर मिल मालिकों के हितों के लिए क्या-क्या होता था उसका वर्णन करने लगे तो शायद दो घण्टे की चर्चा अलग से करानी पड़ेगी। जिस दिन से विभाग को संभाला है, उसी दिन से हमने शुरू किया है कि गन्ना किसान और मिल मालिक दोनों एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं इसलिये दोनों के हितों में कहीं भी टकराव नहीं है। दोनों के हितों का सम्बर्द्धन करते हुये मैं चाहूंगा कि किसानों का गन्ना जो 35-40 परसेन्ट लिया जा रहा है वह अधिक लिया जाये। पूरब में खांडसारी इकाइयां नहीं हैं इसलिये वहां विशेष रूप से 60-65 परसेण्ट गन्ना लिया जा रहा है। वहां खांडसारी में केवल 10 से 15 प्रतिशत गन्ना जाता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि खांडसारी उद्योग में गन्ना 20 से 25 रुपये कुन्टल तक लिया जाता है। यह सही है वह 20 से लेकर 50, 60, 70, 80 व 100 रुपये तक भी देते हैं उनके रेट में फ्लेक्च्यूवेशन होता रहता है।

गन्ने से सट्टे की नीति के बारे में इस सदन में 2 अगस्त को बता दूंगा जिसको 3 साल के लिये घोषित किया गया है इसको अप्रैल के महीने में ही मैंने घोषित कर दिया है। दूसरी सरकारों की तरह

मिल चलने से एक महीना पहिले नहीं किया जिससे कार्यान्वयन न हो और 30 अगस्त लास्ट डेट रखा है कलेण्डर घोषित करने का । 22 सितम्बर, 97 को प्रत्येक किसान को कलेण्डर, पास-बुक और पर्च वितरित कर दूंगा जिससे फर्जी पर्चियों की धांधली न हो सके, पहले किसानों का शोषण होता था अभी हमारे सहयोगी श्री रंगनाथ मिश्र जी ने कहा कि इस साल बैंक पेमेंट की बात न की जाये, यह बात ठीक नहीं है । अगर बुराई से छुटकारा पाने में 10–20 किसानों का अहित होता है तो कोई बात नहीं है । मैंने एक संकल्प लिया है अगर अधिकारी धांधली के कारण से दण्डित होते हैं तो वह किसान भी दण्डित होने चाहिये जो फर्जी पर्चियों का काम करते हैं ऐसे लोग किसान नहीं बल्कि किसान माफिया हैं, बिचौलिये हैं जो दूसरे-दूसरे नामों से पर्चियां ले लेते हैं । किसानों को बकाये का पेमेन्ट हो रहा है वह हम चेक से कर रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें बाधा आये और एक साल बाद पुनः पुराना ढर्रा अपनाया जाये । अब यह सरकार एक पैसे का भुगतान नकद नहीं करेगी । इस प्रकार भुगतान चेक द्वारा सरकार करेगी जिससे बिचौलिये पूरी तरह से समाप्त हो जायें ।

मान्यवर, शीरे की बिक्री से नुकसान है, इसलिये अनिवार्य कर दिया है कि शीरा बेचा जाय तो सूचित करें कि इस रेट से बेचा जा रहा है । शासन आने से पहले शीरा 30–32 रु० में बेचा गया है लेकिन सरकार ने कड़ाई किया है तो आज शीरा 100 रु० कुन्तल में बिकने लगा है, इस प्रकार शीरे और खोई की बिक्री को हमने नियंत्रित किया है । मान्यवर, अब हम जी० एम० को नियंत्रित कर रहे हैं । उन्हें मौज नहीं करने देंगे और उन्हें काम करने के लिये मजबूर कर देंगे जिससे मिलें लाभ में चलेंगी और उनका घाटा कम होगा । इस प्रकार पूंजी बढ़ेगी जिससे चीनी मिलों का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुये श्री शाही जी से कहूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें और जो कमियां होंगी उन पर विचार करके दूर किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अत्यन्त ही संवेदनशील होकर इस संकल्प की सार्थकता पर अपनी सहमति जताई है । उन्होंने जो गन्ने के संबंध में नई नीतियां घोषित किया है उनका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, नई नीतियों से सुधार होगा मगर यह प्रश्न विचारणीय है कि अभी तक चीनी मिलों की सफाई और सुधार नहीं किया गया । तो बिना गन्ने की पेराई के सट्टा और अन्य व्यवस्थायें धरी रह जायेंगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी भी जो कार्पोरेशन और फेडरेशन की अनेक मिले हैं जहां सफाई और सुधार का काम नहीं हुआ है जिसके कारण गन्ने की रिकवरी कम होती है और ब्रेक डाउन होते हैं जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । मान्यवर, जब आप समीक्षा करने जा रहे हैं तो एक निश्चित समय के भीतर चीनी मिलों की सफाई और सुधार का प्रबन्ध प्राथमिकता के आधार पर कराने पर विचार कर लें ।

मान्यवर, चीनी मिलों के विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण पर जब आपने चर्चा किया है तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है । सबसे ज्यादा जीर्ण-शीर्ण चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और जब कभी इक्सपेंशन हुआ है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिलों का किया गया है । देवरिया और पड़रौना में जहां 14 मिलें हैं उससे 9 चीनी मिलें कुशीनगर जिले में चली गई हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 13,706 एम०टी० है जब कि अकेले खतौली मिल की 11 हजार एम०टी० की है और आप सुदृढ़ीकरण पर विचार नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, देवरिया जिले में 5 चीनी मिलें गई हैं ।

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, कुल 5 चीनी मिलों की पेराई क्षमता 5.145 एम० टी० की है और कारपोरेशन की जो चीनी मिलें हैं किच्छा नैनीताल में है, लखीमपुर खीरी में है, वह अकेले 5 हजार पेराई करती हैं। अब यह जो डिसपैरिटी है, अन्तर है यह इस बात का संकेत दे रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा हो रही है। माननीय मंत्री जी भी उधर के ही रहने वाले हैं, इसलिये आपको तो और अधिक चिन्तित होना चाहिये। आज ध्यान न दिये जाने की वजह से नतीजा यह हो रहा है कि 4,25,380 हेक्टेयर में जहां देवरिया, पड़रौना में कुल खेती होती है उसमें गन्ने की खेती मात्र अब सिमटकर 76,803 हेक्टेयर पर आ गई है। आज 20 प्रतिशत से कम गन्ना पूर्वी उत्तर प्रदेश की देवरिया पड़रौना में बोया जा रहा है वहां गन्ने की पेराई की जगह किसान की पेराई हो रही है, इसी वजह से किसान गन्ना बोना बन्द कर रहा है। वहां 15 जून तक चीनी मिल चलती है और साढ़े 8 परसेंट से रिकवरी शुरू होकर 3 परसेंट तक चली जाती है। आज इस संकल्प को रखने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हम लोग सामूहिक रूप से विचार करते क्योंकि यह एक गम्भीर समस्या है। आज उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो उत्तर प्रदेश का निर्धारित मानक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान उससे भी नीचे चला गया है। कम आमदनी के पीछे यही मूल आधार है कि गन्ना जिसे कैश क्राप के रूप में बोया जाता है, उसमें वह आमदनी नहीं रह गई है इन अव्यवस्थाओं के चलते। अगर चीनी उद्योग को विकसित किया जाना है तो चीनी मिलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मान्यवर, गन्ना किसानों का अंग्रेजों ने शोषण किया सबसे पहली चीनी मिल भटनी में लगी। मान्यवर, इससे किसानों का दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजी हूकूमत ने भी उनको चूसा। आजादी के बाद की सरकारों ने भी उनकी उपेक्षा की। माननीय मंत्री जी ने जो संकेत दिया है, चीनी मिल पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तारीकरण का वह खड्डा का है, जिसका एक बार पहले ही एक्सपेंशन किया जा चुका है। आप कोई दूसरी मिल लेते, रामकोला, खेतान को लेते देवरिया बैतालपुर को लेते। आज नतीजा यह है कि दोनों चीनी मिलों की पेराई क्षमता 700–1800 टन की है और कर्मचारियों की संख्या डेढ़ से दो हजार है। आप इनका एक्सपेंशन करते तो ज्यादा अच्छा इनका उपभोग किया जा सकता था। मेरे संकल्प लाने के पीछे यही मंशा थी कि आप कोई कार्य योजना तैयार करेंगे और भटनी की स्थिति में सुधार करेंगे, जबकि इस संकल्प पर दोनों ही पक्षों ने अपनी सहमति दी है, आप भी इससे सहमत हुये हैं, इसलिये इस संकल्प को आप स्वीकार कर लीजिये और समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर, बिना किसी भेदभाव के आवश्यकता व मेरिट को विचार करते हुये निर्णय लीजिये। आप तो सबसे योग्य और सक्षम मंत्री इस सरकार के माने जाते हैं, आपकी नीयत पर भी किसी को शक नहीं है, जब कठिनाइयां हैं और आप कठिनाइयों को अनुभव कर रहे हैं तो हिम्मत और साहस पैदा करने में क्यों पीछे हैं ? इन्होंने जो संकेत दिया है वह कछुवे की चाल का संकेत है। कछुवे की चाल से इन मिलों का सुदृढ़ीकरण नहीं हो सकता। मैं अपने संकल्प पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के व्यापक हित में, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में इस संकल्प को स्वीकार कर लें और कोई पंचवर्षीय योजना तैयार करके इन मिलों का जीर्णोद्धार किया जाय।

[समय 6 बजकर 30 मिनट]

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं शाही जी का कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

मान्यवर, शाही जी ने यह कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जर्जर चीनी मिलें हैं उनके विस्तारीकरण की कोई कार्य योजना नहीं बनी। मैंने स्पष्ट कहा और उदाहरण भी दिया था। इस समय यह स्थिति है कि अर्थ के अभाव में हम कोई कार्य योजना लम्बी नहीं बना पा रहे हैं लेकिन कुछ चीनी मिलों को लिया है, इससे सिद्ध होता है कि जिन मिलों के लिये ऋण मिल रहा है उन मिलों के लिये ऋण लेकर उनमें

विस्तारीकरण की क्रमबद्ध योजना को चला रहे हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि हमें पूरब की जर्जर मिलों के लिये ऋण नहीं मिल पा रहा है । हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हम इकोनामिक ड्राइव ला रहे हैं, जो हम मितव्ययता का कार्यक्रम अभियान ला रहे हैं उसमें से जो पूंजी बनेगी उस पूंजी से हम पूरब का जिनके लिये ऋण नहीं मिल पा रहा है, उनके विस्तारीकरण को प्राथमिकता देंगे ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि एक सुझाव इनका था कि एक मिल को बेचकर दूसरी मिल का, हमने अपनी बात में कहा है निजीकरण की यह योजना है केन्द्र सरकार की योजना के माध्यम से एडवरटाइसमेंट भी हुआ है । शाही जी इसमें सहयोग करें पूर्व की मिलों को बेचने के लिये ग्राहक हमें दें तो उसका पैसा पूरब की मिल में ही लगा देंगे और विस्तारीकरण करेंगे ऋण न मिलने पर हम संकल्प भी पास कर दें तो हमें उसके लिये संसाधन ही जुटाने होंगे । इसलिये संसाधन जुटाने के लिये हम संकल्पित हैं और इसे पूरब की मिलों के विस्तारीकरण के लिये भी आवश्यक मानते हैं तो इसमें मैं समझता हूं कि इनको कोई संदेह नहीं होना चाहिये और जैसा कहा कि पूरब में घोसी और धुरियापार को भी हम चलाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रकार का संदेह माननीय शाही जी को नहीं होना चाहिये । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कार्य केवल प्रस्ताव और संकल्प पास करने से नहीं बल्कि संकल्प लेने से होगा । शासन जब संकल्पित है तो संकल्प पास करने से या न करने से कोई बहुत उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा । हम उनकी भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हैं और पूरब की समस्याओं का समाधान करने के लिये संकल्पित हैं । इस संकल्प और इनकी बातों से सहमत होते हुये मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें । यह जो प्रस्ताव के रूप में है और शासन का जो संकल्प है उसको साथ जोड़कर किसान के समर्थन में मिलकर काम करें यही मेरा आग्रह है ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । माननीय शाही जी क्या अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

श्री रंगनाथ मिश्र–

|× × ×|

श्री अधिष्ठाता–

कोई बात नहीं सुनी जायेगी और न कोई बात लिखी जायेगी । आप बैठें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

| × × × |

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी आप अपना संकल्प वापिस नहीं ले रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

|× × ×| यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री सूर्य प्रताप शाही जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ? नहीं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर श्री रंगनाथ मिश्र अपनी बात कहने के लिए खड़े रहे–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थायी समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अब मैं मद संख्या–14 ले रहा हूं। श्री केशो मेहरा जी आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे स्पष्टीकरण के लिए समय नहीं दिया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रंगनाथ मिश्र सदन छोड़कर चले गये)

जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ आगरा में स्थापित किए जाने का संकल्प

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ आगरा में स्थापित की जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मत विभाजन की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायं। मैंने इस संकल्प पर प्रश्न उपस्थित कर दिया है और नहीं की संख्या अधिक है, इसलिए यह संकल्प अस्वीकृत हो गया है। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं। संसदीय परम्पराओं का ज्ञान हमें भी है। आप कृपा करके बैठ जायं

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं विभाजन की मांग कर रहा हूं।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, पाल जी बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूं। नये माननीय सदस्यों को ये बोलने नहीं देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। पाल जी आप बैठ जायं। मुझे अपनी बात कहने दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल जी सदन त्याग कर चले गये)

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण संकल्प इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(क) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए

कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना की मांग आजादी के बाद से ही प्रारम्भ हो गई थी। इसके अन्तर्गत वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश के समस्त विधि वेत्ताओं की एक सभा आगरा में श्री राजनाथ कुंजरु जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ की स्थापना आगरा में की जाये प्रस्ताव पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 मार्च, 1981 को एक पत्र केन्द्र सरकार को भेजा जिसमें यह कहा गया कि आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कुमायूं और गढ़वाल इन मंडलों को मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक खण्ड पीठ माननीय उच्च न्यायालय की स्थापित कर दी जाय। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार 4 सितम्बर, 1981 को जसवन्त सिंह आयोग का गठन हुआ। इसमें तीन सदस्य बनाये गये जिसमें एक श्री जसवन्त जी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय दूसरे तथा तीसरे श्री श्रीमालू सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय आन्ध्र प्रदेश, श्री कर्ण सिंह अवकाश प्राप्त वरिष्ठ, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे। इन तीनों की एक समिति गठित की गयी थी। इस समिति ने 30 अप्रैल, 1985 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी। मैं अत्यन्त दुख के साथ इस सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि वर्ष 1985 में यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी गई थी लेकिन इस रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं हुआ। आगरा बार ऐसोसियेशन ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की कि जसवन्त सिंह की जो रिपोर्ट है उसे प्रकाशित किया जाये। इस याचिका का माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई फैसला आता उससे पहले 15 अक्टूबर, 1986 को यह रिपोर्ट संसदीय पुस्तकालय में रख दी गयी। यह राज्य सभा एवं लोक सभा के पटल पर नहीं रखी गयी। 20 अप्रैल, 1987 को राज्य सभा में और 21 नवम्बर, 1987 को यह लोक सभा में रखी गयी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं संविधान के एक और अनुच्छेद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य कहिये कि इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, जो छोटे-छोटे राज्य है जैसे पंजाब, हरियाणा वहां तो हाई कोर्ट का गठन हो गया।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, यह कोई चर्चा नहीं हो रही है यह तो केवल स्थापित हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

यह अपने विचार रख रहे हैं। और इसके लिए 25 मिनट का समय निर्धारित है।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट जो कि चार वाल्यूम में है, इसके वाल्यूम–2 अध्याय 18 की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खण्ड पीठ की स्थापना के बारे में कहा गया है। इसके पृष्ठ–124 के पैरा 12 की ओर में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :–

मान्यवर, यह मेरी अपनी बात नहीं है। मैं उस रिपोर्ट का एक अंश पढ़ रहा हूं–

दि डेट कलेक्टेड बाई अस आलशो शोज दैट दि स्टेट्स आफ गुजरात, जम्बू एण्ड कश्मीर, केरल एण्ड उड़ीसा हैविंग लेसर पापुलेशन देन दि पापुलेशन आफ दि वेस्टर्न रीजन आफ दि स्टेट हैव गाट इनडिपेनडेन्ट हाई कोर्ट इट आलसो सोज दैट दि स्टेट्स आफ हरियाणा, पंजाब, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एण्ड दि यूनियन टेरीटरी आफ देहली विच आर स्मालर इन एरिया

एजवेल एज इन पापुलेशन दैट दि वेस्टर्न रीजन आफ दि स्टेट हैव विच दि फेसिलिटी आफ ए हाई कोर्ट गाट इट आलसो सोज दैट दि थ्री स्टेट्स आफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एण्ड राजस्थान हैविंग लेसर पापुलेशन दैन दि 44 डिट्रिक्स आफ दि स्टेट टैक्ड टू दि मेन सीट्स आफ जस्टिस एट इलाहाबाद हैव गाट बेंचेजस एट डिफरेन्ट प्लेसेज एण्ड दि स्टेट आफ बिहार विच इज स्मालर इन साइज एण्ड लेसर पापुलेशन हैज आलसो गाट ए बेन्च एट रांची ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

श्री केशो मेहरा–

मैं हिन्दी में अनुवाद किये दे रहा हूं इसमें यह कहा गया है कि गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल और उड़ीसा राज्यों की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से कम है, लेकिन वहां पर एक स्वतंत्र हाई कोर्ट स्थापित है । हरियाणा, पंजाब, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरीटरी दिल्ली जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश से कम हैं वहां पर एक हाई कोर्ट स्थापित है । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जिनकी जनसंख्या इस प्रदेश के 44 जिलों से कम है, में एक हाई कोर्ट है । बिहार राज्य जो उत्तर प्रदेश से छोटा है और जनसंख्या भी कम है, वहां रांची में भी एक हाई कोर्ट की बेंच है ।

मान्यवर, रिपोर्ट के वोल्यूम एक के 42वें पृष्ठ पर कहा गया है कि कहां-कहां पर खण्ड पीठ की स्थापना की गयी है ? सरकिट बेंच दिल्ली में 25 फरवरी 1952 को स्थापित की गयी है । एक नवम्बर, 1956 को राजकोट में मुम्बई हाई कोर्ट की एक सरकिट बेंच स्थापित की गयी । बाम्बे हाई कोर्ट की सरकिट बेंच नागपुर में एक नवम्बर, 1956 को स्थापित की गयी है । मध्य प्रदेश की एक अस्थायी बेंच इन्दौर में एक नवम्बर, 1952 को स्थापित की गयी है । हाई कोर्ट की अस्थायी बेंच ग्वालियर में एक नवम्बर, 1956 को स्थापित की गयी है । राजस्थान में जोधपुर में अगस्त 29, 1949 को बेंच स्थापित की गयी है । सरकिट बेंच पटना हाई कोर्ट की 6 मार्च, 1972 को रांची में स्थापित की गयी, गौहाटी हाई कोर्ट की सरकिट बेंच कोहिमा में दिसम्बर 1, 1972 को स्थापित की गयी है । इम्फाल में गौहाटी हाई कोर्ट की बेंच 24 जनवरी, 1972 को स्थापित की गयी है । अगरतला में सरकिट बेंच 23 जनवरी, 1992 को स्थापित की गयी है । गौहाटी हाई कोर्ट की एक सिंगिल बेंच शिलांग में सितम्बर 4, 1974 को स्थापित की गयी है । मुम्बई हाई कोर्ट की सरकिट बेंच औरंगाबाद में 27 अगस्त, 1981 को स्थापित की गयी है मुम्बई हाई कोर्ट की एक बेंच पणजी में 30-10-1981 में स्थापित की गयी है ।

मान्यवर, रिपोर्ट के वोल्यूम दो अध्याय 18 के बिन्दु 38 में कहा गया है कि हाई कोर्ट की एक बेंच आगरा में स्थापित की जाये । मैं बताना चाहता हूं कि 23 अगस्त, 1995 को भारतीय जनता पार्टी के बरेली से सांसद, श्री संतोष कुमार गंगवार ने लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2950 किया था, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं :–

वेदर दि गवर्नमेण्ट प्रपोज टू सेट आप दि बेन्चेज आफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एट सेवरल प्लेसेस इनक्ल्यूडिंग बरेली इन उत्तर प्रदेश ?

मान्यवर, इसके उत्तर में विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एच०आर० भारद्वाज ने कहा था कि–

"दि फारमर चीफ मिनस्टर आफ उत्तर प्रदेश वाइड हिज लेटर डेटेड 7-11-94 प्रपोज्ड दैट रिकमडेशन्स आफ दि जसवंत सिंह कमीशन फार सेटिंग आफ ए परमानेन्ट बेन्च आफ दि इलाहाबाद हाई कोर्ट एट आगरा एण्ड टू सर्किट बेन्चेज देयरआफ एट नैनीताल एण्ड देहरादून इन

वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मे वी इम्प्लीमेन्टेड/हाउएवर इन दि सेम प्रपोजल ही इन्फार्मड दैट दि दैन चीफ जस्टिस आफ दि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज नाट एग्रीएबुल टू सेट अप ए वेन्च इन दैट रीजन फार दि रीज़न दैट दि सिचुएशन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाज नाट कन्डयूसिव ।''

मान्यवर, यूनाइटेड प्रोविन्सेज हाईकोर्ट एमालगेरेशन आर्डर 19 जुलाई, 1948 की धारा 14 के अन्तर्गत माननीय मुख्य न्यायाधीश से उत्तर प्रदेश सरकार बातचीत कर और राज्यपाल की सहमति से उच्च न्यायालय की खण्डपीठ कहीं भी स्थापित की जा सकती है ।

इसी तरह से केन्द्र सरकार स्टेट रिआर्गनाइजेशन एक्ट 1956 का जो 37 वां अधिनियम है उसकी धारा 3 में खण्डपीठ उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि गरीबों को न्याय सुलभ हो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसके अनुरूप खण्ड पीठ स्थापित की जाय । जो जनभावना है उसको पूरा करने के लिये अन्यथा प्रदेश के टुकड़े करने पड़ेंगे । गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है इन 12 सालों के बाद भी हम खण्डपीठ स्थापित नहीं कर सके । मेरी मांग है उत्तर प्रदेश शासन उच्च न्यायालय की खण्डपीठ शीघ्र स्थापित करे । प्रदेश सरकार मा० मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय से वार्ता कर खण्डपीठ आगरा में स्थापित करे ।

* डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसे माननीय केशो मेहरा जी ने प्रस्तुत किया है ।

माननीय केशो मेहरा ने बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से संवैधानिक धाराओं और जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया, मैं अपने को उससे संबद्ध करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो इस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट में हाईकोर्ट की खण्डपीठ खोलने के लिये आगरा को चुना है उसे जल्दी खोला जाय ।

मान्यवर, आगरा एक ऐतिहासिक नगर पहले से रहा है । कभी पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी लेकिन वहां पानी की कमी की वजह से राजधानी को दिल्ली स्थानान्तरित किया गया था । अगर वहां पानी की कमी नहीं होती तो देश की राजधानी आज वहीं होती । इतने ऐतिहासिक नगर आगरा के गरीब लोगों को न्याय देने के लिये वहां पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिये । मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने के लिये यहां से केन्द्र सरकार को संस्तुति जानी चाहिये ।

* राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोलने के संबंध में सुनने का अवसर दिया । जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद इसका पूरी तरह से निरीक्षण हो चुका है और जैसा कि एक बार इसी माननीय सदन में 1991 में प्रस्ताव आया था । उसमें बहस हुई उसमें आगरा, मेरठ, रामपुर आदि में कहा गया था कि हाईकोर्ट की बेंच खोली जाय एक मत न होने से यह विषय बन्द हो गया था । खण्डपीठ एक लखनऊ में खुली हुई है अब दूसरी खण्डपीठ की आवश्यकता नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्यों ने आगरा में खंड पीठ की स्थापना करने के बारे में मामले को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमन् माननीय त्रिपाठी जी ने जो बात कही है मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जसवंत सिंह आयोग ने अपनी संस्तुति दी अब उत्तर प्रदेश सरकार को केवल यह करना है कि वह केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार से आगरा में खंड पीठ खोलने की संस्तुति करे। श्रीमन्, इस सदन में पहले भी वर्ष 1987 से 1991 तक यह विचार चला कि खंड पीठ की स्थापना होनी चाहिये। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ लखनऊ में स्थापित हो सकती है तो आगरा में एक खण्डपीठ और क्यों नहीं स्थापित हो सकती है ? इस आयोग की मंशा थी कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिल सके। श्रीमन्, इसके पहले समाजवादी पार्टी मांग करती थी खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिये लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो वह खामोश हो गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सरकार सही मानों में निर्णय ले और इस संकल्प के अनुसार हमारी भावनाओं को देखते हुये फैसला करे और आगरा में खंडपीठ की स्थापना की जाय। इसके पहले दो बार केन्द्र सरकार ने पूछा है कि कहां स्थापना करें ? भारद्वाज साहब ने पूछा कि कहां पर स्थापना करें तो सरकार ने जगह नहीं बतायी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार आगरा सर्वाधिक उपयुक्त जगह है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब सभी प्रदेश में, नागपुर में, हाईकोर्ट मौजूद है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता है ? आज पहाड़ के लोगों को, आगरा के लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को स्वीकार करके, इसको केन्द्र सरकार को भेजें। संयुक्त मोर्चा सरकार केन्द्र में है, यदि यह संकल्प स्वीकार करके वहां भेजा जाता है तो यह बात भी साफ हो जायगी कि केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की पक्षधर है या नहीं है। इसलिये मैं इस संकल्प पर बल देता हूं और इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस पर मुझे समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शुक्ल जी इस पर आप क्या बोलेंगे ?

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं श्री केशो मेहरा द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं और न मैं आगरा जाने का विरोध कर रहा हूं। आगरा और पश्चिम के लोगों को आगरा मुबारक हो हमें तो हमारा गोरखपुर प्यारा है। वास्तव में जिस तरह से केसों की पेंडेंसी बढ़ रही हाई कोर्ट में 10–10 हजार केस पेंडिंग हैं और केसों का निस्तारण न होने से अपराध बढ़ रहे हैं तो अपराधों पर रोक लगाने के लिये और लोगों को सस्ता तथा सुलभ न्याय दिलाने के लिये न्यायालयों की स्थापना आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भूजा और सत्तू बांध कर इलाहाबाद जाते हैं और वहां पर अधिवक्ताओं को पैसा देकर चले आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जायेगा तो कितना अच्छा होगा ? इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुये मांग करता हूं कि एक और खण्ड पीठ गोरखपुर में खोली जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिव सिंह चक्र–

मान्यवर, अभी श्री केशो मेहरा जी ने और माननीय वर्मा जी ने बताया कि 1985 में जसवन्त सिंह आयोग को रिपोर्ट दे दी गई थी। सरकार स्वयं सक्षम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करके खंड पीठ आगरा में स्थापित की जाय जिससे कि सब को न्याय मिल सके। मान्यवर, इसके लिये सरकार स्वयं सक्षम है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय केशो मेहरा जी ने जो संकल्प रखा है और माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। परन्तु सभी माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि इस भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची जिसमें यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कानफरेन्स लिस्ट दी है उसमें यह जो व्यवस्था है उच्च न्यायालय के गठन के सम्बन्ध में यह जो सातवीं अनुसूची की सूची (1) यानि जिसे यूनियन लिस्ट कहा गया है उसके क्रम संख्या–78 पर अंकित है। यानि इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार का है, भारत की पार्लियामेंट का है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना सकती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, संस्तुति का अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार को संस्तुति कर दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो संकल्प है उसमें है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ आगरा में स्थापित की जाय। यह जो स्थापित किये जाने की बात है तो उसका अधिकार उत्तर प्रदेश की सरकार के पास नहीं है कि इस खण्डपीठ की स्थापना कर सके। जहां तक इस जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के बारे में प्रश्न है उसमें सबसे पहले माननीय मेहरा जी 13 मार्च, 1981 का उत्तर प्रदेश की मंत्रि-परिषद् ने मेरठ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गढ़वाल और कुमायूं मण्डल के लिये उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी और उसके लिये स्थान निर्धारित करने के लिये भारत सरकार के ऊपर छोड़ा था और उनको अनुरोध पत्र भी भेजा था। उसी के तहत एक तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की थी उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का अभिमत, उच्च न्यायालय के न्यायधीश के अभिमत से केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया। अभी इस समय जो मौजूदा सरकार है। इस सरकार की जो माननीय मुख्य मंत्री हैं उन्होंने अपने पिछले शासनकाल में भारत सरकार को इस आशय का पत्र भेजा था कि यह सरकार (भारत सरकार) जो निर्णय ले कि बेंच की स्थापना कहां पर की जाय? इस पर काफी विवाद हुआ था जैसा माननीय सदस्य अवगत हैं कि पूरब हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं ने, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और पश्चिमी जिले के अधिवक्ताओं ने विवाद किया कि मेरठ या आगरा में खण्ड पीठ स्थापित की जाय। इसको लेकर तत्कालीन उद्योग मंत्री ने एक परिपत्र भिजवाया था। उस पर भी एक विवाद पैदा हुआ था। इस सब के परिपेक्ष्य में जिस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं वह इस सदन के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। इसकी स्थापना करने का अधिकार भारत सरकार को है। यह लिस्ट शिड्यूल सात की (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसके बारे में भारत सरकार को लिख कर दिया जा चुका है।

अन्तिम निर्णय लेना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए मैं माननीय माहरा जी से अनुरोध करूंगा, मैं समझता हूं कि इसमें वह पूर्ण अवगत हैं और माननीय सदस्य भी अवगत हैं इसकी दुरुहता को समझेंगे । इसमें अभिमत चीफ जस्टिस के हैं चाहे यह सरकार हो चाहे जो सरकारें बनी हों उन्होंने अपने मत से भारत सरकार को अवगत करा दिया है। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिये संकल्प पारित करना उचित नहीं है ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यूनाइटेड प्रोवीनेन्स हाई कोर्ट एमालगामेशन आर्डर 1948 19 जुलाई 1948 की धारा 14 के अन्तर्गत यह अधिकार प्रदेश को है इसी के आधार पर लखनऊ खंडपीठ स्थापित की गई यह पहले ही उच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त था और इसी आर्डर के तहत लखनऊ की खंडपीठ कार्य कर रही है । यह विषय प्रदेश से केन्द्र और केन्द्र से प्रदेश फुटबाल की तरह लुढ़क रहा है । सरकार कोई स्पष्ट राय दे दे । 7-11-94 को मुख्य मंत्री के पत्र द्वारा कह दिया कि जसवन्त आयोग की रपट के अनुसार खंडपीठ स्थापित कर दी जाए रपट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अराहमति प्रकट की है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है यह विषय अन्तिम रूप से तय हो जाय । यूनाइटेड प्रोवीनेन्ट हाई कोर्ट एमालगानेशन आर्डर 1948 जिसके अन्तर्गत खण्डपीठ स्थापित हुई है उसके अन्तर्गत यह स्थापित कर दी जाए । उ० प्र० सरकार मा० मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय से वार्ता कर खण्डपीठ आगरा में स्थापित तत्काल करे ।

श्री अधिष्ठाता–

वापस ले रहे हैं ?

श्री केशो मेहरा–

यह उत्तर दे दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं यह सदन इस बात से अवगत है कि 26 मई, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उस संविधान में, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जो शिड्यूल आर्टिकल 246 है इसमें तीन अनुसूची के बारे मे कहा गया है यह जो भारत के संविधान का सेकेन्ड शिड्यूल है उसकी एक लिस्ट यूनियन लिस्ट कही जाती है उस लिस्ट को मैं माननीय सदस्य को, आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा । प्रविष्टि 78 है वह संविधान संशोधन की 3 की धारा 12 के द्वारा स्थापित की गई है । 78 में लिखा है कि कांस्टीट्यूशन एण्ड आर्गनाइजेशन चीफ आफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का गठन और संगठन इस सूची के अन्तर्गत है इसमें विवाद नहीं है । चाहे किसी को रिआर्गनाइज करना हो या आर्गनाइज करना हो यह सब प्रदेश की सूची में नहीं है यह संघ सूची में है इस पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार का है । उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अपना मत पहले ही अवगत करा चुकी है । इसलिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर कोई चीज पास की जाये या कोई संकल्प या कानून बनाया जाएगा या उसकी कोशिश की जाएगी तो यह हमारी कुचेष्टा ही कही जाएगी । इसलिए मैं माननीय सदस्य से चाहता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले ले ।

श्री केशो मेहरा–

आप इस सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल यह बता दें कि अपना संकल्प वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

(श्री केशो मेहरा द्वारा अपना संकल्प वापस न लेने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ आगरा में स्थापित की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के किसानों को उनके कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के लिए "कृषि उपजों "की लागत मूल्य के वास्तविक आंकलन के आधार पर उन्हें "लाभकारी मूल्य" दिलाए जाने के लिए यथाशीघ्र कृषि उपज लाभकारी मूल्य निर्धारण नीति बनाए जाने का संकल्प

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों को उनके कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के लिए कृषि उपजों की लागत मूल्य के वास्तविक आंकलन के आधार पर उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के लिए यथाशीघ्र कृषि उपज लाभकारी मूल्य निर्धारण नीति बनायी जाय।"

इस संकल्प को लाने के पीछे मंशा यह है कि अभी तक हिन्दुस्तान के किसान और प्रदेश के किसानों का यह दुर्भाग्य है कि कृषि की कोई मूल्य नीति आज तक निर्धारित नहीं की गई। श्रीमन् हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहां 74 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है जो हमारा खेती मूल धन्धा है उसका कोई वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है ? आज हमारा किसान ऐसी परिस्थिति में है कि यह कहावत चरितार्थ हो रही है कि जो खेती का काम करे वह घाटे में जाए जो खेती कराए वह मजे करे। जो किसान के घर में पैदा हुआ वह कर्ज में पैदा हुआ और कर्ज में मरेगा। इसका मूल कारण यह है कि देश में कोई कृषि मूल्य नीति नहीं बनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज सारा प्रदेश इस झंझावत से गुजर रहा है। समूचे प्रदेश की सारी आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती के उत्पाद के सही मूल्य न मिलने के कारण सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। खेती में प्रयोग आने वाली रासायनिक खाद के दाम प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन कृषि उपज के मूल्य उस दर से नहीं बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से यदि फसल क्रीड़ा लग जाता या खर पतवार पैदा हो जाता है तो किसान का भारी नुकसान होता है। जिस यंत्र से दवा छिड़की जाती है या कृषि कार्य में आने वाले ट्रैक्टर हर वर्ष मंहगे होते जा रहे हैं। श्रीमन्, हमारे मुल्क का यह दुर्भाग्य है कि खेती के नाम पर कृषि के औजार जो पैदा करते हैं, उसे हर तरह की राहत और छूट प्रदान की जाती है सेल्स टैक्स में उसके बाद भी लाभकारी मूल्य दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी समय बहुत थोड़ा है, माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये अपनी बात समाप्त करें। आपके बाद भी तीन संकल्प हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बमहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, किसानों का मामला है। अगर इस पर विस्तार से सारी बातें नहीं रखी गयी तो यह अन्याय होगा। अगर हम एक-एक बात को नहीं कहेंगे तो संसदीय कार्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी इस संकल्प को अस्वीकार करवायेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे संकल्प को लम्बित करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार जो नई सरकार है, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को नयी चीज़ दे, अब तक की सरकारों ने जो नीतियां दी हैं, किसानों को धोखा दिया है और यह धरती पुत्र वाले उठकर चले गये (समाजवादी पार्टी के बेंचों की तरफ इशारा करते हुये) मैं उनसे भी कहना चाहता था। मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आप खुद किसान हैं। विगत 15 सालों में उत्तर प्रदेश के जो खेती की दुर्दशा हुई है, पूंजीनिवेश हुआ है, इसको हमें देखना पड़ेगा। विगत 15 सालों में कितना हुआ ? नवीं पंचवर्षीय योजना है इन पंचवर्षीय योजनाओं में खेती को हमारे टोटल बजट का कितना हिस्सा मिला, इन सबको देखने के बाद ही हम एक नतीजे पर आयेंगें इसलिये यह विस्तार का विषय है। अगर आप देखें विगत 15 सालों में कृषि उपज में कितनी वृद्धि हुई है ? इन 15 सालों में खेती की वृद्धि हुई है 3.14 प्रतिशत और हमारी जनसंख्या की वृद्धि 2.14 प्रतिशत की हुई है अर्थात 2.14 प्रतिशत जनसंख्या हमारी प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। 15 साल में हम खाने के लिये पैदा नहीं कर पाये। हमारे किसान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है क्योंकि उसे घाटे का मूल्य दिया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोहरी अर्थनीति चल रही है, कल कारखाने का काम करें, पान की दुकान चलाये या मोची की दुकान खोलकर बैठ जाये, यदि घाटा होगा तो वह उसे बन्द कर देगा लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश के किसानों का जो अपना काम बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार दो अर्थनीति है मुनाफे की और घाटे की। इसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आज ही बिल आया है कि खेती को सीमित करने के बारे में कि इतने एकड़ से ज्यादा एक परिवार में नहीं रहेगा। लेकिन श्रीमन्, जिनके पास कारखाना है वह चाहे एक, दो, तीन या चार कारखाना रखें कोई नियंत्रण नहीं है। एक अध्यापक जो नौकरी भी करे और और ट्यूशन भी पढ़ाये कोई नियंत्रण नहीं। आपने यह कर दिया है कि इतने एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होगा, उसके बाद भी कीमत घाटे की देंगे, कोई मूल्य नीति नहीं है। कहावत कही गयी है किसान जब बीज लेने जाय तो पूछेगा कि आप किस भाव से देंगे, लेकिन अगर किसान के पास उत्पाद रखा है और व्यापारी जाता है तो वह यह नहीं कहता है किस भाव से दोगे वह तो किसान को ही पूछना पड़ेगा कि किस भाव से खरीदोगे ? मान्यवर, आज जो स्थिति है उसमें कारखानों में बने सामान की कीमत के संबंध में हम नहीं कह सकते हैं कि इस भाव में दें। वह जिस भाव में देंगे उस भाव में किसान को लेना पड़ेगा। यह स्थिति इसलिए है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने किसान के साथ अन्याय किया, देश और प्रदेश की कृषि नीति के साथ अन्याय किया है और जो

सरकार में बैठ गये हैं वह उनके शोषक बन गये हैं । इसलिये किसानों का बहुत अहित हुआ है उत्तर प्रदेश में एक हैक्टेयर वाले किसानों की संख्या 73 प्रतिशत है जिसे देखें तो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब किसानों का है, इससे उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा ? इसलिए जब तक किसानों को उनकी पैदावार की मुनाफे की कीमत नहीं मिलेगी तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता है । इसलिये अभी तक जो नीति तय हुई है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सपोर्ट प्राइज समर्थन मूल्य तय किया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ समर्थन मूल्य और दूसरी तरफ मुनाफे का मूल्य, इन दोनों की विसंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या योजना ला रही है ?

मान्यवर, हमने अनेक बार यहां प्रश्न किया है, 1985, 1987 में प्रश्न किया था कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने में लागत व्यय कितना आता है ? चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय और फैजाबाद विश्वविद्यालय जहां अध्ययन और शोध कार्य होता है उनसे मालूम किया जाय कि एक क्विंटल गेहूं, चावल सरसों पैदा करने में कितनी लागत आती है, जो सरकारी फार्म हैं उनमें जो लागत व्यय आता है उसको ही यदि देखा जाय तो किसानों को जो समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं वह बहुत कम दे रहे हैं । आज किसानों के गेहूं का समर्थन मूल्य 425 रु० प्रति क्विंटल और 60 रु० बोनस के रूप में देते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आज कृषि का जो उत्पाद है उसकी प्रति किलो लागत 8 रु० आ रही है विदेशों से मंगाने पर और जब भारत में वह बेचा जायेगा तो उसकी कीमत और अधिक होगी । मान्यवर, हिन्दुस्तान में सरकार, एफ० सी० आई गेहूं क्रय करती है 480 रु० प्रति क्विंटल खरीद रही है जबकि विदेशों में 650 रु० में खरीदकर वह यहां 810 रु० में पड़ता है और यदि वास्तव में देखा जाय तो 0 रु० पड़ेगा । तो जब आप बाहर से गेहूं हिन्दुस्तान में 800 रु० में ला सकते हैं तो यहां किसानों को 480 रु० प्रति क्विंटल देना कौन सा न्याय है ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं आपने जो शुरू में गेहूं खरीदा जिसकी बिक्री सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से करते हैं तो उसको देखें वह भी मुनाफे पर बिकता है ।

मान्यवर, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने कहा कि देश के किसानों से जो गेहूं खरीदा है उसे गरीबों को अनाज हम आधी कीमत पर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, करीब 20 मिनट हो गये हैं अब आपसे निवेदन है कि अब बहुत ही संक्षेप में कह कर अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह जो मैं कह रहा हूं, यह मेरी वेदना है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, आप जैसे लोग भी इसमें भाग लें तो अच्छा होगा और भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेंगे तो उचित होगा । मान्यवर, मैं केवल दो बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आप चर्चा को सीमित न करें । इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार ने हमारे किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया है, उस नीति पर थोड़ी चोट करना चाहता हूं । जो मूल्य नीति है, उसके माध्यम से किस तरह धोखा किया जा रहा है, ढाई रुपये का कहकर तीन रुपये में बेचा जा रहा है । आज सस्ते गल्ले की दुकान में 3 रुपये में बिक रहा है और कहते हैं आधी कीमत में देंगे । आधी कीमत तो 2 रु० 24 पैसे होती है, हर चीज में सरकार मुनाफा खा रही है । मान्यवर, जब घाटा होता है तो सरकार सब्सिडी

देकर उसे पूरा करता है लेकिन किसान के लिये कोई इन्तजाम नहीं है । चाहे लाही, सरसों, बाजरा, उड़द, मूंग कुछ हो, वह सारे का सारा घाटा में बेचा जाता है । जिस प्रकार से खेती के काम आने वाले औजार, कृषि यंत्र हैं, उनका दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वही कृषि यंत्र जब किसान खरीद कर इस्तेमाल करता है तो उसे अपनी उपज का मूल्य बढ़ाने का अधिकार नहीं है । यह दोनों दो प्रकार की नीतियां नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, जितने भी दल हैं, हर दल एक बात कहता है, उचित मूल्य की । जिस पार्टी का भी घोषणा-पत्र पढ़ लें उचित मूल्य की बात जरूर मिल जायेगी, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाया जाय, यही वेदना की बात है । जो जन प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर खुलकर विचार करें । जब तक किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक हम देश के किसानों के स्तर को सुधार नहीं सकते, अमरीका में मान्यवर, यहां का उल्टा है.....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, काफी बात आ गई है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हम लोग जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर भाषण देते हैं तो बड़ी किसान की बात करते हैं । हमारे पीछे बैठे मणि जी को घर याद आ रहा है । यह कांग्रेसियों की मनःस्थिति है । कांग्रेसियों ने किसान को बरबाद कर दिया । कांग्रेस ने हमारे देश के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करके कोई मूल्य नीति, कोई कृषि नीति नहीं बनाई । इनकी मानसिकता तो उसी तरह की है । किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिये इस संकल्प के साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं

[समय 7 बजकर 30 मिनट]

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो खासकर अभी भी किसान हैं और हमारा आपका किसानी से ज्यादा संबंध है । जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, रामकुमार वर्मा जी बैठे हैं, सरदार सिंह जी बैठे हैं, मौर्य जी बैठे हैं जो मंत्री हैं, मैं आप लोगों से एक सुझाव देना चाहता हूं । कृषि मंत्री जी अभी शहर में रहते हैं लेकिन काश्तकार हैं अभी एक संकट आयेगा उससे मुझे खतरा है । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह देंगे कि कृषि मूल्य आयोग भारत सरकार का है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार जो हमारी सरकार है, मेरा भी इनसे आग्रह करने का दायित्व है और अधिकार है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप कमेटी बनाइये उत्तर प्रदेश के मूल्य निर्धारण के लिये । जो किसानों की लागत के बारें में जानकारी करे और किसानों को आप लाभकारी मूल्य दिलायें । उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये एक नई नीति बनाये जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिले ।

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार कर यह कार्य जब तक नहीं करेंगे तक तक हम किसानों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के पेट आज खाली हैं डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक किसान की जेब नहीं भरेगी, उसकी जेब में पैसा नहीं आयेगा तब तक इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी तो किसान की जेब का पैसा उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने से ही मिलेगा । आज किसान की जेब सिकुड़ रही है, घट रही है उसमें कुछ नहीं जा रहा है । पहले कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीची चाकरी लेकिन आज उल्टी बात है जो खेती करे वह सबसे घटिया, सबसे ज्यादा गरीब कहा जाता है और जो चाकरी करे वह उत्तम । कितनी नौकरी आपने तय कर दी है । 10 हजार 15 हजार तक की नौकरी होगी और किसान

को आपने 4000, 3000 पर ला दिया इसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा । मूल्य नीति में कृषि मंत्री जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ता है उस हिसाब से मार्केट वैल्यू दें । श्रीमन्, जिस तरह से मार्केट में महंगाई बढ़े, जिस तरह से सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ते की वृद्धि होती है इसके लिये जो मार्केट की स्थिति है उसको लागू करके लाभकारी मूल्य दिलाने की कृपा करें ।

* श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं श्री वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषय को इन्होंने सदन के सामने रखा है जिसकी विगत सरकारों ने उपेक्षा की है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का किसान जब तक भूखा रहेगा तब तक यह दूर नहीं किया जा सकेगा । मान्यवर, उद्योग की दुहाई दी जाती है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है जिसकी हमने उपेक्षा कर रखी है । प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर ही निर्भर करती है । कृषि की अगर उपेक्षा हो तो यह विषय सोचनीय है । आज तक विगत सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, उसकी अवहेलना की है । मान्यवर, जो छोटा सा कारखाना लगा लेता है यहां तक कि सुई बनाने वाला भी अपने सुई की कीमत तक करता है लेकिन किसान जो चीज पैदा करता है उसके मूल्य का निर्धारण वह करते हैं जिन्होंने कभी खेत खलिहान नहीं देखा, मेड़ नहीं देखी, वह कीमत तय करते हैं । आज जो एयर कंडीशनर में बैठे हैं आई० ए० एस० अधिकारी हैं, वह भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार से ही जाते हैं लेकिन वहां जाकर दूरी बढ़ जाती है वह अकल्याणकारी बन गये हैं । मान्यवर, कृषि मूल्य आयोग बना हुआ है लेकिन उसमें किसान की पैठ नहीं है । जो लोग आज एयर कंडीशनर में बैठे हैं, उन्हें किसानों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पहल करें । आज प्रदेश के किसान इस विधान सभा व सरकार से आशा की नजरों से देख रही है । वैसे भी देश में इस आदरणीय सदन का एक इतिहास है । माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, माननीय श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने बड़े सम्यक ढंग से इस विषय की विवेचना की है और उसके पक्ष को रखा है, हो सकता है मंत्री जी यह कह दें कि केन्द्र सरकार का यह विषय है, वह मूल्य निर्धारित करता है, मेरा यह कहना है कि जैसे और मामलों में सरकार पहल करती है, उसी प्रकार सरकार इस मामले में पहल करे ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके । अपने को जो किसान का बेटा कहते हैं, वे लोग तो आज यहां पर नहीं है, वोट की राजनीति ने हिन्दुस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया है परन्तु मैं पुनः मांग करता हूं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके यह सरकार इस संबंध में पहल करे । इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं केवल एक बिन्दु पर अपनी बात कहता हूं । श्री रघुवर दयाल वर्मा व श्री राम कुमार वर्मा जी ने जो बात कही है, उससे अपने का सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जब भी कोई उद्योगपति मूल्य का निर्धारण करता है जमीन की लागत, फैक्ट्री की लागत व मशीन आदि को शामिल करके करता है, उसी प्रकार यूरिया डाई अमोनिया फास्फेट, पोटास, कृषि उपकरण आदि का जो मूल्य है, उन सबका ध्यान रखते हुए कृषक की जो दिहाड़ी है, इसके अतिरिक्त जमीन के मूल्य को लागत मूल्य मानते हुए उसे जोड़ते हुए कृषि उत्पादों का मूल्य तय किया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, श्री रघुवर दयाल वर्मा जी हमारे एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और विद्वान भी है उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये कृषि उपज का सही मूल्य दिलाने के संबंध में। राम कुमार वर्मा जी ने भी बहुमूल्य सुझाव दिये, माननीय श्री मेहरा जी ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय श्री वर्मा जी ने कहा कि मैं शहरी क्षेत्र का रहने वाला हूं परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं भी बांदा जिले के नरैनी तहसील के एक गांव स्योढ़ा का रहने वाला हूं। वर्मा जी तो मेरे गरीब खाने पर हो भी आये हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। हम भी खेती पर ही आश्रित हैं, हमारा भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। किसान के दुख-दर्द को हम जानते हैं। माननीय सदस्य ने जो अपेक्षायें सरकार से की हैं, सरकार पूरी कोशिश करेगी कि किसान भाइयों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यह बात सही है हमारे प्रदेश के अधिकांश लोग खेती पर ही आश्रित हैं। जहां तक खाद व बीज का प्रश्न है। खाद्य और बीज में हमारी सरकार ने अनुदान दिया है। साथ ही जो पोटेशियम और फास्फेटिक खाद है उसको बिक्री कर से मुक्त कर दिया है।माननीय वर्मा जी ने खाद के मूल्य बढ़ाने की बात पर चिन्ता व्यक्त की थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारी सरकार ने 15 मई से 30 जून तक सरकारी नलकूपों से नहरों से जो धान की नर्सरी लगायी गयी है उसे निःशुल्क पानी देने की व्यवस्था की है, कीटनाशक दवाओं के वितरण की बात है मैंने अधिक से अधिक जिलों में इस संबंध में जाकर मीटिंग की और वहां के अधिकारियों से पूछा कि आप किसे किसान भइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। और उनको मैंने सख्त निर्देश भी दिये हैं कि संगठनों के माध्यम से सारी सुविधायें मुहैय्या करायी जायें। ट्रैक्टर और यन्त्रों के बारे में भी कहा गया। ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ रही हैं तो हम किसान भाइयों को ट्रैक्टर की खरीद में सबसीडी देते हैं हमारी सरकार ने प्रति ट्रैक्टर 30 हजार रुपये की सबसीडी दी है। सीमित भूमि की बात माननीय वर्मा जी ने कही। उन्होंने कहा कि भूमि का निर्धारण कर दिया है कि किसान कितनी हेक्टेयर भूमि अपने पास रख सकता है। यह इससे पूर्व में ही निर्धारित हो चुका था और यह इसलिये किया गया कि खेतिहर मजदूर खेती करते हैं और खेती करने बड़े-बड़े जमींदारों के पास जाते हैं। बुआई वह करते हैं, जुताई वह करते हैं और सारी की सारी फसल जमींदारों के पास चली जाती है तो सारा नजुर्बा उनको है और उनके पास भूमि नहीं है। इस तरह से उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अगर हम व्यवस्था करेंगे तो ही हमको पता चल पायेगा कि किसके पास कितनी भूमि है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में 40 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है और 90 करोड़ हेक्टेयर भूमि हमारी खाली पड़ी है। 40 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है उसमें खेती होती है, उसमें बड़े-बड़े काश्तकार है। अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया तो वह अपने चाचा के नाम, अपने मामा के नाम, अपने कुत्ता बिल्ली के नाम कर देंगे और अपना इस्तेमाल करेंगे। उसमें यही होता है कि जो हमारे मजदूर हैं वह जाकर काम करते हैं और उनको मजदूरी नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जो 90 करोड़ हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है वह साजिश के तहत भूमिहीन किसानों को नहीं बांटी गयी है। वह इसलिए नहीं बांटी गयी है कि जो 40 हैक्टेयर भूमि पर काम करते हैं वे उनके यहां काम पर नहीं आयेंगे। इस तरह से जो भू-माफिया थे उन्होंने यह सोचा कि यह सत्ता हमारे हाथ में रहे इसलिए उस भूमि को खाली रखा गया और जानबूझकर एक साजिश के तहत उसको नहीं बांटा। लेकिन मान्यवर, जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, जो जमीन खाली पड़ी है वह खाली भूमि भूमिहीनों में बांटी जाये उन्हें पट्टा दिया जाये जिससे वह खेती कर सकें। मान्यवर, पहले कागजों में पट्टा दिया जाता था लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जाता था....

श्री अमरमणि–

जो आप कह रहे हैं जमीन खाली पड़ी है तो यह कहां पर किस जगह पर है इसका उल्लेख करेंगे ? चार महीने का शासन आपका हो गया है क्या उसके लिये कोई कानून बनायेंगे ? पट्टे हम लोगों ने दिये थे । कांग्रेस ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाकर 18 एकड़ की सीमा निर्धारित की थी जिससे लाखों गरीब किसानों को पट्टे मिले थे । यह सरकार कह रही है कि कब्जा कागजों पर हुआ है तो ऐसा नहीं है । पात्र व्यक्तियों को पट्टे मिले हैं । अगर यह बात सत्य हो कि एक डिसमिल जमीन से ज्यादा हो, तो मेरा इस्तीफा आप स्वीकार कर लें और नहीं तो आप अपना इस्तीफा दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए । त्रिपाठी जी आप आरोप प्रत्यारोप न लगायें ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जो 50 हैक्टेयर की बात कही गयी है, वह हमारी नहीं है, वह प्लानिंग कमीशन की है । यह मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है । मान्यवर, जहां तक लाभांश की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को हम अपनी सिफारिशें भेजते हैं और जब सिफारिश भेजते हैं तो खाद, बीज, लाभांश और दूसरी जो भी चीजें हैं, उनके प्राफिट को जोड़कर, हम सिफारिश भेजते हैं । 415 रुपये केन्द्र सरकार ने निर्धारित किया है । हमने 505 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की थी । माननीय वर्मा जी ने कमेटी बनाने की बात कही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह कमेटी पहले से ही बनी हुई है । कृषि मंत्री के साथ, सहकारिता मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री और तीनों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर इसमें रखे गये हैं । तो मान्यवर, इस तरह से यह कमेटी पहले से ही बनी हुई है । जब यह कमेटी रेट तय कर लेती है, तो उनको केन्द्र सरकार को भेजा जाता है । मान्यवर, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्र में भी एक कमेटी बनी हुई है । उस कमेटी के अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि मंत्री हैं, तो वहां पर तय होता है । आपने आदेश दिया है, तो मैं अपनी बात को बहुत ही थोड़े शब्दों में समाप्त करता हूं । प्रदेश के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये पृथक से नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी हमारे सम्मानित सदस्य और इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मामले को बड़ी होशियारी के साथ मामले को रखा है । मैं कहना चाहता हूं कि आम का काश्तकार रो रहा है, उसको सही कीमत नहीं मिली और इसी प्रकार से आलू किसान रो रहा है, उसका आलू सड़ गया है, यह सब इसलिये हुआ है कि आपकी जो नीति है वह ठीक नहीं है, आपकी कोई मूल्य नीति नहीं है, अगर आपकी नीति साफ होती तो यह स्थिति न आती । आज किसान आलू बोने के लिये तैयार नहीं है । जब किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा तो वह मजदूरों को मजदूरी देने में हिचकिचायेगा नहीं और मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलेगी । जब किसान को खुद कुछ नहीं मिल रहा है, उसकी जेब में कुछ नहीं आ रहा है तो वह कहां से मजदूर को मजदूरी दे देगा ? श्रीमन् मेरा निवेदन है आपको किसान को लाभकारी मूल्य देना होगा । माननीय मंत्री जी ने जो चर्चा की वह ज्यादा बाहर की चर्चा की मूल बात पर वह नहीं आये । मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, यह नीतिगत बात है इस पर नीतिगत फैसला करना होगा । इस मामले में जो मंत्री जी ने कहा सरकारी कमेटी बनी है तो उसमें तो सरकारी अधिकारी कृषि विभाग के

अधिकारी बैठ कर फैसला कर लेते हैं जो सही फैसला नहीं होता है । अगर आप चाहते हैं कि किसान का भला हो तो एक आप कमेटी बनायें जिसमें कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके एक्सपार्ट उसमें हों और माननीय सदस्य जिनको आप अच्छा किसान मानते हैं वह उसमें हों तथा मजदूरों के प्रतिनिधि उस कमेटी में हों । आप श्रीमन्, देखें जो खेत में किसान का 6 साल का बच्चा काम करता है, या जानवर चराता है, खेत में पानी लगाता है वह भी लागत में आता है और उसकी अपनी मजदूरी अलग रही । आज ही आपने बजट में 47 रु० मिनिमम मजदूरी तय की है तो उसको ही जोड़ लीजिये तो क्या दाम होने चाहिए आप खुद समझ सकते हैं आप भी किसान हैं उसके अनुसार मूल्य निर्धारित करे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है आप एक कमेटी ऐसी बनाइये जो कम से कम इस पर शोध और अध्ययन करे । यह कमेटी सरकारी कमेटी से हट कर होनी चाहिए जो इस पर अपनी रिपोर्ट दे उसको भारत सरकार को भेजिये वह क्या करेगी इसकी चिन्ता न करें क्योंकि वह स्वयं बैशाखी पर चल रही है उसे किसानों की चिन्ता कहां है ? तो किसान के हक में इस तरह की कमेटी अवश्य बनाइये । आप जानते हैं किसान बेचारा अगर एक बीघा जमीन का बैनामा करता है तो दूसरे दिन सरकारी आदमी आ जाता है कि कम दामों पर बैनामा किया है ।

किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये यह संकल्प लाया गया है इसको सर्वसम्मति से यह सदन स्वीकार करें और भारत सरकार को मजबूर करें कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले । इस आशय से मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस वेदना और पीड़ा से आप पीड़ित हैं यह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की समस्या है । जब तक सही मानों में इसकी बुनियाद में जाकर इसका हल नहीं ढूंढा जायगा तक तब ऊपरी सतह से इसका हल नहीं निकलने वाला है । मैं आपकी पीड़ा से अपने को जोड़ता हूं । आज जो सबसे बड़ी प्राब्लम है वह दो प्रकार की प्राब्लम हैं एक तो मार्केटिंग की है । जब तक उचित मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होगी आप चाहे जितनी उपज कर लीजिये, दाम बढ़ा लीजिये उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । जैसे अबकी बार आम पैदा हुआ, आलू पैदा हुआ । आम और आलू तो पैदा हुआ लेकिन मार्केटिंग की समस्या सामने आयी । हमें मार्केटिंग के बारे में सोचना होगा । दूसरी बात जो है वह यह कि आप दुनियां का इतिहास देख लीजिये जो देश समृद्धिशाली बने हैं वहां पर खेती पर कम से कम लोग लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग धन्धों पर लगे हैं । अमेरिका में 4 परसेंट लोग खेती करते है और 96 प्रतिशत लोग गैर कृषि उद्योग धन्धों में लगे हैं । इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 90 परसेंट लोग कृषि में लगे हैं और 10 परसेंट गैर कृषि उद्योग धन्धों में लगे हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे बेहतर हालत है वहां पर 72 प्रतिशत लोग खेती पर लगे हैं और 28 परसेंट लोग गैर कृषि उद्योग धंधो में लगे हैं । तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा केवल लाभकारी मूल्य देने से स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है । कृषि उत्पादन का उपयोग करने वालों की एक बड़ी फौज है, जो उसके उपभोक्ता हैं वह बहुत हैं तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा । इस संबंध में एक समन्वित नीति बनाने के लिये पूरे देश के लोगों को बैठना होगा । यह जो सरकार है यह सतत् प्रयत्नशील है और आपकी पीड़ा से, किसानों के दुख से यह सरकार भी दुखी है और इस पर पूर्णरूपेण विचार करके सरकार चाहती है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले । लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे यहां मार्केटिंग की प्राब्लम है जब तक इसको हल नहीं करेंगे केवल कागज पर मूल्य बढ़ाने से किसान को मूल्य नहीं मिल सकता है । अभी आलू पैदा हुआ था आलू किसान का जो हस्र हुआ उसको हम आप सब जानते हैं । कृषि

उत्पादन के दाम निर्धारित हो जायं और उसे कोई खरीदने वाला न हो तो कैसे लाभकारी मूल्य मिल सकता है। माननीय वर्मा जी का जो संकल्प है उसकी जड़ में जाकर उसका निदान ढूंढना होगा। माननीय कृषि मंत्री जी और यह सरकार इसकी तह में जाकर इसके एक-एक बिन्दु पर विचार करेगी और आपकी जो भावना है उसको समाहित करके कोई न कोई हल निकालेंगे इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की नीयत पर और सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं करता हूं क्योंकि मैं इस सरकार में भागीदार हूं। मैं इस संकल्प को वापस ले लेता यदि यह कुछ मुझे धरोहर देते किसान के लिये लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनसे किसान का अहित हो रहा है इसलिये मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के किसानों को उनके कृषि उपज के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये कृषि उपजों की लागत मूल्य के वास्तविक आंकलन के आधार पर उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये यथाशीघ्र कृषि उपज लाभकारी मूल्य निर्धारण नीति बनायी जाय।"

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, आठ बज गये हैं और कोरम भी पूरा नहीं है। आज इसको स्थगित करवा दें और अगले दिन करवा लें।

श्री अधिष्ठाता-

कोरम पूरा है और इसको आज ही समाप्त कर लीजिये।

प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से घोषित किये जाने का संकल्प

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से घोषित की जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारे इस संकल्प को सदन में लाने का अवसर दिया। इस सम्मानित सदन में इससे पहले भी ऐसे बहुत से हमारे राजनीतिज्ञ लोग रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। मैं पहली बार इस सदन का अकिंचन सदस्य होने के नाते अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भदोही जनपद में एक इण्टरमीडिएट कालेज में एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता था । आज इस संकल्प के माध्यम से मुझे यहां पर कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में जहां साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है । गांव में हर व्यक्ति साक्षर बने इसके लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । 70 प्रतिशत की आबादी वाले गांवों में आज 30 प्रतिशत लोग भी साक्षर नहीं हैं । गांव की गरीबी, गांवों में बेरोजगारी, आज गांव में रहने वाले लोगों को शहरों की ओर पलायन के लिये मजबूर कर रही है । माध्यमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिये जाता है वह फीस न दे पाने के कारण विद्यालय जाने से वंचित हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आपसे निवेदन है कि समय को थोड़ा ध्यान में रखते हुए संक्षेप में कहने का प्रयास करें । माननीय सदस्यों की पीड़ा से भी आप अवगत होंगे । इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसे जरा संक्षिप्त कर दें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि गांव में लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये इतने पीड़ित हैं कि उनको शिक्षा के बारे में विचार करने का समय नहीं है । क्योंकि वहां पर गरीबी है । वह रोजी रोटी के लिये परेशान हैं । शिक्षा आज समाज की रीढ़ है । अशिक्षित व्यक्ति अपने को समाज में हीन समझता है । आज शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है । समाज में समता और समरसता की भावना के लिये शिक्षित समाज की हम परिकल्पना कर रहे हैं । आज गांवों में जो 70 प्रतिशत आबादी है उसमें हम देखें कि आज साक्षरता कार्य के बावजूद भी 25 प्रतिशत लोग आज भी निरक्षर हैं। इसका कारण वहां की गरीबी है । आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं । कर्म से नहीं मन और वाणी से हम कह रहे हैं कि आजादी मिले पचास वर्ष हो गये हैं । खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के पचास वर्ष के बाद भी आज कितने लोग निरक्षर हैं । शिक्षा के लिये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी खाना-पूर्ति में सिर्फ कागजी कार्यवाही हो रही है गांवों के स्कूल में जाकर देखें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं स्कूल जाते हैं वह फीस न दे पाने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । फीस की दरें बढ़ाई जा रही हैं । एडमीशन फीस के रूप में, सुविधा शुल्क या अन्य किसी रूप में बच्चों से वसूल किया जा रहा है । गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने से वंचित रह जा रहे हैं । वहीं 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं अपने बच्चों को अच्छे कालेज में इंग्लिश मीडियम के कालेज में शिक्षा देने के लिये भेज रहे हैं । आज गांवों में जहां गरीब लोग फटे हाल हैं, तंग हाल है, मजबूर उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । समाज में समृद्धि लाने, समरसता बनाने के लिये लोगों को साक्षर बनाना होगा । आज ऐसे लोग भी हैं जिन्हें चिट्ठी पत्री तक पढ़नी नहीं आती है । जो अपनी आवश्यक बातों को लिख नहीं सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं वह आजाद भारत के लिये अभिशाप है आज जिस परिवेश में निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र परिकल्पना स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक है उसी तरह शिक्षा समाज की रीढ़ है मैं चाहूंगा कि माध्यमिक उच्चतर विद्यालय के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दें यह हमारा संकल्प है, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ।

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, एक मिनट बोलने का मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी का जवाब आने दें।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों से जुड़ा है। जो भी निर्णय लिये जाते हैं इन दोनों को सम्मिलित करके लिये जाते हैं आज प्रदेश में करीब 8 हजार 288 माध्यमिक विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में लगभग 68 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं यह विद्यालय राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में विभाजित किये गये हैं। अशासकीय विद्यालय दो तरह के हैं जिनको सहायता सरकार की ओर से दी जाती है दूसरे विद्यालय जो हैं उनको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती है आज हमारे भाई पाण्डेय जी ने यह अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्रकरण को सदन के समक्ष रखा। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रकरण 1957 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ जिसमें एक कक्षा से लेकर कक्षा 6 तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने प्रक्रिया अपनाई। इसके उपरान्त 1965 से लेकर 1987 तक बालिका विद्यालयों में कक्षा सात से लेकर 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया। तदोपरान्त 1990 से बालक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा कर दी गई। लेकिन मान्यवर, निःशुल्क शिक्षा से पूर्व कुछ शुल्क लिया जाता है कक्षा 6 से तीन रुपये, सात से कक्षा दस तक विद्यार्थियों से 4.50 रुपये, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से प्रतिमाह 8.75 पैसे शुल्क लिया जाता था। इस शुल्क को कला संकाय में 15 प्रतिशत कालेज को दिया जाता था और विज्ञान संकाय में 20 प्रतिशत एक खाते के नाते जाता था। इस तरह उस निःशुल्क शिक्षा से जो विद्यालय में 15.20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति होती उसमें जाता था। जो असहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनकी क्षतिपूर्ति शत प्रतिशत सरकार करती थी। इस तरह से 9 करोड़ का खर्चा सरकार पर पड़ता था जिससे सात करोड़ बालक विद्यालय पर और दो करोड़ के लगभग गर्ल्स इन्सटीट्यूशन पर पड़ता था। साथ ही मान्यवर, कुछ शुल्क के रूप में जिसमें ब्वायज फंड हैं 1976 से पूर्व विद्यालय में लगाया गया यह शुल्क इतना कम था कि महंगाई बढ़ने के साथ-साथ जो विद्यालय हैं माननीय सदस्य खुद शिक्षा से जुड़े हैं मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन शुल्क की दरें इतनी कम थी कि कालेजों की हालत बड़ी जर्जर होने लगी। फर्नीचर कम हो गया मेंटीनेंश नहीं हुआ कहीं कहीं छत टूटने लगीं। इसे देखते हुए सरकार ने विकास शुल्क 3 फरवरी, 1997 से लगाया जिससे कालेजों की स्थिति सुधर सके। पूर्व में 6 से आठ की कक्षाओं में 50 पैसा प्रति छात्र प्रति माह लिया जाता था इसको बढ़ाकर दो रुपया प्रति छात्र प्रति माह कर दिया गया नवीं व दसवीं कक्षा के छात्रों से पूर्व में प्रति छात्र 75 पैसे प्रति माह लिया जाता था इसको बढ़ाकर 5 रुपया प्रति छात्र प्रति माह कर दिया गया। ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा के छात्र से प्रति छात्र प्रति माह एक रुपया लिया जाता था इसको बढ़ाकर 8 रुपया प्रति छात्र प्रति माह कर दिया गया। पूर्व में शुल्क का 50 प्रतिशत वेतन में काम आता था और 50 प्रतिशत विद्यालय को दे दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने विद्यालयों की हालत सुधारने के लिये 100 प्रतिशत सहायता शुल्क विद्यालयों को दे दिया है जो विकास के काम आ सके। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 4 दिसम्बर, 1986 को जब वित्त की कमी आई तो सरकार ने एक नीति अपनाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी उसने विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी। उसमें कक्षाएं खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी और प्रबन्ध तंत्र उसी विद्यालय के प्रबन्धकों के नियंत्रण में कर दिया गया। लेकिन इस नीति से विद्यालयों की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। निःशुल्क शिक्षा नीति के कारण विद्यालयों को चलाना मुश्किल हो गया। उनकी

शिक्षण व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। इन सबको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इन विद्यालयों में वित्त विहीन विद्यालयों में शुल्क लगा दिया जाए और इसी कारण शिक्षा में क्वालिटी और क्वांटिटी की नीति सरकार ने अपनाई। इस समय राजकीय इंटर कालेज में व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा चल रही है लेकिन वित्त विहीन विद्यालयों में शुल्क लगाने की आवश्यकता पड़ गयी। शिक्षा के विकास के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूप से करना सम्भव नहीं है मैं पाण्डेय जी से अनुरोध करूंगा कि अपने संकल्प को वह वापस ले लें शिक्षा के हित में शिक्षा के विकास में मुझे इतना ही कहना है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने जो भी बातें कही हैं वह अपनी जगह है लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए और गरीब गांव की फटेहाली और जनता की स्थिति को देखते हुए उसकी जो दयनीय स्थिति है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे लोग शिक्षा से वंचित रह जायेंगे यदि उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है तथा आज भी निरक्षरता गांव में बनी रहेगी। जो हमारा शत प्रतिशत साक्षरता अभियान है वह निश्चित रूप से कामयाब नहीं हो पाया है इसलिये मैं पुनः चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और ऐसे गरीब गांव में रहने वाले व्यक्तियों के परिवारों को शिक्षित बनाने के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

क्या माननीय पाण्डेय जी अपने संकल्प को आप वापस ले रहे हैं ?

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि गरीब लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने के लिये इस संकल्प को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि– "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से घोषित की जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[मद संख्या 14(4) पुकारे जाने पर।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राजेन्द्र यादव नहीं हैं इसलिये यह अस्वीकृत हुआ।

प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों यथा गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, सरयू, राप्ती, रोहित आदि को अन्तर्देशीय जल मार्ग घोषित करते हुए जल संचार, यातायात, परिवहन आदि के विकास हेतु "राज्य नौ परिवहन प्राधिकरण" की स्थापना का संकल्प

* श्री अमर मणि–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों यथा गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, सरयू, राप्ती, रोहित आदि को अन्तर्देशीय जल मार्ग घोषित करते हुए जल संचार, यातायात, परिवहन आदि के विकास हेतु "राज्य नौ परिवहन प्राधिकरण" की स्थापना की जाय।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज जब देश में पूरी दुनिया में जहां तक हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क यातायात पूरी तरह से व्यस्ततम हो चुका है । आज आप रेलों में टिकट लेने जायें तो नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय मार्ग इतने व्यस्त हो चुके हैं उनमें अब यातायात की सम्भावनायें नहीं रह गयी हैं । इसलिये आज हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, यहां पर धर्म और संस्कृति जुड़ी हुई है । गंगा जमुनी तहजीब कही गयी है । हमारे यहां जो पिछड़ी जाति के लोग हैं मल्लाह, निषाद, कहार आदि, नदियां जिनका भरण पोषण करती रही हैं इतिहास और हमारी संस्कृति दोनों साक्षी हैं, उनका भरण-पोषण होता रहा है । ज्यों-ज्यों युग बदलता गया, हमने देखा कि हमारी दिशा बदलती गयी । हमने हवाई मार्गों और रेल मार्गों का अधिक विकास किया लेकिन जल मार्गों की उपेक्षा के कारण उसका विकास नहीं हुआ है । मल्लाह पूरी तरह से आज भी नदियों पर निर्भर हैं । आज प्रमुख शहर जो कि सभ्यता के बिन्दु हैं सारे के सारे नदियों के किनारे इसलिये मौजूद हैं क्योंकि यह प्राचीनतम मार्ग रहा हैं । इस आप देख लें जिन विधान सभा क्षेत्रों में अधिक नदियां हैं वहां मल्लाहों की संख्या आज भी अधिक है । हम मल्लाह जाति के लोग, निषाद जाति के लोगों और नदियों का विकास चाहते हैं । हम अपने उन उपेक्षित क्षेत्रों की जो नदियों के किनारे बाढ़ आने से उपेक्षित हो गये, हर बार प्रबन्ध ठीक न होने के कारण बाढ़ से या सूखा पड़ जाने से उपेक्षित हो गये । मान्यवर, आज यह सदन और यह सरकार तय कर ले कि हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की है और तमाम निगमों की स्थापना की है । [समय 8 बजकर 25 मिनट] यदि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमारे यहां जो बड़ी-बड़ी नदियां जिनमें विशाल जल स्रोत मौजूद है जैसे गंगा, गोमती, शारदा और सरयू जैसी महान नदियां मौजूद हैं यदि इनका प्रबन्ध स्टेट सुनिश्चित करें तो नदियों के किनारे बसने वाले लोगों का विकास होगा और पिछड़ी जाति के लोग जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, जलमार्गों के न होने से, वह अपने को सम्पन्न कर सकेंगे । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से राज्य परिवहन निगम बना है उसी तरह से मल्लाहों के कल्याण हेतु नदियों के किनारे-किनारे यातायात की जो व्यवस्था आप कर सकते हैं उसका प्रबन्ध करें और नदियों के किनारे बसने वाले मल्लाहों और मछुआरों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे नदियों से बालू निकालने का जो उन्हें पट्टा देंगे उसे वह कर सकें । इससे उनका और उस क्षेत्र का विकास होगा ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए मांग करता हूं– "जल संचार, यातायात, परिवहन आदि के विकास हेतु परिवहन निगम की तरह" "राज्य भी परिवहन प्राधिकरण गठित किया जाय ।"

परिवहन मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री त्रिपाठी जी को धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि मा० मुख्य मंत्री जी पिछड़ों और अति पिछड़ों के विकास के लिए काम कर रही हैं । आपने अच्छा कहा है कि जल परिवहन की सुविधा के लिये हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी परिवहन सुविधा देने का उद्देश्य बनाया है । मान्यवर, प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध परिवहन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है जिसके कारण राजमार्गों पर वाहनों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, जिसके अनुरूप सड़कों का विस्तार करना सम्भव नहीं है । वाहनों की इस बढ़ती हुई संख्या से पर्यावरण भी गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहा है । इसको दृष्टि में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 1986 में प्रदेश की नदियों में जल परिवहन के कार्यों की सम्भवनाओं के आंकलन एवं

उन्हें विकसित करने हेतु योजनाओं का फिजीबिल्टी अध्ययन करने हेतु एक सेल का गठन किया । सेल द्वारा निम्नलिखित चार योजनायें तैयार की गई :—

(1) गंगा नदी, इलाहाबाद से कानपुर तक कुल लम्बाई लगभग 250 कि०मी० अनुमानित मूल्य रुपया 45.20 लाख ।

(2) यमुना नदी, इलाहाबाद से मथुरा तक कुल लम्बाई लगभग 500 कि०मी० अनुमानित मूल्य रु० 79.65 लाख ।

(3) घाघरा नदी, फैजाबाद से गंगा संगम तक । कुल लम्बाई लगभग 300 कि०मी०, अनुमानित मूल्य रु० 78.85 लाख ।

(4) गोमती नदी, लखनऊ से कौड़िहार तक, कुल लम्बाई लगभग 300 कि०मी० अनुमानित मूल्य रु० 43.35 लाख ।

जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है । केन्द्र सरकार ने वर्ष 1989 में घाघरा नदी की परियोजना की फिजीबिल्टी अध्ययन जिसकी लागत रु० 50 लाख रु० थी जिसकी स्वीकृति प्रदान की । प्रदेश सरकार ने सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया कि सर्वप्रथम इस योजना के अन्तर्गत 14.83 लाख रु० की लागत से एक तकनीकी (हाइड्रोग्राफिक) सर्वेक्षण कराया जाये । यह हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भारत सरकार के उपक्रम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया गया तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1992 में प्रदेश सरकार को सम्प्रेषित की । इस तकनीकी सर्वेक्षण का मूल्यांकन परिवहन विभाग के जल परिवहन सेल द्वारा किया गया तथा सेल के इवैल्यूवेशन के आधार पर भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठकों के बाद वर्ष 1992-93 में यह निर्णय लिया गया कि इस तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसके आधार पर यह आंका गया कि घाघरा नदी में जल परिवहन की सम्भावनायें मौजूद हैं के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन से पूर्व एक ट्राफिक स्टडी टेक्नोइकोनामिक फिजीबिल्टी करा लिया जाये ।

अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुमोदित टर्म्स आफ रेफरेन्स के अनुसार यह अध्ययन कार्य कंसलटिंग फर्म द्वारा 1996 में पूर्ण किया गया । उक्त अध्ययन से सिद्ध होता है कि मान्यवर, प्रदेश में जल परिवहन को विकसित करने हेतु प्रबल सम्भावनायें विद्यमान हैं । जल परिवहन को प्रारम्भ करने के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इण्डियन स्टीम बेसोल्स एक्ट, 1917 के अन्तर्गत नियमावली बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । यह नियमावली बन जाने के पश्चात् प्रदेश में चल रहे जलपोतों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । उपरोक्त अध्ययन में की गई संस्तुतियों के आधार पर एक विस्तृत परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी है जिसमें नवीं पंचवर्षीय योजना में रुपया 30 करोड़ की लागत से प्रदेश में जल परिवहन से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं का विकास करने का प्रस्ताव है । वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होते ही इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी एक-एक लाइन पढ़ रहे हैं । यह कैबिनेट मंत्री हैं, इनको तैयार करके आना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

पढ़ नहीं रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जल परिवहन को विकसित करने हेतु प्रदेश में एक जल परिवहन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव भी शासन के समक्ष विचाराधीन है, इसलिये मैं श्री अमर मणि जी से निवेदन करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें, क्योंकि जो वह चाहते हैं, वह सरकार करने जा रही है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस ले लिया है, अतः प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने के पक्ष में हों, वह कृपया हां कहें जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में न हों, वह कृपया नही कहें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और संकल्प वापसी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 23-7-97 को नियम 311 में प्राप्त एक सूचना को नियम 51 में परिवर्तित कर सम्बद्ध किया गया है । इस प्रकार नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं । इसमें पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ जनपद में हापुड़ रोड लोहिया नगर स्थित एक मदरसे की छत गिर जाने से हुई दस बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसी विषय पर श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद ने भी नियम 311 में सूचना दी थी, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की, सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषकर मैनपुरी जनपद में पूर्ण साक्षरता योजना के अन्तर्गत फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपयों का घोटाला किये जाने के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डेय की जनपद भदोही के जंगीगंज कस्बे के कालीन व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में पूर्व स्वीकृत तीन सौ शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में, पर शासन का ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । पांचवीं सूचना स्वयं मेरी लालजी वर्मा की है, जो जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा में घाघरा नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को शासन का ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । छठी सूचना श्री गौरीशंकर एडवोकेट की प्रदेश में तदर्थ रूप से नियुक्त पी० एम० एस० चिकित्सकों को विनियमित/स्थायी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । शेष सूचनाएं श्री धर्मज्ञ मिश्र, डा० रामबाबू हरित, श्री तेजभान सिंह, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री नवाब सिंह नागर, श्री अखिलेश सिंह, श्रीमती कृष्णा राज, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री राधेश्याम सिंह, श्री विनय कुमार पाण्डेय, श्री सीताराम निषाद की अस्वीकृत की जाती है ।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 35 मिनट पर वृहस्पतिवार 24-4-1997 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

23 जुलाई, 1997

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०सं०-60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

सेवा में,

माननीय आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–226001

आदरणीय महोदय,

ससम्मान महोदय का ध्यान वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना है कि वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक संवर्ग सदैव समर्पण की भावना, निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन अनुशासित ढंग से करता आ रहा है किन्तु इस संवर्ग से सम्बद्ध कर्मचारियों के कठोर परिश्रम, ईमानदारी, निष्ठा एवं गुरुत्तर दायित्वों के दबाव के अनुरूप न तो शासन द्वारा वेतन ही दिया जा रहा है और न ही सम्मान ।

2–आदरणीय महोदय पूर्णतया भिज्ञ हैं कि इसके पूर्व के वेतन आयोग द्वारा आशुलिपिक का वेतनमान रु० 515–860/– दिया गया था किन्तु किन्ही कारणों से उसे वेतनमान रु० 470–735/– में परिवर्तित कर दिया गया और इसी वेतनमान में प्रधान लिपिक (विकास) एवं लेखाकार (विकास) को भी रखा गया । वर्तमान वेतन आयोग द्वारा प्रधान लिपिक एवं लेखाकार का वेतनमान तो रु० 1400–2600 कर दिया गया परन्तु आशुलिपिक का वेतनमान रु० 1200–2040 ही रखा गया जिसे एक विडम्बना ही कहा जायेगा । नियमानुसार प्रधान लिपिक /लेखाकार/आशुलिपिक को पूर्व की भांति एक ही वेतनमान में रखा जाना चाहिये ।

3–आदरणीय महोदय हम वैयक्तिक सहायक एवं आशुलिपिकगण आपका ध्यान पुनः अपने वेतनमान की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करते हैं कि कृपया निम्नानुसार वेतनमान दिलाने के संबंध में शासन को अपने स्तर से गहन प्रयास करने की अनुकम्पा करने का कष्ट करें ।

पदनाम	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3
वैयक्तिक सहायक, आयुक्त ग्राम्य विकास । (1640–2900)	रु० 2000–3200/–	शासनादेश संख्या 11260/32–4–94 दिनांक 5–12–1984 के अनुसार देय है ।
आशुलिपिक (1400–2300) ग्राम विकास विभाग मुख्यालय के समस्त आशुलिपिक (आयुक्त ग्राम्य विकास के वै० स० को छोड़कर) मण्डलीय संयुक्त/उप विकास आयुक्त मुख्य विकास अधिकारी	रु० 1640–2900	शासन द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि जिलाधिकारी के आशुलिपिक को रु० 1640–2900 का वेतनमान देय होगा । जिलाधिकारी चाहे जिस वेतनमान का हो । मुख्य विकास अधिकारी के पास भी जिलाधिकारी से कम कार्य नहीं होता बल्कि जिलाधिकारी से अधिक ही होता है और मुख्य विकास अधिकारी का मुखिया/कलेक्टर होता है उपायुक्त (मुख्यालय) मण्डलीय उप विकास आयुक्त के आशुलिपिक के पास भी मुख्य

1	2	3
		विकास अधिकारी के आशुलिपिक की भांति कार्य होता है मुख्य विकास अधि० का यदि स्थानान्तरण मुख्यालय होता है तो वह अपर आयुक्त होता है इस तरह भी मुख्य विकास अधिकारी के आशुलिपिक को रु० 1640–2900 का वेतनमान दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार पी०सी०एस० संवर्ग से जो भी अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बनाये जाते हैं वह वेतनमान रु० 4500–5700 के नीचे नहीं होते हैं । यदि वेतनमान का ही आधार मान लिया जाय तो रु० 4500–5700 पर रु० 1640–2900 का ही वेतनमान देय होगा ।
आशुलिपिक (1200–2040) जिला विकास अधिकारी परियोजना निदेशक, एवं आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, उ०प्र०	1400–2600	जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है कि प्रधान लिपिक /लेखाकार एवं आशुलिपिक का वेतन एक ही होना चाहिये । अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) जो श्रेणी–दो के अधिकारी हैं, के आशुलिपिक एवं उप जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट (अब उप जिलाधिकारी) के आशुलिपिक को वेतनमान रु० 1350–2200 दिया गया है । जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक/अपर जिलाधिकारी (परियोजना) /आचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के आशुलिपिक, जो श्रेणी–1 के अधिकारी के आशुलिपिक हैं, को भी नियमानुसार रु० 1400–2600 का वेतनमान दिया जाना चाहिये ।

जनपदों में अभी भी यह परम्परा चली आ रही है कि आशुलिपिक को टाइप बाबू ही कहा जा रहा है । अतः आदरणीय महोदय से अनुरोध है कि विकास विभाग के समस्त आशुलिपिकों को वैयक्तिक सहायक का पदनाम दिया जाना चाहिये । इसमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार शासन स्तर पर नहीं आयेगा ।

4–ग्राम्य विकास निदेशालय (मुख्यालय), मण्डल तथा जनपदों में कार्यरत वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिकगण अपने उच्चाधिकारियों जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं, द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन बड़ी ही तत्परता एवं निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं, इस संवर्ग से सम्बद्ध कर्मचारियों को कार्यालय समय से पूर्व तथा कार्यालय अवधि के बाद भी रुककर शासकीय कार्यों का सम्पादन करना होता है और प्रायः सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय आकर शासकीय कार्यों का निष्पादन करना होता है ।

इस कार्य के लिये वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिकों को न तो कोई प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है और न ही कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक । जबकि वाहन चालकों को कार्यालय समय के पूर्व तथा बाद में रुककर कार्य करने के लिये पूर्व में 15 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया गया था और अब उन्हें एक माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त वेतन दिये जाने का मामला शासनादेश जारी करने हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है । हम वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक भी निजी स्टाफ में आते हैं तथा वाहन चालकों से किसी भी दशा में कार्य कम नहीं करते हैं । अतः महोदय जी से अनुरोध है कि वाहन चालकों की भांति इस संवर्ग को भी वर्ष में एक बाह एक माह के वेतन के बराबर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये जाने हेतु शासन से शासनादेश जारी कराने की कृपा करें ।

5–वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों को एक लिपिक उपलब्ध कराया जाय ।

6–कतिपय जनपदों से आशुलिपिकों के समयमान वेतन देने के मामले विभाग को भेजे गये हैं, जिनमें निर्णय अभी तक नहीं हुआ है । यदि हुआ भी है तो उसे गम्भीरता से न लेते हुये वरिष्ठ लिपिक को देय वेतनमान ही वरिष्ठ आशुलिपिक को दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है । आशुलिपिकों को निम्न वेतन ही शासन द्वारा जारी किये गये हैं :–

1–1200–2040

2–1400–2600

3–1640–2900

4–2000–3200

शासनादेश संख्या 4130 इ०जी०/32 दिनांक 10–1–94 द्वारा उक्त वेतनमान जारी किया गया है । इसी क्रम में में लोक निर्माण विभाग ने अपने आदेश संख्या 2519/156 दिनांक 20–8–95 द्वारा समस्त जनपदों को पत्र भेजा है तथा सिंचाई विभाग ने शासनादेश संख्या अ–958/93–27 सी8–48 अ दिनांक 3–9–95 व प्रमुख सचिव, न्याय विभाग ने शासनादेश संख्या 282(1)/सात–न्याय–2–47जी दिनांक 9–3–95 द्वारा आदेश जारी कर वेतन निर्धारण कराया गया है ।

अतएव माननीय आयुक्त महोदय से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपना व्यक्तिगत ध्यान देक हमारे संघ की मांगों के संबंध में अपने स्तर से शासन से उपरोक्तानुसार आदेश जारी कराने की कृप करें । इस हेतु हम समस्त वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक तथा हमारा संघ आपका आजीवन आभार रहेगा ।

अयोध्या प्रसाद मौर्य,
महामंत्री,
उ०प्र० ग्राम्य विकास वैयक्तिक सहायक/
आशुलिपिक संघ,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं० 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

स्थानान्तरण हेतु पात्र राजपत्रित अधिकारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1	श्री कुलदीपक	संयुक्त निदेशक
2	श्री पी० सी० गुप्ता	संयुक्त निदेशक
3	श्री एस० सी० सिन्हा	संयुक्त निदेशक
4	श्री बी० के० डे	उप निदेशक
5	श्री सैयद जरगाम हैदर जैदी	उप निदेशक
6	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक निदेशक
7	श्री सर्वेश कुमार गुप्ता	सहायक निदेशक
8	श्री ए० के० मिश्रा	सहायक निदेशक
9	श्री एम० एल० कथूरिया	सहायक निदेशक
10	श्री रफीक अहमद	सहायक निदेशक
11	श्री कृष्णा प्रसाद	सहायक निदेशक
12	श्री रामाश्रय मणि त्रिपाठी	कार्मिक अधिकारी
13	श्री धीरज	कार्मिक अधिकारी

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

संलग्नक–1

जनपद बस्ती को वर्ष 1996–97 में सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना अन्तर्गत विकास खण्ड वार अवमुक्त धनराशि का विवरण

क्र०सं०	विकास खण्ड	अवमुक्त धनराशि		
		सुनिश्चित रोजगार योजना	जवाहर रोजगार योजना	दस लाख कूप योजना
1.	2	3	4	5
1	बस्ती सदर	67.734	7.35.000	11.72.000
2	बहादुरपुर	74.89	12.90.3000	8.89.200
3	रुधौली	76.213	—	—
4	सेमरियांवा	74.881	1.12.000	15.000
5	मेंहदावल	67.478	—	30.000
6	बघौली	64.229	20.000	3.05.000
7	हैंसरबाजार	82.201	1.01.000	8.60.300
8	बनकटी	3.82	15.34.000	27.77.200
9	खलीलाबाद	20.561	38.45.600	35.63.700
10	नाथनगर	30.749	48.38.800	34.78.500
11	साऊघाट	5.976	4.13.000	2.00.000
12	कुदरहा	18.551	11.14.000	2.55.000
13	विक्रमजीत	—	2.44.200	60.000
14	कप्तानगंज	—	5.65.000	1.40.000
15	रामनगर	—	6.57.500	7.88.000
16	हरैया	—	2.70.700	—
17	सल्टौआ	—	2.96.000	1.48.000
18	गौर	—	6.45.600	1.51.000
19	परसरामपुर	—	5.000	1.00.000

संलग्नक–2

विकास खण्ड–रुदौली में योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण वर्ष (1996–97)

(क) सुनिश्चित रोजगार योजना (धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	मदरसा अहले सन्नत पैतुल उलूम अलीमियां हनुमानगंज में शौचालय निर्माण	0.1100	0.1100
2	मदरसा अरबिया जियाउल उलूम मल्हवार (रुद्रनगर) में शौचालय निर्माण	0.1100	0.1100
3	शुवार हनुमानगंज मार्ग से बनकटिया तक स०मा० निर्माण	1.5000	0.7500
4	ग्राम नोनहा में गोमती के बोरिंग से चक तक नाली निर्माण	1.4570	0.8700
5	इमलिया से पकरीबरगड़वा होते हुये पुरैना तक मिट्टी कार्य	2.00	2.00
6	भितेहरा से कुचुरुआ सम्पर्क मार्ग	1.2900	0.6500
7	करमहिया से परासी सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	2.2000	1.1000
8	सेरोआघाट से डिगेश्वरनाथ तक मिट्टी कार्य	1.2000	1.2000
9	बूढ़ीबेलहर से लेनडाड बाघा दसडीह सुकरौली सम्पर्क मार्ग	1.8000	1.8000
10	अठदमा से गन्धरिया तक बंधा	4.4700	2.2400
11	बस्ती बांसी मार्ग से पश्चिम आमी नदी तक बन्धा कार्य	7.1600	3.5800
12	मझौवा से सिहारोखुर्द होते हुये नटरईकला तक मिट्टी कार्य	1.2000	1.2000
13	चौधरी बोरिग से पकरी गांव तक मिट्टी कार्य	0.4000	0.4000
14	बरडाड से मुडिला गनवरिया मार्ग पर मिट्टी कार्य	1.5000	0.7500
15	आमा से मुडिला गुगरहा सरकारी बोरिंग तक मिट्टी कार्य	1.0550	0.5300
16	सरैनी से बरकटवा तक मिट्टी कार्य	2.7600	1.3800
17	स्रूवार मार्ग से मो० हनीफ के घर से जू० हाई० स्कूल से आरा मशीन तक सम्पर्क मार्ग	0.5810	0.2900
18	ग्राम जंगल दशहर से पी० डब्लू० डी० खड़ण्जा मार्ग तक खड़ण्जा तथा दो अदद 900 एम एम० एच पी० पुलिया।	1.8000	1.0800
19	छतरिया से कुचरूआ तक छतरिया ताल के किनारे बांध निर्माण	1.5300	0.7600
20	ग्राम सभा हटवा ग्राम भरबलिया बाबू में तालाब निर्माण	0.4858	0.2430
21	रूधौली बखिरा पी० डब्लू० डी० रोड से डउवा तिवारी रायठ इन्टर कालेज तक खड़ण्जा	10.7050	6.4200
22	ग्राम भरौली से टन्डौठी जाने वाले सम्पर्क मार्ग से कुसहा कुवर तक मिट्टी एवं सीलिंग कार्य	1.8500	1.8500
23	भगौसा से सरौवाघाट तक मिट्टी एवं खड़ण्जा कार्य	5.6360	3.3800
24	भगौसा से खींगापार तक सड़क/बन्धा कार्य एवं आर० सी० सी० पुलिया	9.9800	5.9900

1	2	3	4
25	नवोदय विद्यालय रूधौली में 30 शौचालय एवं 1≠35 घनमी० क्षमता के मानवमत आधारित वायोगैस संयंत्र की स्थापना	7.3500	4.4100
26	जवाहर नवोदय विद्यालय में जल निकासी नाली का निर्माण कार्य	6.6030	3.9600
27	प्रा० विद्यालय डडवा तिवारी	1.3500	1.3500
28	अग्रिम मृदा कार्य वृक्षारोपण हेतु	1.8260	1.82600
29	बेलवा ठकुराई से केवटपुरवा होते हुए गोदया नाला तक मिट्टी एवं 2≠3 मी० स्पेन की आर० सी० पुलिया	5.6830	3.4100
30	शिवगंज से चौगरीवारा बन्धा/सम्पर्क मार्ग	4.0640	2.0320
31	पकरी सीयम से रायठ मार्ग पर मिट्टी कार्य	0.8400	0.4200
32	कोहरा से अठदउरा होते हुए सिसवारी सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	1.2600	0.6300
33	धरैला से सुरूवार तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य	1.2600	0.6300
34	दुग्ध संग्रह केन्द्र गांव पिपरा प्रथम, बेलहर कला	2.1980	1.3180
35	पंचायत भवन बेलहर कला	0.3947	0.3947
36	महिला काम्पलेक्स	0.27	0.27

(ख) दस लाख कूप योजना

क्रम सं	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	ग्राम सेहुड़ा में चन्द्रभान की बोरिंग से पूरब तरफ पक्की नाली–200 मी०	54,000=00
2	ग्राम नोनहा में राम नरायन के बोरिंग से चक तक सिंचाई नाली–200 मी०	58,000=00
3	ग्राम रायठ में गौरी शंकर के चक से बंधू यादव के चक तक 200 मी०	58,000=00
		1,70,000=00

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

अम्बेडकर ग्राम में कराये गये कार्यों का विवरण ग्रामवार निम्न प्रकार है :–

संलग्नक

अम्बेडकर ग्राम का नाम	कार्य विवरण
1–बसहिया	यह अम्बेडकर ग्राम वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया है । इस ग्राम में सम्पर्क मार्ग/विद्युतीकरण/खड़ण्जा/नाली, हैण्ड पम्प, आवास, स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क बोरिंग, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, किसान पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास एवं प्राइमरी पाठशाला का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार पूर्ण/अपूर्ण है ।
2–भेला खर्ग कला	यह अम्बेडकर ग्राम वर्ष 1995-96 में चयनित किया गया है । इस ग्राम में सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, खड़ण्जा/नाली, हैण्ड पम्प, आवास, स्वच्छ शौचौलय, निःशुल्क बोरिंग, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, किसान पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास एवं प्राइमरी पाठशाला का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार पूर्ण/अपूर्ण है ।
3–मेलान खुर्द बुजुर्ग	यह अम्बेडकर ग्राम वर्ष 1996-97 में चयनित किया गया है । इस ग्राम में सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, खड़ण्जा/नाली, हैण्ड पम्प, आवास, स्वच्छ शौचौलय, निःशुल्क बोरिंग, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, किसान पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम एवं प्राइमरी पाठशाला का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार है ।
4–बालेपार	यह अम्बेडकर ग्राम वर्ष 1996-97 में चयनित किया गया है । इस ग्राम में सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, खड़ण्जा/नाली, हैण्ड पम्प, आवास, स्वच्छ शौचौलय, निःशुल्क बोरिंग, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, किसान पेंशन, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम एवं प्राइमरी पाठशाला का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार है ।
5–लेदवा	यह ग्राम वर्ष 1997-98 में चयनित किया गया है ।
6–बढ़या	यह ग्राम वर्ष 1997-98 में चयनित किया गया है ।

अम्बेडकर ग्राम से निर्धारित 11 कार्यक्रमों (मानक के अनुसार) संतृप्त किये जाने वाले कार्यों की सूची निम्नवत् प्रस्तुत है :–

क्र०सं०	ग्राम	कार्य की स्थिति
1. सम्पर्क मार्ग	1. बसहिया	खड़ण्जा पूर्ण लेपन कार्य अवशेष
	2. मेलाखर्ग कला	खड़ण्जा पूर्ण लेपन कार्य नहीं ।
	3. मेलान खुर्द	मिट्टी कार्य पूर्ण लेपन अपूर्ण ।
	4. बालेपार	लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाना है ।
	5. बढ़वना	पूर्व में पूर्ण है ।
	6. बढ़या	मण्डी समिति द्वारा बनाया जाना है ।

1	2	3
2. विद्युतीकरण	1. बसहिया	पूर्ण
	2. मेलाखर्गकला	पूर्ण
	3. मेलानखुर्द	खम्भा लगा है आपूर्ति नहीं है ।
	4. बालेपार	खम्भा लगा है आपूर्ति नहीं है ।
	5. लेदवा	नहीं ।
	6. बढ़या	नहीं ।
3. खड़ण्जा/नाली	1. बसहिया	कार्य प्रारम्भ
	2. मेलाखर्गकला	पूर्ण
	3. मेलानखुर्द	कार्य प्रगति पर है ।
	4. बालेपार	कार्य प्रगति पर है ।
	5. लेदवा	कार्य प्रगति पर है ।
	6. बढ़या	कार्य प्रगति पर है ।
4. हैण्ड पम्प	ग्राम सभा लेदवा एवं बढ़या को छोड़कर जो वर्ष 1997-98 में चयनित हैं शेष सभी ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।	
5. आवास	1. बसहिया	47
	2. मेलाखर्गकला	41
	3. मेलानखुर्द	31
	4. बालेपार	35
	5. लेदवा	दोनों ग्राम 97-98 में चयनित हैं ।
	6. बढ़या	
6. स्वच्छ शौचालय	1. बसहिया	8
	2. मेलाखर्गकला	9
	3. मेलानखुर्द	18
	4. बालेपार	30
	5. लेदवा	17
	6. बढ़या	10

विधान सभा

1	2	3
7. निःशुल्क बोरिंग	1. बसहिया	15
	2. मेलाखर्गकला	33
	3. मेलानखुर्द	66
	4. बालेपार	13
	5. लेदवा	वर्ष 97-98 में चयनित है।
	6. बढ़या	वर्ष 97-98 में चयनित है।
8. वृद्धावस्था/विधवा/ किसान पेंशन	1. बसहिया	5 विधवा पेंशन
	2. मेलाखर्गकला	4 विधवा पेंशन 19 वृद्धावस्था पेंशन
	3. मेलानखुर्द	आवेदन पत्र पर अग्रसारित
	4. बालेपार	5 विधवा पेंशन एवं 3 वृद्धावस्था पेंशन
	5. लेदवा	वर्ष 97-98 में चयनित है।
	6. बढ़या	वर्ष 97-98 में चयनित है।
9. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	1. बसहिया	5
	2. मेलाखर्गकला	10
	3. मेलानखुर्द	18
	4. बालेपार	15
	5. लेदवा	वर्ष 97-98 में चयनित है।
	6. बढ़या	वर्ष 97-98 में चयनित है।
10. प्राइमरी पाठशाला	1. बसहिया	कार्य प्रगति पर है।
	2. मेलाखर्गकला	पूर्ण
	3. मेलानखुर्द	पूर्व में पूर्ण
	4. बालेपार	पूर्व में पूर्ण
	5. लेदवा	बना है परन्तु जीर्ण शीर्ण है।
	6. बढ़या	धन आवंटित है।

पी०एस०यू०पी० एल०-263 विधान सभा (535)-1997-619 (डी०टी०पी०)।